र्दश माला, खंड 9, अंक 23

गुरुवार, 21 अप्रैल, 2005
1 वैशाख, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No ....56...........
Dated......11/3/06...

(खण्ड 9 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र. ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

चतुर्दश माला, खंड 9, चौथा सत्र, 2005/1927 (शक)

अंक 23, गुरुवार, 21 अप्रैल, 2005/1 वैशाख, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	1
गुजरात में दुःखद रेल दुर्घटना में अनेक यात्रियों की मृत्यु के बारे में	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	6-32
*तारांकित प्रश्न संख्या 381–383	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	32-312
*तारांकित प्रश्न संख्या 384–400	32-61
अतारांकित प्रश्न संख्या 4145–4374	61-312
सभा पटल पर रखे गए पत्र	312-314
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति	
पांचवां और छठा प्रतिवेदन	314-315
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	
पांचवां और छठा प्रतिवेदन	315
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति	
चौथा और पांचवां प्रतिवेदन	315
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
पन्द्रहवें से अठारहवां प्रतिवेदन	316
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति	
सातवां और आठवां प्रतिवेदन	316
शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति	
छठा प्रतिवेदन	316-317
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ अट्ठावनवें प्रतिवेदन से एक सौ साठवां प्रतिवेदन	317

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
पश्चिम रेलवे के गोधरा–वडोदरा खंड में साबरमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच टक्कर	317-318
श्री आर. वेलु	317-318
सभा का कार्य	321-325
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
प्रश्नकाल के बाद तथाकथित शून्यकाल में अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने हेतु विनियमन	325-326
सदस्यों द्वारा निवेदन	326-334, 374-377, 401-414
(एक) न्यायमूर्ति फूकन आयोग और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखे जाने के बारे में	326-330
(दो) भारतीय सेना के लिए शस्त्रों की खरीद में दक्षिण अफ्रीकी कम्पनी द्वारा कथित भुगतान के बारे में	330-334
(तीन) गुजरात में रेल मंत्री के साथ किए गए कथित अनुचित व्यवहार के बारे में	374-377, 401-414
सामान्य बजट–2005-2006, अनुदानों की मांगें	349-401
कृषि मंत्रालय	
श्री कैलाश जोशी	352-356
श्रीमती डी पुरन्देश्वरी	356-360
श्री अबदुल्लाकुट्टी	360-361
श्री राम कृपाल यादव	362-366
श्री ब्रजेश पाठक	366-367
श्री प्रकाश परांजपे	370-374
श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील	377-380
श्री सचिन पायलट	380-383
डा. रामकृष्ण कुसमरिया	383-385
श्री प्रबोध पाण्डा	385-387
श्री खगेन दास	388-390
डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	391

विषय	कॉलम
श्री हंसराज जी. अहीर	391-393
श्री एम. शिवन्ना	393-395
श्री अनिल बसु	395-401
अनुबंध-I	415-422
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	415
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	416-422
अनुबंध-II	423-426
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	423-424
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	423-426

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

गुरुवार, 21 अप्रैल, 2005/ 1 वैशाख, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

गुजरात में दुःखद रेल दुर्घटना में अनेक यात्रियों की मृत्यु के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आप सभी इस अत्यंत दुःखद रेल दुर्घटना से अवगत हैं। यह सभा आज प्रातः गुजरात राज्य में हुई इस दुःखद रेल दुर्घटना में मारे गए अनेक यात्रियों की मृत्यु पर शोक प्रकट करती है।

इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति हम अपनी गहरी संवेदनाएं प्रेषित करते हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार इस संबंध में उचित वक्तव्य देगी।

अब हम एक मिनट का मौन रखेंगे।

पूर्वाह्न 11.0½ बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण एक मिनट के लिए मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, आप यह मामला उठाना चाहते थे।

...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : महोदय, कृपया मुझे इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति दीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : महोदय, मैंने भी प्रश्नकाल के निलंबन की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी बोलने का अवसर दूंगा। पहले मुझे पता लगाने दीजिए कि श्री मल्होत्रा को क्या कहना है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आपने सारे सदन की ओर से सांत्वना प्रकट की है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठ जाइए। जिसने नोटिस दिया है उसे बोलने दीजिए। प्लीज आप बैठ जाइए। एक–एक करके बोलने की आदत बनाइए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, इस रेल ऐक्सीडेंट में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, आपने उन लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। सरकार की ओर से सुओ मोटो स्टेटमेंट कब आएगा, उसका समय बताएंगे कि कब होगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें ऐसा करने के बारे में पहले ही निर्देश दे दिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, यहां पर रेलवे के कोई मंत्री हैं ही नहीं और रेलवे मंत्रालय कोई काम नहीं कर रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस दुःखद दुर्घटना को विवादास्पद न बनाएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : श्री लालू प्रसाद जी का सारा समय बिहार में जा रहा है, लगातार ऐक्सीडेंट्स हो रहे हैं। श्री लालू प्रसाद जी को अपना पद स्वयं छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और अगर वह इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनसे इस्तीफा दिलाया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इससे आगे कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

---

* कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कार्यवाही वृत्तांत दिखाइए और मैं इस पर निर्णय करूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बैठ जाइए। प्लीज, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

इससे आगे कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैंने भी प्रश्न काल के निलंबन के लिए सूचना दी है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा, आपने बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। पूरी सभा ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की है। मैंने सरकार को निर्देश दिया है कि मंत्री महोदय वक्तव्य दें। क्या सरकार इस मुद्दे पर वक्तव्य देने के लिए तैयार है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस मुद्दे पर वक्तव्य 12.00 बजे दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, वह क्या कह रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इससे आगे कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा। इसे कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं इसकी अनुमति नहीं है। इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा, आप अपनी बात कह चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, श्री लालू प्रसाद जी इस्तीफा दें और प्रधानमंत्री जी दूसरे व्यक्ति को रेलमंत्री बनाएं जो रेलवे के लिए समय दे सकें।

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में निर्णय लेना सरकार का काम है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा की कार्यवाही व्यवस्थित करने दीजिए। श्री बंसल, आपने सूचना दी है।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैंने प्रश्नकाल के निलंबन के लिए आपकी अनुमति मांगी है। मीडिया में एक बहुत विचलित करने वाली खबर आई है कि दक्षिण अफ्रीकी फर्म ने रक्षा सौदों के लिए काफी धनराशि दी थी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस मुद्दे को प्रश्न काल के पश्चात् उठाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, एक विचलित करने वाली खबर मीडिया में दिखाई गई है कि फर्म द्वारा किए गए भुगतान के मामले में करोड़ों रुपये का घोटाला है। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, माननीय रक्षा मंत्री यहां उपस्थित हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अधीर चौधरी, कृपया बैठ जाइए। आप क्यों बोल रहे हैं? कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। श्री चौधरी, आप भारत की संसद के सदस्य हैं। जनता ने आपको बहुत उम्मीद के साथ यहीं भेजा है। यहां नियम है और हमें उनका अनुपालन करना है। हम प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे को बीच में टोकने तथा अध्यक्षपीठ का निरादर करने से कुछ नहीं होगा।

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

यह बात सभी पर लागू होती है। मैं केवल यह कह रहा हूं कि उन्होंने सूचना दी है लेकिन मैं प्रश्न काल के बाद इन्हें मामला उठाने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : ठीक है प्रश्न काल के बाद लें, लेकिन ये अपनी पार्टी के चीफ व्हिप हैं, इनकी सरकार है, तो क्यों नहीं एक्शन लेते। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल शुरू करते हैं।

[हिन्दी]

यह क्या हो रहा है, अब इसे छोड़िए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। यह प्रश्नकाल है। प्रो. मल्होत्रा यह ठीक नहीं है। अब प्रश्न संख्या 381 लेते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : हम लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता है। हम रोज नोटिस दे रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण मामला है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राम कृपाल यादव, मैं यह सहन नहीं करूंगा। मैं तीसरी बार यह कह रहा हूं कि मैं यह बात सहन नहीं करूंगा और आपको परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अध्यक्षपीठ की अवहेलना करने वाले माननीय सदस्य को परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कौन बोल रहा है? आप में खड़े होने का साहस होना चाहिए। अध्यक्षपीठ पर टिप्पणी न करें।

प्रश्न संख्या 381, श्री उदय सिंह।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

असैनिक कर्मचारियों की कमी

\+

***381. श्री उदय सिंह :**
श्री चन्द्रभूषण सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नौसेना असैनिक कर्मचारियों की कमी का सामना कर रही है और अपने प्रतिष्ठानों विशेषतः युद्धपोतों और उपकरणों के अनुरक्षण हेतु कार्यशालाओं को चलाने में कठिनाई महसूस कर रही है जैसाकि दिनांक 28 मार्च, 2005 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) कर्मचारियों की कमी के कारण नौसेना की प्रभावित हुई विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने नौसेना में असैनिक कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाने पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) एक विवरण–पत्र सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सरकार को नौसेना में सिविलियन जनशक्ति की कमी की जानकारी है।

48998 सिविलियन कार्मिकों की संस्वीकृत संख्याशक्ति के मुकाबले 8756 पद रिक्त पड़े हैं।

कारवाड़ बेस स्थित नौसेना पोत मरम्मत यार्ड और स्वदेशी विमान–वाहक परियोजना के लिए कोच्चि में युद्धपोत निरीक्षण दल के लिए सरकार द्वारा सिविलियन जनशक्ति अभी मंजूर की जानी है।

सरकार ने 16.5.2001 को अनुदेश जारी किए थे, जिनमें

सीधी भर्ती की रिक्तियों को भरने पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। इन अनुदेशों के अनुसार, वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाली सीधी भर्ती की रिक्तियों में से केवल एक–तिहाई रिक्तियां भरी जा सकती हैं, जो आगे इस प्रतिबंध के अध्यधीन है कि यह विभाग की कुल संस्वीकृत नफरी के 1 प्रतिशत से अधिक न हो। सभी विभागों की कुल सिविलियन कैडर नफरी में, पांच वर्षों में, 10 प्रतिशत की कटौती करने के लिए ऐसा किया गया था।

उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार रिक्तियों को भरकर नौसेना में सिविलियनों की कमी से निपटा जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री उदय सिंह : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी के उत्तर से पूर्णतः असंतुष्ट हूं।

[अनुवाद]

माननीय मंत्री जी का उत्तर अस्पष्ट है। श्रमशक्ति की कमी को स्वीकार करते हुए भी उत्तर में इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि सरकार इस मामले पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है। श्रमशक्ति की कमी विशेषरूप से स्वीकृत श्रमशक्ति की कमी बहुत गंभीर मामला है, एक ओर नौसेना को अपनी परियोजनाओं में हो रहे विलंब के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है तो दूसरी ओर, जो अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि योग्य युवा अभी भी बेरोजगार है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या कोई प्रभावी भर्ती नीति प्रस्तुत की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी कमी न हो।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, मैंने स्वीकार किया है कि नौसेना में असैनिक कार्मिकों की कमी है। शायद, माननीय मंत्री 2001 में पूर्व सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से अवगत होंगे। उस वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करते समय तत्कालीन वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि भारत सरकार के विभिन्न विभागों में 10 प्रतिशत असैनिक अधिकारियों/कर्मचारियों को कम करने का निर्णय लिया है। एक सूत्र भी स्वीकार किया गया था कि किस तरह से रिक्त पदों का निर्धारण किया जाएगा जो कि इस प्रकार है, एक तिहाई रिक्त पदों को भरा जाएगा और रिक्त पदों की एक तिहाई संख्या कुल स्वीकृत श्रमशक्ति के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

इस बात से भी माननीय सदस्य सहमत होंगे, और मैं भी उनसे इस बात से सहमत हूं कि इस सूत्र के कारण नौसेना नुकसान उठा रही है क्योंकि नौसेना कार्मिकों का एक बहुत बड़ा दल असैनिक श्रेणियों से संबद्ध है जबकि थलसेना तथा वायुसेना में ऐसा नहीं है। अतः हमने इसमें छूट देने के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क किया क्योंकि यदि हम यह पूरा लागू करते हैं तो थलसेना और वायुसेना इस हद तक प्रभावित नहीं होंगे लेकिन नौसेना प्रभावित होगी क्योंकि यहां कुल सेना का लगभग 50 प्रतिशत स्टाफ असैनिक श्रेणी से संबंधित है जो गोदी पर पोत तथा अन्य उपस्करों की मरम्मत में सहायता करते हैं। अतः, यह मुद्दा वित्त मंत्रालय के साथ उठाया गया है और मैं इस सभा के माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त कर सकता हूं कि इस मामले का हल निकाल लिया जायेगा।

श्री उदय सिंह : धन्यवाद मंत्री जी।

मैं सरकार से एक और बात पूछना चाहता हूं कि क्या अब समय नहीं आ गया कि हमारे देश के युवाओं को प्रशिक्षण तथा तीन–चार वर्ष तक उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए रक्षा बलों को शीर्ष भर्ती एजेन्सी बनने की संभावना का पता लगाया जाए और उसके बाद इन्हें केन्द्रीय और राज्य पुलिस संगठनों तथा अन्य अर्द्धसैनिक बलों में भेज दिया जाए। मैं नहीं जानता कि सरकार इस बात पर क्या कहना चाहती है।

श्री प्रणब मुखर्जी : एक बार यह विचार किया गया था कि थलसेना से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को समानान्तर केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों और इस तरह की सेवाओं में शामिल किया जा सकता है क्योंकि उनकी काफी सेवा रहती है। वे 15–16 वर्ष की सेवा देने के बाद सामान्यतः 35, 36 और 37 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं लेकिन इसमें एक अन्य समस्या आएगी कि जो लोग बी.एस.एफ. अथवा सी.आर.पी.एफ. अथवा आई.टी.बी.पी. तथा अन्य केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में सीधे भर्ती होती हैं तो उनकी पदोन्नति की भावी संभावनाएं बाधित हो जाएंगी। अतः, यह बात ज्यादा पसंद नहीं आई। क्या लगभग 10 लाख की स्थायी सेवा के स्थान पर हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति अथवा बड़ी संख्या में लोगों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जा सके, यह एक वृहत्त–नीति मुद्दा है। मुझे विश्वास है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नकाल के दौरान इस मुख्य नीति के मामले पर चर्चा नहीं कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रभूषण सिंह – उपस्थित नहीं।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या रिक्त पदों को भरने के लिए की जा रही भर्ती में उन भूमि विस्थापितों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनसे रक्षा परियोजनाएं लगाने हेतु भूमि ली गई थी।

श्री प्रणब मुखर्जी : किसी परियोजना के निर्माण क्षेत्र में सामान्यतः उन लोगों को और उन लोगों के परिवार के सदस्यों

को कुछ प्राथमिकता दी जा रही है जिन्होंने परियोजना के निर्माण हेतु भूमि दी है। परन्तु यह विनिश्चय नहीं है; प्राथमिकता दी जा रही है।

श्री एन. एन. कृष्णदास : अभी–अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 2001 में पूर्ववर्ती सरकार ने विभिन्न विभागों में कुल श्रमशक्ति में से दस प्रतिशत कम करने का निर्णय लिया था। इसलिए, हमारे सामने जो गंभीर स्थिति है, विशेषकर नौसेना में असैनिक श्रेणी में उसका यही कारण है। मैं मंत्रालय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भर्ती पर प्रतिबंध के प्रभाव की पुनः जांच करने के लिए तैयार है। क्या सरकार अब स्थिति की पुनः जांच के लिए तैयार है।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, यह एक सुझाव है।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : अध्यक्ष जी, जो तकनीकी ज्ञान पढ़े–लिखे लड़के हैं जिनको शिक्षा प्राप्ति के बाद सेना में जाने की बात थी, लेकिन वे जा नहीं पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सेना की नौकरियों में कितने वर्षों से प्रतिबंध लगा हुआ है और जो सैनिक रिटायर हो रहे हैं क्या उनको भी तकनीकी साइड में भेजने की कोई व्यवस्था है?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए विभिन्न योग्यताएं हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है तो सेनाओं की तैनाती के संबंध में, हम सेवानिवृत्त होने वालों को निजी सुरक्षा एजेंसियों और अन्य क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में समायोजित करने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त मुझे बताया गया है कि असैनिक सेवाओं में जिस कुल कटौती पर विचार किया गया है वह पांच वर्षों में दस प्रतिशत है जिसकी दर दो प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी।

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढ़े : अध्यक्ष जी, सेना में काम करने वाले जो सैनिक हैं और जो बीएसएफ में काम करने वाले सैनिक हैं, उनके मुआवजे में अंतर है। सेना से जो रिटायर होते हैं उनको जो मुआवजा मिलता है, क्या बीएसएफ के जवानों को भी यही मुआवजा मिलता है? मेरे ख्याल से बीएसएफ के जवानों को कम मुआवजा दिया जाता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि रिटायरमैंट के बाद सेना के दोनों जवानों ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस क्वैश्चन में बीएसएफ नहीं आता है

[अनुवाद]

यह प्रश्न नहीं उठता। बी एस एफ रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं आता।

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढ़े : क्या सरकार दोनों जवानों को एक जैसा मुआवजा देने के बारे में सोच रही है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह विषय इनकी मिनिस्ट्री में नहीं आता है

[अनुवाद]

यह गृह मंत्रालय के अधीन है। श्री अनंत गुढ़े आप दूसरा प्रश्न दर्ज कराइए।

श्री पी. राजेन्द्रन : महोदय, मुझे अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। पिछली सरकार की सरकार के यहां तक कि सेना और अर्द्धसैनिक बलों में भी कर्मचारियों की कटौती करने की नीति सर्वविदित है। उत्तर में यह बताया गया है कि 10 प्रतिशत से अधिक रिक्तियां हैं और 8,756 पद रिक्त पड़े हुए हैं। दस प्रतिशत का अर्थ है 4,800 पद। जब नीति को लांगू करना पड़ेगा तो हमारी नौसेना के अधिकारी इसे लागू करने के लिए पाबंद हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्रवाई के लिए दूसरा सुझाव है।

श्री प्रणब मुखर्जी : जैसा कि मैंने पहले कहा हे 10 प्रतिशत एक वर्ष में नहीं है बल्कि 10 प्रतिशत पांच वर्ष की अवधि के लिए है। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। यदि स्वीकृत संख्या 100 है और रिक्तियां हैं 30; रिक्तियों का एक तिहाई अधिसूचित किया जाएगा; 30 का एक तिहाई 10 है। परन्तु भर्ती कुल स्वीकृत संख्या 100 का केवल एक प्रतिशत होगी। इसलिए, वित्त मंत्रालय द्वारा की गई गणना को पांच वर्ष की अवधि में लागू करना होगा, कुल संख्या का 10 प्रतिशत कम किया जाएगा और इसका उद्देश्य प्रशासन को छोटा बनाना है और असैनिक आबादी के संबंध में कार्यरत अतिरिक्त पदों को कम करना है। परिचालन संबंधी पदों को शामिल नहीं किया गया है। नौसेना की समस्या यह है कि 50 प्रतिशत नौसैनिक बल कार्य

की प्रकृति के हिसाब से असैनिक हैं और इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसीलिए, हमने इस पर वित्त मंत्रालय से बात की है।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

\+

***382. श्री अर्जुन सेठी :**

श्री कमला प्रसाद रावत :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि को देखते हुए सरकार का विचार देश में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने का है;

(ख) यादे हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल मूल्यों में प्रस्तावित भारी मूल्य वृद्धि को देखते हुए पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उपकर को वापस लेने हेतु सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) 2003 के अंत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में पर्याप्त सप्ताह-दर-सप्ताह और दिन प्रतिदिन के उतार-चढ़ावों के साथ अभूतपूर्व तेजी से और उछालदार वृद्धि हुई है। भारतीय कच्चा तेल बास्केट 2003-04 में 27.96 अमरीकी डालर प्रति बीबीएल और 2004-05 में 39.21 अमरीकी डालर प्रति बीबीएल के औसत मूल्य की तुलना में 4.4.2005 को 52.83 अमरीकी डालर प्रति बीबीएल के सर्वथा ऊंचे मूल्य पर पहुंच गई। अब कुछ नरमी आई है और 16.4.2005 को समाप्त सप्ताह में इंडियन बास्केट घटकर लगभग 47 अमरीकी डालर प्रति बीबीएल तक नीचे आ गई है। सरकार मूल्य स्थिति की सतत रूप से निगरानी कर रही है।

डीज़ल और पेट्रोल के उपभोक्ताओं पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के बोझ पर नियंत्रण पाने के विचार से यह निर्णय लिया गया है कि इस बोझ में सरकार और तेल कंपनियों को भी बराबर हिस्सा करना चाहिए। अतः सरकार ने 16.6.04 से प्रभावी करते हुए पेट्रोल और डीजल पर क्रमशः 4% और 3% उत्पाद शुल्क की कटौती की। 19.8.04 से प्रभावी करके पेट्रोल और डीज़ल पर उत्पाद शुल्क में आगे और 3% की कटौती की गई। सरकार ने 19.8.04 से पेट्रोल और डीज़ल प्रत्येक पर सीमा शुल्क में भी 5% की कटौती की। बजट 2005-06 में क्रूड पर सीमा शुल्क में कटौती करके इसे 10% से 5% कर दिया गया और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों में 15-20% से कम करके 10% की घोषणा की गई।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में पूरी वृद्धि इन उत्पादों के घरेलू उपभोक्ता मूल्यों पर नहीं डाली है। यद्यपि 1 अगस्त 2004 से सरकार ने एक मूल्य श्रृंखला व्यवस्था तैयार की थी जिसमें ओएमसीज को निर्धारित मूल्य श्रृंखला के भीतर पेट्रोल और डीज़ल के मूल्य संशोधित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में अत्याधिक और अस्थिरतापूर्ण वृद्धि के परिणामस्वरूप इस व्यवस्था के प्रचालन में आने के सप्ताहों के भीतर अधिकतम सीमा लांघ दी गई जिसके परिणामस्वरूप इस व्यवस्था को स्थगित करना पड़ा।

मूल्य निर्धारण व्यवस्था, विभिन्न शेयर धारकों उदाहरणतः उपभोक्ताओं, सरकार और तेल कंपनियों के हितों को संतुलित करने का प्रयास करती है जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होगी तो वास्तव में तेल कंपनियों द्वारा वहन किया गया बोझ, घरेलू मूल्यों में उर्ध्वगामी संशोधन न किए जाने की सीमा तक बढ़ जाएगा परन्तु आशा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में स्थिरता आएगी अथवा सरकार ऐसा निर्णय लेगी तो हो सकता है कि मूल्य श्रृंखला व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया जाए। यह नोट किया जाए कि निजी क्षेत्र की कंपनियां अपने मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

जहां तक उपकर वापस लेने का संबंध है वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि वित्त मंत्रालय में माल दुलाई वाहनों के मालिकों के अखिल भारतीय महासंघ (एआईसीजीवीओए) की ओर से डीज़ल पर प्रति लीटर 50 पैसे के अतिरिक्त उपकर का पुनरीक्षण करने/को वापस लेने के लिए अथवा विकल्पतः राजमार्गों पर चुंगी के भुगतान से ट्रक वालों को छूट देने का अनुरोध सरकार से करने वाला अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

श्री अर्जुन सेठी : इस सच्चाई से इन्कार नहीं किया जा सकता कि ऊर्जा सुरक्षा का सर्वाधिक महत्व है और देश की ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस संदर्भ में यह सुनिश्चित करने हेतु कि ऊर्जा आपूर्ति

के मामले में देश को अंधेरे में नहीं रखा जाएगा, सरकार द्वारा क्या नए कदम उठाये गए हैं?

श्री मणि शंकर अय्यर : हालांकि प्रश्न पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण से संबंधित है और आपकी अनुमति से मुझे माननीय सदस्य के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए खुशी है। पहले तकनीकियों के जरिये जिन्हें इम्प्रूव्ड ऑयल रिकवरी (आई ओ आर) तथा एनहांस्ड ऑयल रिकवरी (ई ओ एल) तकनीकें कहा जाता है, वर्तमान उत्पादक कुओं से उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

दूसरे, नई खोज लाइसेंस नीति के विभिन्न दौरों के अंतर्गत हम विदेशी निवेश की बड़ी राशि आकर्षित करने और खोज और उत्पादन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि करने हेतु भारतीय तथा विदेशी कंपनियों के बीच भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

तीसरे, हम इक्विटी तेल अथवा गैस का पता लगाने और उत्पादन करने और देश के बाहर संभावित सम्पत्तियों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इन सबके संयोजन से हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हाइड्रो कार्बन की आपूर्ति की उपलब्धता और आश्वस्तता में भारी वृद्धि की आशा करते हैं। इस संदर्भ में मैं मानता हूं कि ईरान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत, तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत और म्यांमार से बांग्लादेश होकर भारत के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रस्ताव का भी विशेष जिक्र किया जाना चाहिए।

श्री अर्जुन सेठी : जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है कि प्रश्न तेल के मूल्य निर्धारण से संबंधित है इसलिए मैं तेल के मूल्य निर्धारण संबंधी प्रश्न पूछना चाहता हूं।

मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट और निश्चित है। तेल क्षेत्र में स्थिति की वर्तमान वाष्पशीलता के मद्देनजर क्या सरकार का पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत बढ़ाने का विचार है। यदि हां, तो यह कितना है। प्रत्येक बैरल की कीमत कितनी है और क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है?

श्री मणि शंकर अय्यर : संक्षेप में उत्तर है – 'नहीं'। सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है परन्तु मामले पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है। जब तक सरकार इस संबंध में निर्णय नहीं ले लेगी तब तक मैं माननीय सदस्य को सरकार के निर्णय की जानकारी नहीं दे सकूंगा।

[हिन्दी]

श्री कमला प्रसाद रावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी, आपने अपने उत्तर में कहा है कि यह औसत 52.83 डॉलर से घटकर 45 अमरीकी डॉलर नीचे आ गई है इसलिए सरकार को मूल्यवृद्धि को हर कीमत पर रोकने के लिए प्रयास जारी रखते हुए निजी कंपनियों को मूल्य निर्धारित करने की स्वतंत्रता के लिए छूट नहीं देनी चाहिए। इससे ट्रांसपोर्टरों, लघु उद्योगों, किसानों और सीमांत किसानों को बहुत नुकसान होगा। इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने जो प्रयास किए हैं, उन पर ध्यान देने की जरूरत है कि निजी कंपनियों को कीमत बढ़ाने की छूट नहीं देनी चाहिए।

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, हम इस सुझाव पर विचार करने के लिए तैयार हैं। मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि जब तक सार्वजनिक क्षेत्र के दाम निजी क्षेत्र से कम हैं तो उनके काम करने के लिए कुछ खास जगह नहीं है। हमें सार्वजनिक क्षेत्र के दामों पर खास नियंत्रण रखना पड़ेगा, इससे अपने आप निजी क्षेत्र के दामों पर अनुशासन हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : प्रश्न पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत बढ़ाने के बारे मे है। मूल बात यह है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन कम है। यह मुश्किल से 27 प्रतिशत से 28 प्रतिशत है। हमें लगभग 72 प्रतिशत पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करना पड़ता है जिसकी कीमत 1,10,000 करोड़ रुपए है। भारत सरकार को जो मूल चीज का समाधान करना है वह है जैव–डीज़ल जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। मैं मानता हूं कि सरकार ने इस संबंध में पहल की है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पेट्रोल में इथेनोल की मात्रा 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का निर्णय करेगी। ऐसे ही, विश्व में 40 से अधिक देशों में जैव–डीज़ल का उत्पादन अधिक है और हमारे देश में भी हमने आठ से दस कदम उठाये हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय उन लोगों की जमानत देगा जो जैव–डीज़ल का उत्पादन कर रहे हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न के पहले भाग, जो कि बहुत सुसंगत था पर विचार करते हुए माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि हम कच्चे तेल के बड़े आयातक और पेट्रोलियम उत्पादों के बहुत छोटे आयातक ही नहीं हैं बल्कि हम पेट्रोलियम उत्पादों के बहुत बड़े निर्यातक भी बन गए हैं। वर्ष 2004–05 में यह अनुमान है, अंतिम पुष्टि के अध्यधीन, कि वर्ष के पहले ग्यारह माह में 25,699 करोड़ रुपए के निर्यात हुए हैं। यदि हम पूरा वर्ष लें तो यह 28,000 करोड़ रुपए के लगभग होने का अनुमान है। मैं समझता हूं कि सभा इस बात को समझे कि पेट्रोलियम मंत्रालय निर्यातोन्मुखी मंत्रालय बनता जा रहा है और केवल आयोतोन्मुखी मंत्रालय ही नहीं रहा है।

जहां तक इथेनोल का संबंध है तो हमने इस पर विस्तार से चर्चा की हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य को हमारी इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (आई एस एम ए) से हुई चर्चा की जानकारी होगी। हमने आई एस एम ए को उचित मूल्य पर इथेनोल की कम आपूर्ति के बारे में प्रारूप समझौता ज्ञापन भेजा है। उनका उत्तर अभी नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री ने कहा है कि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए, आप अब केवल कार्यवाही हेतु सुझाव दे सकते हैं। यही अच्छा होगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप जोर देते हैं तो ठीक है।

श्री पी. करूणाकरन : महोदय, पेट्रोलियम उत्पाद आजकल आवश्यक वस्तु बन गए हैं। पेट्रोलियम उत्पादों में कोई भी बदलाव वास्तव में सामान्य रूप से कीमतों में प्रतिबिंबित होता है। इससे वस्तुतः आम आदमी विशेषकर ग्राहकों पर बोझ पड़ता है।

इस तथ्य पर विचार करते हुए क्या सरकार पेट्रोलियम उत्पादों को आवश्यक वस्तुओं की सूची में रखने और इन उत्पादों को कुछ रियायतें देने पर विचार करेगी?

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, यह एक ऐसा सुझाव है जिसका उत्तर देने के लिए मैं सक्षम नहीं हूं, लेकिन मैं माननीय सदस्य को इस बात के प्रति आश्वस्त कर सकता हूं कि हम पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों के प्रति बहुत अधिक सावधान हैं। मैं सभा को यह बताना चाहूंगा कि मार्च 1998 से जनवरी 2004 की अवधि के दौरान जब कच्चे तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में लगभग 17.78 डालर प्रति बैरल की वृद्धि हुई थी और अप्रैल 2004 से अप्रैल 2005 की अवधि के दौरान – मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं – भी इन मूल्यों में लगभग इतनी ही 17.43 डॉलर की वृद्धि हुई है, हमें यह नोट करना होगा कि जबकि पेट्रोल के मूल्य में 10.87 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई थी तो हमने उनमें केवल 4.28 रुपये प्रति लीटर की ही वृद्धि की थी। उन्होंने इनमें 48 प्रतिशत की वृद्धि की थी और हमने इनमें केवल 13 प्रतिशत की ही वृद्धि की थी। डीज़ल के मूल्यों में उन्होंने इनमें 11.49 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की थी, जो कि 112 प्रतिशत वृद्धि है जबकि हमारे मामले में हमने इसमें केवल 6.48 रुपये की ही वृद्धि की है जो कि केवल 13 प्रतिशत की वृद्धि है। केरोसीन (मिट्टी का तेल) में उन्होंने 6.49 रुपये की वृद्धि की थी जो कि 258 प्रतिशत की वृद्धि है जबकि हमने जो वृद्धि की है वह वास्तव में शून्य है, यह शून्य प्रतिशत है। हमने उसमें वृद्धि नहीं की है। घरेलू एल.पी.जी. में उन्होंने 105.60 रुपये की वृद्धि की है जो कि 78 प्रतिशत की वृद्धि है जबकि हमने इसमें केवल 53.15 रुपये की वृद्धि की है जो कि मात्र 22 प्रतिशत की वृद्धि है।

अतः, मुझे विश्वास है कि आप हमें हमारे पूर्ववर्तियों से अधिक उपभोक्ता हितैषी पाएंगे। संयोगवश, मेरे अधिकारियों ने मेरी बात में सुधार करते हुए यह बताया कि पेट्रोलियम उत्पाद तो पहले से ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं ... *(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम : हमें आशा है कि आप उनके उदाहरणों पर नहीं चलेंगे ...*(व्यवधान)*

श्री के. एस. राव : महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी, जो कि बहुत विद्वान और सक्षम हैं, के उत्तर को पढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। यह कार्रवाई हेतु एक सुझाव मात्र है, यह उसके लिए उपयुक्त स्थान नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री के. एस. राव : महोदय, मैं केवल बता रहा हूं... *(व्यवधान)* आरम्भ से अंत तक, उन्होंने यही कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में भारी वृद्धि के कारण, और इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क आदि में कटौती की है, वे इसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हैं और उन्होंने इसे तेल कम्पनियों पर छोड़ दिया है।

महोदय, यहां तक कि गांव में एक छोटा सा खुदरा व्यापारी भी ...

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री के.एस. राव : लेकिन यहां कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। यहां तक कि खरीद मूल्य में वृद्धि होते ही गांव का एक छोटा सा खुदरा व्यापारी भी उपभोक्ताओं के लिए मूल्यों में वृद्धि कर देता है। लेकिन यहां हमारे यहां प्रौद्योगिकिविदों का एक समूह हैं – सदस्य (तकनीकी), सदस्य (प्रबन्धन) और अन्य। उनका कार्य इस मूल्य ढांचे को नीचे लाने के मार्ग तलाश करना है।

अध्यक्ष महोदय : यह मूल्यों से संबंधित है। श्री राव, मुझे विश्वास है, आप एक वैज्ञानिक हैं।

श्री के.एस. राव : जी हां, महोदय। मेरा मुद्दा यह है कि इसको ध्यान में रखते हुए, मैं यह आशा करता हूं कि उनके मंत्रालय को तेल ब्लाकों को अधिग्रहित करने पर विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरा परामर्श है। मंत्री महोदय, आपको इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री के. एस. राव : महोदय, दूसरे देशों में तेल का उत्पादन करने से लागत में वृद्धि नहीं होती। तेल उत्पादन देशों के संघ के कारण मूल्यों में वृद्धि हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : श्री राव, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं, कृपया सहयोग दीजिए।

श्री के.एस. राव : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे खाड़ी के तथा अफ्रीकी देशों में बड़े पैमाने पर तेल के ब्लौक खरीदने तथा स्वयं तेल का उत्पादन करने वाले हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : इस सबके बाद आप उनसे मूल्यों में कमी करने को कहेंगे। नहीं, मंत्री महोदय, आपको इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उत्तर देना चाहेंगे? आप एक बहुत अनुग्रह करने वाले मंत्री हैं इसलिए मैं आपसे यह पूछ रहा हूं।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर रहा हूं कि उन्होंने जो प्रस्ताव किया है हम ठीक उसी प्रकार विश्वभर में 47 देशों में वही करने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री ब्रजेश पाठक।

यदि आपको मूल्यों के बारे में कुछ कहना है, तो कह दीजिए।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं तथा सदन की जानकारी में भी लाना चाहता हूं कि वर्ष 1999 में डीज़ल का दाम 11.33 रुपये प्रति लीटर था। आज वर्ष 2005 में यह 28.27 रुपये प्रति लीटर हो गया है। डीज़ल एक जनोपयोगी वस्तु है। इसे किसान और आम जनता इस्तेमाल करती है और इतनी महत्त्वपूर्ण चीज के दामों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। इसके कारण आम जनता और किसान परेशान हैं। मैं जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जो राज्य सरकारें हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक : राज्य सरकारें इस पर इतना अधिक टैक्स लगा देती हैं कि किसानों और आम जनता की रीढ़ ही टूट जाती है। राज्य सरकारें इस पर अलग से टैक्स न लगा पायें *..(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे राज्य सरकारों की ओर से उत्तर नहीं दे सकते।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक : क्या इसके लिए आप कोई कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं?

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसा सुझाव आप वहां सदन में ले आइये, हो सकता है कि हम आपका समर्थन करें। लेकिन जो हमारा संविधान है, वह राज्य सरकारों को टैक्स लगाने की पूरी इजाजत, पूरा हक प्रदान करता है। माफ कीजिए आपके सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संविधान के विरुद्ध है। इसकी अनुमति नहीं है। कृपया संविधान में संशोधन करने वाले प्रश्न न पूछें।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनके संज्ञान में है कि अनुदानित मूल्यों पर दिये जाने वाले केरोसिन तेल का लगभग 75 प्रतिशत इस्तेमाल पैट्रोल और डीज़ल में मिलावट के लिए किया जा रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह इस विषय में सम्मिलित नहीं है। नहीं, मुझे खेद है। कृपया बैठ जाइए। आपने मूल्य के बारे में पूछा है, मिलावट के बारे में मत पूछिए। उसे बढ़ावा मत दीजिए।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता : सर, मैं मूल्यों की बात पर आ रहा हूं। मैं केरोसिन तेल के मूल्यों के बारे में बता रहा हूं कि क्या सरकार के पास देश के गरीब लोगों तक अनुदानित मूल्य

पर केरोसिन तेल पहुंचाने की कोई योजना है या यह मान लिया जाए कि इस क्षेत्र में ज्यादा अनुदान का लाभ केवल कालाबाजारियों को ही मिलेगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कोई मिलावट नहीं। मुझे नहीं लगता कि वह प्रश्न यहां उठता है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपकी टिप्पणियों को लिखा नहीं जा रहा है। आप ये टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं? अध्यक्ष-पीठ की अनुमति से बोलने का प्रयास करें। आप चिल्लाते रह सकते हैं, मैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दूंगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, यदि आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं तो मैं अगले सदस्य पर आ रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसा मंत्री जी ने बताया कि यह देश सिर्फ आयात ही नहीं करता है, निर्यात भी करता है। यानी हम केवल माल खरीदते ही नहीं है, बल्कि बेचते भी हैं। जैसा अभी पाटील साहब ने बताया कि जब पिछली एन.डी.ए. की सरकार थी तब ऐथनोल के संबंध में बड़ी चर्चा चली थी और उस समय यह कहा गया था कि ऐथनोल का उत्पादन छोआ और मक्का से भी किया जा सकता है। इसका उद्देश्य इतना ही था...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम क्या पूछना चाहते हैं, उसके बारे में जब तक भूमिका नहीं बांधेंगे, तब तक असली सवाल सामने नहीं आयेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप जो कहना चाहते हैं मुझे उससे मतलब है; इसकी पृष्ठभूमि बहुत लंबी है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : इसलिए हम बताना चाहते हैं कि ऐथनोल उत्पादन के संबंध में मक्का और ईख का उपयोग होने की बात थी। जहां एक तरफ किसानों को प्रोत्साहित और इसका उत्पादन मिलने की बात थी, वहीं उस समय यह भी बताया गया था कि ऐथनोल का मूल्य कम होगा तो मूल्यों के कम होने से हम आज जो पैट्रोलियम की बिक्री कर रहे हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा। यदि असर पड़ेगा तो हम जानना चाहते हैं कि ऐथनोल के उत्पादन में बहुत वृद्धि करके उस पर मूल्य नियंत्रण करने की क्या कार्रवाई आप करने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। क्या इथेनॉल और मूल्य नियंत्रण के बीच कोई संबंध है?

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, फिलहाल ऐथनोल का दाम थोड़ा बहुत ज्यादा है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि पिछले सालों में गन्ने का उत्पादन कम हो गया था। यदि गन्ने का उत्पादन बढ़ जाता है तो थोड़े बहुत दाम गिर सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करके हम ऐथनोल निकालें। हमारे मंत्रालय में हम मात्र इस बात से संबंध रखते हैं कि कितना और किस दाम पर ऐथनोल उपलब्ध किया जायेगा।

जैसा मैंने माननीय सदस्य को बताया, हमने आई.एस.एम.ए. को बता रखा है कि आप हमें आश्वस्त कीजिए कि इतनी मात्रा में और सही दामों पर आप हमें एथनोल उपलब्ध करा सकते हैं। यदि आप उपलब्ध करा पाएंगे तो हम उसका प्रयोग अवश्य करेंगे। इस सिलसिले में हमारे मंत्रालय की तरफ से एक एम.ओ.यू. का मसौदा तैयार किया गया है जिसको हमने आई.एस.एम.ए. के पास भेज रखा है और उनके जवाब के इंतज़ार में हम हैं। जैसे ही वह आता है, हम गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने प्रश्न इस पृष्ठभूमि में पूछें कि सरकार ने यह घोषणा की है कि कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, आज माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि उन्होंने अभी मूल्यों में वृद्धि के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने आज स्पष्ट रूप से यह वक्तव्य दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अभी तक।

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री गुरूदास दासगुप्त : अभी तक--आज तक, और कल वे ऐसा कर सकते हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : आज 11.35 बजे तक, कोई वृद्धि नहीं की गई है।

श्री गुरूदास दासगुप्त : मैं मंत्री जी के मन की बात समझता हूं। वे बहुत छुपा कर अपने पत्ते खेल रहे हैं। उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा क्योंकि वे एक मंत्री हैं।

समाचार पत्रों में एक लेख छपा था जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन के बारे में यह बताया गया था कि उसमें यह लिखा है कि घरेलू मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से जुड़े हैं और घरेलू मूल्य केन्द्र सरकार की कर प्रणाली से जुड़े हैं। उस मुद्दे पर मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि बजट में विभिन्न माध्यमों से पेट्रोलियम उत्पादों पर इतने कर लगाये गए हैं जिनसे सरकार को 3000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होगी और ये कर आने वाले समय में सामने आएंगे। मूल्यों में वृद्धि करने का यह एक और तरीका है। क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि ऐसा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है और स्थायी समिति में यह विवाद है कि करों में इतनी वृद्धि की जा चुकी है, अभी उसकी घोषणा नहीं की गई है, कि उससे सरकार को 3000 करोड़ रुपये की आय होगी?

श्री मणि शंकर अय्यर : हां। यह सरकार स्थायी समिति के प्रतिवेदन से अवगत है; सरकार समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से अवगत है; और सरकार उन आंकड़ों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। हम कोई भी निर्णय लेने से पहले पूर्णतया सावधानीपूर्वक स्थायी समिति के कथन को देखेंगे।

श्री गुरूदास दासगुप्त : वह मुद्दा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वे इसका उत्तर दे चुके हैं। आपने स्थायी समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख किया है। वे स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि सरकार उस पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करेगी।

श्री गुरूदास दासगुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कर लगाए गए हैं?

अध्यक्ष महोदय : वे ऐसा कैसे कह सकते हैं? वे वित्त मंत्री नहीं हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त : लेकिन मंत्रालय जानता है। वे संसद को उत्तर देने से कतरा रहे हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय वित्त विधेयक 2005 में घोषित किये गए सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क के संबंध में कर संरचना में किए गए परिवर्तनों से परिचित है। इसके परिणामों तथा आशयों की जांच स्थायी समिति द्वारा की गयी और अब हम इनकी जांच कर रहे हैं। हमने इस बारे में कुछ पूर्वानुमान लगाये हैं। हमने वित्त मंत्रालय से इस विषय में चर्चा की है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में ये सभी घटक महत्वपूर्ण होंगे।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि घरेलू तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए आपने आई.ओ.आर. और ई.ओ.आर. टैक्नोलॉजी का अनुसरण किया है। लेकिन उस टैक्नोलॉजी के अनुसरण के बाद भी आपने कल 'द टाइम्स ऑफ इण्डिया' में वक्तव्य दिया कि तेल का आयात 90 मिलियन टन से बढ़कर 95 मिलियन टन हो गया है। इस टैक्नोलॉजी के बाद भी आयात बढ़ा है। इसके क्या कारण हैं और क्या बाकी विश्व में इससे भी अच्छी टैक्नोलॉजी है जिससे तेल का उत्पादन बढ़ सके?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, इसका मूल कारण यह है कि इस सरकार के आने के बाद इण्डिया वाकई शाइनिंग हो रहा है। हमारे तेल का दाम बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारी आर्थिक प्रगति की रफ्तार बढ़ती जा रही है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बढ़ती ही रहेगी। जहां तक यह बात है कि हमारी मांगों के लिए घरेलू उत्पादन काफी नहीं है, हम इसके लिए आयात का इंतजाम करेंगे ताकि इस देश को किसी प्रकार की हानि ऊर्जा की कमी से न पहुंचे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री इलियास आज़मी। यह अंतिम अनुपूरक प्रश्न है। मैं पहले ही इस संबंध में दस अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूं।

[हिन्दी]

श्री इलियास आज़मी : अध्यक्ष महोदय, जितने भी तेल पैदा करने वाले निर्यातक देश हैं उनमें दो तरह की कीमतें हैं – एक घरेलू कीमत और दूसरी निर्यात करने की कीमत है। तेल निर्यात

करने की कीमत का ताल्लुक इंटरनेशनल मार्केट से ताल्लुक होता है। जैसे साऊदी अरब में चले जाइए, वहां तेल और डीज़ल के दाम में कोई असर नहीं पड़ता है। हम 30 परसेंट तेल पैदा करते हैं, तो आप उसे इंटरनेशनल मार्केट के रेट से क्यों जोड़ देते हैं? घरेलू पैदावार का कोई लाभ यहां के लोगों को नहीं मिल पाता है। क्या यह पालिसी उचित है?

दूसरा प्रश्न मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, पैट्रोल और गैस के भण्डारों में जो चोरी होती है, उसके लिए क्या मंत्री जी कोई बढ़ा अभियान चलाएंगे? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सब क्या है? कीमतों के विषय से यह चर्चा कहां आ गयी है?

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, आयात समता की तरफ उन्मुख होने के प्रयासु के निर्णय के स्थान पर एक इनकार न किये जाने वाला तथ्य सामने आया है कि हमारी आयात पर निर्भरता वर्ष 1980 के 50 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में 70 प्रतिशत हो गयी है, और आने वाले 20 वर्षों में यह बढ़कर 85 प्रतिशत पहुंचने का अनुमान है। इन परिस्थितियों में हमने पाया है कि यदि हम भारत के भीतर इन कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो इस समय उपभोक्ताओं को कुछ लाभ अवश्य हो सकता है परन्तु समस्या यह है कि इससे हम बड़े उद्योगों, अनुसंधान तथा बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक निवेश के संसाधन सृजित नहीं कर पायेंगे; हम पर्याप्त मात्रा में निजी पूंजी और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकृष्ट नहीं कर पायेंगे; तब प्रौद्योगिकी उन्न्यन या कीमत कम करने के लिए उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं मिल पाएगा जिससे हमारा यह क्षेत्र प्रतिस्पर्धा और सुदृढ़ बन सके; हमें लाभप्रद निवेश के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है; और हम नहीं चाहते कि ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हों जिनमें निजी क्षेत्र कीमतों पर सुनहरी परतें चढ़ाये। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक : माननीय सदस्य ने आपसे हिंदी में सवाल पूछा था।

अध्यक्ष महोदय : श्री पाठक जी छोड़िए। आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसका अनुवाद उपलब्ध है।

...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : राजसहायता और प्रति राजसहायता जारी रखने से कीमतों में काफी उतार चढ़ाव होगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, हिंदी मैंने सीखी है। इतने टेक्नीकल शब्दों का प्रयोग हिंदी में करना काफी कठिन है। अगर माननीय सदस्य को समझने में कठिनाई हो रही है तो वह इसे कान में लगाकर हिंदी सुन सकते हैं।

श्री ब्रजेश पाठक : आप हिंदी में जवाब देते तो ज्यादा अच्छा होता। आप हिंदी को इग्नोर कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* आप हमें कानून समझा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठिए। कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री ब्रजेश पाठक : मुझे अच्छी तरह मालूम है।

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर : अब आप अंग्रेजी में क्यों बोल रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : अब आप यह क्यों कह रहे हैं कि आपको अच्छी तरह मालूम है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री पाठक जब मैं खड़ा हूं तो आप अपने स्थान पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पोन्नुस्वामी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप अध्यक्षपीठ की अवज्ञा कैसे कर सकते हैं?

---

* कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक : आप पढ़े लिखे हैं। आप अपने आपको क्या समझते हैं? ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें जवाब क्यों दे रहे हैं? मैं आप दोनों का नाम लेकर चेतावनी दूंगा। आप यहां सभा में उचित व्यवहार करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पाठक, यह अनुमत्य नहीं है। हमारे नियम में इसकी अनुमति है। यदि आप किसी माननीय सदस्य को किसी वांछित भाषा में जवाब देने का आग्रह करना चाहते हैं तो आप सभा के बाहर ऐसा कर सकते हैं सभा के भीतर नहीं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इलियास आज़मी : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं आएगा।

[अनुवाद]

टी.वी. कार्यक्रमों और विज्ञापनों में अश्लीलता

\+

***383. श्री अधीर चौधरी :**

श्री निखिल कुमार :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने टी.वी. पर अश्लील दृश्यों के प्रसारण को रोकने के लिए एक नया कानून बनाने का प्रस्ताव किया है जैसा कि दिनांक 28 मार्च, 2005 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) नए कानून को कब तक बनाए जाने की संभावना है;

(घ) क्या टी.वी. धारावाहिक और विज्ञापनों को अनुमति प्रमाणपत्र सुनिश्चित करने के लिए एक पृथक सेंसर बोर्ड गठित किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) सरकार, टेलीविजन चैनलों की विषय–वस्तु को विनियमित करने के लिए एक स्वायत्तशासी प्राधिकरण की स्थापना करने पर विचार कर रही है। हमारे देश में ऐसे प्राधिकरण की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही है। विश्व के लगभग सभी उन्नत देशों में ऐसे प्राधिकरण मौजूद हैं। इसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। इसलिए, कोई समय–सीमा इंगित नहीं की जा सकती है। टी.वी. धारावाहिकों और विज्ञापनों को प्रसारण–पूर्व अनुमति देने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, माननीय मंत्री जी इस तथ्य को स्वीकार करेंगे कि अधिकांश प्रसारित होने वाले दृश्यों में अर्धनग्नता, नग्नता और भद्दापन रहता है जिससे अरुचि होती है। यह भी एक तथ्य है कि प्रसारित दृश्यों में सभ्यता की सीमा लांघी जाती है जिसमें हिंसा और यौन अन्य गलत गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है और बच्चों तथा युवाओं की मानसिकता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। हमें नहीं पता कि अश्लीलता आदि का वास्तविक मानदण्ड क्या रखा जाना चाहिए। अपने संक्षिप्त वक्तव्य में मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि सरकार प्रसारण दृश्यों की विषय वस्तु विनियमित करने के लिए एक स्वायत्तशासी प्राधिकरण की स्थापना पर विचार कर रही है। विश्व के सभी विकसित देशों में ऐसे प्राधिकरण मौजूद हैं।

क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछ सकता हूं इसमें क्या बाधाएं आ रही हैं? क्या अपने निहित लाभ विशेषकर प्रभावित दावेदार इसमें कुछ अड़चन डाल रहे हैं और इस विनियामक तंत्र की स्थापना में कोई बाधा डाल रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : आपका विचार निर्णय में कब बदलेगा वे यही जानना चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री वीरचन्द्र पासवान : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : **क्वेश्चन–आवर में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता है।**

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, मेरी जानकारी के

अनुसार मैं बता सकता हूं कि इस मामले में किन्हीं निहित हित की मुझे कोई जानकारी नहीं है। दृश्यों की विषय–वस्तु के विनियन हेतु सरकार एक स्वायत्तशासी प्राधिकरण स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है। हम विधान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारी आशा है कि यह शीघ्र ही लाया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री वीरचन्द्र पासवान : अध्यक्ष महोदय, चूंकि व्यवस्था का प्रश्न इसी समय उत्पन्न हुआ है, इसलिए मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने और अपनी बात रखने की अनुमति प्रदान करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : किस मुद्दे पर?

[हिन्दी]

श्री वीरचन्द्र पासवान : अध्यक्ष महोदय, हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है और हर स्तर पर हिन्दी को बढ़ावा देने का संकल्प इस सदन ने पारित किया है तथा भारत के संविधान में उल्लेख है कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। इस देश में क्या हो रहा है। क्या आप इस देश को बांटना चाहते हैं? यह पूरी तरह माननीय सदस्य या माननीय मंत्री की इच्छा है कि वह निर्णय लें कि किस भाषा में बोलना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को यह कहना है कि चूंकि मणि शंकर अय्यर जी हिन्दी जानते हैं इसलिए वे हिन्दी में उत्तर दें, तो उपयुक्त रहेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस विषय में निवेदन किया जा सकता है। आप इसकी मांग नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक : अध्यक्ष महोदय, हमने मंत्री महोदय से रिक्वैस्ट ही की थी, लेकिन वे तो हमें कानून बताने लगे कि मैं यदि हिन्दी में सुनना चाहता हूं तो हैडफोन लगाकर ट्रांसलेशन सुनूं। यह तो मुझे भी मालूम है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं। प्रश्नकाल अत्यन्त मूल्यवान समय है और आप इसका दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री अधीर चौधरी : 'तहलका' मामले के प्रकाश में आने के बाद से देश की सारी जनता यह जानकर हैरान हुई कि सत्ता के गलियारों में पूर्ववर्ती सरकार के उच्च पदों पर आसीन लोगों के विरुद्ध कोई जाल बिछाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है?

श्री अधीर चौधरी : तदुपरांत पत्रकार श्री तरुण तेजपाल के अत्याचारों तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या इस तरह के 'स्टिंग आपरेशन' या खोजी पत्रकारिता पर इसके अंतर्गत कोई प्रतिबंध लगाया गया है या नहीं?

श्री एस. जयपाल रेड्डी : 'स्टिंग आपरेशन' खोजी पत्रिकारिता का एक अविभाज्य अंग है। जब तक 'स्टिंग आपरेशन' में कोई अश्लीलता नहीं है, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं दिखती। मैं अश्लीलता रहित स्टिंग आपरेशन का समर्थक हूं।

श्री निखिल कुमार : महोदय, टी.वी. कार्यक्रमों को सेन्सर करने का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मीडिया और साथ ही टेलीविजन की एक व्यापक पहुंच है। उनके कार्यक्रम लोगों के घरों तक पहुंचते हैं तथा उनमें लोगों के मन को प्रभावित करने की क्षमता होती है। मैं यहां वयस्कों के मन की बात नहीं कर रहा हूं। वे स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हैं। परन्तु मैं विशेषरूप से अतिसंवेदनशील मानसिकता – बच्चों – विशेषरूप से उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अभी अपनी प्रौढ़ता में नहीं पहुंचे हैं।

सर्वप्रथम, माननीय मंत्री महोदय से प्राप्त उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि टेलीविजन कार्यक्रमों की विषय वस्तु की निगरानी के लिए एक स्वायत्त संस्था स्थापित की जा रही है। परन्तु वक्तव्य के असमान, वक्तव्य के विपरीत समाचार पत्रों में ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं कि ऐसे किसी कानून का अधिनियमन नहीं किया जा रह है। मैं यह कह रहा हूं कि किसी कानून का अधिनियमन नहीं किया जा रहा है। मुझे इस विषय में यही कहना है कि टेलीविजन सेंसर अच्छी बात है, क्या सरकार टेलीविजन कार्यक्रमों द्वारा अति संवेदनशील मन पर पड़ने वाले प्रभाव के मूल्यांकन पर विचार कर रही है और जैसा कि अन्य देशों में किया गया है,

* कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

क्या सरकार सामुदायिक मूल्यांकन प्रणाली स्थापित करने पर भी विचार कर रही है तथा क्या यह शीघ्र ही किया जाएगा अथवा इसमें समय लगेगा?

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा टेलीविजन चैनलों के अवांछनीय कार्यक्रमों के माध्यम से अति संवेदनशील मन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में कही गयी भावुक बातों से सहमत हूं।

मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम एक संविधि माध्यम से एक स्वायत्त संस्था स्थापित करना चाहते हैं। अर्थात यह कानून के माध्यम से किया जाएगा। जहाँ तक ऐसे कार्यक्रमों के पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के अध्ययन का प्रश्न है, निजी संगठनों द्वारा इस संबंध में काफी अध्ययन किया गया है। इन क्षेत्रों में विषयनिष्ट अध्ययन होते हैं। तथापि हम इस विषय को स्वायत्त संस्था पर छोड़ना चाहेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी, यह सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और जैसा आपने बताया कि टी.वी. के ऊपर अश्लील दृश्यों का जो प्रसारण हो रहा है, उस सन्दर्भ में सरकार अभी तक कोई कानून बनाने के बारे में सोच तो रही है, लेकिन उसे समयबद्ध नहीं किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार इस मसले पर कितनी संवेदनहीन है। यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। टी.वी. आज गांव-गांव में और घर-घर में पहुंच चुका है और टी.वी. के माध्यम से परिवार के साथ बैठकर हम टी.वी. सीरियल्स देखते हैं। जिन टी.वी सीरियल्स के अन्दर इतनी अश्लीलता बताई जाती है, उनके ऊपर किसी तरीके की कोई रोकथाम नहीं है। उस बारे में सरकार की इतनी संवेदनहीनता वास्तव में यह दर्शाती है कि सरकार की इस सन्दर्भ में क्या मानसिकता होगी। हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी सभ्यता के ऊपर जो कुठार घात इन टी.वी. सीरियल्स के माध्यम से हो रहा है, उस पर क्या सरकार कोई नियम कानून बनाने की मंशा रखती है? यदि हां, तो उसे समयबद्ध करे ताकि हमें पता रहे कि इतने समय तक यह कानून बनने की संभावना है। दूसरे, जैसा इन्होंने अपने जवाब में कहा है कि किसी तरीके की कोई सेंसर बोर्ड के बारे में सोच नहीं बनी है, जबकि अन्य सारे देशों के अन्दर जो टी.वी. सीरियल्स बनते हैं, उनके ऊपर कोई न कोई सेंसर बार्ड होता है। जब बोर्ड से उसे क्लियरेंस मिलती है, उसके बाद ही उसे प्रसारित किया जा सकता है। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस तरीके का कोई सेंसर बोर्ड हमारे यहां नहीं बनाया गया है, इसलिए आप बतायें कि सेंसर बोर्ड बनाने की आपकी कोई मंशा है क्या?

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा प्रभावों के संबंध में व्यक्त की गयी चिंताओं से सहमत हूं। परन्तु मैं अपनी पूरी शक्ति से उनके इस कथन का खंडन करना चाहूंगा कि यह सरकार असंवेदनशील है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बात उनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि आठ वर्ष पूर्व जब मैं मंत्री था तब मैंने प्रसारण प्राधिकरण विधेयक प्रस्तुत किया था और उसके पश्चात् छः वर्ष तक एन.डी.ए. की सरकार रही और वो इसके प्रति अत्यन्त असंवेदनशील रही। अब माननीय सदस्य मुझसे यह कहना चाहेंगे कि मुझे इस संबंध में विधेयक लाना चाहिए। मैं सकारात्मक रूप से इस विषय को देख रहा हूं। मैं केवल यही बता रहा हूं कि हमारे देश में कानून बनाने की प्रक्रिया समय खपाने वाली है। मुझे कई मंत्रालयों से सलाह लेनी है। मैं इसे शीघ्रातिशीघ्र लाना चाहता हूं। संभवतः मैं किसी निश्चित समय सीमा के बारे में नहीं बता सकता।

श्रीमती मिनाती सेन : महोदय, सिनेमैटोग्राफी अधिनियम, 1952 के अंतर्गत असीमित सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु उपयुक्त वीडियो प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए सभी संगीत तथा वीडियो एलबम को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणनन बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 की धारा 20 के अंतर्गत कार्यक्रम संहिता के उल्लघनों की निगरानी के लिए अन्तर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है।

क्या सरकार इस बात को समझती है कि विभिन्न केबल टेलीविजन चैनलों जैसे कि फैशन टी.वी. पर दिखाये जाने वाले कार्यक्रम, कार्यक्रम संहिता के अनुसार प्रसारित किए जा रहे हैं?

यदि नहीं, तो सरकार ने अभी तक ऐसे वीडियो जो कि भारतीय संस्कृति के पूर्णतः विरूद्ध हैं के प्रदर्शन को रोकने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए हैं?

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, संगीत एलबमों को सेंसर बोर्ड की अनुमति की आवश्यकता होती है। हमने कुछ टी.वी. चैनलों को बिना सेंसर प्रसारित करने का दोषी पाया है साथ ही हमने यह भी पाया है कि कुछ टी.वी. चैनल कार्यक्रम संहिता का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी कारणवश हमने हाल ही में सिने वर्ल्ड नामक चैनल की अनुमति को 30 दिनों के लिए स्थगित किया था साथ ही हमने नौ संगीत चैनलों को नोटिस दिए और उनसे कहा क्यों न आपके चैनल की अनुमति को वापस ले लिया जाए। हमने एक टेलीविजन चैनल को अश्लील कार्यक्रम को समाचार के रूप में दिखाए जाने के लिए भी नोटिस दिया।

इस स्थिति में जब हम अधिनियम बनाने की प्रक्रिया में व्यस्त हैं, हमारा अन्तर मंत्रालयी समूह कार्रवाई करने में सक्रिय है और हम इस प्रक्रिया को और सुदृढ़ करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार हो रहा है। पूरा देश और सदन इस बात के लिए चिन्तित है कि जिस तरह से केबल चैनल के माध्यम से बिल्कुल नग्न और अश्लील चित्र प्रदर्शित किए जा रहे हैं, सब लोग इससे चिन्तित हैं और चाहते हैं कि इस पर कानून बने। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि मैं निश्चित तौर पर एक कानून बनाऊंगा, ताकि इन सब पर नियंत्रण किया जा सके। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आप कानून बनाकर दूरदर्शन पर तो नियंत्रण कर लेंगे किंतु इतने सारे चैनल उपग्रह के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं, जैसा कि माननीय सदस्या ने अभी कहा कि फैशन टी.वी. के माध्यम से अश्लील चित्रों का प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे चैनलों पर नियंत्रण हो सकेगा या नहीं। ताकि आप अपने माध्यम से उन तमाम अश्लील दृश्यों, चित्रों और धारावाहिकों को दिखाने वाले चैनलों को कंट्रोल कर सकें? इन चैनलों से हमारे देश के युवाओं और बच्चों पर कुप्रभाव पड रहा है। ऐसी कौन सी कार्यवाही आप करेंगे ताकि इन सबसे भारत की सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित और सुरक्षित किया जा सके और इन सब पर नियंत्रण किया जा सके?

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, विनियमन प्राधिकरण न केवल दूरदर्शन चैनलों के विरूद्ध जिन्हें किसी भी कार्यक्रम संहिता के उल्लंघन का दोषी नहीं पाया गया है बल्कि निजी चैनलों के विरूद्ध भी कार्रवाई करने में सक्षम होगा। ऐसी संस्था के गठन से पूर्व, सरकार में शक्तियां अंतर्निहित हैं और हम इस संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं। इस संबंध में सभी संसद सदस्यों की शिकायतों का स्वागत है।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले।

...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, वे अपने स्थान पर उपस्थित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया बैठ जाइये। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह निर्देशों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है।

...*(व्यवधान)**

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : डा. कोया – उपस्थित नहीं हैं। मो. सलीम।

मोहम्मद सलीम : महोदय, इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि पहले भी इसी मंत्री द्वारा प्रसारण विधेयक लाया गया था तथा सदस्यों की मांग पर श्री शरद पवार की अध्यक्षता में प्रवर समिति नियुक्त की गई थी। हमें उनकी जानकारी है जो अपने-आप को सार्वजनिक स्थानों पर सांस्कृतिक पुलिस के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि एन डी ए सरकार के समय इस विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अब जबकि यूपीए की सरकार है तथा सभा में उपस्थित सभी पक्षों द्वारा व्यक्त की गयी चिंताओं के बाद क्या मंत्री महोदय एक व्यापक विधेयक लाने को तैयार है, जिससे कि स्वायत्त संस्था का गठन किया जा सके और जो कार्यक्रमों की जांच कर सके? महोदय, ये पिछले एक वर्ष से वायदा कर रहे हैं परन्तु यूपीए सरकार ग्यारह माह का कार्यकाल पहले ही पूरा कर चुकी है। वे कब तक प्रसारण विधेयक को पुनरुज्जीवित, अद्यतन करके सभा में प्रस्तुत करेंगे?

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री एस. जयपाल रेड्डी : वास्तव में हम पुराने प्रसारण विधेयक का अध्ययन करेंगे। तथापि, आठ वर्षों के पश्चात इस विधेयक को अद्यतन नहीं किया जा सकता। इस समस्या से निपटने के लिए हम एक नया कानून लाएगें। मैंने इस संबंध में पहले ही कहा है कि सभा में इस बारे में निश्चित समय सीमा नहीं बतायी जा सकती।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

अलाभकारी रेलवे लाइनें बंद करना

*384. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अलाभकारी रेलवे/ब्रांच लाइनों की जोन-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन रेलवे लाइनों के कारण सरकार को प्रतिवर्ष कितना घाटा उठाना पड़ रहा है;

(ग) क्या सरकार ने इनमें से कुछ रेलवे/ब्रांच लाइनों को बंद करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में संबद्ध राज्य सरकारों के विचार प्राप्त किए हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) 1.4.2004 को देश में अलाभप्रद रेल/शाखा लाइनों की संख्या 112 है। जोनवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	क्षेत्रीय रेल का नाम	अलाभप्रद शाखा लाइनों की संख्या
1.	मध्य	7
2.	पूर्व	11
3.	पूर्व मध्य	5
4.	पूर्व तट	4
5.	उत्तर	13
6.	उत्तर मध्य	5
7.	पूर्वोत्तर	6
8.	पूर्वोत्तर सीमा	15
9.	उत्तर पश्चिम	7
10.	दक्षिण	6
11.	दक्षिण मध्य	5
12.	दक्षिण पश्चिम	0
13.	दक्षिण पूर्व	6
14.	दक्षिण पूर्व मध्य	2
15.	पश्चिम	20
16.	पश्चिम मध्य	0
	कुल	112

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान अलाभप्रद शाखा लाइनों से सरकार द्वारा वहन की जा रही हानि इस प्रकार है:

वर्ष	हानि करोड़ रुपए में
2003-04	409.94
2002-03	460.77
2001-02	434.38
2000-01	449.46
1999-00	347.68

(ग) और (घ) वहन की जा रही हानि के दृष्टिगत और रेल सुधार समिति की सिफारिशों के आधार पर रेलें संबंधित राज्य सरकारों की सहमति से इनमें से कुछ अलाभप्रद शाखा लाइनों को बंद करने के प्रयास करती रही हैं लेकिन राज्य सरकारें न तो इन लाइनों को बंद करने और न ही यथा प्रस्तावित हानि बांटने के लिए सहमत हुई हैं।

(ङ) और (च) रेल सुधार समिति की सिफारिशों के तत्काल बाद रेल मंत्रालय ने संबंधित राज्य सरकारों से अलाभप्रद शाखा लाइनों को बंद करने के लिए उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए संपर्क किया लेकिन कोई भी राज्य इस सुझाव से सहमत नहीं हुआ।

रेल परियोजनाओं का क्रियान्वयन

***385. श्री हेमलाल मुर्मू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार रेलवे में सुरक्षा और सुधार के अतिरिक्त रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की गई समितियों/आयोगों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन समितियों/आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) और (ख) 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं/कार्यों की प्रगति की आवधिक समीक्षा और उन्हें मॉनीटर करने के लिए सितम्बर, 2004 में एक स्थायी उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। सदस्य इंजीनियरी, रेलवे बोर्ड उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष हैं और सचिव, योजना आयोग, सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय, सचिव (वन) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और अपर सदस्य (बजट), रेलवे बोर्ड इसके सदस्य हैं। चूंकि यह एक स्थायी समिति है, अतः इसे परियोजना कार्यान्वयन से संबंधित समयबद्ध सिफारिशें देने की जरूरत नहीं है।

इस समय कुल मिलाकर 135 रेल परियोजनाएं हैं जिनकी लागत 100 करोड़ रुपए से अधिक है। 22.12.2004 को आयोजित अपनी पहली बैठक में समिति ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए। समिति ने सीमित संसाधनों की उपलब्धता के मद्देनजर चालू परियोजनाओं के भारी थ्रो-फारवर्ड की ओर भी ध्यान दिया है। रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं पर भी चर्चा की गई जैसे लागत में भागीदारी के आधार

पर परियोजनाओं में राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने राज्यों का हिस्सा न जमा करना, वन विभाग द्वारा मंजूरी देने में विलंब और इस्पात की कीमतों में भारी वृद्धि इत्यादि। समस्याओं पर निरंतर नजर रखी जा रही है और इनके शीघ्र समाधान के लिए कोशिश की जा रही है।

[अनुवाद]

मनोरंजन कर की एक समान दर

***386. श्री शिवराज सिंह चौहान :**
श्री गुरुदास कामत :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सिनेमा को संविधान की समवर्ती सूची में लाने का है ताकि देश भर में मनोरंजन कर की दर एक समान की जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों के विचार प्राप्त किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में विधेयक कब तक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी नहीं, महोदय।

(ख) से (घ) सिनेमा को समवर्ती सूची में शामिल करने का मामला वर्ष 2001 में आयोजित राज्यों के सूचना मंत्रियों के 24वें सम्मेलन (सिमकॉन) के दौरान विचार-विमर्श हेतु उठायी गयी मदों में से एक था। व्यापक परामर्शों के बाद, इस मामले को आगे बढ़ाने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

[हिन्दी]

हाइड्रोकार्बन का भंडार

***387. श्री कृष्णा मुरारी मोघे :**
श्री बापू हरी चौरे :

क्या पेट्रोलियम और **प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के पास देश की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हाइड्रोकार्बन का पर्याप्त भंडार मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में हाइड्रोकार्बन भंडारों का कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा हाइड्रोकार्बन की खोज के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) अब तक साबित हुए भंडारों और देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग के आधार पर देश की मांग केवल हमारे साबित हुए घरेलू हाइड्रोकार्बन भंडारों से पूरी नहीं की जा सकती। तथापि, तेल और तेल समतुल्य गैस (ओ+ओईजी) के अनुमानित भंडार 25 बिलियन मिट्रिक टन से अधिक हैं और इन भंडारों का आकलन करने और इन तक पंहुचने के लिए हरेक प्रयास किया जा रहा है।

(ख) और (ग) 1.4.2004 की स्थिति के अनुसार ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा अभिवृद्धिकृत राज्यवार सिद्ध हाइड्रोकार्बन भंडारों की स्थिति निम्नानुसार है:-

राज्य	अंततोगत्वा भंडार (एमएमटी) (तेल और तेल समतुल्य गैस)
आंध्र प्रदेश	62.79
अरुणाचल प्रदेश	12.22
असम	550.09
गुजरात	476.77
नागालैंड	4.00
राजस्थान	35.73
त्रिपुरा	30.95
तमिलनाडु	43.83

जमीनी और अपतटीय क्षेत्रों के लिए 1.4.2004 की स्थिति के अनुसार अंततोगत्वा ओ + ओईजी भंडार 2950 एमएमटी हैं।

(घ) हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं –

(1) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के तहत आगे अन्वेषण के लिए नए क्षेत्र खोले गए हैं।

एनईएलपी के तहत अब तक आयोजित अन्वेषणात्मक बोली के चार दौरों में विभिन्न कंपनियों को 90 अन्वेषण ब्लाक प्रदान किए गए हैं। एनईएलपी ब्लाकों में अन्वेषण कार्य के परिणामस्वरूप अब तक 19 तेल/गैस खोजें हुई हैं। एनईएलपी के पांचवें दौर के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के लिए 20 और अन्वेषण ब्लाकों का प्रस्ताव किया गया है।

(2) राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसीज) द्वारा उनको नामांकन आधार पर प्रदान किए गए क्षेत्रों में त्वरित अन्वेषण कार्यक्रम।

भारतीय और चीनी तेल कंपनियों के बीच समझौता

***388. श्री रेवती रमन सिंह :**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओएनजीसी (विदेश) लिमिटेड तथा चीन के नेशनल पेट्रोलियम कार्पोरेशन ने अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में संयुक्त रूप से कार्य करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में उनके बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) सूडान में ग्रेटर नील तेल परियोजना में सीएनपीसी, चीन लोक गणराज्य की राष्ट्रीय तेल कंपनी के साथ संयुक्त भागीदार है जहां ओवीएल के पास 25% प्रतिभागिता हित (पीआई) और सीएनपीसी के पास 40% प्रतिभागिता हित है। इसके अलावा कोट डी आइवरी में ब्लाक सीआई–112 में ओवीएल का 23.5% प्रतिभागिता हित है और साइनोपेक, एक अन्य चीनी कंपनी का 30% प्रतिभागिता हित है।

तीसरे देशों में रकबे प्राप्त करने और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में चीनी तेल कंपनियों के साथ सहयोगात्मक संबंध कायम करने में व्यापक पारस्परिक लाभ देखते हुए भारत और चीन की राष्ट्रीय तेल कंपनियां विशिष्ट सहयोगात्मक उद्यमों की पहचान करने के लिए एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं। सरकार से सरकार की अन्योन्य क्रिया के माध्यम से भी ऐसे सहयोग की गुंजाइश का पता लगाया जा रहा है। तथापि, ओवीएल और किसी चीनी तेल कंपनी या दोनों देशों की सरकारों के बीच विदेशों में तेल संपत्तियों के लिए संयुक्त रूप से बोली देने हेतु किसी औपचारिक करार पर अभी हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

रक्षा उपकरणों का आयात

***389. श्री हरिकेवल प्रसाद :**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा उपकरणों का अभी भी आयात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन उपकरणों का देश में ही निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) रक्षा उपस्करों का एक भाग अभी भी आयात किया जा रहा है। तथापि, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भारतीय उद्योग द्वारा विनिर्माण के लिए रक्षा उपस्करों के स्वदेशी विकास में लगा हुआ है। काफी उपस्कर स्वदेश में ही बनाए जा रहे हैं।

उपस्करों का विनिर्माण स्वदेशी रूप से किए जाने की दिशा में, जहां कहीं व्यवहार्य है वहां पर विभिन्न कदम भी उठाए जाते हैं, जैसे प्रौद्योगिकी – अंतरित करना और आयुध निर्माणियों, सार्वजनिक उपक्रमों के रक्षा क्षेत्र और भारतीय उद्योगों में आयातित उपस्करों का लाइसेंस के अंतर्गत विनिर्माण करना।

[अनुवाद]

चालक रहित विमान

***390. श्री एन. जनार्दन रेड्डी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लद्दाख में हाल ही में अनेक चालक रहित विमान देखे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके उड़ान भरने वाले स्थान (बेस) और उनके उद्देश्यों का पता लगाने के लिए कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि करगिल घुसपैठ के कुछ माह पहले जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में ऐसे चालक रहित विमान देखे गए थे;

(ङ) यदि हां, तो करगिल युद्ध के बाद ऐसी घुसपैठ को रोकने के लिए नभ निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(च) क्या भारत के पास ऐसे विमानों का पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकी मौजूद है; और

(छ) यदि नहीं, तो किन देशों के पास ऐसी प्रौद्योगिकी है और भारत ने उनसे संपर्क क्यों नहीं किया है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) रडारों तथा सेंसरों की अधिप्राप्ति से भारतीय वायुसेना की हवाई निगरानी क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चालक रहित वायुयानों/विमानों द्वारा की जाने वाली घुसपैठ को मानीटर करने तथा उसे निष्फल बनाने के लिए भारतीय वायुसेना के पास आवश्यक हवाई रक्षा तंत्र मौजूद हैं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रसार भारती को निधियों की स्वीकृति

***391. श्रीमती जयाप्रदा :**
श्री राजेन गोहेन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004–05 के दौरान प्रसार भारती को विस्तार और अन्य क्रियाकलापों हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है;

(ख) क्या मंत्रालय और प्रसार भारती के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रसार भारती द्वारा अपना वित्तीय बोझ कम करने तथा राजस्व आय में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) वर्ष 2004–05 के दौरान, सरकार ने प्रसार भारती को विस्तारण सहित योजनागत स्कीमों के लिए 417 करोड़ रुपये की राशि और योजनेत्तर क्रियाकलापों के अंतर्गत 924.35 करोड़ रुपये की राशि की संस्वीकृति दी थी।

(ख) और (ग) जी, हां। सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रसार भारती के बीच दिनांक 22.5.2000 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जो प्रसार भारती के वित्तीय और लेखा मामलों से संबंधित हैं। विशेषकर समझौता ज्ञापन के खंड–6 में यह प्रावधान है कि प्रसार भारती वर्ष–दर–वर्ष अपने राजस्व अर्जन में वृद्धि करने, संसाधन संघटन की अपनी प्रणाली को मजबूत करने और केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता–अनुदान पर अपनी निर्भरता को उत्तरोत्तर घटाने हेतु उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर बल देगा।

(घ) अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने और अपने राजस्व अर्जन को बढ़ाने के लिए प्रसार भारती द्वारा कुछ निम्नलिखित पहलें की गई हैं :–

- प्रसार भारती की वित्तीय संपोषनीयताओं को सुधारने के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक अंतर मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया है।
- विभिन्न मंत्रालयों के लिए भुगतान आधार पर कार्यक्रमों और स्पॉटों के निर्माण हेतु विकास संचार प्रभाग की स्थापना की गई है। यह प्रभाग ग्राहक मंत्रालयों के लिए मीडिया योजनाएं भी तैयार कर रहा है।
- विपणन को प्रोत्साहन देने हेतु देश के छह स्थानों पर विपणन प्रभाग स्थापित किए गए हैं। अब विभागीय तौर पर फीचर फिल्मों और खेलकूद घटनाओं का विपणन किया जा रहा है जिससे बेहतर परिणाम निकले हैं।
- दूरदर्शन के चुनिंदा उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों और अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों से अतिरिक्त संसाधनों को संघटित करने के लिए स्क्रॉलिंग विज्ञापनों को शुरू किया गया है।
- बाजार प्रवृत्तियों के समतुल्य बनाने के लिए वाणिज्यिक दर कार्ड की निरंतर समीक्षा की जा रही है और इसे संशोधित किया जा रहा है।
- प्रत्यायन विभाग को संशोधित कर दिया गया है। दूरदर्शन ने मार्केटिंग एजेंसी निर्माताओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बैंक गारंटी को बढ़ाकर 3 लाख रुपये से 25 लाख रुपये कर दिया है।

नकली एलपीजी सिलिंडर

***392. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :**
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नकली एलपीजी सिलिंडरों का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान नकली एलपीजी सिलिंडरों के कारण हुई दुर्घटनाओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) इस संबंध में कार्रवाई करने के क्या प्रावधान हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान नकली एलपीजी सिलिंडरों के व्यापार में संलिप्तता के कारण कितने एजेंसी मालिकों को पकड़ा गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां उन सिलेंडर निर्माताओं से एलपीजी सिलेंडरों की खरीद कर रही हैं जो तेल उद्योग तकनीकी समिति (ओआईटीसी) द्वारा अनुमोदित है और जिसके पास भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (सीसीओई) से वैध निर्माणी लाइसेंस हो। निर्माण प्रक्रिया पर बीआईएस द्वारा कड़ा नियंत्रण रखा जाएगा। ओएमसीज द्वारा खरीदे गए एलपीजी सिलेंडर अपेक्षित गुणवत्ता मानक पूरे करते हैं।

भरण संयंत्रों पर वितरकों/परिवहनकर्त्ताओं से प्राप्त एलपीजी सिलेंडरों की गुणवत्ता और वास्तविकता के लिए अनिवार्य जांच परिचालन में नकली और पुराने सिलेंडरों के प्रवेश से बचने के लिए की जाती है। घटिया/नकली सिलिंडरों का पता चलने पर इनको जब्त कर लिया जाता है और उसके बाद परिचालन में उनके पुनः प्रवेश को रोकने के लिए उनको तोड़ फोड़/कुचल दिया जाता है।

नकली उपस्कर को कब्जे में पाए जाने अथवा वितरण पद्धति में ऐसे उपस्कर शामिल करने पर किसी वितरक के मामले में नकली एलपीजी उपस्कर के आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध की जा सकने वाली कानूनी कार्रवाई के अतिरिक्त विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, उपस्कर को जब्त करने और प्रथम और द्वितीय बार के अपराधों के लिए दंडात्मक दरों पर जुर्माने और वसूली तथा तृतीय बार के अपराध में डिस्ट्रीब्यूटरशिप की समाप्ति का प्रावधान है।

ओएमसीज ने न तो पिछले 3 वर्षों के दौरान अपने वितरकों द्वारा आपूर्त जाली सिलेंडरों के कारण किसी दुर्घटना की सूचना दी है और न ही कोई वितरक उक्त अवधि के दौरान जाली एलपीजी सिलेंडरों में लिप्त पाया गया है।

कच्चे तेल की खरीद

***393. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खरीदा जाने वाला कच्चा तेल सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विद्यमान मूल्य से सस्ता होता है;

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा खरीदे गए कच्चे तेल का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विद्यमान मूल्य से एक वर्ष में औसतन कितना कम होता है; और

(ग) उक्त कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल केरोसीन और प्राकृतिक गैस के उत्पादन की अनुमानित औसत दर कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चे तेल की खरीद विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित है। भारत में दो तिहाई से अधिक आयातित क्रूड पश्चिम एशियाई देशों से आता है, जहां मूल्य अधिकृत बिक्री मूल्य (ओएसपी) पर नियम किए जाते हैं और उत्पादक देशों की राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा इसे प्रत्यक्ष रूप से बेचा जाता है। बाकी का क्रूड सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा जारी निविदाओं के मध्यम से तत्स्थान आधार पर प्राप्त किया जाता है। अधिकृत बिक्री मूल्य और निविदा मूल्य मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों द्वारा नियंत्रित होते हैं।

(ग) अप्रैल-फरवरी 2004-05 के दौरान 113.685 एमएमटी कच्चे तेल का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम रिफाइनरियों में संसाधन किया गया जिसमें से 86.703 एमएमटी आयातित ग्रेड थे। आयातित और स्वदेशी कच्चे तेल का रिफाइनरियों द्वारा साथ-साथ संसाधन किया जाता है और अंतिम उत्पाद दोनों प्रवाहों के मिश्रण द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अप्रैल-फरवरी 2004-05 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम रिफाइनरियों के मुख्य उत्पादों का उत्पादन निम्नानुसार था :

उत्पाद	आंकड़े एमएमटी में
तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी)	5.068
पेट्रोल	9.978
डीज़ल	42.138
मिट्टी तेल	8.372

[अनुवाद]

नौसेना अध्यक्ष का संयुक्त राज्य अमरीका का दौरा

***394. श्री कीर्ति वर्धन सिंह :**
श्री विजय कृष्ण :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नौसेना अध्यक्ष ने संयुक्त राज्य अमरीका का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो किन मुद्दों पर चर्चा की गई और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच रक्षा संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) दौरे के दौरान, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, विशेषकर नौसेना के क्षेत्र में, बढ़ाने संबंधी मामलों पर विचार–विमर्श किया गया था।

(ग) अमरीका के साथ रक्षा संबंधों में निरंतर विकास हो रहा है। इसने, उच्च–स्तरीय सैन्य दौरे जारी रखने, प्रशिक्षण अवसरों तथा प्रशिक्षण का आदान–प्रदान, सेमिनारों में भाग लेने, आपदा प्रबंधन में सहयोग और संयुक्त अभ्यासों का रूप अख्तियार कर लिया है। इसके अतिरिक्त, अब उच्च–प्रौद्योगिकी, रक्षा बिक्री और सहयोग के लिए अवसरों के प्रति अमरीका का रुख सकारात्मक है।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण/रोजगार के अवसर

***395. श्री ब्रजेश पाठक :**
श्री गणेश सिंह :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए क्रियाविधि का पता लगाने के उद्देश्य से उद्योग जगत से वार्ता करने के लिए मंत्रियों के एक ग्रुप का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त ग्रुप द्वारा अब तक कितनी प्रगति की गई है;

(घ) क्या सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने पर भी विचार किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) मंत्रियों के ग्रुप द्वारा सरकार को कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की संभावना है; और

(छ) इस मुद्दे को शीघ्र निपटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) मंत्री समूह की संरचना और विचारार्थ विषय का विवरण इस प्रकार है:

(1) **संरचना**

1. श्री शरद पवार,
   कृषि, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री।

2. श्री लालू प्रसाद
   रेल मंत्री

3. श्री रामविलास पासवान,
   रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री

4. श्री पी. चिदम्बरम,
   वित्त मंत्री

5. श्री पी.आर. किंडिया,
   जनजातीय मामले और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री

6. श्री कमल नाथ,
   वाणिज्य और उद्योग मंत्री

7. श्री एच.आर. भारद्वाज,
   विधि एवं न्याय मंत्री

8. श्रीमती मीरा कुमार,
   सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

9. श्री दयानिधि मारन,
   संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, और

10. श्री कपिल सिब्बल,
    विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और महासागर विकास विभाग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(2) विचारार्थ विषय

निजी क्षेत्र में आरक्षण सहित सकारात्मक कार्रवाई के मुद्दे की जांच के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया है। मंत्री समूह उद्योग जगत के साथ यह संवाद शुरू करेगा कि निजी क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति युवा वर्ग की आकांक्षाओं को किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण कर सकता है।

(ग) मंत्रियों के समूह ने उद्योग और व्यापार की प्रतिक्रिया का पता लगाया और तत्पश्चात् उद्योग और व्यापार के नई दिल्ली स्थित चार शीर्ष एसोसिएसनों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श किया। ये एसोसिएशन हैं – फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर आफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री, कान्फेडरेशन ऑफ इंडियन इन्डस्ट्री, एसोसियेटिड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पी.एच.डी. चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) इस स्तर पर कोई विशेष समय सीमा इंगित नहीं की जा सकती।

पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता

***396. श्री जी. करुणाकर रेड्डी :**
श्री जुएल ओराम :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में एलपीजी, एलएनजी, केरोसीन, डीज़ल और पेट्रोल की मासिक आवश्यकता कितनी-कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को इन पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति हेतु कोई कोटा निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा राज्यों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से इन उत्पादों के वर्तमान कोटे में वृद्धि करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) अप्रैल-सितम्बर, 2004 की अवधि में एलपीजी, मिट्टी तेल, डीज़ल और पेट्रोल की राज्यवार औसत मासिक खपत संलग्न विवरण-। में दी गई है। एलएनजी एक नियंत्रणमुक्त उत्पाद है और इसका प्रापण और आपूर्तियां वाणिज्यिक आधारों पर की जाती हैं। वर्तमान में लगभग 5 एमएमटीपीए एलएनजी का आयात गुजरात में दाहेज एलएनजी टर्मिनल पर पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस गैस की अधिकांश मात्रा का विपणन गुजरात में किया जा रहा है और कुछ मात्राओं की आपूर्ति मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में एचबीजे पाइपलाइन के आसपास उपभोक्ताओं को की जा रही है।

(ख) से (च) सार्वजनिक वितरण पद्धति (पीडीएस) के तहत वितरण के लिए विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को मिट्टी तेल का आबंटन तिमाही आधार पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है। राज्य विशेष के भीतर मिट्टी तेल का वितरण संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है। 2004-05 और 2005-06 की प्रथम तिमाही के दौरान पीडीएस के तहत विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को मिट्टी तेल का आबंटन संलग्न विवरण-II में दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से समय-समय पर पीडीएस के तहत अपने मिट्टी तेल कोटों में वृद्धि के लिए आवेदन प्राप्त होते रहते हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को उनकी तुरन्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वार्षिक कोटों के अतिरिक्त 1,50,502 मीट्रिक टन अतिरिक्त पीडीएस, मिट्टी तेल का आबंटन किया है। पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी की मांग तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा अपने डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के माध्यम से पूर्णतः पूरी की जाती है।

विवरण-I

**अप्रैल-सितंबर 2004 के दौरान औसत मासिक खपत*

(आंकड़े टीएमटी में)

राज्य	डीजल	मिट्टी तेल	एलपीजी	पेट्रोल
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	300.4	41.2	63.0	49.4
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.8	0.5	0.4	0.5
अरुणाचल प्रदेश	2.9	1.0	0.8	1.0

1	2	3	4	5
असम	34.8	21.9	12.6	7.3
भूटान	3.4	0.6	0.4	0.7
बिहार	83.5	52.3	20.1	10.1
चंडीगढ़	5.5	0.9	2.3	5.0
छत्तीसगढ़	46.4	12.0	7.4	8.7
दादरा और नगर हवेली	8.9	0.3	0.7	0.6
दमन और दीव	6.2	0.3	0.4	0.7
दिल्ली	101.8	14.1	45.1	53.5
गोवा	20.5	1.6	3.4	5.0
गुजरात	180.3	62.8	47.0	55.5
हरियाणा	188.9	12.2	28.9	25.5
हिमाचल प्रदेश	25.5	4.0	6.4	5.1
जम्मू-कश्मीर	31.7	13.5	7.9	7.3
झारखंड	70.9	17.7	7.3	10.1
कर्नाटक	198.0	39.2	52.0	41.8
केरल	109.2	18.3	40.1	38.5
लक्षदीप	0.7	0.0	0.0	0.0
मध्य प्रदेश	120.6	39.7	30.2	26.0
महाराष्ट्र	275.1	106.5	119.7	96.0
मणिपुर	2.2	1.7	1.4	1.1
मेघालय	11.5	1.8	1.0	2.1
मिजोरम	1.7	0.5	1.4	0.8
नागालैंड	1.8	1.1	1.0	1.1
नेपाल	0.0	0.0	0.0	0.0
उड़ीसा	73.5	25.4	10.8	12.5
पांडिचेरी	19.5	1.0	1.9	3.8
पंजाब	212.8	19.5	40.1	36.9
राजस्थान	220.0	33.2	33.5	28.8
सिक्किम	2.4	1.3	0.6	0.5
तमिलनाडु	275.5	49.2	74.5	61.4
त्रिपुरा	3.3	2.4	1.5	1.1
उत्तर प्रदेश	359.4	103.7	84.2	60.8
उत्तरांचल	26.6	7.2	10.1	6.4
पश्चिम बंगाल	146.8	63.4	39.8	18.4
योग	3175.8	772.2	797.7	682.0

* केवल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

विवरण-II

2004-05 और 2005-06 की प्रथम तिमाही के दौरान राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश वार एसकेओ आबंटन

(मीट्रिक टनों में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2004-05	2005-06 की प्रथम तिमाही
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5,771	1,454
आंध्र प्रदेश	4,85,448	1,29,289
अरुणाचल प्रदेश	9,257	2,314
असम	2,51,714	64,501
बिहार	6,31,639	1,61,857
चंडीगढ़	13,067	3,266
छत्तीसगढ़	1,43,354	36,734
दादरा और नगर हवेली	2,782	695
दमन और दीव	2,118	529
दिल्ली	1,68,484	42,121
गोवा	19,212	4,803
गुजरात	7,43,759	1,85,939
हरियाणा	1,42,068	36,404

1	2	3
हिमाचल प्रदेश	50,537	12,634
जम्मू-कश्मीर	72,444	14,489
झारखंड	2,11,175	52,793
कर्नाटक	4,61,478	1,15,369
केरल	2,11,033	54,077
लक्षदीप	795	400
मध्य प्रदेश	4,76,691	1,22,152
महाराष्ट्र	12,53,530	3,19,219
मणिपुर	19,907	4,976
मेघालय	20,401	5,100
मिजोरम	6,217	1,554
नागालैंड	13,012	3,328
उड़ीसा	3,07,295	78,744
पांडिचेरी	12,058	3,064
पंजाब	2,32,813	59,298
राजस्थान	3,96,500	99,728
सिक्किम	5,433	1,395
तमिलनाडु	5,45,297	1,39,732
त्रिपुरा	30,093	7,708
उत्तर प्रदेश	12,11,485	3,10,443
उत्तरांचल	85,959	22,462
पश्चिम बंगाल	7,48,228	1,88,025
योग	89,91,054	22,86,596

तेल क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

*397. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) भारत सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को उदार कर दिया है। पेट्रोलियम क्षेत्र, जिसमें तेल और गैस क्षेत्र दोनों शामिल हैं, में एफडीआई को उदार करने की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं–

1. **पेट्रोलियम (शोधन के अलावा)**

(1) पेट्रोलियम उत्पाद विपणन पर स्वचालित मार्ग पर 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। इस क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तेल विपणन क्षेत्र में मौजूदा क्षेत्रीय नीति और विनियामक तंत्र के अधीन अनुमेय होगा।

(2) लघु और मध्यम आकार के क्षेत्रों में तेल अन्वेषण में स्वचालित मार्ग पर निम्नलिखित के अधीन और निम्न में निजी प्रतिभागिता पर सरकार की नीति के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है : (क) तेल का अन्वेषण और (ख) राष्ट्रीय तेल कंपनियों के खोजे गए क्षेत्र।

(3) सरकारी नीति और इनके विनियमों के अधीन और इनके अंतर्गत पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के लिए स्वचालित मार्ग पर 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।

(4) पूर्व सरकारी अनुमोदन के साथ प्राकृतिक गैस/एलएनजी पाइपलाइनों के लिए 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।

(5) बाजार अध्ययन और इसके निरूपण उद्देश्य के लिए 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की अनुमति है।

(6) निवेश/वित्तपोषण के लिए 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की अनुमति है।

(7) वास्तविक व्यापार और विपणन के लिए 5 वर्षों में न्यूनतम 26% भारतीय इक्विटी की जरूरत है।

2. **पेट्रोलियम (शोधन)**

(1) सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों (सा.क्षे.उ.) के मामले में

26% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के पास 26% होगा और शेष 48% जनता के पास होगा। स्वचालित मार्ग उपलब्ध नहीं है।

(2) निजी भारतीय कंपनियों के मामले में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।

इस संबंध में सरकारी नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ-साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) सक्रिय रूप से सीधा विदेशी निवेश (एफडीआई) चाहते हैं।

छावनी बोर्डों का प्रबंधन

***398. श्री संतोष गंगवार :**

श्री देविदास पिंगले :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में अनेक छावनी बोर्डों का प्रबंधन गैर-निर्वाचित जन प्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन बोर्डों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के गैर-सैनिक निवासियों की समस्याओं का समाधान किस तरह से किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार ने निर्वाचित बोर्ड के गठन होने तक किसी सलाहकार परिषद का गठन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन छावनी बोर्डों में चुनाव कब तक कराए जाएंगे?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (च) बासठ छावनी बोर्डों में से इकसठ छावनी बोर्डों का प्रबंधन अधिकारियों तथा नामित सदस्यों द्वारा किया जाता है और एक बोर्ड का कार्यकाल 13 जून, 2005 तक है (सूची संलग्न विवरण में है)। 61 बोर्डों के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। छावनी बोर्डों के लिए छावनी विधेयक, 2003 नामक एक नया विधान लोक सभा में पेश कर दिया गया है जिसकी रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति जांच कर रही है।

छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 14 केन्द्र सरकार को किसी भी छावनी बोर्ड के गठन को बदलने का अधिकार प्रदान करती है। इस प्रकार से पुनर्गठित छावनी बोर्ड, छावनियों में, स्थानीय सिविल आबादी की समस्याओं का निवारण करते हैं।

सरकार ने छावनियों के लिए किसी सलाहकार परिषद का गठन नहीं किया है।

नये छावनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी छावनी बोर्डों के चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

छावनी बोर्डों की स्थिति

क्रम सं.	बोर्ड का नाम	पिछले चुनाव की तारीख	समाप्त अवधि	तक वर्धित/अवधि तक
1	2	3	4	5
1.	बादामी बाग	1986	1992	26/08/2005
2.	आगरा	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
3.	अहमदनगर	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
4.	अजमेर	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
5.	इलाहाबाद	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
6.	अल्मोड़ा	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
7.	औरंगाबाद	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
8.	बबीना	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005

1	2	3	4	5
9.	बकलोह	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
10.	बरेली	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
11.	बैरकपुर	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
12.	बेलगांव	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
13.	कण्णानूर	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
14.	चकराता	02/02/1997	26/06/2004	26/09/2005
15.	डगसाई	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
16.	डलहौजी	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
17.	दानापुर	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
18.	देहू रोड	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
19.	दिल्ली	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
20.	देवलाली	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
21.	जबलपुर	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
22.	जलपहाड़	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
23.	जम्मू	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
24.	झांसी	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
25.	जतोघ	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
26.	कानपुर	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
27.	कसौली	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
28.	खड़की	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
29.	लैंसडाउन	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
30.	लेबांग	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
31.	लखनऊ	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
32.	मेरठ	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
33.	महु	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
34.	मोरार	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
35.	नैनीताल	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
36.	नसीराबाद	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005

1	2	3	4	5
37.	पुणे	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
38.	रामगढ़	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
39.	रानीखेत	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
40.	रुड़की	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
41.	सागर	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
42.	सिकंदराबाद	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
43.	शाहजहांपुर	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
44.	शिलांग	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
45.	सेंट थॉमस माउंट	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
46.	सबाथू	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
47.	वाराणसी	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
48.	वेलिंगटन	02/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
49.	अमृतसर	23/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
50.	फिरोजपुर	23/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
51.	जालंधर	23/02/1997	02/03/2003	03/09/2005
52.	देहरादून	08/06/1997	02/03/2003	03/09/2005
53.	अहमदाबाद	12/04/1998	31/05/2004	31/05/2005
54.	क्लेमेंट टाउन	19/04/1998	31/05/2004	31/05/2005
55.	मथुरा	19/04/1998	31/05/2004	31/05/2005
56.	अम्बाला	12/08/1998	31/05/2004	31/05/2005
57.	फैजाबाद	21/02/1999	30/03/2003	30/09/2005
58.	फतेहगढ़	21/02/1999	30/03/2003	30/09/2005
59.	काम्पटी	21/02/1999	30/03/2003	30/09/2005
60.	लंढौर	21/02/1999	30/03/2003	30/09/2005
61.	पंचमढ़ी	21/02/1999	30/03/2003	30/09/2005
62.	खस्योल	14/05/2000	13/06/2005	13/06/2005 (सामान्य अवधि)

[अनुवाद]

पंचायत स्तर पर पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भागीदारी

***399. श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
श्री तथागत सत्पथी :

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी हेतु कोई नीतिगत उपाय और निर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) भारत के संविधान में पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान हैं :–

अनुच्छेद 48 क

"पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा–राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।"

भाग - IV क (छ) - मौलिक कर्त्तव्य अनुच्छेद 51 क

"भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखें।"

महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति (2001) के उप–शीर्ष "पर्यावरण" में नीचे दिए अनुसार प्रावधान किया गया है :–

"6.10 पर्यावरण, संरक्षण और प्रत्यावर्तन की नीतियों और कार्यक्रमों में महिलाओं को शामिल किया जाएगा और उनकी महत्ता को दर्शाया जाएगा। इस बात के आलोक में कि महिलाओं की आजीविका पर पर्यावरण तत्वों का प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण के संरक्षण और पर्यावरण के गिरते स्तर को नियंत्रित करने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। भारी संख्या में ग्रामीण महिलाएं अभी भी गोबर, फसल अपशिष्ट और ईंधन–लकड़ी जैसे स्थानीय रूप में उपलब्ध गैर वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर रहती हैं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि पर्यावरण–अनुकूल तरीके से इन ऊर्जा संसाधनों का प्रभावी उपयोग हो सके, नीति का उद्देश्य गैर–पारम्परिक ऊर्जा संसाधनों के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना है। महिलाओं को सौर ऊर्जा, जैविक गैस, धुंआ रहित चूल्हों और अन्य ग्रामीण उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने में शामिल किया जाएगा ताकि पारिस्थितिकीय प्रणाली को प्रभावित करने में और ग्रामीण महिलाओं की जीवन–शैली को बदलने में इन उपायों का प्रभाव दिखाई पड़े।"

(ग) जिला, मध्यवर्ती तथा ग्राम स्तर पर पंचायतों के तीनों स्तरों में इस समय 2186452 निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, इसमें से 1287838 पुरूष तथा 890605 महिला प्रतिनिधि हैं। संविधान का अनुच्छेद 243 छ पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों तथा उत्तरदायित्वों से संबंधित है। यह प्रावधान इस प्रकार है:–

संविधान के प्रावधानों के अधीन किसी राज्य का विधान–मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित के संबंध में शक्तियां और उत्तरदायित्व सौंपने के लिए प्रावधान किए जा सकेंगे, अर्थात :

(क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना;

(ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं को, जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अंतर्गत वे स्कीमें भी हैं जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करना।

ग्यारहवीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखत विषयों का पर्यावरण संरक्षण पर विशेष प्रभाव पड़ता है:–

1. कृषि जिसमें कृषि विस्तार शामिल है।
2. भूमि सुधार, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि समेकन तथा मृदा संरक्षण।
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंध और वाटरशेड विकास।
4. पशुपालन, डेयरी तथा मुर्गी–पालन।
5. मत्स्य पालन।
6. सामाजिक वानिकी तथा कृषि वानिकी।

7. लघु वन उत्पाद।

8. पेयजल।

9. अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत

ग्यारहवीं अनुसूची में महिला एवं बाल विकास को एक विषय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है जिसे पंचायतों को अंतरित किया जा सकता है।

तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शक्तियों की सुपुर्दगी संबंधी एक कार्यबल गठित किया जिसने क्रियाकलाप की रूपरेखा बनाई है जिसमें उपर्युक्त विषयों से संबंधित क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है जिसे पंचायतों के तीनों स्तरों को सौंपा जा सकता है। मैसूर में अगस्त, 2004 में आयोजित पंचायती राज के राज्य मंत्रियों के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में राज्यों ने सर्वसम्मति जताई कि वे पंचायतों के तीनों स्तरों के लिए रूपरेखा बनाएंगे जिसमें पंचायतों को पर्यावरण और महिलाओं से संबंधित मुद्दों के क्रियाकलापों को सौंपना भी शामिल होगा।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 जैव विविधता, इसके घटकों के स्थायी उपयोग और जैव संसाधनों, जानकारी के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों में उचित और न्यायसंगत तरीके से हिस्सेदारी करने तथा इससे सम्बद्ध अथवा इसके आनुषंगिक मामलों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। अधिनियम में यह व्यवस्था है कि ऐसे प्रत्येक स्थानीय निकाय, जिनमें पंचायतें शामिल हों, आवासों की सुरक्षा, भूमि की किस्मों, लोक विविधताओं तथा कृषकों, पालतू पशुओं एवं पशुओं की नस्लों, सूक्ष्मजीवों का संरक्षण और जैव विविधता से संबंधित जानकारी को लिपिबद्ध करने सहित संरक्षण, स्थायी उपयोग और जैव विविधता के प्रलेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने क्षेत्रों में एक जैव विविधता प्रबंधन समिति बनाएंगे। अधिनियम के तहत बनाए गए जैव विविधता नियम, 2004 के अनुसार, प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने कार्याधिकार क्षेत्र में जैव विविधता प्रबंधन समिति बनाएगा। जैव विविधता प्रबंधन समिति में एक अध्यक्ष होगा तथा स्थानीय निकाय द्वारा छह से अधिक सदस्य मनोनीत नहीं किए जाएंगे, इसमें कम-से-कम एक तिहाई महिलाएं होंगी तथा कम-से-कम 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे। जन जैव विविधता पंजिकाओं का रखरखाव और वैधीकरण प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा।

तेल उत्पादन

***400. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत नए अन्वेषणों और विदेश स्थित तेल क्षेत्रों में अन्वेषण तथा उत्पादन की भागीदारी के माध्यम से भी स्वदेशी तेल उत्पादन बढ़ाने हेतु उद्यम स्थापित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन स्कीमों के स्थापित होने पर क्षमता में कितनी वृद्धि होने की संभावना है; और

(ग) इन उद्यमों से आयात बिल में कितनी कमी आने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) घरेलू तेल और गैस उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अन्वेषणात्मक कार्यों में अत्याधिक वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इनमें निम्नलिखित उपाय सम्मिलित हैं –

(1) वर्धित तेल निकासी (ईओआर)/उन्नत तेल निकासी (आईओआर) योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा वर्तमान मुख्य क्षेत्रों से निकासी घटक में सुधार करना, विशेष रूप से आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने 10,972 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश पर इस उद्देश्य के लिए 15 क्षेत्र हाथ में लिए हैं जिससे इन क्षेत्रों से तेल उत्पादन बढ़ाने में भी सहायता प्राप्त होगी।

(2) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करना। एनईएलपी के चार दौरों के अंतर्गत 90 ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाएं (पीएससीज) हस्ताक्षरित की गई हैं। 20 अन्वेषण ब्लाकों के लिए बोलियां आमंत्रित करने के लिए 4 जनवरी, 2005 की स्थिति के अनुसार एनईएलपी के पांचवें दौर के खुलने की घोषणा की गई है, बोलियों की प्राप्ति की अंतिम तारीख 31 मई, 2005 है।

(3) नए क्षेत्रों, विशेष रूप से गहरे समुद्र और कठिन सीमावर्ती क्षेत्रों और पहले से उत्पादनरत क्षेत्रों की गहनतर परतों में अन्वेषण करना; और

(4) नए खोजे गए क्षेत्रों का तेजी से विकास करना और उत्पादक क्षेत्रों में भूकंपीय सर्वेक्षणों, वर्क ओवर, उत्प्रेरण कार्यों, कूपों के वेधन आदि के लिए नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग में वृद्धि करना।

इसके अलावा राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के ऊर्जा

सुरक्षा भाग के उद्देश्यों के अनुसार ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) और आईओसी, ओआईएल और गेल जैसी अन्य राष्ट्रीय तेल कंपनियां विदेशों में इक्विटी तेल के अर्जन और विदेशों में तेल और गैस अन्वेषण रकबे और उत्पादन संपत्तियां प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं। इन कंपनियों के वियतनाम, सूडान, रूस, इराक, ईरान, म्यांमार, लीबिया, सीरिया, आस्ट्रेलिया, आइवरी कोस्ट, कतर और मिस्र स्थित तेल और गैस परियोजनाओं में प्रतिभागिता हित है।

1.4.2004 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय और निजी/संयुक्त उद्यम तेल कंपनियों द्वारा अन्वेषणात्मक प्रयासों के माध्यम से स्थापित घरेलू हाइड्रोकार्बन भंडार लगभग 2950 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) तेल और गैस के समकक्ष तेल (ओईजी) है। ओवीएल ने अपनी विदेशी परिसंपत्तियों से अन्य 199 एमएमटी ओ ई जी सिद्ध किया है।

2004–05 में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का घरेलू उत्पादन क्रमशः 33.98 एमएमटी और 31.75 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) है। इस अवधि के दौरान अपनी विदेशी परिसंपत्तियों से ओवीएल के उत्पादन का हिस्सा 3.7 एमएमटी तेल और 1.35 बीसीएम गैस था।

(ग) आयात बिल में कमी घरेलू परिसंपत्तियों से तेल और गैस की वर्धित उपलब्धता के अनुपात में होगी।

उपग्रह आधारित नैविगेशन प्रणाली का विकास

4145. **श्री सुरेश कलमाड़ी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विमानों के लिए उपग्रह आधारित नैविगेशन प्रणाली विकसित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे भारतीय आकाश में एक साथ कई विमानों के उड़ान भरने और साथ ही उनकी सुरक्षा में सहायता मिलेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां। भारत जी पी एस तथा भू–संवर्धित वायुक्षेत्र दिक्चालन प्रणाली (जी ए जी ए एन) के माध्यम से भारतीय वायुक्षेत्र के ऊपर सेटेलाइट आधारित दिक्चालन के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शन प्रणाली (टी.डी.एस.) का विकास कर रहा है।

(ख) और (ग) जी, हां। भू–संवर्धित वायुक्षेत्र दिक्चालन प्रणाली (जी ए जी ए एन) के प्रचालित हो जाने के पश्चात यह प्रणाली भारतीय वायुक्षेत्र के ऊपर विमान सुरक्षा तथा दिक्चालन क्षमता को बढ़ाने वाले माध्यमों में से एक होगी।

[हिन्दी]

मेरठ-दिल्ली मार्ग के बीच यात्री रेलगाड़ियां

4146. **मोहम्मद शाहिद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली–मेरठ मार्ग के बीच दैनिक यात्रियों की कुल संख्या और उक्त मार्ग पर आवश्यक रेलगाड़ियों की संख्या के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मार्ग पर यात्री रेलगाड़ियों में वृद्धि हेतु अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) इस समय यात्री जनता के लिए दिल्ली से मेरठ के लिए 18 गाड़ियां एवं मेरठ से दिल्ली के लिए 19 गाड़ियां उपलब्ध हैं। ये गाड़ियां इस खंड में पेश होने वाले यातायात के लिए पर्याप्त समझी गई हैं। कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनकी जांच की गई परन्तु परिचालनिक एवं संसाधनों की तंगियों के कारण इन्हें लागू करना व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र

4147. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में स्थान–वार कितने व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन केन्द्रों को कितनी सहायता प्रदान की जा रही है;

(घ) क्या सरकार ने मानसिक और शारीरिक रूप से विगलांग व्यक्तियों के लिए नए कार्यक्रम तैयार किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) देश में निःशक्त व्यक्तियों के लिए 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र कार्य कर रहे हैं, जो अगरतला, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, बैंगलोर, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, कोलकाता, कानपुर, लुधियाना, मुम्बई, दिल्ली, पटना, तिरुवनन्तपुरम और बड़ोदरा में स्थित हैं।

(ख) ये केन्द्र निःशक्त व्यक्तियों की अवशिष्ट क्षमताओं का आकलन करते हैं, इन्हें सामंजस्य प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और नौकरियों, रोजगार आदि के माध्यम से उनके आर्थिक पुनर्वास में सहायता करते हैं।

(ग) ये केन्द्र श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत कार्य करते हैं और मंत्रालय ने इन केन्द्रों के लिए वित्त वर्ष 2005–06 हेतु 8.8 करोड़ रुपए का आबंटन किया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोटा विमानपत्तन को अन्यत्र स्थापित करना

4148. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार से कोटा विमानपत्तन को शहर के बाहर अन्यत्र स्थापित करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) कोटा विमानपत्तन के वर्तमान क्षेत्र और परिसम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान उक्त विमानपत्तन की वार्षिक आय और व्यय का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। मौजूदा कोटा एयरपोर्ट, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का है, को कोटा शहर की सीमा से बाहर अन्यत्र स्थापित करने के लिए राजस्थान राज्य सरकार से समय–समय पर प्रस्ताव मिले हैं। तथापि, सीमित यातायात क्षमता के कारण एयरपोर्ट को अन्यत्र स्थापित करने का प्रस्ताव अनुकूल नहीं पाया गया।

(ग) यहां उपलब्ध परिसम्पत्तियां व आधारिक संरचना रनवे, टैक्सीमार्ग, ऐप्रन, टर्मिनल भवन, आवासीय क्वार्टर, बाउंडरी वाल, नेवीगेशन के सहायक उपकरण आदि हैं जो लगभग 376 एकड़ भूमि पर फैले हुए हैं।

(घ) कोटा एयरपोर्ट के वर्ष 2004–05, 2003–04 तथा 2002–03 के आय व व्यय संबंधी आंकड़े क्रमशः 6.27; 71.41, 4.40; 90.90 तथा 6.26; 65.87 लाख रुपए हैं।

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों हेतु धनराशि

4149. श्री कैलाश मेघवाल : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा दसवीं योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों को उनके कार्यकलापों को चलाने के लिए कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई है;

(ख) क्या इन केन्द्रों को प्रदान की गई धनराशि, के दुरूपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार विभिन्न राज्यों में स्थित 'क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों' को कोई निधि जारी नहीं करता है। तथापि, मंत्रालय 'सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों' को सहायता प्रदान करता है। 10वीं योजना के दौरान जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दसवीं योजना अवधि में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों को जारी निधियों के ब्यौरे

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार विभिन्न राज्यों में स्थित 'क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों' को कोई अनुदान जारी नहीं करता है। तथापि, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित स्थानों पर सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र कार्यरत हैं :–

(1) उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (एन जेड सी सी), पटियाला, (2) उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (एन सी जेड सी सी), इलाहाबाद (3) उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (एन ई जेड सी सी), दीमापुर (4) पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (डब्ल्यू जेड सी सी), उदयपुर (5) दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (एस जेड सी सी), तंजावुर (6) दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (एस सी जेड सी सी), नागपुर (7) पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (ई जेड सी सी), कोलकाता। ये क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, संस्कृति मंत्रालय से दसवीं योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय से दसवीं योजना के अंतर्गत जेड सी सी को जारी अनुदान (2002–05) निम्नलिखित हैं :–

क्षत्रोय सास्कृतिक कन्द	अतिरिक्त कापस		एनसोइपो		गरू शिष्य परपरा		रगमच का नवोकरण		पलखन		यवा पतिभावान कलाकार		कल	
	आबटित	जारो	आबटित	जारो	आबटित	जारो	आबटित	जारो	आबटित	जारो	आबटित	जारो	आबटित	जारो
एनजडसोसो	5.00 कराड	2.00 कराड	2.20 कराड	1.20 कराड	58.80 लाख	23.52 लाख	27.50 लाख	16.50 लाख	50.00 लाख	20.00 लाख	6.90 लाख	2.30 लाख	8.63 कराड	3.82 कराड
एनसोजडसोसो	5.00 कराड	2.00 कराड	2.20 कराड	1.20 कराड	58.80 लाख	23.52 लाख	27.50 लाख	16.50 लाख	50.00 लाख	10.00 लाख	6.90 लाख	2.30 लाख	8.63 कराड	3.72 कराड
इजडसोसो	5.00 कराड	2.00 कराड	2.20 कराड	1.14 कराड	58.80 लाख	23.52 लाख	27.50 लाख	16.50 लाख	50.00 लाख	20.00 लाख	6.90 लाख	2.30 लाख	8.63 कराड	3.76 कराड
एसजडसोसो	5.00 कराड	2.00 कराड	2.20 कराड	1.10 कराड	58.80 लाख	23.52 लाख	27.50 लाख	16.50 लाख	50.00 लाख	20.00 लाख	6.90 लाख	2.30 लाख	8.63 कराड	3.72 कराड
एससोजडसोसो	5.00 कराड	2.00 कराड	2.20 कराड	1.14 कराड	58.80 लाख	23.52 लाख	27.50 लाख	11.00 लाख	50.00 लाख	10.00 लाख	6.90 लाख	2.30 लाख	8.63 कराड	3.60 कराड
एनइजडसोसो	5.00 कराड	5.00 कराड	2.20 कराड	1.10 कराड	58.80 लाख	23.52 लाख	27.50 लाख	11.00 लाख	50.00 लाख	30.00 लाख	6.90 लाख	2.30 लाख	8.63 कराड	6.76 कराड
डब्ल्यूजडसोसो	5.00 कराड	2.00 कराड	2.20 कराड	1.14 कराड	58.80 लाख	23.52 लाख	27.50 लाख	11.00 लाख	50.00 लाख	18.58 लाख	6.90 लाख	2.30 लाख	8.63 कराड	3.69 कराड
	35.00 कराड	17.00 कराड	15.40 कराड	8.02 कराड	4,11,6 0,000	1,64,6 4,000	1,92,50, 000	99.00 लाख	3.50 कराड	128.58 लाख	48.30 लाख	16.10 लाख	60.41 कराड	29.07 कराड

इन कन्दा का पदान को गइ निधिया क दरूपयाग क सबध म [illegible] भी जड सो सो स काइ शिकायत पाप्त नहो हइ ह।

[अनुवाद]

कावेरी बेसिन में पेट्रोलियम भंडार

4150. **श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल के वर्षों में कावेरी बेसिन में गैस और पेट्रोलियम का अनुमानित कुल कितना भंडार पाया गया है;

(ख) मंत्रालय द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान खोज हेतु कितने तेल और गैस के ब्लाकों की नीलामी की गई है;

(ग) क्या कावेरी बेसिन में गैस भंडार का वाणिज्यिक दोहन शुरू हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान गैस का अनुमानित कितना उत्पादन हुआ है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) दिनांक 1.4.2004 की स्थिति के अनुसार कावेरी बेसिन में गैस और तेल के कुल अनुमानित स्थानिक भंडार, क्रमशः 73.60 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) तथा 65.12 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) हैं। वर्ष 2004–05 के लिए अनुमानों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के तहत, विभिन्न निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों तथा राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसी) को कावेरी बेसिन में 6 अन्वेषण ब्लाक ठेके पर दिए गए हैं। 4.1.2005 को खोले गए एनईएलपी के पांचवे दौर के तहत प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के लिए एक ब्लाक सीवाई–ओएनएन–2003/1 को भी प्रस्तावित किया गया है।

(ग) और (घ) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) वर्ष 1985–86 से तमिलनाडु राज्य में तेल और गैस का उत्पादन कर रही है। गत तीन वर्षों, 2002–03 से 2004–05 तक, के दौरान वास्तविक गैस उत्पादन के ब्यौरे निम्नवत् है :–

वर्ष	गैस उत्पादन (एमएमएससीएम)
2002–03	466
2003–04	605
2004–05(अनंतिम)	678

विरासत स्थलों का मानचित्रण

4151. **श्री फ्रान्सिस फैन्थम : क्या संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विरासत स्थलों के मानचित्रण के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विरासत स्थलों की अनदेखी किए जाने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) संस्कृति मंत्रालय निर्मित दाय तथा पुरावशेषों के संबंध में एक राष्ट्रीय मिशन चलाने का प्रस्ताव कर रहा है जिसमें निर्मित दाय, स्मारकों, स्थलों तथा पुरावशेषों की व्यापक सूची बनाने की व्यवस्था है।

इसके अलावा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 195[illegible] के तहत संरक्षित स्मारकों की एक मंडल–वार निर्देशिका निका[illegible] रहा है।

[हिन्दी]

वाडसा-गढ़चिरोली नई लाइन हेतु धनराशि

4152. **श्री हंसराज जी. अहीर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गढ़चिरोली जिले के अधीन सुरजागढ़ में नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कराने हेतु कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार वाडसा–गढ़चिरोली नई रेल लाइन बिछाने हेतु धनराशि प्रदान करने का है जिसके लिए सर्वेक्षण पहले ही करा लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) बैलादिल्ला–बल्लारशाह (बारास्ता सूरजगढ़–आलापल्ली) के बीच नई लाइन के निर्माण के लिए मांग प्राप्त हुई है। प्रस्तावित लाइन के लिए अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

2000–01 के दौरान वाडसा से गढ़चिरोली नई लाइन के लिए सर्वेक्षण किया गया था, जिसके अनुसार इस 49.5 कि.मी. लम्बी लाइन की लागत (–) 8.19% प्रतिफल की दर के साथ 76.85 करोड़ रु. की आकालित की गई थी।

चालू परियोजनाओं के भारी थ्रो–फारवर्ड तथा संसाधनों की

अत्यधिक तंगी के कारण, उक्त प्रस्ताव को इस समय शुरू किया जाना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

रेलगाड़ियों में पर्यावरण अनुकूल शौचालय व्यवस्था

4153. योगी आदित्यनाथ :
श्रीमती किरण माहेश्वरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रेलगाड़ियों में पर्यावरण अनुकूल शौचालय व्यवस्था शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) सभी रेलगाड़ियों में पर्यावरण अनुकूल शौचालय व्यवस्था कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) जी. हां। भारतीय रेल के सवारी डिब्बों में पर्यावरण अनुकूल शौचालय व्यवस्था (ग्रीन टॉयलट) शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। बजट में 30 करोड़ रुपए की लागत पर 300 सवारी डिब्बों में ग्रीन टॉयलट लगाने का प्रस्ताव किया गया है। ऐसे शौचालयों के सफलतापूर्वक फील्ड परीक्षणों के बाद यह व्यवस्था वर्ष 2012 तक सभी सवारी डिब्बों में किए जाने का प्रस्ताव है।

राज्यों में टी.वी. ट्रांसमीटर

4154. श्री रामदास आठवले : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उच्च-क्षमता, कम क्षमता और अत्यधिक कम क्षमता/उच्च क्षमता के टी.वी. ट्रांसमीटरों की क्षमता-वार, स्थान-वार और राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से गत तीन वर्षों के दौरान उनके राज्यों में वी.एल.पी.टी/एम.पी.टी/एच.पी.टी. एस. की स्थापना करने और उन्हें बदलने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि देश में इस समय भिन्न-भिन्न क्षमता वाले 1401 ट्रांसमीटर (उ.श. ट्रां0-195, अ.श.ट्रां-828, अ.अ.श.ट्रां-359 और ट्रांसपोजर-19) कार्यशील हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों सहित विभिन्न मंचों से नए ट्रासंमीटरों को स्थापित करने के साथ-साथ मौजूदा ट्रांसमीटरों का उन्नयन करने हेतु अनुरोध समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं और इन पर टी.वी. विस्तार की योजनाएं बनाते समय विचार किया जाता है।

अब तक कवर न किए गए क्षेत्रों को कवरेज उपलब्ध करवाने के लिए दूरदर्शन की फ्री-टू-एयर सेवा (डी.डी डायरेक्ट +) शुरू कर दी गई है। डी.डी.एच के समूह में 33 टी.वी. और 12 रेडियो (आकाशवाणी) चैनल शामिल हैं। एक लघु आकार की डिश अभिग्रहण प्रणाली की सहायता से देश में कहीं भी (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर) डी.टी.एच. सिगनल प्राप्त करना संभव है।

विवरण

दूरदर्शन ट्रांसमीटर (19.04.2005 की स्थिति के अनुसार)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र		
आन्ध्र प्रदेश	उ.श.ट्रां (13)	अनंतपुर, हैदराबाद, कुरनूल, नांदयाल, राजमंदुरी, तिरुपति, विजयवाडा, विशाखापट्टनम, वारंगल, हैदराबाद (डीडी न्यूज) विजयवाडा (डीडी न्यूज), विशाखापट्टनम (डीडी न्यूज) राजमंदुरी (डीडी न्यूज)
	अ.श.ट्रा. (80)	आचम्पेट, अदिलाबाद, अदोनी, अलांगड्डा, अमलापुरम, बांसवाडा, बेलमपल्ली, भद्राचलम, भेंसा, भीमाडोलू, भीमावरम, बोबिली, चित्तूर, कडप्पा, दारसी, देवरकोंडा, इमिगानुर, गड़वाल, गिड्डालूर, गुंटकल, हिन्दूपुर, जदचेरला, जगितयाल, कादिरी, काकीनाड़ा, कामरेड्डी,

		कंडुकूर, करीमनगर, कावाली, खम्मम, कोस्गी, कोठागुडम, कुप्पम, एल.आर पल्ली, मचेरला, मछलीपट्टनम, मदनापल्ली, मदुगुला, मंडास्सा, मरकापुर, मेडक, महबूबनगर, मिरियालगुडा, नगर कुरनूल, नालगोंडा, नारायण पेट, नेल्लूर, निर्मल, निजामाबाद, ओंगोल, पेडापल्ली, प्रोड्डुटूर, पुलामनेर, राजमपेट, रामगुंडम, सिद्दीपेट, सिरीसिल्ला, सिरपुर, श्रीकाकुलम, तालकोंडापल्ली, ताम्बलापल्ली, तंडूर, तेक्काली, तिरुपति, तुनी, उदयगिरि, वेलडांडा, वेमलडाडा, विनुकोंडा, विशाखापट्नम, वनपार्थी, येल्लांडु, जाहिराबाद, आत्माकुर (डीडी न्यूज), काकीनाडा (डीडी न्यूज), मधीरा (डीडी न्यूज), नरसारावपेट (डीडी न्यूज), नेल्लूर (डीडी न्यूज), पेडनंदीपाडु (डीडी न्यूज), विशाखापटटनम (डीडी न्यूज)
	अ.अ.श.ट्रां. (10)	चिंतापल्ली, दत्तालूर, इच्छापुरम, काणिगिरि, माडिपाडु, मारिपाडु, पडेरू, पार्वतीपुरम, सीतामपेट्टा, श्री सेलम
	ट्रांसपोजर (1)	विजयवाडा
अरुणाचल प्रदेश	उ.श.ट्रां (2)	ईटानगर, ईटानगर (डीडी न्यूज)
	अ.श.ट्रां (3)	मियाओ, पासीघाट, तेजु
	अ.अ.श.ट्रां. (43)	अलांग, अनीनी, बडीरीजो, बसर, बोलेंग, बोमडिला, चंग्लांग, च्यांगतोजो, दपोरिजो, दारक, देवमाली, दिरांग, इटालिन, गेकु, गैंसी, हवाई, हायुरलियांग, हुंली, इकयांग, कलाकतांग, केयिंग, खिमयांग, खोंसा, लिरोमोबा, मरियांग, मेचुका, मुक्तो, नाम्पोंग, नामसाई, पालीन, रागा, रोइंग, रूपा, सागली, संग्राम, सेईजोसा, सेप्पा, तलिहा, तवांग, तिरबोन, टुटिंग, योमचा, जीरो
	ट्रांसपोजर (1)	सांखी व्यू
असम	उ.श.ट्रां. (5)	डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, सिलचर, गुवाहाटी (डीडी न्यूज), सिलचर (डीडी न्यूज)
	अ.श.ट्रां. (21)	बोकाखाट, बोंगाईगांव, धुबरी, दीफू, गोलपाडा, गोहपुर, गोलाघाट, हेफ्लांग,. हटसिंहीमारी, होजई, जोरहट, कोकराझार, लमडिंग, मारघेरिटा, नोगांव, नजीरा, नार्थ लखीमपुर, सोनारी, तेजपुर, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ (डीडी न्यूज)
	अ.अ.श.ट्रां. (1)	डिग्बोई
	ट्रांसपोजर (1)	गुवाहाटी
बिहार	उ.श.ट्रां. (5)	कटिहार, मुज्जफरपुर, पटना, पटना (डीडी न्यूज) मुज्जफरपुर (डीडी न्यूज)
	अ.श.ट्रां. (35)	औरंगाबाद, बांका, बेगुसराय, बेतिया, भाभुवा, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, दाऊदनगर, फोरबेसगंज, गया, गोपालगंज, जामुई, खगरिया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, नवादा, फूलपारस, रामनगर, रक्सोल, रोसेरा, सहरसा, सासाराम, शेखपुरा,

		सिकंदरा, सिमड़ी बख्तियारपुर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपोल, दरभंगा (डीडी न्यूज), गया (डीडी न्यूज)
	अ.अ.श.ट्रा. (2)	मरहौड़ा, मसरख
छत्तीसगढ़	उ.श.ट्रां. (4)	अम्बिकापुर, जगदलपुर, रायपुर, रायपुर (डीडी न्यूज)
	अ.श.ट्रां. (16)	बेलडिला, बिलासपुर, चम्पा, डूंगरगढ़, कांकेर, खारोद, कोंटा, कोरबा, कुरसिया, मनिंदरगढ़, नारायणपुर, पांडरिया, पेंडरा रोड, रायगढ़, राजहाड़ा झांरडिल्ली, सक्ति
	अ.अ.श.टां. (7)	बीजापुर, जसपुर नगर, कोंडागांव, कोयलीबेडा, पंखजोर, पथालगांव, सारंगगढ़
गोवा	उ.श.ट्रां. (2)	पणजी, पणजी (डीडी न्यूज)
गुजरात	उ.श.ट्रां. (8)	अहमदाबाद, भुज, द्वारका, राजकोट, सूरत, अहमदाबाद, (डीडी न्यूज), राजकोट (डीडी न्यूज) (इंट), सूरत (डीडी न्यूज) (इंट)
	अ.श.ट्रां. (59)	आहवा, अम्बाजी, आमोद, अमरेली, बांतवा, भाबर, भरूच, भावनगर, बोटाड, छोटा उदयपुर, डेडियापाडा, दीसा, देवगढ़, बेरिया, धांधुका, धारंगाधरा, धारी, धर्मपुर, धोराजी, दोहाद, गोधरा, इदेर, जामजोधपुर, जामनगर, झगडिया, जूनागढ़, केवड़िया कालोनी, खम्बत, खामभालिया, लिम्बडी, लुनाडा, महुवा, मांगरोल (जूनागढ़), मांगरोल (सूरत), मेहसाणा, मोदासा, मोरवी, पालनपुर, पलीताना, पाटन, पोरबंदर, पुनधरो, राधनपुर, राजपिपला, राजुला, रापड़, सांजेली, शामलाजी, सोनगढ़, सुरेन्द्र नगर, थराड़, उमरगांव, ऊना, वडोदरा, वलसाड़, वेरावल, भावनगर (डीडी न्यूज), गांधीनगर (डीडी न्यूज), जामनगर (डीडी न्यूज), वडोदरा (डीडी न्यूज)
	अ.अ.श.ट्रां. (3)	काकरापा, नेतरंग, सांगवाडा
हरियाणा	अ.श.ट्रां. (20)	भिवानी, चरखी दादरी, फिरोजपुर, झिरका, हिसार, जींद, महेन्द्रगढ़, महम, नारनौल, रिवाड़ी, रोहतक, सिरसा, टोहाना, अम्बाला (डीडी न्यूज), भिवानी (डीडी न्यूज), हिसार (डीडी न्यूज), करनाल (डीडी न्यूज), कुरुक्षेत्र (डीडी न्यूज), मंडी डबवाली (डीडी न्यूज), नारनौल (डीडी न्यूज), यमुना नगर (डीडी न्यूज)
हिमाचल प्रदेश	उ.श.ट्रां. (4)	कसौली, शिमला, शिमला (डीडी न्यूज), कसौली (डीडी न्यूज)
	अ.श.ट्रां. (9)	बिलासपुर, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, मंडी, रामपुर, सुजानपुर, सुंदरनगर, मंडी (डीडी न्यूज)
	अ.अ.श.ट्रां. (39)	आझुफोर्ट, आशापुरी, आवाहदेवी, बैजनाथ, बांदला, बंजार, भारती, भरमौर, बिजली महादेव, चम्बा, चौपाल, चौरीखास, चिरगांव, डलहौजी, दियार, हमीरपुर, होली, जहालमा, झाटिनगरी (फूलाधर), जोगिन्द्र नगर, काजा, काल्पा, कारसेगा, खारापत्थर, कोटखाई, नेहरी, निचार, पालमपुर, परवानू, पिरमायनू, रोहरू, सरकाघाट, शिवबदार, थानेदार, तीसा, उदयपुर, ऊना, वीर
	ट्रांसपोजर (2)	राजगढ़, सोलन

झारखण्ड	उ.श.ट्रां. (5)	डाल्टनगंज, जमशेदपुर, रांची, जमशेदपुर (डीडी न्यूज), रांची (डीडी न्यूज)
	अ.श.ट्रां. (19)	बरहरवा, बोकारो, चाईबासा, चाता, देवघर, धनबाद, दुमका, घाटशिला, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, लोहारदगा, मुशाबनी, नोआमुंडी, सरायकेला, बोकारो (डीडी न्यूज), धनबाद (डीडी न्यूज)
	अ.अ.श.ट्रां. (3)	सिमडेगा, रामगढ़ हिल, गढ़वा (डीडी न्यूज)
जम्मू-कश्मीर	उ.श.ट्रां. (19)	गुरेज, जम्मू, कठुआ, कुपवाडा (इंट), लेह, नौशेरा, पुंछ, सांभा (इंट), श्रीनगर, टिथवाल, गुरेज (डीडी न्यूज), जम्मू (डीडी न्यूज), कुपवाड़ा (डीडी न्यूज) (इंट), नौशेरा (डीडी न्यूज), पुंछ (डीडी न्यूज), सांभा (डीडी न्यूज) (इंट), श्रीनगर (डीडी न्यूज), टिथवाल (डीडी न्यूज), श्रीनगर (कशीर चैनल)
	अ.श.ट्रां. (20)	दरहल, धर्मशाला, कारगिल, पटनी टाप, पुंछ, राजौरी, रियासी, उधमपुर, अनंतनाग, बांदीपुरा, चोकीबाल, कुलगाम, पाटन, काजीगुंड, सोनारवाणी, उरी, वुसन, बारामुला (डीडी न्यूज), कठुआ (डीडी न्यूज), लेह (डीडी न्यूज)
	अ.अ.श.ट्रां. (91)	अबरान, अर्धकुवांरी, अरनास, बानी, बनिहाल, बास्गो, बसोली, बटालिक, बटोट, भदर्वा, बिलावर, बोध, खुरबू, बुडहाल, चकरोई, चाननी, चुमाथांग, चुसुल, दाह, दसकित, धार, डोडा, डोमधुक, डूंगी, ग्राती, द्रास, फातुला, गुजरों, नगरोटा, हांले, हीरानगर, ईघर, जज्झर कोटली, कालाकोट, केरी, खलसी, खतलाई, किश्तवाड़, कोटरंका, कुद, लाती, लोरान, महोर, मंडी मंजाकोट, मंसूर, मेंढर, मुलबेख, नगरोटा, नीमू, न्येमा, पदम, पनामिक, पणिकर, पोनी, रामबन, रामकोट, रामनगर, रिंगडोम, गोम्पा, साकती, सनासर, सांकू, सियाचिन, (बेस कैंप), सुध महादेव, सुंदरबनी, तंगमार्ग, तंग्त्से, तातापानी, थानामंडी, ठाठरी, टिलेल, तिमसोगाम, तुरतुक, उरी, जंगला, कारगिल (डीडी न्यूज), अस्मुकाम, बारामुला, बोमियार, गुलमर्ग (चीमापोस्ट), कंगन, खरु, लालाब वेल्ली, माछिल, मणिगम, मोहरी, नोगांव, पहलगांव, पुलवामा, शोपियान, सोनमर्ग, तराल, त्रिगाम, युसमर्ग।
	ट्रांसपोजर (1)	सुरनकोट
कर्नाटक	उ.श.ट्रां. (12)	बेंगलूर, धारवाड़, गुलबर्गा, हासन, मेंगलूर, मैसूर, रायचूर, शिमोगा, बेंगलूर (डीडी न्यूज), धारवाड़ (डीडी न्यूज), गुलबर्गा (डीडी न्यूज), मैसूर (डीडी न्यूज)
	अ.श.ट्रां. (47)	अरसीकेरे, अघानी, बगलकोट, बंतवाल, बसावा कल्याण, बेलगाम, बेल्लारी, बेलथांगडी, भटकल, बीदर, बीजापुर, चिकमगलूर, चिकोडी, चित्रदुर्ग, डंडेली, दावणगेरे गडग, बेतगारी, गंगावटी, गोकक, हरदनहल्ली, हतीहाल, हिरीयुर, होल नरसीपुर, होसदुर्ग, होसपेट, हुनगोंड, इंडी, करवर, कोलार गोल्ड फील्ड, कोप्पा, कुमता, मेडीकेरी, मुदीगेरे, मुंडारगी, पावगड़ा, पुट्टूर, रामदुर्ग, रानीबेन्नूर, सागर, संदूर, सिरसी,

		तालीकोटा, तिपटूर, टुमकुर, उडिपी, बेल्लारी (डीडी न्यूज), दावणगेरे (डीडी न्यूज)
	अ.अ.श.ट्रां. (7)	बडामी, हुबिन हिपारगी, कुडलिगी, मधुगिरी, सकलेश्पुर, श्रृंगेरी, सुलया
केरल	उ.श.ट्रां. (7)	कालीकट, कन्नानूर (इंट), कोचीन, त्रिवेन्द्रम, कालीकट (डीडी न्यूज), कोच्ची (डीडी न्यूज), त्रिवेन्द्रम (डीडी न्यूज)
	अ.श.ट्रां. (22)	अदूर, अट्टापइडी, चंगनाचेरी, चेंगनूर, इडुकी, कलपेट्टा, कान्हनगढ़, कासरगोड़, कायमकुलम, कोट्टरकारा, मालापुरम, मंजेरी, पाला, पालघाट, पत्तनमतिट्टा, पुन्नालूर, शोरनूर, तेल्लीचेरी, तोडुपुझा, त्रिचूर, कन्नानूर (डीडी न्यूज), त्रिशूर (डीडी न्यूज)
	अ.अ.श.ट्रां. (4)	देवीकोलम, इस्तुपेट्टा, कांजीरापल्ली, मुण्डाकायम
मध्य प्रदेश	उ.श.ट्रां. (10)	भोपाल, गुना, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, शहडोल, भोपाल (डीडी न्यूज), ग्वालियर (डीडी न्यूज), इंदौर (डीडी न्यूज), जबलपुर (डीडी न्यूज)
	अ.श.ट्रां. (63)	अगर, अलिराजपुर, अशोकनगर, बडा, मलहेरा, बडवानी, बालाघाट, बरेली, बेतुल, भंडेर भानपुरा, भिंड, बिजयपुर, बुरहानपुर, चंदेरी, छत्तरपुर, छिंदवाडा, दमोह, दतिया, गदरवाडा, गरोट, इरदा, इटारसी, जाओरा, झाबुआ, करैरा, केलारस, खांडवा, खरगोन, खुरई, कुकदेश्वर, कुक्षी, कुरवाई, लहर, लखनादोन, मैहर, मलंजखंड, मांडला, मंदसौर, मुलताई, मुखरा, नागदा, नरसिंहपुर, नीमच, पंचमढ़ी, पन्ना, पिपरिया, राधोगढ़, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, शिवनी, शाजापुर, शिवपुर, शिवपुरी, सोधी, सिंधवा, सिंगरौली, शिरोंज, सीतामऊ, टीकमगढ़, उज्जैन
	अ.अ.श.ट्रां. (5)	अलोट, बुधनी, डायमंड माइनिंग परियोजना, पारसिया, सिंगरौली
महाराष्ट्र	उ.श.ट्रां. (14)	अम्बाजोगई, औरंगाबाद, चंद्रपुर, जलगांव (इंट), मुंबई, नागपुर, पुणे, रत्नागिरि, अंबाजोगई (डीडी न्यूज), (इंट), औरंगाबाद (डीडी न्यूज), मुंबई (डीडी न्यूज), नागपरु (डीडी न्यूज), पुणे (डीडी न्यूज), मुंबई (डिजिटल)
	अ.श.ट्रां. (89)	अचलपुर, अकोट, अहेरी, अहमदनगर, अकलकोट, अकंलुज, अकोला, अमलनेर, अमरावती, अर्वी, बदलापुर, बारशी, भामरागढ़, भुसावल, बीड, ब्रह्मपुरी, बुल्ढाणा, चांदुर, चिरवली, चिपलुन, दरियापुर, देवरुख, धडगांव, धर्माबाद, धुले, दिगलुर, गढ़चिरोली, गोंडिया, हिंगनघाट, हिंगोली, इंचलकरांजी, जालना, कंकरौली, कराड़, करांजा खामगांव, खानापुर, खोपोली, किनवत, कोल्हापुर, माहाड़, मालेगांव, मंगलबेढ़ा, मनगांव, मनमाड, मेहकर, महासले, मोर्शी, नांदेड, नंदरबार, नासिक, नवापुर, उस्मानाबाद, पंढ़रकावड़ा, पंढरपुर, परभणी, पाटन (सतारा), फलटन, पुलगांव, पुसाद, राजापुर, रावेर, रिसोड, संगमानेर, सांगली, सतना, सतारा, शहड, शिर्डी, शिरपुर, सिरोंचा, शोलापुर, तुमसर, उमरखेड, उमरेगा, वानी, वर्धा, वाशिम, यवतमाल, अकोला (डीडी

		न्यूज), अमरावती (डीडी न्यूज), भंडारा (डीडी न्यूज), धुले (डीडी न्यूज), कोल्हापुर (डीडी न्यूज), मालेगांव (डीडी न्यूज), नांदेड (डीडी न्यूज), नासिक (डीडी न्यूज), सांगली (डीडी न्यूज), शोलापुर (डीडी न्यूज)
	अ.अ.श.ट्रां. (20)	अम्बेट, अर्जुनी, अष्टी, भोकर, चिकलधारा, चिमुर, जुन्नार, करंजा (वर्धा), करजत, खेड, कोरेगांव, करखेरा, मलकापुर, मलवान, पिम्पलनेर–सकरी, सकोली, सिंदेवाही, तिवसा, वसंतगढ़, वाई
	ट्रांसपोजर (1)	औरंगाबाद
मणिपुर	उ.श.ट्रां. (3)	इम्फाल, चुराचांदपुर, इम्फाल (डीडी न्यूज)
	अ.श.ट्रां. (1)	ऊखरुल
	अ.अ.श.ट्रां. (4)	चन्देल, कंगपोकपी, मोरे, सेनापति
मेघालय	उ.श.ट्रां. (4)	शिलांग, तुरा, शिलांग (डीडी न्यूज), तुरा (डीडी न्यूज),
	अ.श.ट्रां. (3)	जोवई, चेरापूंजी, विलियमनगर
	अ.अ.श.ट्रां. (2)	बाघमारा, नौंगस्टाइन
	ट्रांसपोजर (1)	शिलांग
मिजोरम	उ.श.ट्रां. (3)	आइजोल, लुंगलेई, आइजोल (डीडी न्यूज)
	अ.श.ट्रां. (2)	लोगत्लाई, लुंगलेई (डीडी न्यूज)
	अ.अ.श.ट्रां. (2)	चम्फाई, सैहा
	ट्रांसपोजर (1)	आइजोल
नागालैण्ड	उ.श.ट्रां. (3)	कोहिमा, मोकोकचुंग, कोहिमा (डीडी न्यूज)
	अ.श.ट्रां. (3)	दीमापुर, तुएंनसांग, मोकोकचुंग (डीडी न्यूज)
	अ.अ.श.ट्रां. (6)	मोन, फेक, सताखा, शामतोर, वोखा, जुन्हेबोटो
	ट्रांसपोजर (2)	कोहिमा, बड़ा बस्ती
उड़ीसा	उ.श.ट्रां. (7)	बालेश्वर, बेरहामपुर, भवानीपटना, कटक, संबलपुर, कटक (डीडी न्यूज), संबलपुर (डीडी न्यूज)
	अ.श.ट्रां. (68)	आनंदपुर, अंगुल, अथामलिक, बालंगीर, वालीगुढ़ा, बानापुर, बारगढ़, बारीपडा, भद्रक, भांजनगर, भुवन, बीरमित्रपुर, बोनाई, बोध, ब्रजराजनगर, चिकिति, दशरथपुर, देवगढ़, धेंकानल, दुर्गापुर जी उदयगिरी, गोंडिया, जेपोर, जोड़ा, कबिसूर्यनगर, कामाख्या नगर, करंजिया, क्योंझारगढ़, खांडपाढ़ा, खरियार, कोरापुट, कोटपाड, कुचिंदा, लुथेरंपक, मलकानगिरि मोहना, नरसिंहपुर, नवरंगपुर, नवापाढा, पदमपुर, पदमपुरम, पडुआ, पल्लीहारा, पारादीप, परलाखेमुंडी, पाटनगढ़, फूलबनी, पुरी, रायरंगपुर, राजराणापुर, राजगंगपुर, रायेगड़ा, रेढ़ाखोल, राऊरकेला, सिमलीगुड़ा, सोहेला, सोनपुर, सुन्दरगढ़, उमरकोट, बालेश्वर (डीडी न्यूज),

		बलियापाल (डीडी न्यूज), भुवनेश्वर (डीडी न्यूज), धेंकानल (डीडी न्यूज), डुदरकोट (हिंडोल) (डीडी न्यूज), केन्द्रपारा (डीडी न्यूज), तिरटोल (डीडी न्यूज)
	अ.अ.श.ट्रां. (18)	आउल, बड़ा बारबिल, जयापटना, कोकसारा, धुआमल, रामपुर, चित्रकोंडा, कलामपुर, काशीपुर, लांजीगढ़, मछकुंड, नागची, नयागढ़, पैकमल, सिमलिपालगढ़, सुबडेगा, सुकिन्दा, राऊरकेला (डीडी न्यूज), ललितगिरी (डीडी न्यूज)
	ट्रांसपोजर (1)	सुनबेदा
पंजाब	उ.श.ट्रां. (6)	अमृतसर, भटिंडा, फाजिल्का (इंट), जालंधर, अमृतसर (डीडी न्यूज) (इंट), जालंधर (डीडी न्यूज)
	अ.श.ट्रां. (5)	अबोहर, फिरोजपुर, गुरदासपुर, पठानकोट, पटियाला
	ट्रांसपोजर (1)	तलवाड़ा
राजस्थान	उ.श.ट्रां. (10)	अजमेर, बाड़मेर (इंट), बूंदी, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर (डीडी न्यूज), बूंदी (डीडी न्यूज), जयपुर (डीडी न्यूज), जोधपुर (डीडी न्यूज)
	अ.श.ट्रां. (70)	अलवर, अनूपगढ़, बाली, बांसवाड़ा, बारन, बड़ी सदरी, बाड़मेर, बसावा, भादरा, भरतपुर, भीलवाड़ा, भीनमाल, बीकानेर, चिड़ावा, चित्तौड़गढ़, चुरू, डीग, डूंगरपुर, गंगानगर, गंगापुर, हनुमानगढ़, हिंडोन, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, करनपुर, करौली, केसरियाजी, खेतड़ी, किशनगढ़, वास, कोटपुतली, कुशालगढ़, मकराना, माऊंट आबू, नगर, नागौर, नाथद्वारा, नवलगढ़, नीमज, नोहर, नोखा, पाली, फलोदी, पिलानो, पिरावा, प्रतापगढ़, रायसिंह नगर, राजगढ़, रतनगढ़, रावतसर, सागवाड़ा, सालुमबेर, सरदारशहर, सवाई माधोपुर, शाहपुरा, सीकर, सिरोही, सोजात, श्रीडूंगरगढ़, सुजानगढ़, सूरतगढ़, तारानगर, टोंक, उदयपुर, बल्लभगढ़, अलवर (डीडी न्यूज), बांसी (डीडी न्यूज), बीकानेर (डीडी न्यूज), उदयपुर (डीडी न्यूज)
	अ.अ.श.ट्रां. (17)	अमेट, आंधी, भीम, चौमहला, देवगढ़, फतेहपुर, कोटरा, गंगापुर, कुंभलगढ़, लक्ष्मणगढ़, मंडलगढ़, नीम का थाना, राजगढ़, रावतभाटा, सिरकई, विराटनगर
	ट्रांसपोजर (2)	जमुआ, रामगढ़, लालसोत
सिक्किम	उ.श.ट्रां. (2)	गंगटोक, गंगटोक (डीडी न्यूज)
	अ.अ.श.ट्रां. (6)	ग्यालशिंग, मांगन, नामची, रंगपो, सिंगटाम, जोरथांग
तमिलनाडु	उ.श.ट्रां. (8)	चेन्नै, कोडैकनाल, कुंभकोणम (इंट), रामेश्वरम, चेन्नै (डीडी न्यूज), कोडैकनाल (डीडी न्यूज), चेन्नै (पोडिगई चैनल) चेन्नै (डिजिटल)
	अ.श.ट्रां. (56)	अरनी, अम्बासमुद्रम, अम्बर, आरकोट, अत्तूर, चेय्यर, चिदम्बरम, कोयम्बतूर, कुन्नूर, कोर्टलाम, कड्डालौर, धेनकानिकोट्टा, धर्मपुरी,

		इरोड, गुडियाय्म, कलाकुरुचि, कृष्णागिरी, मारतंडम, मयूरम, नागापट्टिनम, नागरकोइल, नाटम, नेवेली, पलानी, पुट्टुकोट्टै, पेरनामपट, पोलाची, पुदुकाट्टै, राजपालयम् सेलम, शंकरन, कोविल, तंजापुर, तिरुवयारू, तिंडिवनम, तिरुचिरापल्ली, तिरुचेंदूर, तिरुनेलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनामलै, तूतिकोरिन, उदगमंडलम, उदुमलपेट, वंदावासी, वनियमबाड़ी, वेल्लौर, विल्लुपुरम, कोयम्बटूर (डीडी न्यूज), इरोड (डीडी न्यूज), मदुरै (डीडी न्यूज), सेलम (डीडी न्यूज), तिरुचिरापल्ली (डीडी न्यूज), तिरुनलेवल्ली (डीडी न्यूज), तिरुपट्टूर (डीडी न्यूज), तूतिकोरिन (डीडी न्यूज), वेल्लौर (डीडी न्यूज)
	अ.अ.श.ट्रां. (7)	जिंजि, कांचीपुरम, मुट्टुपालयम, तिरुवनामल्लै, वलियुर, वालपरै, वाजापढ़ी
	ट्रांसपोजर (1)	डिंडिगुल
त्रिपुरा	उ.श.ट्रां. (2)	अगरतला, अगरतला (डीडी न्यूज)
	अ.श.ट्रां. (5)	कैलाशहर, अमरपुर, तैलियामुरा, जोलेइबारी, कैलाशहर (डीडी न्यूज)
	अ.अ.श.ट्रां. (1)	धर्मनगर
	ट्रांसपोजर (1)	बेलोनिया
उत्तर प्रदेश	उ.श.ट्रां. (18)	आगरा, इलाहाबाद, बांदा, बरेली, फैजाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखीमपुर, लखनऊ, मऊ, वाराणसी, आगरा (डीडी न्यूज), इलाहाबाद (डीडी न्यूज), बरेली (डीडी न्यूज), गोरखपुर (डीडी न्यूज), कानपुर (डीडी न्यूज), लखनऊ (डीडी न्यूज), वाराणसी (डीडी न्यूज)
	अ.श.ट्रां. (63)	अकबरपुर, अलीगढ़, अमरोहा, अथडमा, औरेया, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बस्ती, बिधुना, छिबरामऊ, देवरिया, दुधीनगर, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गंज, ढुंडवारा, गौरीगंज, गोंडा, हरदोई, जगदीशपुर, झांसी, कर्वी, कासगंज, कोसी, लालगंज (रायबरेली), ललितपुर महोबा, महरोनी, मैनपुरी, मऊ, रानीपुर, मुरादाबाद, मुहम्मदाबाद, ननपाडा, नरौरा, नौगढ़, ओबरा, ओराई, पीलीभीत, पूरनपुर, रायबरेली, रामपुर, रथ, रूदौली, संभल, शाहजहांपुर, सिकन्दरपुर, सीतापुर, सल्तानपुर, तालबेहात, तिरवा, अलीगढ़ (डीडी न्यूज), आजमगढ़ (डीडी न्यूज), झांसी (डीडी न्यूज), लालगंज (प्रतापगढ़) (समाचार चैनल) मथुरा (डीडी न्यूज), मऊ (डीडी न्यूज), मुरादाबाद (डीडी न्यूज), रामपुर (डीडी न्यूज), रासरा (डीडी न्यूज), शाहजहांपुर (डीडी न्यूज), सुल्तानपुर (डीडी न्यूज)
	अ.अ.श.ट्रां. (4)	खूबिया नांगल, मणिकपुर, मनकापुर, ठाकुरद्वारा (डीडी न्यूज)
उत्तरांचल	उ.श.ट्रां. (2)	मसूरी, मसूरी (डीडी न्यूज)
	अ.श.ट्रां. (16)	बछेर, चम्पावत, डाक पत्थर, हल्द्वानी, हरिद्वार, कालागढ़, काशीपुर, खेतीखान, कोटद्वार, मैनी डांडा, नैनीताल, नई टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़, टनकपुर, खेतीखाम (डीडी न्यूज)

	अ.अ.श.ट्रां. (33)	अल्मोड़ा, अरौली, बद्रीनाथ, बागेश्वर, बसोत, भटियारी, चौखटिया, देवप्रयाग, देवाल, धारचूला, डीडीहाट, दुगड्डा, फाता, गज्जा, धंडयाल, गोपेश्वर, जोशीमठ, कलजीखल, कर्णप्रयाग, कसौनी, मानेश्वर, मनीला, मनसियारी, नंदप्रयाग, नौगांवखल, ऊखीमठ, पोखरी, प्रतापनगर, राजगढ़ी, रानीखेत, रुद्रप्रयाग, साहिया, थराली, उत्तरकाशी
	ट्रांसपोजर (2)	मसूरी, श्रीनगर
पश्चिम बंगाल	उ.श.ट्रां. (13)	आसनसोल, बलूरघाट (इंट), खडगपुर (इंट) कोलकाता, कृष्णानगर, कुर्सियांग, मुर्शिदाबाद, शांतिनिकेतन, आसनसोल (डीडी न्यूज), कोलकाता (डीडी न्यूज), मुर्शिदाबाद (डीडी न्यूज), कोलकाता (डिजिटल), कोलकाता (बंगला चैनल)
	अ.श.ट्रां. (21)	अलीपुर, द्वार, बाघमंडी, बलरामपुर, बर्धमान, विष्णुपुर, कोंतई, दार्जिलिंग, फरक्का, गढ़बेटा, झाल्दा, झाडग्राम, कालिंपोंग, कालना, खड़गपुर, कूचबिहार, माल्दा, मेदिनीपुर, पुरुलिया, रानीघाट, रायना, बसंती (डीडी न्यूज), शांतिनिकेतन (डीडी न्यूज)
	अ.अ.श.ट्रां. (1)	इगरा
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	उ.श.ट्रां. (3)	कार निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर (डीडी न्यूज)
	अ.अ.श.ट्रां. (12)	बारातांग, कैम्पबेल बे, डिग्लीपुर, ग्रेट निकोबार, हैवलॉक, हटबे, कालीघाट, काचल, मायाबंदर, नानकॉवरी, रंगत, स्वराजग्राम
चंडीगढ़	अ.श.ट्रां. (1)	चंडीगढ़
दादरा और नागर हवेली	अ.श.ट्रां. (1)	सिलवासा
दमन और दीव	अ.श.ट्रां. (2)	दमन, दीव
दिल्ली	उ.श.ट्रां. (2)	दिल्ली, दिल्ली (डीडी न्यूज), दिल्ली (डिजिटल)
	अ.श.ट्रां. (2)	दिल्ली (लोक सभा), दिल्ली (राज्य सभा)
लक्षद्वीप	अ.श.ट्रां. (1)	कावारत्ती
	अ.अ.श.ट्रां. (9)	अगात्ती, अमीनी, अंडरोट, चेतलत, कदमत, कालपेनी, किलटोन, मिनीकॉय, कावारत्ती (डीडी न्यूज)
पांडिचेरी	उ.श.ट्रां. (1)	पांडिचेरी (इंट)
	अ.श.ट्रां. (3)	कराईकल, पांडिचेरी, पांडिचेरी (डीडी न्यूज)
	अ.अ.श.ट्रां. (3)	माहे, यानम

एच.एम.टी. की इकाइयों का पुनरुद्धार

4155. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज) : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में विशेषकर जम्मू-कश्मीर और उत्तरांचल में एच.एम.टी. इकाइयों की उत्पादन क्षमता और वित्तीय स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये इकाइयां वित्तीय कठिनाईयों का सामना कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनका पुनरूद्धार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) उत्पादन तथा लाभ/हानि दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) एच.एम.टी. लिमिटेड और इसकी सहायिकाओं के संबंध में वित्तीय सहायता सहित, यदि कोई हो तो, पुनरूद्धार प्रस्तावों को लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) को उनकी सिफारिशों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

(ङ) लागू नहीं।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान एच.एम.टी. की इकाइयों के उत्पादन और लाभ/हानि के ब्यौरें

एचएमटी वाचिज लिमिटेड *[रानीबाग (उत्तरांचल), बैंगलोर, टुमकुर स्थित इकाइयां]*

(रुपये करोड़ में)

	2002-03	2003-04	2004-05
उत्पादन	44.49	28.67	19.98
लाभ/हानि	-112.91	-134.81	-128.92

एचएमटी चिनार वाचिज लिमिटेड (जम्मू-कश्मीर)

(रुपये करोड़ में)

	2002-03	2003-04	2004-05
उत्पादन	2.72	1.97	0.21
लाभ/हानि	-6.31	-21.92	-25.72

एचएमटी लिमिटेड - धारक कंपनी ट्रैक्टर सहित

(रुपये करोड़ में)

	2002-03	2003-04	2004-05
उत्पादन	141.45	129.35	186.74
लाभ/हानि	-34.01	-7.19	6.21

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड

(रुपये करोड़ में)

	2002-03	2003-04	2004-05
उत्पादन	197.07	178.34	205.52
लाभ/हानि	-102.05	-119.08	-95.46

एचएमटी बियरिंग लिमिटेड

(रुपये करोड़ में)

	2002-03	2003-04	2004-05
उत्पादन	18.41	23.60	24.40
लाभ/हानि	-15.03	-9.58	-9.79

एचएमटी (इन्टरनेशनल) लिमिटेड - केवल व्यापार संगठन

(रुपये करोड़ में)

	2002-03	2003-04	2004-05
बिक्री	37.98	29.94	27.79
लाभ/हानि	0.34	0.13	0.03

प्रागा टूल्स लिमिटेड

(रुपये करोड़ में)

	2002-03	2003-04	2004-05
उत्पादन	6.29	8.12	10.53
लाभ/हानि	-21.13	-10.79	-7.04

[अनुवाद]

टॉय ट्रेन को नियमित रूप से चलाना

4156. श्री सुनील खां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे दार्जिलिंग में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां 'नेशनल हैरिटेज टॉय ट्रेन' चला रही है;

(ख) क्या उक्त टॉय ट्रेन कभी-कभार कोयले की कमी के कारण नहीं चलाई जाती है;

(ग) यदि हां, तो रेलवे द्वारा टॉय ट्रेन को नियमित रूप से चलाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शिलांग में टॉय ट्रेन शुरू करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारी वर्षा के कारण इस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, आसनसोल से कोयला की आपूर्ति में विलंब होने के कारण केवल एक मर्तबा सितबंर, 2004 में दार्जिलिंग और घूम के बीच जॉयराइड गाड़ी का परिचालन प्रभावित हुआ था। कोयला के भंडार और उसकी आपूर्ति पर नियमित तौर पर निगरानी रखी जाती है ताकि गाड़ी का परिचालन प्रभावित न हो।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अम्बेडकर और मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठानों की गतिविधियां

4157. डा. सत्यनारायण जाटिया : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2003-04 के दौरान डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान और मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा शुरू किए गए योजनाओं और कार्यकलापों पर व्यय की गई धनराशि का योजनावार अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : 2003-04 के दौरान डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा शुरू की गई योजनाओं व कार्यकलापों पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है :

योजनाएं और कार्यकलाप	व्यय की गई राशि (लाख रुपए)
1	2
डा. अम्बेडकर पीठ	51.22
डा. अम्बेडकर छात्रवृत्ति	30.06
डा. अम्बेडकर स्मारक	253.06
डा. अम्बेडकर भवन	34.30
अनुसूचित जातियों को चिकित्सा अनुदान	0.70
टेली सीरियल	8.84
बाबा साहेब अम्बेडकर जन्म वर्षगांठ और पुण्य तिथि	11.92
सन्तों की जन्म वर्षगांठ	0.55
सीडब्ल्यूबीए	14.15
पत्रिका प्रकाशन	6.04
प्रशासनिक व्यय	88.06
कुल	499.80

2003-04 के दौरान मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा शुरू किए गए कार्यकलापों और योजनाओं पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(i) प्रतिष्ठान ने स्कूल/कालेज/होस्टल भवनों के निर्माण/विस्तार, उपकरण/फर्नीचर की खरीद, तकनीकी शिक्षा संबंधी शैक्षिक योजनाओं तथा मौलाना आजाद सद्भावना केन्द्र योजना के अंतर्गत, 2003-04 के दौरान 46 गैर-सरकारी संगठनों/स्थानीय निकायों को 381.5 लाख रुपए का सहायता अनुदान मंजूर किया है।

(ii) प्रतिष्ठान ने 2003-04 के दौरान अपनी मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत 21 राज्यों में अल्पसंख्यकों की 634 मेधावी छात्राओं को 63.40 लाख रुपए की छात्रवृत्ति मंजूर की है।

[अनुवाद]

कर्मचारियों को बकाया धनराशि का भुगतान

4158. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 58 वर्ष होने के परिणामस्वरूप 29 फरवरी, 2000 को इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारी बड़ी संख्या में सेवा निवृत्त हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में इंडियन एयरलाइंस के निदेशक मंडल द्वारा गठित समिति द्वारा दिए गए सुझावों को लागू कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बकाया धनराशि तथा पेंशन का भुगतान कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा किसी ऐसी समिति का गठन नहीं किया गया था।

(ग) जो कर्मचारी दिनांक 29.02.2003 को सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें बकाया धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। ऐसे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वार्षिक वृत्ति दी जा रही है जिन्होंने वार्षिक वृत्ति का भुगतान किए जाने के लिए विकल्प दिया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नागपुर में उपरिपुल

4159. श्री सुबोध मोहिते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय रेलवे प्राधिकारियों ने नागपुर सुधार न्यास को नागपुर में नरेन्द्र नगर पुल के नीचे दूसरे रास्ते हेतु स्वीकृति नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे इस स्थान पर रेलवे उपरिपुल के निर्माण पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी नहीं। नरेन्द्र नगर के समीप सड़क उपरि पुल का प्रस्ताव जिसे मई 1998 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निक्षेप शर्तों पर शुरू किया जाना था, को अनुरोध पर छोड़ दिया गया। बहरहाल, नरेन्द्र नगर के समीप रिंग रोड पर उपरि सड़क पुल के निर्माण के कार्य को नागपुर नगर निगम के अनुरोध पर निक्षेप शर्तों पर स्वीकृत कर दिया गया है। सामान्य नक्शों को अंतिम रूप दे दिया गया है। पार्टी द्वारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

तिरूचि-कराईकुडी मीटर गेज रेल लाइन को बनाए रखना

4160. श्री के. सी. पलनिसामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिरूचि (तमिलनाडु) में 'गोल्डनरॉक वर्कशाप' जिसने दक्षिण भारत में मीटर गेज रेल इंजन, सवारी तथा माल डिब्बों के अनुरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है उसे संपूर्ण मीटर गेज नेटवर्क से हटाए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या दक्षिण रेलवे ने रेलवे बोर्ड से तिरूचि-कराईकुडी सेक्शन जो गोल्डनरॉक वर्कशॉप के लिए एक मात्र मीटर गेज लाइन है, को लौटाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर रेलवे बोर्ड की प्रतिक्रिया क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) त्रिच्ची-कारैक्कुडी-मानामदुरै मीटर लाइन (मी. ला.) का बड़ी लाइन (ब.ला.) में आमान परिवर्तन कार्य शुरू हो गया है। आमान परिवर्तन के पश्चात् गोल्डन रॉक वर्कशाप का मीटर लाइन संपर्क मीटर लाइन नेटवर्क से नहीं रहेगा।

(ग) जी, हां। दक्षिण रेलवे ने त्रिच्ची-कारैक्कुडी खंड पर मीटर लाइन को बनाए रखने के संबंध में लिखा है।

(घ) त्रिच्ची से कारैक्कुडी खंड के आमान परिवर्तन का विनिश्चय किया गया है। मी.ला. इंजन और सवारी डिब्बे वर्कशॉप से लाने तक/लेजाने के लिए ब.ला. बी एफ आर में लोड किए जाएंगे।

टी-स्टॉल

4161. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य रेलवे/रेलवे बोर्ड ने मध्य रेलवे के सभी स्टेशनों पर एक ही आकार के टी-स्टॉल होने के बारे में एक नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त नीति में जिस मानक आकार के बारे में निर्णय लिया गया था उससे बड़े आकार के कितने टी-स्टॉल पाए गए;

(घ) बड़े आकार के कितने टी-स्टॉल को मानक आकार में बदला गया है;

(ङ) उपरिलिखित नीति के निर्णयानुसार कितने टी-स्टॉल मानक आकार से बड़े आकार के रह गए हैं; और

(च) शेष बड़े आकार वाले टी-स्टॉलों को मानक स्तर में

न बदलने के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन–कौन हैं और शेष टी–स्टॉलों को मानक आकार में कब तक बदले जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) नीति विषयक दिशा–निर्देशों के तहत, यात्रियों के निर्बाध आवागमन के लिए पुराने खान–पान स्टॉलों को मोड्यूलर स्टाइल के स्टॉलों में परिवर्तित करने का विनिश्चय किया गया है।

(ग) नीति विषयक दिशा–निर्देशों के तहत 46 चाय–पान स्टॉल मानक आकार से बड़े पाए गए थे।

(घ) चार बड़े आकार के चाय–पान स्टॉलों को मानक आकार में तब्दील कर दिया गया है।

(ङ) 42 चाय–पान स्टॉल अभी भी मानक आकार से बड़े हैं।

(च) नीति विषयक दिशा–निर्देशों के तहत सभी खान–पान/वेंडिंग ठेकेदारों से उनके स्टॉल को मानक मोड्यूलर स्टॉलों में तब्दील करने के लिए कहा गया है। नई खान–पान/वेंडिंग लाइसेंस करार तथा नए ठेकों को आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित की जाने वाली अधिसूचना के तहत गैर–मानक आकार के स्टॉल को मोड्यूलर स्टॉलों में तब्दील करने की शर्तों को शामिल किया गया है। अतः लाइसेंसों का नवीकरण नहीं किया जाएगा और भारतीय रेल खान–पान एवं पर्यटन निगम द्वारा आबंटित नए स्टॉलों को संचालित करने नहीं दिया जाएगा जब तक कि स्टॉल "मोड्यूलर स्टॉल नीति" के माफिक न हो।

नागपुर का कार्गो हब के रूप में विकास

4162. श्री मोहन रावले :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागपुर को एक वैश्विक कार्गो हब के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रमुख विमानपत्तनों पर हवाई कार्गो परिसर स्थापित करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। नागपुर का, ग्लोबल कार्गो हब के रूप में, विकास करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया है और उन्होंने इस संबंध में महाराष्ट्र एयरपोर्ट विकास कम्पनी (एम.ए.डी.सी.) नाम की कम्पनी बना ली है।

(ग) और (घ) मौजूदा कार्गो परिसरों के अतिरिक्त, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के जम्मू और इंदोर में एयर कार्गो परिसर बनाने के प्रस्ताव हैं तथा वह कस्टम की कस्टोडियनशिप की प्रतीक्षा कर रहा है।

[हिन्दी]

विमानों की मरम्मत

4163. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंडियन एयरलाइंस में कई कर्मचारी, जो मोटर वाहनों की मरम्मत करते थे, को पदोन्नत करके बिना कोई प्रशिक्षण दिए विमानों की मरम्मत करने के लिए तैनात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इंडियन एयरलाइंस द्वारा प्रशिक्षित कर्मचारियों से विमान की मरम्मत का काम करवाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) मोटर वाहनों की मरम्मत का कार्य एम टी मैकेनिकों द्वारा किया जाता है। विमानों की मरम्मत का कार्य करने के लिए किसी भी एम टी मैकेनिक को इंजीनियरी विभाग में पदोन्नत तथा तैनात नहीं किया गया है। तथापि, इंजीनियरी तथा स्थल सहायता विभाग के विभिन्न अनुभागों में कार्यरत कुछ हैल्परों, जिनमें मोटर ट्रांसपोर्ट अनुभाग में कार्यरत हैल्पर भी शामिल हैं, को ट्रेड टैस्ट तथा साक्षात्कार की चयन प्रक्रिया के पश्चात प्रशिक्षु तकनीशियनों के रूप में चुना गया था। ये प्रशिक्षु तकनीशियन एक वर्ष तक प्रशिक्षण (कक्षा तथा कार्यस्थल पर) प्राप्त करते हैं तथा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं कार्यस्थल पर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात इन्हें विमान तकनीशियन के रूप में नियुक्त किया जाता है। केवल विमान तकनीशियनों को ही विमान की मरम्मत कार्य के लिए तैनात किया जाता है।

शैक्षिक संस्थाओं को गिराना

4164. मो. मुकीम : क्या रेल मंत्री कल्याण रेलवे स्टेशन के भवन को गिराया जाना के बारे में 4 दिसंबर, 2003 के

अतारांकित प्रश्न संख्या 391 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998 में कल्याण में रेलवे द्वारा एक शैक्षिक संस्थान भवन को गिराए जाने के मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : सिविल कोर्ट, कल्याण के आदेशों के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई में रेलों द्वारा की गई अपील इस समय न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

कलपुर्जों का आयात

4165. श्री हितेन बर्मन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रेलवे कलपुर्जों, डिब्बों, इंजनों और अन्य संगत सामग्री के आयात पर कितनी राशि खर्च हुई;

(ख) अगले तीन वर्षों के दौरान उक्त मदों के आयात पर कुल कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त मदों का देश में निर्माण करने तथा इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

ग्वालियर-श्योपुर कलाम रेल लाइन का आमान परिवर्तन

4166. श्री अशोक अर्गल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्वालियर–श्योपुर–कलाम रेल लाइन के आमान परिवर्तन के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब तथा उक्त परियोजना पर कितनी राशि व्यय होने की संभावना है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) उक्त परियोजना पर काम कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) कोटा तक विस्तार सहित ग्वालियर–शिवपुर कलां के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण 1996–97 में पूरा कर लिया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की लागत 363.92 करोड़ रुपए आंकी गई थी। परियोजनाओं का थ्रोफारवर्ड होने, इस परियोजना का अलाभकारी प्रकृति का होने और संसाधनों की तंगी के कारण इस परियोजना को शुरू नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

रेल टाउन

4167. श्री नारायण चन्द बरकटकी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जिन कस्बों को 'रेल टाउन' का नाम दिया गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार एक रेल मंडल मुख्यालय के रूप में रांगिया के नीतिगत महत्व को देखते हुए उसे 'रेल टाउन' घोषित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक 'रेल टाउन' घोषित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) देश में रेल टाउन के नाम का कोई शहर नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एयर इंडिया के एजेंटों द्वारा टिकटों की बिक्री रोकना

4168. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में एयर इंडिया के एजेंटों ने राष्ट्रीय विमानों की टिकटों की बिक्री रोक दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति से निपटने तथा एयर इंडिया के एजेन्टों के ऐसे निर्णय से एयर इंडिया ग्राहकों को हुई असुविधा को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। ट्रैवल एजेन्ट्स ऐसोसिएशन ने 01 अप्रैल, 2005 से एअर इंडिया की टिकटों की बिक्री रोक दिए जाने का

आव्हान किया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वाहकों के साथ-साथ एअर इंडिया ने ट्रेवल एजेन्टों के कमीशन को घटाकर 7 से 5% करने का निर्णय लिया है। कमीशन को घटाने का निर्णय उस विश्वव्यापी चलन का परिणाम है, जिसके अन्तर्गत एजेंसी कमीशन के स्थान पर ट्रांजेक्शन फी की व्यवस्था रखी गई है। भारत से बाहर प्रचालन कर रही लगभग सभी अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों ने 01 मई, 2005 से कमीशन को घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है।

(ग) अनेक एजेन्ट लगातार एअर इंडिया की टिकटें जारी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, पूरे भारत में एअर इंडिया के कार्यालय, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एअर इंडिया से जो यात्री यात्रा कर रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार से कोई असुविधा न हो, प्रतिस्पर्धात्मक बाजार किराया आधार पर टिकटें जारी कर रहे हैं।

सेंसर बोर्ड

4169. श्री एम. अप्पादुरई : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेंसर बोर्ड के लिए किसी सदस्य को मनोनीत करने के क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या इस वर्ष के लिए सेंसर बोर्ड के सभी सदस्यों को मनोनीत किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन्हें कब तक मनोनीत किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (घ) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी बी एफ सी) के बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा-3 (1) के अनुसार की जाती है, जिसमें उल्लेख है कि "सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को स्वीकृति देने के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा एक बोर्ड का गठन कर सकती है जिसे फिल्म प्रमाणन का बोर्ड कहा जाएगा जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और कम से कम बारह तथा अधिक से अधिक पच्चीस सदस्य हो सकते हैं।" इस प्रकार बोर्ड में सदस्यों को नामित करने के लिए अधिनियम में कोई [illegible] निर्धारित नहीं किए गए हैं। वर्तमान केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में एक अध्यक्ष और 22 सदस्य हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण के अनुसार है।

विवरण

क्रम सं.	नाम	अधिसूचना की तारीख
अध्यक्ष		
1.	श्रीमती शर्मिला टैगोर	13.10.2004
सदस्य		
1.	श्रीमती मृणाल पांडे	05.02.2005
2.	श्री संजीव गोयनका	05.02.2005
3.	श्री एल. सुरेश	05.02.2005
4.	डा. मृणालिनी डी. पटेल	05.02.2005
5.	श्री टी.एस.एस. चौहान	05.02.2005
6.	श्री हिमांशु जोशी	05.02.2005
7.	श्री पी.एस. भक्तवत्सलम् उर्फ पोनीलान	05.02.2005
8.	श्री श्रवण श्रॉफ	05.02.2005
9.	श्री एम.वी. भास्कर राव	05.02.2005
10.	श्री वीरेन्द्र सक्सेना	05.02.2005
11.	श्री के.टी. माही	05.02.2005
12.	श्री संजीव भार्गव	05.02.2005
13.	श्री ए. नटराजन	05.02.2005
14.	श्री विनोद के. बक्शी	05.02.2005
15.	श्री कृष्ण मोहन	05.02.2005
16.	श्री अनीस दुर्रानी	05.02.2005
17.	श्रीमती बबीता शर्मा	05.02.2005
18.	डा. (श्रीमती) प्रियंवदा मोहन्ती हेजमाडी	05.02.2005
19.	डा. (सुश्री) शांता पी. हलागी	05.02.2005
20.	श्रीमती के. इन्दिरा बनर्जी	05.02.2005
21.	श्री राजीव अरोड़ा	05.02.2005
22.	श्री टॉम वडक्कन	03.03.2005

तूफान मेल में आग

4170. डा. के. धनराजू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 3008–डाउन तूफान मेल में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) आग लगने के फलस्वरूप जान–माल की कितनी हानि हुई;

(घ) क्या घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(च) दोषी व्यक्तियों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हाँ, महोदय 04.04.2005 को, पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल के मुगलसराय–दानापुर खंड में दरौली और दिलदारनगर स्टेशनों के बीच 3008 डाउन उद्यान आभा तूफान एक्सप्रेस में आग लगने की घटना हुई थी।

(ग) इस घटना में मानवीय जीवन को कोई हानि नहीं हुई थी। बहरहाल, लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत की रेल संपति के नुकसान होने की सूचना मिली है।

(घ) से (च) जी हाँ, महोदय। रेल संरक्षा/पूर्वी सर्कल के आयुक्त इस घटना की जांच कर रहे हैं। रेल संरक्षा के आयुक्त की जांच रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर दुर्घटना के लिए जिम्मेदार पाए गए पदाधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है।

(छ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, गाड़ियों में यात्रियों द्वारा गैस सिलण्डरों, विस्फोटकों, पटाखों और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं की ढुलाई पर रोक लगाने, अप्राधिकृत फेरीवालों और वेंडरों पर रोक लगाने तथा सिगरियों और स्टोवों आदि के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए सम्पूर्ण भारतीय रेलों पर संरक्षा अभियान शुरू किया गया है। उपर्युक्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए रेल सुरक्षा बल, राजकीय रेल पुलिस और टिकट चैकिंग स्टाफ द्वारा जांच को भी सुदृढ़ किया गया है।

राजस्थान में तेल के कुएं

4171. श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के बाडमेर जिले के बोथिया गांव में हाल ही में पाए गए तेल के दो कुएं केन्द्र और राज्य के बीच विवाद की जड़ है;

(ख) क्या केन्द्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से तेल कुओं के निर्माण पर होने वाले खर्च को वहन करेंगे;

(ग) क्या तेल से प्राप्त राजस्व का भी केन्द्र और राज्य आपस में बंटवारा करेंगे अथवा सारा राजस्व केन्द्र सरकार के पास जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच बोथिया गांव में तेल खोजों सहित बाड़मेर जिले में तेल खोजों पर कोई विवाद नहीं है। अतीत में राज्य सरकार, पीएससीज के तहत केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 50:50 के अनुपात से पेट्रोलियम लाभ की भागीदारी के लिए मांग करती रही है। अब 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने, कई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के तहत हस्ताक्षरित पीएससी में, राज्य सरकारों को किए जाने वाले केन्द्रीय आबंटनों की समग्र सीमा में राज्य सरकारों को पेट्रोलियम लाभ में भागीदारी पर सहमति दी है।

(ख) उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) के प्रावधानों के अनुसार पेट्रोलियम प्रचालनों पर पूरा खर्च ठेकेदार द्वारा किया जाता है और तेल तथा गैस बिक्री राजस्व में से वसूलीयोग्य होता है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को पेट्रोलियम प्रचालनों पर किसी खर्च में अंशदान करना अपेक्षित नहीं है।

(ग) और (घ) पीएससी और समय–समय पर यथा संशोधित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के अनुसार राज्य सरकार लाइसेंस पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस शुल्क, पट्टा किराया, और कच्चे तेल और गैस पर रायल्टी की हकदार है।

केन्द्र सरकार पेट्रोलियम लाभ का हिस्सा एनईएलपी और एलईएलपी से पहले की उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं और उप कर (एनईएलपी पूर्व ब्लाकों में) प्राप्त करती है।

डीलर्स कमीशन की संगणना

4172. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को डीलर्स कमीशन की संगणना के मुद्दे की जांच करने हेतु तेल विपणन कंपनियों के निदेशकों की समिति से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) जी हां। मामला विचाराधीन है।

पेट्रोल पंप स्थापित करने हेतु विज्ञापन

4173. डा. एम. जगन्नाथ :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को अपने वाणिज्यिक हितों हेतु पेट्रोल पंप स्थापित करने हेतु भू–स्वामी श्रेणी के अंतर्गत संभावित और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य स्थलों के अभाव के कारण अपने विज्ञापन रद्द करने का निदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को भू स्वामी श्रेणी के अंतर्गत खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल पंपों) की स्थापना के लिए अपने विज्ञापन रद्द करने हेतु निदेश नहीं दिया है। अपने डीलरों के चयन के लिए तेल विपणन कंपनियों के दिशानिर्देशों में प्रावधान, जिनमें विज्ञापन किए बिना डीलरशिप के आबंटन की व्यवस्था है, की समीक्षा की गई और तेल विपणन कंपनियों को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करने का निदेश दिया गया :–

तेल विपणन कंपनियों को भूमि के प्रत्यक्ष प्रस्तावों की प्राप्ति के बाद स्थान की व्यवहार्यता का निर्धारण करना चाहिए और यदि यह व्यवहार्य पाया जाता है, तो तेल विपणन कंपनियों को उस क्षेत्र में परिचालन कर रहे दो अग्रणी समाचार पत्रों में यह तथ्य बताते हुए विज्ञापन जारी करना चाहिए कि उन्हें डीलरशिप इत्यादि के लिए जमीन का/के प्रस्ताव मिला/मिले हैं और वे अन्यों से ऐसे प्रस्ताव आमंत्रित कर रहे हैं। इसके अलावा इन विज्ञापनों को यह इंगित करना चाहिए कि डीलर का अंतिम चयन प्रस्तावित जमीनों के मूल्यांकन और अन्य मानदंडों के संबंध में उम्मीदवारों के मूल्यांकन के आधार पर होगा जैसा कि दिशानिर्देशों में व्यवस्था की गई है।

नए शुरू किए गए खुदरा बिक्री केन्द्र

4174. श्री ए. एफ. जी. ओसमानी :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के सभी तेल उपक्रमों को देश में, विशेषकर हरियाणा और पंजाब में चैक बेरियर से एक कि.मी. की परिधि में नए शुरू किए गए/शुरू किए जाने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों की सूची प्रस्तुत करने का निदेश दिया है ताकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन न हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल कंपनियों के अधिकारी ऐसे नए शुरू किए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों के बारे में सरकार को गलत जानकारी दे रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ–साथ ईंधन स्टेशनों, सर्विज स्टेशनों और विश्राम क्षेत्रों पर पहुंच के लिए मानदंड विनिर्धारित करते हुए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के तहत, यह विनिर्धारित है कि जांच बैरियर/टोल प्लाजा से कम से कम दूरी एक किलोमीटर की होगी और ईंधन स्टेशन/विश्राम क्षेत्र के एक किलोमीटर के

अंदर कोई जांच बैरियर/टोल प्लाजा नहीं होगा। तथापि, सरकार ने देश में, विशेषकर हरियाणा और पंजाब में चैक बैरियर से एक किलोमीटर की परिधि में नए शुरू किए गए/शुरू किए जाने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों की सूची नहीं मांगी है।

(ग) और (घ) उठाए जा रहे प्रश्न को देखते हुए मंत्रालय अब अपेक्षित पूछताछ आरंभ करेगा।

पंजाब तेल शोधनशाला को कच्चे तेल की आपूर्ति

4175. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पश्चिमी राजस्थान में हाल ही में खोजे गए तेल को परिष्कृत करने हेतु पंजाब में एक कच्चे तेल की शोधनशाला स्थापित करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान सरकार ने उक्त शोधनशाला हेतु बिछायी जाने वाली पाइपलाइन को रोकने की धमकी दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) मै. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड भटिंडा (पंजाब) में एक तेल रिफाइनरी स्थापित कर रही है। इस रिफाइनरी के लिए क्रूड आपूर्तियों का परिवहन एक देश पार पाइपलाइन के माध्यम से मुन्द्रा बंदरगाह (गुजरात) से किए जाने की योजना है।

(ख) और (ग) कंपनी को प्रस्तावित भटिंडा रिफाइनरी के लिए बिछाई जाने वाली पाइपलाइन को अवरूद्ध करने की राजस्थान सरकार से किसी धमकी की जानकारी नहीं है।

रेलवे में स्थानांतरण

4176. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जोनल रेलवे से रेलवे बोर्ड में उच्च वेतनमान और उससे ऊपर वाले वेतनमान में कार्यरत अधिसंख्य लोगों के स्थानांतरण पर लगे प्रतिबंध को सुरक्षा (सिक्युरिटी) को छोड़कर अन्य सभी जगह कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ख) क्या गोधरा हत्याकांड के बाद भी जोनल रेलवे से रेलवे बोर्ड में डी.आई.जी. के आदमियों को लाने का प्रस्ताव है;

(ग) जोनल रेलवे में अधिकारियों की कमी के कारण रेलवे बोर्ड के परिचालन के अंतर्गत उच्च वेतनमान और उससे ऊपर के वेतनमान के आर.पी.एफ./आर.पी.एस.एफ. के कितने जवान हैं; और

(घ) आर.पी.एफ./आर.पी.एस.एफ. के अधिकारियों के लिए इन जवानों को कब तक छोड़े जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं। वरिष्ठ वेतनमान और उससे ऊपर वाले वेतनमान के तत्व को बोर्ड कार्यालय में अंतरित करने में लगा प्रतिबंध सुरक्षा निदेशालय पर भी लागू होता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) रेलों के रे.सु.ब./रे.सु.वि.ब. से संबंधित कोई पद/वरिष्ठ वेतनमान तथा इससे ऊपर का कोई तत्व बोर्ड कार्यालय के सुरक्षा निदेशालय में परिचालित नहीं किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर्स

4177. श्री सुग्रीव सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी निजी फर्म ने प्री स्ट्रेच्ड कंक्रीट स्लीपरों के लिए कोई नए डिजाइन का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स आर्गेनाइजेशन ने डिजाइनों की पर्याप्तता की छंटनी की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) रेलवे द्वारा मामले में क्या निर्णय लिया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आर डी एस ओ) ने उक्त नए अभिकल्प का फील्ड परीक्षण करने के लिए अपनी तकनीकी स्वीकृति दे दी थी और इसका वाणिज्यिक आकलन रेलवे बोर्ड पर छोड़ दिया था।

(घ) रेलवे बोर्ड ने फर्म को बिना किसी वित्तीय वचनबद्धता के वर्ष 2002 में पूर्व तट रेलवे, उत्तर रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे प्रत्येक में 3 कि.मी. के क्षेत्र में उक्त अभिकल्प का परीक्षण

...ने का निर्णय लिया था। बहरहाल, वर्ष 2005 में संरक्षा घटे हुए कारक (मौजूदा अभिकल्प की तुलना में लगभग 11% कम), घटे हुए कारक (मौजूदा अभिकल्प की तुलना में लगभग 17.5% कम), घटे हुए रेल सीट बॉटम लियर गोमेंट (मौजूदा अभिकल्प की तुलना में 18.2% कम), लोअर मोमेंट ऑफ रेसिसटैन्ट आदि (दोनों की जब कुछ आधारभूत पूर्वानुमानों को लेकर तुलना की गई तो शक्ति के लगभग सभी पैमानों में मौजूदा अभिकल्प की तुलना में कम शक्ति) और भार, बलास्ट कुशन के क्षेत्र में व्यापक भिन्नता को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने नए अभिकल्प के परीक्षण के कथित निर्णय की समीक्षा करने का निर्णय लिया है।

राष्ट्रीय परिवार राहत कोष

4178. श्री प्रहलाद जोशी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान राष्ट्रीय परिवार राहत कोष योजना के अंतर्गत संबंधित राज्यों को जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या धनराशि जारी करने के मामले में कुछ राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कर्नाटक राज्य के संदर्भ में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए जाने हेतु लंबित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) इस मंत्रालय में ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट

4179. श्री हरिभाऊ राठौड़ :
श्री मिलिन्द देवरा :
श्री बालासाहिब विखे पाटील :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1500 करोड़ की लागत वाला मेट्रो रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम रेलवे बोर्ड की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रोजेक्ट को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (एम.यू.टी.पी.) शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रोजेक्ट में कुल कितनी लागत लगेगी;

(ङ) प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति क्या है;

(च) क्या सेवरी से न्हावा शेवा तक मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का दूसरा चरण और 4028 करोड़ रुपए की लागत वाली मुंबई ट्रांसपोर्ट हार्बर लिंक अभी शुरू किया जाना बाकी है; और

(छ) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं और इस प्रोजेक्ट को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं। मुम्बई में मेट्रो रेल के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव की शहरी विकास मंत्रालय में जांच की जा रही है।

(ख) उपर्युक्त प्रस्ताव का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी हां। संघ सरकार (रेल मंत्रालय) और महाराष्ट्र सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एम.यू.टी.पी.) शुरू की है।

(घ) एम.यू.टी.पी. की कुल लागत 4535 करोड़ रुपए है जिसमें से विश्व बैंक द्वारा 2601 करोड़ रुपए के वित्त पोषण की संभावना है। एम.यू.टी.पी. के रेल घटक को पूरा करने की संभावित लागत 3510 करोड़ रुपए है जिसमें से विश्व बैंक द्वारा 1780 करोड़ रुपए का वित्त पोषण किया जाएगा। इस समय 2003-04 के दौरान दिसंबर, 2001 के मूल्यों पर 3125 करोड़ रुपए की कुल लागत पर रेल घटक की स्वीकृति दी गई है। इसमें से विश्व बैंक का वित्त पोषण 1613 करोड़ रुपए है।

(ङ) 31.3.2005 को एम.यू.टी.पी. के रेल घटक की प्रगति 28 प्रतिशत है। पूरा करने का लक्ष्य जून, 2008 है।

(च) और (छ) एम.यू.टी.पी. चरण-II की रेल परियोजनाए रेल मंत्रालय के विचाराधीन हैं। जहां तक सेवरी से न्हावा शेवा मुंबई परिवहन पत्तन संपर्क परियोजना का संबंध है, यह परियोजना केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों से संबंधित नहीं है।

विवरण

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में मेट्रो रेल के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है जिसमें 146.5 किलोमीटर (32.5 किमी भूमिगत 114.0 किमी भूमि के ऊपर) की कुल लंबाई के लिए नौ कॉरीडोर शामिल हैं जिनका निमार्ण 2005-2021 के दौरान 19.525 करोड़ रुपए (अप्रैल, 03 के मूल्यों पर) की अनुमानित लागत से तीन चरणों में किया जाना है। चरण-I, जिसमें 62.8 की कुल लंबाई के तीन कॉरीडोर शामिल हैं, को 2005-11 के बीच शुरू किया जाना प्रस्तावित है। चरण-I के तीन कॉरीडोर का विवरण नीचे दिया गया है :

चरण-I (2005-11)

	कॉरीडोर	कॉरीडोर की लंबाई (किलोमीटर में)			लागत (अनुमानित) (अप्रैल, 03 के मूल्यों पर) (करोड़ रुपए में)
		भूमिगत	भूमि के ऊपर	कुल	
लाइन सं. 1	वरसोवा-अंधेरी-घाटकोपर (वीएजी)	0.0	15.0	15.0	1500
लाइन सं. 2	कोलाबा (बैकबे)-माहीम-चारकोप	9.9	26.1	36.0	·5085
लाइन सं. 3	माहीम से मानखुर्द	2.1	10.7	12.8	1595
कुल		12.0	51.8	63.8	8180

उपर्युक्त तीन कॉरीडोर में से मुंबई मेट्रो के लिए मास्टर प्लान में पहचान किए गए पहली प्राथमिकता वाले कॉरीडोर के रूप में महाराष्ट्र सरकार पहले वरसोवा-अंधेरी-घाटकोपर कॉरीडोर (15 किमी) पर पहले कार्य शुरू करना चाहती है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाइन-I वीएजी कॉरीडोर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (फरवरी, 2005) तैयार की गई है और महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त प्रस्ताव में करों को छोड़कर लेकिन भूमि लागत को शामिल करते हुए जून, 2004 के मूल्यों पर 1488.46 करोड़ रुपए की लागत दिखाई गई है।

कॉरीडोर का संरेखण वरसोवा-डी.एन. नगर-आजाद नगर-अंधेरी-वेह-चकला-एयरपोर्ट रोड-मरोल नाका-साकिनाका-सुभाष नगर-असल्फा रोड-घाटकोपर है। सभी 12 स्टेशन भूमि के ऊपर हैं, सड़क के बीचो-बीच स्थित है और भूमि के ऊपर उनका डिजाइन इस प्रकार से बनाया गया है कि उनकी पहुंच सड़क के दोनों और से है। यातायात एकीकृत सुविधाएं अंधेरी उपनगरीय रेलवे स्टेशन सहित अंधेरी मेट्रो पर, घाटकोपर उपनगरीय स्टेशन सहित घाटकोपर मेट्रो स्टेशन पर और वरसोवा बस डिपो सहित वरसोवा पर मुहैया कराई गई हैं।

कॉरीडोर का निर्माण, स्वामित्व, परिचालन और हस्तांतरण (बीओओटी) के आधार पर चलाए जाने का प्रस्ताव है, अर्थक्षमता अंतराल वित्त पोषण (450-500 करोड़ रुपए अनुमानित) और इक्विटी के लिए भारत सरकार का सहयोग मांगा गया है। अर्थक्षमता अंतराल वित्त पोषण और इक्विटी की सही आवश्यकता का पता राज्य सरकार के फरवरी, 2005 के प्रस्ताव जो कि योजना आयोग के परामर्श से परियोजना के सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए विचाराधीन है, के आधार पर राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई बोली प्रक्रिया के इस दौरान पूरी हो जाने के पश्चात ही लगेगा।

[हिन्दी]

सामग्रियों की खरीद के लिए वित्तीय अधिकार

4180. श्री अजीत जोगी :

श्रीमती करुणा शुक्ला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिलासपुर स्थित दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे के जोनल मुख्यालय को जोन की आवश्यकता वाली विभिन्न आवश्यक सामग्रियों की खरीद के पूर्ण वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे जोन में क्षेत्रीय उद्योगों को प्रयुक्त होने वाली ऐसी सामग्रियों की खरीद के मामले में कोई प्राथमिकता दी जाती है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या रेलवे द्वारा उन सामग्रियों के लिए जिनका इस समय कोई उद्योग नहीं है स्थापना हेतु कोई पहल किए जाने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो क्या रेलवे जोन ने इस मामले को छत्तीसगढ़ सरकार के साथ उठाया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के महाप्रबंधक को अन्य क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधकों के समान भंडार की खरीद के लिए 15 करोड़ रुपए तक की वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। यदि भंडार की खरीद की कीमत 15 करोड़ रुपए से अधिक होती है तो खरीद का अनुमान रेलवे बोर्ड/रेल राज्य मंत्री/रेल मंत्री द्वारा किया जाता है।

(ख) पहले से दी गई शक्तियां पर्याप्त समझी जाती हैं।

(ग) और (घ) रेल मंत्रालय सामग्री की खरीद के लिए भारत सरकार की खरीद नीति के दिशा–निर्देशों का अनुसरण करता है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को खरीद की वरीयता दी जाती है।

(ङ) रेल मंत्रालय का रेलों द्वारा अपेक्षित सामग्री के लिए उद्योग स्थापित करने का कोई विचार नहीं है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ई.बी.सी.) के लिए आयोग

4181. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए बने आयोग को चलाये रखने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग को कल्याणकारी कार्यों की सिफारिश करने और राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषा अल्पसंख्यक आयोग से परामर्श करके शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के बारे में भी सिफारिश करने के लिए कहा गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए विधिक एवं प्रशासनिक कार्यविधि प्रदान करने पर भी सहमत हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस आयोग में किन समस्याओं पर जोर दिया गया है और वर्ष 2005–06 के दौरान आयोग को किन बिन्दुओं पर विचार करने के लिए कहा गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ङ) आयोग के विचारार्थ विषय ये हैं :

(i) विषय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के विचार प्राप्त करना;

(ii) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के मानदण्ड सुझाना;

(iii) राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के परामर्श से कल्याण उपायों तथा शिक्षा एवं सरकारी नौकरी में आरक्षण की प्रमात्रा की सिफारिश करना; और

(iv) उनकी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए यथा अपेक्षित आवश्यक संवैधानिक कानूनी, एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सुझाव देना।

आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य और एक सदस्य–सचिव होंगे।

आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगा।

प्राचीन भाषाएं

4182. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन भाषाओं के नाम क्या हैं जिनकी प्राचीन भाषा के रूप में घोषणा की गई है;

(ख) किसी भाषा को प्राचीन भाषा घोषित करने हेतु क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का 'सन्थाली' भाषा को प्राचीन भाषा घोषित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) सरकार ने तमिल को श्रेण्य भाषा के रूप में घोषित किया है।

(ख) 'श्रेण्य भाषाओं' के रूप में वर्गीकरण हेतु विचार करने के लिए भाषाओं की पात्रता को निर्धारित करने की दृष्टि से निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाएंगे :–

(i) पिछले हजार वर्षों में भाषा के प्रारंभिक पाठों/अभिलिखित इतिहास का अति प्राचीन होना।

(ii) प्राचीन साहित्य/पाठों का एक समूह, जिसे भाषा बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा एक बहुमूल्य विरासत समझा जाता है।

(iii) साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए और इसे किसी अन्य भाषा समुदाय से ग्रहण की गई भाषा नहीं होना चाहिए।

(iv) प्राचीन भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा से भिन्न होने चाहिएं, श्रेण्य भाषा और इसके बाद के स्वरूप अथवा इसकी शाखाओं में अंतराल भी होना चाहिए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

शिशु दत्तक ग्रहण अधिनियम का उल्लंघन

4183. श्री सीता राम यादव :
श्री गणेश प्रसाद सिंह :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे देश में विशेषकर दिल्ली में गैर–सरकारी संगठनों द्वारा शिशु दत्तक ग्रहण अधिनियम का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उन गैर–सरकारी संगठनों के विरूद्ध जांच के आदेश दिए गए हैं जिन्होंने किशोर न्याय अधिनियम की छत्रछाया में सैकड़ों बच्चों को विदेश भेजा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और ऐसी अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए गए गैर–सरकारी संगठनों के विरूद्ध क्या कार्यवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस कदाचार को रोकने हेतु राज्य सरकारों को कोई नए निर्देश जारी करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दत्तक ग्रहण एजेंसियों द्वारा दत्तक ग्रहण तथा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों और दत्तक ग्रहण संबंधी केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के दिशा–निर्देशों के उल्लंघन की संभावना के बारे में सूचित किया है। प्रधान दंडाधिकारी किशोर न्याय बोर्ड, दिल्ली द्वारा जांच की जा रही है।

(ङ) और (च) कानूनी दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहित करने और दत्तक प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाने के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को समय–समय पर दिशा–निर्देश और परिपत्र जारी किए जाते हैं।

[हिन्दी]

राज सहायता प्रदान किया जाना

4184. श्री सुरेश चन्देल : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को लाहौल स्पीति किन्नौर और चम्बा जिले के पंगी–भारमौर तहसील के उन लोगों को प्राकृतिक आपदाओं तथा महामारियों से बचाने हेतु जो भारी बर्फबारी के कारण करीब छः महीने तक देश के शेष भागों से कटे रहते हैं और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हेलिकॉप्टर सेवाओं के लिए पूर्वोत्तर राज्यों जैसी राजसहायता प्रदान किए जाने के संबंध में हिमाचल प्रदेश से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग). अभी हाल ही में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। फिर भी, यह बताया जाता है कि किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में हेलीकॉप्टर प्रचालनों के लिए इमदाद प्रदान करने के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय के पास कोई प्रावधान नहीं है।

टक्कर रोधी उपकरण

4185. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :
श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख :

क्या **रेल** मंत्री टक्कर रोधी उपकरण के बारे में 26.8.2004 के तारांकित प्रश्न संख्या 460 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नार्थ–ईस्ट फ्रंटीयर रेलवे (एन.एफ.आर.) ने प्रायोगिक परियोजना के रूप में टक्कर रोधी उपकरण (ए.सी.डी.) प्रदान करने का कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय रेलवे के अन्य खंडों में टक्कर रोधी उपकरण प्रदान करने का कोई कार्य शुरू कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन मार्गों/खंडों का चयन किया गया है तथा परियोजना पर कितनी राशि व्यय किए जाने का अनुमान है;

(ङ) रेलवे के सभी खंडों में टक्कर रोधी उपकरण कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है;

(च) क्या देश में इन टक्कर रोधी उपकरणों के निर्माण किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रक्रिया में अनुमानतः कितना व्यय होगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) नहीं महोदय। नार्थ ईस्ट फ्रंटीयर रेलवे (एन एफ आर) के गुवाहाटी तक के राजधानी मार्ग पर टक्कर रोधी उपकरण लगाए जाने का कार्य पूर्ण हो गया है अर्थात् 90% फिजिकल कार्य पूरा हो गया है। चैकिंग और फाइन टयुनिंग आरंभ कर दी गई है। जून, 2005 तक कार्य आरंभ किए जाने की संभावना है।

(ख) नार्थ ईस्ट फ्रंटीयर रेलवे पर कार्य की कुल अनुमानित लागत 65.75 करोड़ रुपए है और मार्च तक 43.24 करोड़ रुपए का व्यय हो चुका है।

(ग) नहीं महोदय। नार्थ ईस्ट फ्रंटीयर रेलवे पर प्रायोगिक परियोजना के सफलता पूर्वक पूरा हो जाने तथा इस क्षेत्र का प्रभाव सिद्ध हो जाने के बाद टक्कर रोधी उपकरण उपलब्ध कराए जाने का आगे का कार्य आरंभ किया जाएगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) भारतीय रेलवे की समवेत संरक्षा योजना (2003–2013) के अनुसार सम्पूर्ण 52600 किलोमीटर मार्ग बड़ी लाईन खंड पर टक्कर रोधी उपकरण कार्य पूरा होने का लक्ष्य वर्ष 2013–14 है।

(च) जी हां, महोदय, कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड (के आर सी एल–रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) ने टक्कर रोधी उपकरण को विकसित किया है। टक्कर रोधी उपकरण का निर्माण कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड आज कल भारत में स्थित हैदराबाद की अपनी बाहदी उत्पादक इकाई के द्वारा करवा रहे हैं।

(छ) टक्कर रोधी उपकरण की बाहरी निर्माण की यह सुविधा कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड की तकनीकी भागीदारी द्वारा तैयार की गई है। रेल मंत्रालय द्वारा इस पर अभी तक अलग से कोई व्यय उपगत नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

लोको रनिंग स्टॉफ को भत्ते

4186. श्री एस. अजय कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2002 में लोको रनिंग स्टॉफ के भत्तों का निर्धारण करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा कौन–सी सिफारिशें की गईं हैं; और

(घ) सरकार द्वारा रिपोर्ट की सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पट्टे पर खुदरा बिक्री केन्द्र/गैस एजेंसियां/ मिट्टी तेल डिपो

4187. श्री सूरज सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा पट्टे पर कितने

खुदरा बिक्री केन्द्र/गैस एजेंसियां और मिट्टी तेल डिपो चलाये जा रहे हैं;

(ख) उन खुदरा बिक्री केन्द्रों/एजेंसियों/डिपो का ब्यौरा क्या है जिनके लिए दो से अधिक बार उन्हीं व्यक्तियों को पट्टा दिया गया था;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में कुछ पेट्रोल पंप पट्टे की अवधि समाप्ति के बाद भी पूर्व पट्टा धारकों द्वारा अवैध रूप से चलाये जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा स्वयं कितने पेट्रोल पंप खुदरा बिक्री केन्द्र/गैस एजेंसी चलायी जा रही है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इनके चलाये जाने से राज्यवार कितना लाभ हुआ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

ओएनजीसी द्वारा ईंधन की खुदरा बिक्री

4188. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :

श्री बाडिगा रामकृष्णा :

श्री ई. पोन्नुस्वामी :

श्री मुन्शी राम :

श्री राजेन्द्र कुमार :

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

श्री एस. अजय कुमार :

श्री के. सी. पलनिसामी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओएनजीसी पेट्रोल, डीजल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस का खुदरा व्यापार शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ओएनजीसी द्वारा इस व्यापार में कितनी राशि निवेश किए जाने की संभावना है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान राज्यवार कितने पेट्रोल, डीजल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस के खुदरा बिक्री केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) ओएनजीसी को परिवहन ईंधनों के विपणन के लिए अधिकृत किया गया है और उसने 19.3.2005 को मंगलोर में अपना पहला खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) चालू किया। ओएनजीसी को 31.3.2006 तक, घरेलू मांगों के पूरा होने के बाद, मौसमी अधिशेष एलपीजी को सीधे या समानांतर विपणन प्रणाली द्वारा बेचने तथा उसके बाद 1.4.2006 से एलपीजी विपणन, की भी अनुमति मिल गई है।

(ग) वित्त वर्ष 2005-06 से ओएनजी ने खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।

(घ) खुदरा बिक्री केन्द्रों का खोला जाना विभिन्न कारक जैसे व्यवहार्य स्थानों का पता लगाना, विज्ञापनों को जारी करना, साक्षात्कार आदि करने पर निर्भर करता है और इसलिए चालू वर्ष के दौरान ओएनजीसी द्वारा खोले जाने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों की सही संख्या निर्दिष्ट करना संभव नहीं है। तथापि, ओएनजीसी ने रिपोर्ट दी है कि चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक और गुजरात राज्यों में सरकारी/ओएनजीसी स्वामित्व वाले स्थानों पर 15 खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

रेल लिंक परियोजनाएं

4189. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा के वे कौन-से क्षेत्र हैं जिन्हें नई रेल लाइनों से जोड़े जाने का प्रस्ताव है;

(ख) ऐसे क्षेत्रों और राज्यों के नाम क्या हैं जिनसे इन्हें जोड़ा जाना है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) (i) हरियाणा राज्य में आंशिक/पूर्ण रूप से चल रही नई रेल लाइन परियोजनाओं का ब्यौरा तथा रेल लाइन द्वारा लिंक किए जाने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों तथा राज्य के नाम निम्नानुसार है:

क्रम सं.	परियोजना नाम	महत्वपूर्ण क्षेत्रों के नाम जिन्हें रेल लाइन द्वारा लिंक किया जाएगा	राज्य
1.	कालका तथा परवानु के बीच नई रेल लाइन का निर्माण	कालका तथा परवानु	हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश
2.	जींद तथा सोनीपत के बीच नई रेल लाइन का निर्माण	सोनीपत, गोहाना और जींद	हरियाणा
3.	रेवाडी तथा रोहतक के बीच नई रेल लाइन का निर्माण	रेवाड़ी, झज्जर और रोहतक	हरियाणा

(ii) 2005-06 के बजट में हरियाणा राज्य में आंशिक/पूर्ण रूप से नई रेल लाइनें बिछाने का निम्नलिखित सर्वेक्षण शामिल किया गया है।

(क) चंडीगढ़-बद्दी (35 किलोमीटर)

(ख) भट्टूकलां-जाखल वाया फतेहाबाद और रतिया (80 किलोमीटर)

(ग) हिसार से सिरसा वाया अगरोहा (93 किलोमीटर)

(घ) यमुनानगर-पटियाला (100 किलोमीटर)

(ग) और (घ) हरियाणा सरकार से रेवाड़ी और रोहतक के बीच रेल लाइन निर्माण के लिए एक आवेदन प्राप्त हुए है। रेवाड़ी और रोहतक वाया झज्जर के बीच नई बड़ी रेल लाइन के निर्माण का कार्य 2003-04 के पूरक बजट में शामिल किया गया था। अंतिम सर्वेक्षण स्थल कार्य पूरा हो गया है और अनुमानित ब्यौरा तैनात किया जा रहा है। 2005-06 के बजट में इस परियोजना के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

सेना अस्पतालों में होम्योपैथी उपचार

4190. श्रीमती मेनका गांधी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आर्मी मेडिकल कोर में होम्योपैथी दवाओं का एक भी डाक्टर उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा सेना अस्पताल में होम्योपैथी उपचार शामिल किए जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) सेना चिकित्सा कोर में कोई होम्योपैथी चिकित्सक नहीं है। सेना चिकित्सा कोर सशस्त्र बलों के कार्मिकों तथा उनके परिवारों को युद्धकाल और शांतिकाल में उपचार मुहैया कराता है। सशस्त्र बलों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, दवा की एलोपैथी प्रणाली ज्यादा उपयुक्त समझी गई है। अतः सैन्य अस्पतालों में होम्योपैथी इलाज शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेल लाइन का दोहरीकरण

4191. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी किमी. लंबी रेललाइन का दोहरीकरण किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन खंडों पर रेललाइन के दोहरीकरण का कार्य किया गया; और

(ग) जालंधर-जम्मूतवी के बीच रेललाइन के दोहरीकरण के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान क्रमशः 194 कि.मी., 206 कि.मी. और 282 कि.मी. रेल लाइनों का दोहरीकरण किया गया था।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) मुकेरियां - मीरथल खंड (18 कि.मी.) और माधोपुर-भड़ोली (12 कि.मी.) में रेलपथ संपर्क का कार्य पूरा हो गया है। शेष भाग में कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान निम्नलिखित खंडों पर दोहरीकरण का कार्य पूरा किया गया था :

क्रम सं.	परियोजना/खंड का नाम	कि.मी.
1	2	3
1.	चंदनपुर - गुरूप	7
2.	अलीपुर - आक्रा	9

1	2	3
3.	परसा बाजार – पुनपुन	6
4.	सिहो – कर्पुग्राम (पार्ट)	28
5.	कर्नलगंज – जरवाल रोड	9
6.	कालीकट – मंगलौर (पार्ट)	41
7.	बंगारपेट – बिसनाथन – कुप्पम	35
8.	विजयवाड़ा – कृष्णा कैनाल	5
9.	नैला – चम्पा	11
10.	चम्पा – बलपुर	7
11.	बिलासपुर – डगोरी और निपनिया – भाटपाड़ा	35
12.	केसिंगा – नोरला रोड	23
13.	बोलपुर – अहमदपुर	19
14.	गुरूप – पल्लारोड तीसरी लाइन	20
15.	शेवराफुली – डायरा	6
16.	जरवाल रोड – बुढ़वाल	5
17.	गोरखपुर – डोमिनगढ़	6
18.	कालीकट–शोराण्णूर (पार्ट)	50
19.	गुडुर–रेणिगुंटा–तिरूपति	55
20.	बेलापल्लि–पुल्लमपेट	22
21.	सालेगांव–नेरगुंडी	5
22.	रहमा–पारादीप	23
23.	कपिलास–नेरगुंडी (3.5 किमी.) और नेरगुंडी–बिरूपा केबिन (3 किमी.)	6.5
24	बेल्लारी–हगरी और हास्पेट–गुंतकल का गुंतकल–हगरी	65
25.	बरौनी–तिलरथ	8
26.	सीमापुर–कटिहार	11
27.	मानसी–महेशकुंट	10
28.	गया–चाखंड	9
29.	पुनपुन–तरेगना	16
30.	टिटलागढ़–लांजीगढ़ का लांजीगढ़ रोड–नोरला रोड	5
31.	बिरूपा पर दूसरा पुल, नेरगुंडी–कटक–रघुनाथपुर का बिरूपा केबिन–केन्द्रपाड़ा रोड	5
32.	जलंधर–जम्मूतवी का मुकेरियां–मीरथल और माधोपुर–भड़ोली	30
33.	पट्टाभिराम–तिरूवल्लूर तीसरी लाइन	16
34.	मनकापुर–च्यौंकी	18
35.	अमरोहा–मुरादाबाद	37
36.	अहमदपुर–सैंथिया	13
37.	पांसकुड़ा–राजगोडा	6
	जोड़	682.5

कोयम्बटूर-एर्णाकुलम रेललाइन के बीच ई.एम.यू. का प्रयोग

4192. श्री सी. के. चन्द्रप्पन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार त्वरित और सक्षम दैनिक यात्रा सुनिश्चित करने हेतु कोयम्बटूर–एर्णाकुलम रेललाइन के बीच क्षेत्रीय रेल सेवा में ई.एम.यू. का प्रयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठा रही है; और

(ग) ई.एम.यू. की सेवा और अनुरक्षण हेतु केरल में सुविधाएं स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए. गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में तेल अन्वेषण

4193. श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री कैलाश मेघवाल :
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :

श्री दुष्यंत सिंह :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :
श्री के. सी. पलनिसामी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), आयल इंडिया लिमिटेड और मैसर्स कैर्न एनर्जी द्वारा राजस्थान में तेल और प्राकृतिक गैस का अन्वेषण और विकास कार्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए व्यय और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड का विचार देश में विशेषकर राजस्थान में तेलशोधक कारखाने स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए किन स्थानों को चिन्हित किया गया है तथा इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, हां। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) तथा कैर्न एनर्जी इंडिया प्रा. लि., राजस्थान राज्य में अन्वेषण और विकास कार्य कर रही हैं।

(ख) ओएनजीसी तथा ओआईएल द्वारा किए गए व्यय के ब्यौरे निम्नवत् हैं :-

(रु. करोड़ में)

	2001-02	2002-03	2003-04
ऑयल	7.42	6.50	10.84
ओएनजीसी	6.56	8.46	6.46

ओआईएल के पास 9.29 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) प्राकृतिक गैस तथा 14.60 मिलियन मी.टन भारी तेल के स्थानिक सिद्ध भंडार हैं। ओएनजीसी के पास भी 3.35 बीसीएम के स्थानिक गैस भंडार हैं। ओआईएल तथा ओएनजीसी द्वारा उत्पादित की जाने वाली गैस की सीमा 0.75-0.80 मिलियन मीट्रिक घन मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) है, जिसकी विद्युत सृजन के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) को आपूर्ति की जाती है।

मै. कैर्न एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 174.6 मिलियन अमरीकी डालर का व्यय किया गया है और पिछले तीन वर्षों के दौरान 7 तेल और गैस खोजें की गई।

मै. कैर्न एनर्जी इंडिया प्रा. लि. राजस्थान राज्य में आने वाली एनईएलपी पूर्व आरजे-ओएन-90/1 में अन्वेषण कार्य कर रही है। अभी तक इस ब्लाक में कुल 9 तेल और गैस खोजें की गई हैं। 4 खोजें नामतः मांगला, एश्वर्या, सरस्वती तथा रागेश्वरी को वाणिज्यिक घोषित किया गया है। शेष 5 खोजों का निर्धारण प्रचालक द्वारा किया जा रहा है। स्थानिक भंडार अनुमानतः 136.34 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) हैं।

(ग) से (ङ) ओएनजीसी का संकेन्द्रण उनके मुख्य कार्य नामतः देश में हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण पर ही बना हुआ है। तथापि, वैश्विक तेल और बड़ी गैस कंपनियों के अनुरूप, ओएनजीसी प्रचालन के अपने मौजूदा स्ट्रीमों में मूल्य श्रृंखला एकीकरण तथा सहक्रिया मूल्य वर्द्धन के अवसर ढूंढ रही है।

ब्लॉक आरजे-ओएन-90/1 में पाए गए भारी क्रूड की ख़ास विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, संयुक्त उद्यम भागीदार नामतः ओएनजीसी (30%) तथा कैर्न एनर्जी इंडिया प्रा. लि. (70%) एक कूप शीर्ष रिफाइनरी की स्थापना की तुलना में क्रूड निकासी की सभी संभावनाओं को तलाश रही है।

जैसा कि क्षेत्र का अभी अन्वेषण किया जा रहा है, प्रस्तावित रिफाइनरी का स्थान तथा उस पर व्यय का निर्धारण रिफाइनरी के लिए विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययनों के पूरा होने के बाद तथा संभाव्य भंडार आधार के विधिवत् मूल्यांकन के बाद ही किया जा सकता है।

[अनुवाद]

जम्मूतवी-हरिद्वार एक्सप्रेस को बरास्ता अमृतसर चलाया जाना

4194. श्री नवजोत सिंह सिद्धू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मूतवी-हरिद्वार एक्सप्रेस को बरास्ता अमृतसर चलाये जाने हेतु कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इनकी जांच की गई थी लेकिन

परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण इन्हें कार्यान्वयन हेतु व्यवहारिक नहीं पाया गया।

गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता

4195. श्री पी. सी. थामस : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकलांगों सहित अनुदान सहायता देने के संबंध में गैर–सरकारी संगठनों के अनुरोध सरकार के पास लम्बित पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लंबित प्रस्तावों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। सहायता अनुदान के लिए गैर–सरकारी संगठनों के अनुरोध पर विचार, उनके प्रस्तावों की हर प्रकार से पूर्णता, निधियों की उपलब्धता और उस क्षेत्र में पहले से विद्यमान परियोजनाओं की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लम्बित प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	88
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	26
4.	बिहार	22
5.	छत्तीसगढ़	11
6.	दिल्ली	20
7.	हरियाणा	0
8.	गुजरात	143
9.	हरियाणा	8
10.	हिमाचल प्रदेश	17
11.	जम्मू–कश्मीर	3
12.	झारखण्ड	7
13.	कर्नाटक	63
14.	केरल	40
15.	मध्य प्रदेश	53
16.	महाराष्ट्र	62
17.	मणिपुर	55
18.	मेघालय	0
19.	मिजोरम	2
20.	नागालैण्ड	3
21.	उड़ीसा	37
22.	पंजाब	8
23.	राजस्थान	17
24.	सिक्किम	1
25.	तमिलनाडु	51
26.	त्रिपुरा	1
27.	उत्तर प्रदेश	181
28.	उत्तरांचल	12
29.	पश्चिम बंगाल	29
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2
31.	चण्डीगढ़	1
32.	दादरा और नगर हवेली	1
33.	दमन और दीव	0
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पांडिचेरी	0
	कुल	965

कर्नाटक में पुल

4196. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के दावनगेरे में मोती टॉकीज के निकट रेलवे क्रॉसिंग पर रेल उपरिपुल/रेल अधोगामी पुल तथा रेलवे फाटकों के निकट एक पैदल उपरिपुल का निर्माण करने के प्रस्ताव काफी लंबे समय से लंबित पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं पर कब तक कार्य शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान इन परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं। मोती टॉकिज के निकट रेल ऊपरी पुल/रेल निचले पुल और रेलवे गेट के निकट पैदल ऊपरी पुल के निर्माण के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

के.आर.सी. द्वारा भूमि का अर्जन

4197. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'कोंकण रेलवे' परियोजना के क्रियान्वयन के समय उन लोगों को जिनकी भूमि का इस परियोजना हेतु अर्जन किया गया था, रोजगार देने अथवा रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल, दुकान स्थापित करने का अवसर देने का आश्वासन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका क्रियान्वयन किया जा चुका है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेल परियोजनाएं बांधों के निर्माण की कोटि के अंतर्गत नहीं आती हैं जहां सारे गांव उजड़ जाते हैं। इसलिए भूमि गंवाने वालों को अधिकार के मामले के रूप में रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है। बहरहाल, कोंकण रेलवे ने सभी कानूनी देय क्षतिपूर्ति और मुआवजे की राशि का भुगतान करने के बावजूद स्वयं ही भूमि गंवाने वालों के हितों का ध्यान रखा है। कोंकण रेल निगम लिमिटेड की नीति के रूप में भूमि प्रदाता जिनकी कोंकण रेल परियोजना के लिए भूमि अधिगृहीत हुई है, को प्राथमिकता दी गई है ताकि परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जा सके और स्टॉल आदि के आबंटन में इसी प्रकार का अवसर दिया जा सके। इस प्रकार स्टेशनों पर किसी कारोबार का अवसर हमेशा सर्वप्रथम भूमि गंवाने वालों को प्रदान किया जाता है। 926 भूमि गंवाने वालों को पहले ही विधिवत चयन के बाद समूह 'ग' और 'घ' में रोजगार प्रदान किया गया है और एसटीडी बूथ/मोबाइल ट्रालियां/मिल्क पार्लर आदि की 76 स्टालें भूमि गंवाने वालों को प्रदान की गई हैं।

[हिन्दी]

रेल समपार पर रेल उपरिपुल

4198. श्री श्यामा चरण गुप्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के रेलवे स्टेशन के निकट नई बाजार और शंकर बाजार के बीच रेल समपार पर रेल उपरिपुल के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कब तक निर्णय लिए जाने तथा निर्माण कार्य शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। राज्य सरकार से अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कच्चे तेल हेतु कांडला-भटिंडा पाइपलाइन का प्रयोग

4199. श्री तूफानी सरोज : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड का विचार पेट्रोलियम उत्पादों के स्थान पर कच्चे तेल हेतु कांडला-भटिंडा पाइपलाइन का प्रयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड की इस योजना से विभिन्न तेलशोधक कारखानों के हित प्रभावित होने जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा पश्चिमी क्षेत्रों में पेट्रोलियम

उत्पादों की आपूर्ति सतत बनाए रखने हेतु क्या कदम उठाए जायेंगे/उठाये जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी हां। इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) द्वारा क्रूड आयल सेवा के लिए पाइपलाइन के एक भाग का परिवर्तन किया जा रहा है।

(ख) अत्यंत किफायती विकल्प के रूप में, आई ओ सी की पानीपत रिफाइनरी के लिए, अतिरिक्त कच्चे तेल की मांग को पूरा करने हेतु पाइपलाइन को बदला जा रहा है।

(ग) और (घ) भारत के मुख्यतः उत्तर-पश्चिम भागों को आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए कांडला-भटिंडा पाइपलाइन का निर्माण किया गया था। कांडला-पानीपत पाइपलाइन खंड के कच्चे तेल सेवा के लिए परिवर्तन पर यह सुनिश्चित किया गया है कि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति कई नई पाइपलाइनों, नामतः कोयाली-विरमगांव-सिद्धपुर उत्पाद पाइपलाइन, सिद्धपुर-सांगानेर उत्पाद पाइपलाइन तथा पानीपत-रेवाड़ी उत्पाद पाइपलाइन से की जाएगी, जो उस प्रयोजन से पहले ही बिछाई जा चुकी है।

[अनुवाद]

गोधरा जांच समिति का कार्यकाल बढ़ाया जाना

4200. श्री सर्वे सत्यनारायण :
श्री रामजीलाल सुमन :
श्रीमती जयाप्रदा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस में हुई आग दुर्घटना की जांच हेतु गठित उच्च-स्तरीय समिति का कार्यकाल और बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त समिति पर अब तक कितना व्यय हुआ है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल 04.06.05 तक है। कथित समिति का कार्यकाल आगे और बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 26,04,271 रुपये।

[हिन्दी]

कल्याण योजनाओं के अंतर्गत निधियां

4201. श्री वाई. जी. महाजन :
श्री राजनरायण बुधौलिया :
श्रीमती परमजीत कौर गुलशन :
श्री रनेन बर्मन :
श्री जोवाकिम बखला :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जातियों, निःशक्त व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों, अनाथों और अन्य कमजोर तबकों हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आबंटित/जारी की गयी निधियों का योजनावार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसी योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वास्तव में उपयोग की गयी निधियों का योजनावार ब्यौरा क्या है तथा इससे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निधियों का दुरुपयोग अथवा उनका अन्यत्र प्रयोग किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(ङ) क्या सरकार ने इन योजनाओं के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले पिछड़े व गरीब लोगों पर समुचित ध्यान दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त समुदायों के उन्नयन हेतु शुरू की गयी नई योजनाओं का, यदि कोई हो, ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

डी.ए.वी.पी. द्वारा प्रदर्शनियों का आयोजन

4202. श्री डी. बी. पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान डी.ए.वी.पी. के प्रदर्शनी स्कंध द्वारा राजधानी में आयोजित प्रदर्शनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन पर कितना व्यय हुआ है; और

(ग) डी.ए.वी.पी. की इस संबंध में भावी योजनाएं क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान राजधानी में विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के प्रदर्शन स्कंध द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस प्रयोजनार्थ कुल 24.39 लाख रुपये की राशि संस्वीकृत की गयी थी।

(ग) विकासात्मक और अन्य विषयों पर प्रदर्शनियां आयोजित करना विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय का प्रयास रहा है। कुछ मुद्दों, जिन पर निकट भविष्य में प्रदर्शनियां आयोजित की जानी हैं, में एच.आई.वी/एड्स जागरूकता, राष्ट्रीय एकता, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सरकार की नीतियां और उपलब्धियां आदि शामिल हैं।

विवरण

पिछले एक वर्ष के दौरान राजधानी में विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के प्रदर्शन स्कंध द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों का ब्यौरा

क्रम सं.	प्रदर्शनी शीर्षक/स्थल	प्रदर्शनी की तारीख
1	2	3
1.	के.एल. सहगल, सिरी फोर्ट	28.04.04 – 02.05.04
2.	एड्स पर जागरूकता, नेताजी नगर	25.05.04 – 29.05.04
3.	एड्स पर जागरूकता, लक्ष्मीबाई नगर	01.06.04 – 05.06.04
4.	एड्स और स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा, सरोजिनी नगर	08.06.04 – 12.06.04
5.	एड्स और स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा, मोती बाग	15.06.04 – 19.06.04
6.	राज्य सभा सदस्यों हेतु ओरिएंटेशन कार्यक्रम, संसद सौंध	24.06.04 – 25.06.04
7.	स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा, निर्माण भवन	09.07.04 – 12.07.04
8.	एड्स और स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा, विश्वकर्मा पार्क	13.07.04 – 17.07.04
9.	एड्स और स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा, मयूर विहार – II	20.07.04 – 24.07.04
10.	एड्स और स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा, त्रिलोक पुरी	27.07.04 – 31.07.04
11.	एड्स और तम्बाकू, कल्याण पुरी	03.08.04 – 07.08.04
12.	पोलियो, विज्ञान भवन	07.08.04 – 08.08.04
13.	भारत का स्वतंत्रता संग्राम, सरोजिनी नगर	14.08.04 – 23.08.04
14.	कार्यशील संसद, संसद पुस्तकालय	18.08.04 – 27.08.04
15.	एड्स और तम्बाकू, आर.के. पुरम सेक्टर–VIII	06.09.04 – 11.09.04
16.	एड्स और तम्बाकू, मोती बाग	14.09.04 – 18.09.04
17.	एड्स और तम्बाकू, आर.के. पुरम सेक्टर–II	21.09.04 – 25.09.04

1	2	3
18.	एड्स और तम्बाकू, आर.के. पुरम सेक्टर–IV	28.09.04 – 04.10.04
19.	स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा, आईटीपीओ	21.09.04 – 26.09.04
20.	महात्मा गांधी; सरोजिनी नगर	01.10.04 – 10.10.04
21.	एड्स और तम्बाकू, जाफरपुर	07.10.04 – 14.10.04
22.	एड्स और तम्बाकू, बेस अस्पताल, झड़ोदा	16.10.04 – 23.10.04
23.	स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा, नजफगढ़	26.10.04 – 02.11.04
24.	स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा, आर. के. पुरम	06.11.04 – 07.11.04
25.	के. कामराज, विज्ञान भवन	27.10.04
26.	स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा, तालकटोरा मैदान	29.10.04 – 07.11.04
27.	जवाहर लाल नेहरू, नेशनल स्टेडियम	14.11.04
28.	सुखी परिवार, प्रगति मैदान	14.11.04 – 27.11.04
29.	स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा, अमरीकी दूतावास	04.12.04
30.	डांगी गोपालन और ए नरेन्द्र देव, संसद भवन	10.12.04 – 15.12.04
31.	स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा, मोती नगर	15.01.05 – 16.01.05
32.	स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा, टीकरी कलां	15.01.05 – 16.01.05
33.	स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा, बक्करवारा	07.02.05 – 08.02.05
34.	भारत में महिलाएं, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली	20.02.05 – 22.02.05
35.	जम्मू और कश्मीर – ए पैसेज इन टाइम, आईजीएनसीए, नई दिल्ली	21.02.05 – 04.03.05
36.	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास पहल, आई टी पी ओ, प्रगति मैदान	07.03.05 – 14.03.05
37.	स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा, तालकटोरा स्टेडियम	07.03.05
38.	दांडी मार्च, जे.एन.यू. नई दिल्ली	12.03.05
39.	सुनामी चुनौती, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली	15.03.05 – 21.03.05

अमरीकी फर्मों के साथ एयरक्राफ्ट का सह-उत्पादन

4203. श्री मिलिन्द देवरा :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री तथागत सत्पथी :
श्री ई. पोन्नुस्वामी :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री मुन्शी राम :
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एफ–16 और एफ–18 विमानों सहित अन्य लड़ाकू विमानों का अमरीकी फर्मों के साथ मिलकर सह–उत्पादन करने के संबंध में भारत और अमरीका के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी निबंधन और शर्तें क्या हैं; और

(ग) सह–उत्पादन के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मैक्सी रेल समपार पर उपरिपुल

4205. श्री थावरचन्द गहलोत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल मंत्रालय को पश्चिमी रेल मंडल, रतलाम के अंतर्गत उज्जैन–भोपाल रेल लाइन पर स्थित आगरा–मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–3 पर मैक्सी रेल समपार के ऊपर एक उपरिपुल के निर्माण हेतु पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंत्रालय द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी नहीं। पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, इस स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच सर्किल) ने क्षेत्रीय रेल को निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण (बोट) के आधार पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव दिया है।

नवंबर, 2001 में रेलवे ने सामान्य आरेखण व्यवस्था को पहले से ही अनुमोदित कर दिया है लेकिन इसके बाद से सड़क प्राधिकरण द्वारा अभी तक कोई प्रगति नहीं की गई है।

[अनुवाद]

घाटे में चल रहे केन्द्र सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

4205. श्री बीर सिंह महतो :
श्री किशनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
प्रो. एम. रामदास :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं, जो पिछले तीन वर्षों से लगातार घाटे में चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने उनके घाटे में चलने के कारणों का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन करवाया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) सरकार द्वारा घाटे में चल रहे केन्द्र सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान बंद किए गए केन्द्र सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) अपेक्षित जानकारी वर्ष 2002–03 के लोक उद्यम सर्वेक्षण के विवरण सं. 7 ख में दी गई है। उक्त सर्वेक्षण एक प्रकाशित दस्तावेज है और इसे दिनांक 8.6.2004 को संसद में प्रस्तुत किया गया था।

(ख) और (ग) लोक उद्यम सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है और इसमें घाटा के कारणों का विश्लेषण किया जाता है, जिनमें केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अधिग्रहीत उद्यमों की अन्तर्निहित समस्याएं, पुराने संयंत्र व मशीनें, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, ब्याज का भारी बोझ, संसाधनों की कमी, निविष्टि की अधिक लागत, तीव्र प्रतिस्पर्धा, क्षमता का कम उपयोग, कमजोर विपणन रणनीतियां आदि शामिल हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (वाणिज्यिक) की रिपोर्ट में भी ऐसी ही टिप्पणी की गई है।

(घ) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा समय–समय पर उद्यम–सापेक्ष व आवश्यकता पर आधारित उपाय किए जाते हैं। रूग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उद्यमों का मामला औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को सौंप दिया जाता है, ताकि उनके पुनरूद्धार की उपयुक्त योजनाएं बनाई जा सकें। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह विनिर्दिष्ट है कि सरकारी क्षेत्र की रूग्ण कंपनियों का पुनर्गठन करने और रूग्ण उद्योगों का पुनरूद्धार करने का हरसंभव प्रयास किया जायेगा। सरकारी उद्यमों के पुनर्गठन के लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई है, जो रूग्ण तथा घाटा उठाने वाले उद्यमों के मामले पर विचार करेगा और इस संबंध में सरकार को अपनी अनुशंसाएं करेगा।

(ङ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिनांक 31.3.2003 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पन्द्रह उद्यमों, नामशः भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड, भारत गोल्ड माइन्स लि., भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लि., कानपुर टेक्सटाईल्स लि., साइकिल

कारपो. ऑफ इंडिया लि., एल्गिन मिल्स कंपनी लि., इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपो. लि, माइनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपो. लि., नेशनल बाईसाइकिल कारपो. ऑफ इंडिया लि., उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि., आर.बी.एल. लि., सदर्न पेस्टीसाइड्स कारपो. लि., टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो. ऑफ इंडिया लि., टी ट्रेडिंग कारपो. ऑफ इंडिया लि. तथा वेबर्ड इंडिया लि. को बंद किया जा चुका था। इसके अतिरिक्त, मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड को परिसमाप्त कर दिया गया है।

बेंगलौर और मैसूर के बीच रेलमार्ग का दोहरीकरण

4206. श्री एम. शिवन्ना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेंगलौर और मैसूर के बीच रेलमार्ग के दोहरीकरण का कार्य धीमी गति से प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मार्ग पर कार्य शीघ्र पूरा किए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) कर्नाटक राज्य सरकार के साथ 2/3 लागत की भागीदारी के आधार पर बेंगलोर-मैसूर खंड पर बेंगलौर-केंगरी (12 कि.मी.) और केंगरी-रामनगरम (32 कि.मी.) खंडों के दोहरीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा मैचिंग फंड मुहैया नहीं कराये गये हैं जिससे कार्य की प्रगति प्रभावित हो रही है। बेंगलोर-केंगरी-बिडदी (27 कि.मी.) का दोहरीकरण 2005506 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

शेष भाग अर्थात् रामनगरम-मैसूर (95 कि.मी.) के दोहरीकरण के कार्य को अभी मंजूरी नहीं मिली है, जिसके लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

रेललाइन का दोहरीकरण

4207. श्री सुशील कुमार मोदी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बढ़रवा से तीन पहाड़ के बीच रेलमार्ग दोहरीकरण परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) उक्त परियोजना के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) बढ़हरवा-तीन पहाड़ खण्ड के दोहरीकरण के लिए विस्तृत अनुमान की स्वीकृति हो चुकी है। मिट्टी संबंधी कार्य और छोटे पुलों से संबंधित कार्य शुरू हो गया है। 2005-06 के बजट में इस कार्य के लिए 3 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) परियोजना की पूरा करने की लक्ष्यतिथि अभी तक निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

विल्लुपुरम-मदुरै रेलमार्ग का विद्युतीकरण

4208. श्री पी. मोहन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को वाया तिरूचि विल्लूपुरम और मदुरै के बीच बड़ी लाइन के विद्युतीकरण हेतु दक्षिण रेलवे से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी नहीं। हाल में 87.82 करोड़ रुपये की लागत पर केवल विवुपुरम-तिरूच्चिरापल्ली खंड (178 मार्ग किलोमीटर) के विद्युतीकरण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस खंड के विद्युतीकरण के बारे में अंतिम निर्णय प्रस्ताव के मूल्यांकन पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

रक्षा भूमि का अवैध सौदा

4209. श्री महेश कनोडीया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली के छावनी क्षेत्र में रक्षा भूमि के अवैध सौदे हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) दिल्ली के छावनी क्षेत्र में रक्षा भूमि के अवैध सौदे का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रूस के साथ द्विपक्षीय रक्षा संबंध

4210. कुंवर मानवेन्द्र सिंह :
श्री सुरेश कलमाडी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और रूस ने अपने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को जारी रखने के लिए एक समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) द्विपक्षीय रक्षा संबंध को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) रूसी संघ के साथ रक्षा सहयोग पर विचार--विमर्श करने के लिए 'सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतरसरकारी आयोग' के रूप में एक संस्थागत तंत्र विद्यमान है। इस आयोग की अब तक चार बैठकें हो चुकी हैं। इस आयोग की चौथी बैठक 1-2 दिसंबर, 2004 को नई दिल्ली में हुई थी। आयोग ने रूस और भारत की सशस्त्र सेनाओं द्वारा संयुक्त अभ्यासों के आयोजन सहित मौजूदा सैन्य तकनीकी सहयोग बढ़ाने और दोनों सेनाओं के बीच संबंधों के संवर्धन का प्रस्ताव रखा।

स्टेशनों पर खानपान के ठेकों का आबंटन

4211. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल स्टेशनों पर फूड प्लाजा तथा रसोईयान, खानपान के ठेकों के आबंटन हेतु भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम द्वारा क्या प्रक्रिया/मानदण्ड अपनाया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान रसोईयान, खानपान ठेकों और फूड प्लाजा की आय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त ठेकों को आबंटन जिन ठेकेदारों को किया गया था उनका ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेल मंत्रालय द्वारा जारी मौजूदा कैटरिंग नीति संबंधी निर्देशों के अनुसार पैंट्री कार और फूड प्लाजा तथा अन्य बड़े ठेकों के लिए लाइसेंस भारतीय कैटरिंग और टूरिज़म कार्पोरेशन लि. (आई आर सी टी सी) द्वारा दो पैकेट निविदा प्रणाली के अंतर्गत दिए जाते हैं, जिसमें पहले से पास की गई पार्टियों से निविदाएं आमंत्रित की जाती है। प्रैस अधिसूचना के माध्यम से पैकेट "ए" में तकनीकी मापदंड होते हैं तथा पैकेट "बी" में वित्तीय बोली शामिल रहती है। वित्तीय बोलियां उन बोलीदाताओं के लिए खोली जाती है जो तकनीकी मापदंड (पैकेट "ए") को पूरा करते हैं। सबसे ऊंची वित्तीय बोली लगाने वाली बोलीदाता को उस इकाई का लाइसेंस प्रदान किया जाता है। ऐसी छोटी स्थिर इकाईयों के मामले में पात्रता संबंधी शर्तों को देखते हुए आवेदनों की जांच की जाती है तथा शर्तों को पूरा करने वाले आवेदकों में से प्रतियोगी निविदाओं के बाद लाइसेंस प्रदान किया जाता है;

(ख) पैंट्री कार, कैटरिंग निविदाओं के साथ-साथ फूड प्लाजा से अर्जित की गई आय का ब्यौरा संलग्न विवरण "I" के रूप में संलग्न है;

(ग) ऐसे ठीक जिन्हें उपरिलिखित निविदाएं प्रदान की गई का ब्यौरा विवरण "II" के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान खानपान यूनिटों (मोबाइल तथा अन्य स्थाई यूनिटों) तथा फूड प्लाजा से प्राप्त आय की सूची

(आंकड़े लाख रुपए में)

2002-03	2003-04	2004-05	कुल
मोबाइल तथा अन्य स्थाई यूनिटें			
1107.70	1394.37	1750.45	4252.52
फूड प्लाजा			
86.16	219.41	461.51	467.08
1193.86	1613.78	2211.96	5019.60

विवरण-II

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के अंतर्गत ठेकेदारों द्वारा परिचालित पैन्ट्री कारों की सूची (मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां)

क्र.सं.	गाड़ी सं.	गाड़ियों के नाम	पैयर ऑफ स्टेशन	लाइसेंसधारकों के नाम
1	2	3	4	5
1.	5645-46	जीएचवाई-डी आर एक्सप्रेस	जीएचवाई-डी आर	मैसर्स ब्रून कैटरिंग कंपनी
2.	6023-24	एमएएस - एसबीसी एक्सप्रेस	एमएएस - एसबीसी	मैसर्स के एम ए कैटरर्स

1	2	3	4	5
3.	3151–52	सियालदाह एक्सप्रेस	एसडीएएच–जेएटी	मैसर्स दून कैटरर्स
4.	2141–42	एलटीटी – पीएनबीई एक्सप्रेस	एलटीटी – पीएनबीई	मैसर्स आर के अग्रवाल
5.	2165–66	एलटीटी – बीएसबी एक्सप्रेस	एलटीटी – बीएसबी	मैसर्स अंबुज होटल
6.	6009–10	एमएएस – सीएसटीएम मेल	एमएएस – सीएसटीएम	मैसर्स आर के अग्रवाल
7.	6011–12	एमएएस – सीएसटीएम मेल	एमएएस – सीएसटीएम	मैसर्स आर के अग्रवाल
8.	6509–10	एएलएल–एसबीसी एक्सप्रेस	एएलएल–एसबीसी	मैसर्स के एम ए कैटरर्स
9.	2925–26	पश्चिम एक्सप्रेस	बीडीटीएस–एएसआर	मैसर्स आर सी गोयल
10.	8003–04	एचडब्ल्यूएच–वाईपीआर एक्सप्रेस	एचडब्ल्यूएच–वाईपीआर	मैसर्स के एम ए कैटरर्स
11.	2903–04	गोल्डन टैम्पल मेल	बीसीटी–एएसआर	मैसर्स हकमी चंद डी. एंड संस
12.	2129–30	आजाद हिंद एक्सप्रेस	पीए–एचडब्ल्यूएच	मैसर्स आर के एंटरप्राइजेज
13.	1031–32	पीए–बीएसबी एक्सप्रेस	पीए–बीएसबी	मैसर्स आर के एंटरप्राइजेज
14.	3201–02	पीएनबीई–सीएलए एक्सप्रेस	पीएनबीई–सीएलए	मैसर्स आर के एंटरप्राइजेज
15.	6803–04	टीपीजे–एचडब्ल्यूएच एक्सप्रेस	टीपीजे–एचडब्ल्यूएच	मैसर्स क्वालिटी कैटरर्स
16.	6317–18	हिमसागर एक्सप्रेस	सीएपीई–जेएटी	मैसर्स क्वालिटी कैटरर्स
17.	6355–56	सीएपीई–एचडब्ल्यूएच एक्सप्रेस	एचडब्ल्यूएच–सीएपीई	मैसर्स के एम ए कैटरर्स
18.	8111–12	इस्पात एक्सप्रेस	एचडब्ल्यूएच–आरओयू	मैसर्स फूड वर्ल्ड
19.	2321–22	एचडब्ल्यूएच–सीएसटीएम एक्सप्रेस	एचडब्ल्यूएच–सीएसटीएम	मैसर्स महेश एच कैटरर्स
20.	2627–28	कर्नाटक एक्सप्रेस	एसबीसी–एनडीएलएस	मैसर्स के एम ए कैटरर्स
21.	6351–52	एनसीजे–टीपीटीवाई एक्सप्रेस	एनसीजे–टीपीटीवाई	मैसर्स हकमी चंद डी एंड संस
22.	6353–54	टीपीटीवाई–सीएसटीएम एक्सप्रेस	टीपीटीवाई–सीएसटीएम	मैसर्स हकमी चंद डी एंड संस
23.	2559–60	शिव गंगा एक्सप्रेस	एनडीएलएस–बीएसबी	मैसर्स हकमी चंद डी एंड संस
24.	2557–58	दिल्ली–एमएफपी	एनडीएलएस–एमएफपी	मैसर्स आर के एंटरप्राइजेज
25.	1033–34	पुणे–दरभंगा	पीए–दरभंगा	मैसर्स आर के एंटरप्राइजेज
26.	5631–32	जीएचवाई–जेयू एक्सप्रेस	जीएचवाई–जेयू	मैसर्स हकमी चंद डी एंड संस
27.	2307–08	हावड़ा–जोधपुर	एचडब्ल्यूएच–जेयू	मैसर्स फूड वर्ल्ड
28.	6505–06	एसबीसी–जीआईएम एक्सप्रेस	एसबीसी–जीआईएम	मैसर्स पी के शैफी
29.	6507–08	एसबीसी–जेयू एक्सप्रेस	एसबीसी–जेयू	मैसर्स पी के शैफी
30.	2641–42	थिरूकुरल एक्सप्रेस	सीएपीई–एनजेडएम	मैसर्स भारत कैटरिंग कॉर्पोरेशन

1	2	3	4	5
31.	6127–28	एमएस–जीयूवी एक्सप्रेस	एमएस–जीयूवी	मैसर्स सी के के कैटरिंग
32.	8477–78	कालिंगाउत्कल एक्सप्रेस	पुरी–एनडीएलएस	मैसर्स दून कैटरर्स
33.	2679–80	इंटरसिटी एक्सप्रेस	सीबीई–एमएएस	मैसर्स एरेन्को कैटरिंग
34.	2131–32	पीए–एनजीपी एक्सप्रेस	पीए–एनजीपी	मैसर्स हकमी चंद डी एंड संस
35.	1037–38	पीए–पीएनबी एक्सप्रेस	पीए–पीएनबी	मैसर्स महेश एच कैटरर्स
36.	1013–14	सीबीई–सीएलए एक्सप्रेस	सीबीई–सीएलए	मैसर्स के एम ए कैटरर्स
37.	6311–12	टीवीसी–जेयू एक्सप्रेस	टीवीसी–जेयू	मैसर्स आवर्स आर्य भवन
38.	6033–34	एमएएस–डीडीएन एक्सप्रेस	एमएएस–डीडीएन	मैसर्स बून कैटरिंग कंपनी
39.	8237–38	छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस	बीएसपी–एएसआर	मैसर्स मिडवेस्ट कैटरर्स
40.	2561–62	स्वतंत्रता सेनानी	एमएफपी–एनडीएलएस	मैसर्स महेश एच कैटरर्स
41.	2811–12	एचटीई–एलटीटी एक्सप्रेस	एचटीई–एलटीटी	मैसर्स महेश एच कैटरर्स
42.	8613–14	एचटीई–वाईपीआर एक्सप्रेस	एचटीई–वाईपीआर	मैसर्स दून कैटरर्स
43.	2985–86	जेपी–एसडीएएच एक्सप्रेस	जेपी–एसडीएएच	मैसर्स बून कैटरिंग कंपनी
44.	5227–28	एमएफपी–वाईपीआर एक्सप्रेस	एमएफपी–वाईपीआर	मैसर्स आवर्स आर्य भवन
45.	3413–14	फरक्का एक्सप्रेस	एमएलडीटी–बीएनडब्ल्यू	मैसर्स अंबुज होटल
46.	3483–84	फरक्का एक्सप्रेस	एमएलडीटी–बीएनडब्ल्यू	मैसर्स अंबुज होटल
47.	2179–80	ताज एक्सप्रेस	एनजेडएम–जीडब्ल्यूएल–एनजेडएम	मैसर्स आर डी शर्मा (टीएसवी)
48.	1103–04	इंटरसिटी एक्सप्रेस	एनजेडएम–एजीसी–एनजेड	मैसर्स आर डी शर्मा (टीएसवी)
49.	6345–46	नेत्रावती एक्सप्रेस	टीवीसी–एलटीटी	मैसर्स वी गंगाधरन
50.	7091–92	एससी–आरजेपीबी एक्सप्रेस	एससी–आरजेपीबी	मैसर्स मिडवेस्ट कैटरर्स
51.	2649–50	संपर्क क्रांति	वाईपीआर–एमजेडएम	मैसर्स रूप कैटरर्स
52.	2391–92	श्रमजीवी एक्सप्रेस	आरजीडी–एनटीएलएस	मैसर्स हकमी चंद डी एंड संस
53.	7037–38	एससी–बीकेएन एक्सप्रेस	एससी–बीकेएन	मैसर्स महेश एच कैटरर्स
54.	2553–54	वैशाली एक्सप्रेस	बीजेयू–एनडीएलएस	मैसर्स महेश एच कैटरर्स

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के अंतर्गत ठेकेदारों द्वारा परिचालित पैन्ट्री कारों की सूची (राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस गाडियां)

क्र.सं.	गाड़ी सं.	गाड़ियों के नाम	पैयर ऑफ स्टेशन	लाइसेंसधारकों के नाम
1	2	3	4	5
1.	2003–04	शताब्दी एक्सप्रेस	एलकेओ–एनडीएलएस	मैसर्स आर के एसोसियेट
2.	2035–36	शताब्दी एक्सप्रेस	एलकेओ–एनडीएलएस	मैसर्स आर के एसोसियेट

1	2	3	4	5
3.	2001–02	शताब्दी एक्सप्रेस	एनडीएलएस–बीपीएल	मैसर्स अंबुज होटल
4.	2439–40	राजधानी एक्सप्रेस	एनडीएलएस–एचटीई	मैसर्स अंबुज होटल
5.	2441–42	राजधानी एक्सप्रेस	एनडीएलएस–बीएसपी	मैसर्स दून कैटरर्स
6.	2437–38	राजधानी एक्सप्रेस	एनजेडएम–एमसी	मैसर्स फूड वर्ल्ड
7.	2423–24	राजधानी एक्सप्रेस	एनडीएलएस–जीएचवाई	मैसर्स आर के एंटरप्राइजेज
8.	2435–36	राजधानी एक्सप्रेस	एनडीएलएस–जीएचवाई	मैसर्स आर के एंटरप्राइजेज
9.	2051–52	जन शताब्दी	एलटीटी–एमएओ	मैसर्स आर के एंटरप्राइजेज
10.	2053–54	जन शताब्दी	एलकेओ–एएलडी	मैसर्स भारत कैटरिंग कॉर्पोरेशन
11.	2079–80	जन शताब्दी	एसबीसी–यूबीएल	मैसर्स गोल्डन कैटरर्स
12.	2061–62	जन शताब्दी	जेबीपी–एचबीजे	मैसर्स आर डी शर्मा
13.	2077–78	जन शताब्दी	एमएस–बीजेडए	मैसर्स आवर्स आर्य भवन
14.	2081–82	जन शताब्दी	एनबीवीजे–एडीआई	मैसर्स महेश एच कैटरर्स
15.	2065–66	जन शताब्दी	एमएलडीटी–एचडब्ल्यूएच	मैसर्स जे के घोष
16.	2055–56	जन शताब्दी	एनडीएलएस–डीडीएन	मैसर्स दून कैटरर्स
17.	2059–60	जन शताब्दी	एमजेडएम–केटीटी	मैसर्स हकमी चंद डी एंड संस
18.	2075–76	जन शताब्दी	ईआरएस–टीवीसी	मैसर्स आवर्स आर्य भवन
19.	2057–58	जन शताब्दी	एनडीएलएस–सीडीजी	मैसर्स पी के एसोसिएट्स
20.	2073–74	जन शताब्दी	एचडब्ल्यूएच–बीबीएस	मैसर्स पूर्वांचल
21.	2021–22	जन शताब्दी	टाटा–एचडब्ल्यूएच	मैसर्स फूड वर्ल्ड
22.	2069–70	जन शताब्दी	आरआईजी–दुर्ग	मैसर्स महेश एच कैटरर्स
23.	2067–68	जन शताब्दी	जीएचवाई–डीएमवी	मैसर्स जे के घोष
24.	2083–84	जन शताब्दी	टीजे–सीबीई	मैसर्स एरेन्को कैटरिंग
25.	2023–24	जन शताब्दी	पीएमबीई–एचडब्ल्यूएच	मैसर्स भारत कैटरिंग कॉर्पोरेशन

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के द्वारा आबंटित
पैन्ट्री कारों का विवरण (मेल/एक्सप्रेस गाडियां – अप्रचालित)

क्र.सं.	गाड़ी सं.	गाड़ियों के नाम	पैयर ऑफ स्टेशन	लाइसेंसधारकों के नाम
1	2	3	4	5
1.	5635–36	जीएचवाई–ओकेएचए एक्सप्रेस	जीएचवाई–ओकेएचए	मैसर्स महेश एच कैटरर्स
2.	5637–38	जीएचवाई–एससी एक्सप्रेस	जीएचवाई–एससी	मैसर्स मिडवेस्ट कैटरर्स

1	2	3	4	5
3.	5639–40	जीएचवाई–पुरी एक्सप्रेस	जीएचवाई–पुरी	मैसर्स पूर्वांचल
4.	2107–08	एलटीटी–एलकेओ एक्सप्रेस	एलटीटी–एलकेओ	मैसर्स ब्रून कैटरिंग कंपनी (प्रा. लि.)
5.	5933–34	डीबीआरटी–एएसआर एक्सप्रेस	डीबीआरटी–एएसआर	मैसर्स हकमी चंद डी एंड संस

आई आर सी टी सी के अंतर्गत ठेकेदारों द्वारा परिचालित फूड प्लाजा का विवरण

क्रम सं.	स्टेशन	चालू दिनांक	लाइसेंस धारकों के नाम
1	2	3	4
1.	पुणे	5 मई 02	आर के एसोसिएटस
2.	मुंबई सेंट्रल	31 अक्टूबर 02	आर के एच एस
3.	निजामुद्दीन	5 सितंबर 03	आर के एसोसिएटस
4.	दिल्ली	31 अगस्त 03	आर के एसोसिएटस
5.	इलाहाबाद	28 जून 03	होटल कान्हा श्याम
6.	हावड़ा	24 जुलाई 03	आर के एसोसिएटस
7.	विशाखापटनम	24 जून 03	अंबिका एंपायर
8.	टाटानगर	10 सितंबर 03	होटल अमरजीत
9.	रांची	30 अगस्त 03	एयरपोर्ट रेस्टोरेंट
10.	पटना एफ एफ	11 अप्रैल 03	एयरपोर्ट रेस्टोरेंट
11.	पटना जी एफ	11 अप्रैल 03	एयरपोर्ट रेस्टोरेंट
12.	चेन्नै	16 जुलाई 02	ओरिएंटल कुशनस
13.	बिलासपुर	15 दिसंबर 03	ए एस सेल्स कार्पो.
14.	तिरूपति	3 फरवरी 04	गुड लैंडस
15.	बंगलौर सिटी	8 दिसंबर 03	आर के एसोसिएटस
16.	त्रिशूर	13 दिसंबर 03	एरानिको कैटरिंग
17.	कुर्सियांग	10 मार्च 03	ग्लेनरी
18.	नागपुर	6 फरवरी 04	आर के अग्रवाल
19.	राजेन्द्र नगर	28 फरवरी 04	पूर्वांचल कैटरर्स
20.	विजयवाड़ा	10 मई 04	आर के अग्रवाल
21.	आगरा कैंट	8 जून 04	आर के एसोसिएटस
22.	चेन्नै एगमोर	5 अप्रैल 04	अड्यार आनंद

1	2	3	4
23.	मदुरै	21 अप्रैल 04	आरिएंटल क्यूसिंस
24.	एरणाकुलम	27 सितंबर 04	होटल हाइवे पैलेस
25.	तिरूचिरापल्ली	15 अक्टूबर 04	सी के के कैटरिंग
26.	शोरानूर	1 दिसंबर 04	होटल हाइवे पैलेस
27.	चेन्नै बीच	4 दिसंबर 04	एरेनको कैटरिंग
28.	इलाहाबाद सिटी साइड	21 दिसंबर 04	ए. एस. सेल्स कार्पो.
29.	चर्चगेट–सी–एच	28 दिसंबर 04	फूड वर्ल्ड
30.	हावड़ा–ओल्ड	22 फरवरी 05	स्वीट्ज फूड
31.	रायपुर	17 मार्च 05	होटल सेलिबरेशन
32.	राजमुंद्री	22 मार्च 05	गुड लैंडस

आई आर सी टी सी द्वारा आबंटित फूड प्लाजा का विवरण(अपरिचालित)

क्रम सं.	स्टेशन	लाइसेंस धारकों के नाम
1	2	3
1.	कोयम्बटूर	एरानिको कैटरिंग
2.	चर्चगेट	विम्पीज
3.	एरणाकुलम टाउन	होटल हाइवे पैलेस
4.	हबीबगंज	सामदरिया
5.	चैन्ने पार्क	एरानिको कैटरिंग
6.	त्रिवेंद्रम	रॉयल इंडिया मार्केटिंग
7.	जबलपुर	सामदरिया
8.	सिकंदराबाद	मिडवेस्ट कैटरर्स

आई आर सी टी सी के अंतर्गत ठेकेदारों द्वारा परिचालित स्थायी खानपान सेवाओं का विवरण

क्रम सं.	स्टेशन	गतिविधि	लाइसेंस धारक का नाम
1	2	3	4
1.	आगरा कैंट	पेठा और दालमोठ की बिक्री	मैसर्स क्वालिटी पेठा हाउस
2.	आगरा कैंट	भोजन एवं पेय पदार्थ	मैसर्स आर के एसोसिएटस
3.	आगरा कैंट	आईसक्रीम की बिक्री	मैसर्स यूनिवर्सल डेयरी
4.	मथुरा	पेड़ा/पेठा की बिक्री	मैसर्स क्वालिटी पेठा हाउस
5.	मथुरा	भोजन एवं पेय पदार्थ	मैसर्स हकमी चंद डी एडं संस
6.	मथुरा	आईसक्रीम की बिक्री	मैसर्स वाडिलाल इन्टरप्राइजेज
7.	नागपुर	आईसक्रीम की बिक्री	मैसर्स दिनशॉ डेयरी फूडस
8.	भुसावल	आईसक्रीम की बिक्री	मैसर्स दिनशॉ डेयरी फूडस

1	2	3	4
9.	झांसी	आईसक्रीम की बिक्री	मैसर्स यूनिवर्सल डेयरी
10.	दुर्गापुर	भोजन एवं पेय पदार्थ	मैसर्स उवर्शी
11.	धनबाद	भोजन एवं पेय पदार्थ	पूर्वांचल केटरर्स
12.	उत्तर रेलवे अस्पताल		भारत कैटरिंग कार्पोरेशन
13.	बलिया	कैफेटेरिया	जे पी सिंह एंड ब्रदर्स
14.	बेगमपेट	फास्ट फूड आउटलेट	मैसर्स मिडवेस्ट कैटरर्स
15.	लिंगामपल्ली	फास्ट फूड आउटलेट	मैसर्स मिडवेस्ट कैटरर्स
16.	भरत नगर	फास्ट फूड आउटलेट	मैसर्स मिडवेस्ट कैटरर्स
17.	नेचर केयर	फास्ट फूड आउटलेट	मैसर्स मिडवेस्ट कैटरर्स
18.	नई दिल्ली	आईसक्रीम की बिक्री	मैसर्स यूनिवर्सल डेयरी
19.	निजामुद्दीन	आईसक्रीम की बिक्री	मैसर्स यूनिवर्सल डेयरी
20.	दिल्ली	आईसक्रीम की बिक्री	मैसर्स जी सी एम एम एफ
		छोटी इकाईयां	
21.	मानसी	स्टॉल	मनोज कुमार
22.	जयपुर	स्टॉल	खुर्शीद अहमद
23.	अलवर	स्टॉल	प्रकाश सी वर्मा
24.	गांधीनगर जयपुर	स्टॉल	श्रीमती आरती जैन

आई आर सी टी सी के अंतर्गत ठेकेदारों द्वारा परिचालित ए वी एम का विवरण

क्रम सं.	यूनिट	लाइसेंस धारक का नाम
1	2	3
	गर्म पेय पदार्थ	
1.	चेन्ने/मूरी मार्केट कॉम्पलेक्स पर स्थित ए वी एम	फ्रेश व ऑनेस्ट कैफ
2.	चेन्ने/मूरी मार्केट कॉम्पलेक्स पर स्थित ए वी एम	अमलगामेटेड कॉफी
3.	चेन्ने/मूरी मार्केट कॉम्पलेक्स पर स्थित ए वी एम	हिंदुस्तान लीवर लि.
4.	ए वी एम एट चेन्ने/मूरी मार्केट कॉम्प्लेक्स	नेस्ले इंडिया लि.
5.	चेन्ने/मूरी मार्केट कॉम्पलेक्स पर स्थित ए वी एम	अमलगामेटेड कॉफी
6.	मुंबई सैंट्रल पर स्थित ए वी एम	अमलगामेटेड कॉफी
7.	सुरत पर स्थित ए वी एम	नेस्ले इंडिया लि.
8.	हैदराबाद पर स्थित ए वी एम	फ्रेश व ऑनेस्ट कैफ
9.	सिंकदराबाद पर स्थित ए वी एम	फ्रेश व ऑनेस्ट कैफ
10.	हैदराबाद पर स्थित ए वी एम	हिंदुस्तान लीवर लि.

1	2	3
11.	सिंकदराबाद पर स्थित ए वी एम	हिंदुस्तान लीवर लि.
12.	विजयवाड़ा पर स्थित ए वी एम	फ्रेश व ऑनेस्ट कैफ
	आई आर सी टी सी द्वारा आबंटित किए गए ए वी एम का विवरण (अपरिचालित)	
	गर्म पेय पदार्थ	
13.	दादर पर स्थित ए वी एम	अमलगामेटेड कॉफी
14.	मुंबई सी एस टी पर स्थित ए वी एम	नेस्ले इंडिया लि.
15.	दादर पर स्थित ए वी एम	नेस्ले इंडिया लि.
16.	जबलपुर पर स्थित ए वी एम	नेस्ले इंडिया लि.
17.	मदन महल पर स्थित ए वी एम	नेस्ले इंडिया लि.
18.	मध्य रेलवे अस्पताल पर स्थित ए वी एम	हिंदुस्तान बिवरेज
19.	मुबंई सी एस टी पर स्थित ए वी एम	अमलगामेटेड कॉफी
20.	मुबंई सैंट्रल पर स्थित ए वी एम	अमलगामेटेड कॉफी
	ठंडे पेय पदार्थ	
21.	हैदराबाद पर स्थित ए वी एम	पेप्सी फूडस लि.
22.	चर्चगेट पर स्थित ए वी एम	हिंदुस्तान बिवरेज
23.	जबलपुर पर स्थित ए वी एम	पेप्सी फूडस लि.
24.	मदन महल पर स्थित ए वी एम	पेप्सी फूडस लि.
25.	सी आर हॉसपिटल पर स्थित ए वी एम	हिंदुस्तान बिवरेज
26.	मुबंई सैंट्रल पर स्थित ए वी एम	हिंदुस्तान बिवरेज

भाषाई थियेटर का विकास

4212. श्री डी. विट्ठल राव : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को विभिन्न भाषाई थियेटरों को राष्ट्रीय थियेटरों के रूप में विकसित करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां। कुछ प्रतिष्ठित रंगकर्मियों ने सरकार को ऐसे अभ्यावेदन प्रस्तुत किए है। उनकी महत्वपूर्ण मांगें इस प्रकार है :–

1. राष्ट्रीय रंगमंच नीति को परिभाषित किया जाए – भारत के सभी राष्ट्रीय भाषा रंगमंचों को राष्ट्रीय रंगमंच का दर्जा प्रदान किया जाए।

2. मनोरंजन उद्योग की विशाल चुनौती का समुचित ढंग से सामना करने के लिए रंगमंच हेतु पर्याप्त संसाधन आबंटित किए जाएं।

3. देश के सभी राज्यों में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, राष्ट्रीय रंगमंच रिपर्टरी और शिक्षा–में–रंगमंच कार्यक्रम को देश के सभी राज्यों में स्थापित किया जाए।

4. मौजूदा केंद्रीय और राज्य सांस्कृतिक संस्थाओं की 'सांस्कृतिक लेखा–परीक्षा (उनकी वित्तीय लेखा परीक्षा के अतिरिक्त) की जाए।

(ग) सरकार ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को विद्यालय के उपयुक्त मंच अर्थात् राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सोसाइटी में इस मुद्दे पर चर्चा करने का निर्देश दिया है।

आयल इंडिया लिमिटेड का विनिवेश

4213. श्रीमती मिनाती सेन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आयल इंडिया लिमिटेड के 47% शेयर का विनिवेश इंडियन आयल कार्पोरेशन में करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह विनिवेश तेल कंपनियों के विलय की ओर उन्मुख है;

(घ) यदि हां, तो क्या विलय की स्थिति में ओआईएल, आईओसी की समनुषंगी इकाई बन जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विरासत परियोजना के अन्तर्गत उत्खनन

4214. श्री अतीक अहमद : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विरासत परियोजना' के अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर उत्खनन कार्य शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक इस परियोजना पर कितनी राशि खर्च की गयी है; और

(घ) सरस्वती नदी के अस्तित्व को सिद्ध करने हेतु अब तक क्या साक्ष्य मिले हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) 'भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विरासत परियोजना' के तहत कोई उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अभी तक सरस्वती नदी को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों का निर्माण

4215. श्री जी. वी. हर्ष कुमार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सीमेन्ट और गारे के स्थान पर शीशे और इस्पात की आधुनिक संकल्पना का इस्तेमाल करते हुए भविष्योन्मुखी विमानपत्तन निर्माण हेतु मास्टर कार्ययोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस परियोजना में निजी फर्मों को शामिल कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस उद्देश्य हेतु पहचाने गए प्रत्येक विमानपत्तन पर कितनी राशि खर्च होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भविष्य में परम्परागत सामग्रियों के अतिरिक्त शीशे तथा इस्पात का प्रयोग करते हुए अहमदाबाद, त्रिवेन्द्रम, जयपुर, उदयपुर, त्रिची, डिब्रूगढ़, कोलकाता, सूरत, कालीकट, श्रीनगर, अमृतसर, आई.जी.आई. दिल्ली, सी.एस.आई. मुम्बई, वाराणसी, खुजराहो, मदुरई, मैंगलोर तथा विजाग में हवाईअड्डों के निर्माण की योजना है।

(ग) और (घ) वास्तुकला परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार वैश्विक तथा राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिताओं के आयोजन द्वारा टर्मिनल भवनों, विमानसेतुओं तथा अन्य सुरुचिपूर्ण अच्छे हवाईअड्डों का डिजाइन तैयार करने के लिए निजी फर्मों को नियुक्त किया जा रहा है।

(ङ) आधुनिक भवनों पर खर्च की जाने वाली सम्भावित राशि हैं – (करोड़ रुपए में): अहमदाबाद (145.00), त्रिवेन्द्रम (150.00), जयपुर (80.00), उदयपुर (69.45), त्रिची (योजना के स्तर पर) डिब्रूगढ़ (49.00), कोलकाता (160.00), सूरत (35.30), कालीकट (89.48), श्रीनगर (77.48), अमृतसर (75.00), आई.जी. आई. दिल्ली (90.00), सी.एस.आई. मुम्बई (85.66), वाराणसी (योजना के स्तर पर), खुजराहो (योजना के स्तर पर), मदुरै

(योजना के स्तर पर), मैंगलोर (योजना के स्तर पर) तथा विजाग (94.93)।

कंटेनरों की आवाजाही

4216. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को कंटेनरों की आवाजाही हेतु निजी परिवहन कंपनियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे की प्रतिक्रिया क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कुछ पार्टियों ने भारतीय कंटेनर कॉरपोरेशन लि. (कॉनकोर) की तरह कंटेनर गाड़ियों के परिचालन के लिए आवेदन किया है। कंटेनर गाड़ियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, निर्मित की जा रही संशोधित नीति के दिशा-निर्देशों के अनुसार कंटेनर यातायात के संचलन के लिए कॉनकोर के अलावा, अन्य संगठनों पर भी विचार किया जाएगा।

मनोरंजन कर का भुगतान

4217. श्री बाडिगा रामकृष्णा :

श्री ई. पोन्नुस्वामी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय में यह मत व्यक्त किया है कि राज्यों द्वारा लगाए गए मनोरंजन कर मल्टी-सर्विस आपरेटर्स (एम.एस.ओ) द्वारा दिया जाना चाहिए न कि केबल आपरेटरों द्वारा कि दिनांक 17 मार्च, 2005 के 'हिन्दुस्तान टाईम्स' से खबर प्रकाशित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एम.एस.ओ. यह भार केवल आपरेटर पर न लाद दें यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लाइसेंस दिए जाने में विलम्ब

4218. श्री मधु गौड यास्खी :
श्री तथागत सत्पथी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को मुद्रा विनिमय पटल संचालन हेतु लाइसेंस दिए जाने में विलम्ब तथा कार पार्किंग लाइसेंस के लिए न्यून लाइसेंस शुल्क स्वीकार करने के कारण 22.49 करोड़ रु. के कुल राजस्व की हानि हुई है जैसा कि 23 मार्च, 2005 के हिन्दुस्तान टाईम्स में खबर प्रकाशित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस मामले मे कोई जांच की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या हैं; और

(ङ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में मत व्यक्त किया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को, धन विनिमय काऊंटर चलाने के लिए लाइसेंस देने में देरी करने तथा कार पार्क लाइसेंस इत्यादि से लाइसेंस शुल्क की कम दर स्वीकार करने पर, लगभग 22.49 करोड़ रुपए की हानि उठानी पड़ी है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अनुसार, धन विनिमय काऊंटरों के देने में देरी होने के कारण, मुख्य रूप से, विभिन्न पार्टियों द्वारा मुम्बई कोलकाता और त्रिवेन्द्रम में न्यायालयों में दर्ज विभिन्न न्यायिक मामलों का होना था। जहां तक कार पार्क से लाइसेंस शुल्क की कम दर स्वीकार करने का मामला है, तब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अनुसार, पार्किंग क्षेत्र के कम प्रयोग होने के कारण, कार पार्क दरों के संशोधन में प्रतिशत वृद्धि के साथ किसी प्रकार की कोई आनुपातिक वृद्धि आरंभ नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अभिमतों की जांच चल रही है।

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का संयुक्त कार्यक्रम

4219. श्री जुएल ओराम : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने निजी क्षेत्र की विमान कम्पनियों की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की असान प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए कोई संयुक्त कार्यक्रम शुरू किया है/ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों के द्वारा, प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए, की गई संयुक्त पहलों का विवरण इस प्रकार है :– (i) फ्लाइंग रिटर्न्स के नाम से संयुक्त फ्रीक्वेंट फ्लायर सदस्यता कार्यक्रम; (ii) रात के समय, जब कोई अनुसूचित प्रचालन नहीं होते हैं, एअर इंडिया द्वारा इंडियन एयरलाइंस की स्पेयर क्षमता का उपयोग; (iii) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का एक कोड शेयर करार को अंतिम रूप दिए जाने का प्रस्ताव है जिसके तहत इंडियन एयरलाइंस चुनिंदा उड़ानों पर एअर इंडिया को सहमत मूल्य पर एक निश्चित संख्या में सीटें पेश करेगी तथा (iv) एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के बीच स्पेशल प्रोरेट एग्रीमेंट जिसके द्वारा एअर इंडिया के कार्यालय विदेश से आने वाले और भारत में यात्रा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए इंडियन एयरलाइंस के घरेलू सेक्टरों की बिक्री को वरीयता देंगे।

सांस्कृतिक नीति

4220. श्री वी. के. तुम्मर : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए एक व्यापक सांस्कृतिक नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक बनाए जाने और घोषित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार किसी औपचारिक नीति दस्तावेज तैयार करने पर विचार नहीं कर रही है। तथापि, सरकार के 'मिशन' में सभी संरक्षित स्मारकों और सांस्कृतिक परिसंपत्तियों के सभी रूपों और विरासत–मूर्त और अमूर्त – दोनों का संरक्षण और परिरक्षण करना शामिल है। सांस्कृतिक विरासत स्थलों और संपत्तियों के संरक्षण हेतु आवश्यक कानून पहले से ही विद्यमान हैं। उपर्युक्त उद्देश्य से प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और पुरावशेष और कला निधि अधिनियम, 1972 बनाए गए थे। इस प्रयोजन के लिए कई संस्थाएं जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारतीय मानव–विज्ञान सर्वेक्षण, बौद्ध और तिब्बती अध्ययन संस्थान, भारत के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न संग्रहालय और पुस्तकालय, अकादमियाँ – संगीत नाटक, ललित कला और साहित्य और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार, उपर्युक्त नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, पंजीकृत सोसाइटियों, न्यासों और गैर–सरकारी संगठनों सहित व्यक्तियों और संस्थाओं को विभिन्न अनुदान प्रदान कर रही है।

[हिन्दी]

सिगनल प्रणाली को बदलना

4221. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में जोधपुर से फुलेरा तक सिगनल प्रणाली को बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास मंजूरी प्राप्त करने हेतु लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं। स्वीकृति के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। जोधपुर–फुलेरा खंड के सिगनलिंग प्रणाली का उन्नयन करने के दो कार्यों को कुल 29.48 करोड़ रु. की लागत से बजट 2005–06 में शामिल कर लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम

4222. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम को कुल कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यों की कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या राज्य स्थित इकाइयां वित्तीय सहायता के आवेदनों पर कार्यवाही हेतु शर्तें लगाती हैं और जटिल औपचारिकताएं निभवा कर ऋण–दाता के रूप में कार्य करती हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की राज्यवार क्या उपलब्धियां रही हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों में भारत सरकार द्वारा निधियों का आबंटन और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा किया गया संवितरण निम्न प्रकार है :–

(राशिः करोड़ रुपए)

वर्ष	मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को आबंटित राशि	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को संवितरित राशि
2002–03	24.00	73.93
2003–04	17.16	86.66
2004–05	73.65	139.00
2005–06	25.00	0.00

(ग) जी, नहीं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अपनी योजनाएं कार्यान्वित करता है। ये राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों ऋण कार्यकलापों को संचालित करने संबंधी मानकों को पालन करने वाले वित्तीय संस्थानों के रूप में कार्य करती हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विगत दो वर्षों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की उपलब्धियां दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम

पिछले दो वर्ष में रा. अल्प. वि. एवं वित्त निगम की राज्यवार उपलब्धियां

(राशि लाख रुपए)
(31.3.2005 तक अद्यतन)

			2003-04		2004-05	
क्र.सं.	राज्य	वि. के. संघ	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7
1	आन्ध्र प्रदेश	ए.पी.एस.एम.एफ.	640	3847	928	9972
2	असम	ए.एम.डी.एफ.सी	79	770	34	780
3	बिहार	बीएसएमएफसी	521	2470	811	2572
4	चण्डीगढ़	सीएचसीएफडीसीआई	13	21	6	10
5	छत्तीसगढ़	सीएचएसीडीएफसी	0	0	50	235
6	दिल्ली	डीएससीएसटीएफडीसी	75	150	100	243
7	गुजरात	जीबीसीडीसी	0	0	0	0
		जीएमएफडीसी	600	1507	100	200

1	2	3	4	5	6	7
8	हिमाचल प्रदेश	एचपीएमएफडीसी	50	70	150	136
9	हरियाणा	एचबीसीएकेएन	159	473	275	522
10	जम्मू-कश्मीर	जेकेएससीएसटीडीसी	0	0		
		जेकेडब्ल्यूडीसी	200	327	366	985
11	झारखंड	जेएससीएसटीडीसी	0	0	100	196
12	केरल	केबीसीटीडी	1025	1665	1850	4530
		केएससीएफएफडीसी	150	448	55	102
		केएसडब्ल्यूडीसी	150	301	275	468
13	कर्नाटक	केएमडीसी	705	2316	1243	3316
14	महाराष्ट्र	एमएचबीसीएमएफडीसी	537	1498	1025	2034
15	मणिपुर	एमटीडीसी	0	0	0	0
16	मध्य प्रदेश	एमपीबीसीएमएफडीसी	50	556	200	1139
		एमपीएचडीसी	30	75	35	150
17	मिजोरम	एमसीएबी	50	99	0	0
		जीडको	0	0	0	0
18	नागालैंड	एनआईडीसी	260	549	300	481
		एनएचडीसी	50	84	130	525
19	उड़ीसा	सीआरएससीएसटीएफडीसी	33	278	99	664
20	पांडिचेरी	पीडीबीसीएमडीसी	9	21	10	25
21	पंजाब	बीएसीकेएफआईएनसीएओ	50	101	350	706
22	राजस्थान	आरएससीएसटीएफडीसीसी	0	0		
		आरएमएफडीसीसी	55	138	181	699
23	तमिलनाडु	टीएएमसीओ	215	1111	325	1322
24	त्रिपुरा	टीएससीडीसी	0	0	50	87
25	उत्तर प्रदेश	यूपीएमएफडीसी	1202	2805	1983	6758
26	उत्तरांचल	यूएमएफडीसी	0	0	5	20
27	प. बंगाल	डब्ल्यूबीएमडीएफसी	1760	5919	2867	7709
		कुल	8667	27599	13901	46586

पद आधारित रोस्टर का कार्यान्वयन

4223. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा पद आधारित रोस्टर के संबंध में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन किया गया है,

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रमुख रेल जोनों के सुरक्षा विभागों द्वारा रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित नियम 70 तथा 72 के तहत किए गए चयन में इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन वर्ष 1998 से किया गया है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर, उत्तर पूर्वी, दक्षिण मध्य तथा उत्तर सीमान्त रेल जैसे प्रमुख रेल जोनों द्वारा नियम 70 तथा 72 के तहत किए गए चयन का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक जोन में पदों की कुल संख्या की तुलना में चुने गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या इन दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन न किए जाने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। जे.सी. मलिक के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार, (जिसमें रेल मंत्रालय एक पक्षकार था) आर.के. सब्बरवाल के मामलों में निर्धारित सिद्धांतों पर पद पर आधारित रोस्टर लागू किया गया है। तथापि, इसे ग्रुप 'बी' सेवाओं जिनमें संवर्ग संख्या निर्धारित नहीं है, के मामले में लागू नहीं किया जा सका।

(ग) जी, नहीं।

(घ) पिछले तीन वर्षों यथा 2002 से 2004 के दौरान उक्त रेलों अर्थात् उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे में नियम 70 तथा 72 के अंतर्गत चुने गए कुल उम्मीदवारों और उनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या निम्नानुसार है:-

रेलवे	नियम 70 के अंतर्गत सलेक्शन (वरीयता सह उपयुक्तता के आधार पर)				नियम 72 के अंतर्गत सलेक्शन			
	अ.जा	अ.ज.जा.	अना.*	कुल	अ.जा	अ.ज.जा.	अना.*	कुल
उत्तर रेलवे	31	10	145	186	–	–	–	–
पूर्वोत्तर रेलवे	69	36	195	300	14	1	57	72
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	51	12	143	206	15	9	46	70
दक्षिण मध्य रेलवे	91	54	421	566	–	–	–	–

* अनारक्षित

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पायलटों को प्रशिक्षण देना

4224. प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री मुन्शी राम :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रूस से मिग-29 प्राप्त करने से पहले रूसी समूह द्वारा भारतीय वायुसेना के पायलटों को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) निकट भविष्य में, भारतीय वायुसेना द्वारा रूस से मिग-29 विमान अधिप्राप्त किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अतः भारतीय वायुसेना के पायलटों को प्रशिक्षण देने की कोई योजना तैयार नहीं की गई है। तथापि, वर्ष 1987 में मिग-29 विमान को प्रारंभ में शामिल करने के लिए पायलटों के प्रथम बैच को रूस में प्रशिक्षण दिया गया था।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं

4225. श्री अविनाश राय खन्ना :
श्री हरिभाऊ राठौड़ :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005-06 के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत अलग-अलग कितनी वित्तीय सहायता आबंटित और जारी की गई; और

(ख) इससे कितने छात्रों के लाभान्वित होने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता जारी की जाती है:

(i) अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना; और

(ii) अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना (इसमें अधिकांश अनुसूचित जाति के छात्र शामिल होते हैं)।

उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत, निधियां राज्यवार आबंटित नहीं की जाती लेकिन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अनुमानित व्यय के आधार पर निर्मुक्त की जाती हैं। वर्तमान वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान, किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कोई भी निधियां निर्मुक्त नहीं की गई है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान उपर्युक्त दो योजनाओं के अंतर्गत लगभग 29 लाख छात्रों के लाभांवित होने की संभावना है।

[अनुवाद]

गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ रेडियो केन्द्रों का उन्नयन

4226. श्री सर्वानन्द सोनोवाल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ के रेडियो केन्द्र बिना किसी शक्तिशाली ट्रांसमीटरों के संचालित हो रहे हैं;

(ख) क्या इन दोनों केन्द्रों का उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनका कब तक उन्नयन करने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) जी, नहीं। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में पहले से ही उच्च शक्ति ट्रांसमीटर है इसलिए इन स्थानों पर ट्रांसमीटरों की क्षमता का उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भूमि की वाणिज्यिक उपयोगिता

4227. श्री बी. विनोद कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रेलवे की भूमि और नभ-क्षेत्र के वाणिज्यिक उपयोग के लिए कोई व्यापक नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा रेलवे भूमि और इसके नभ-क्षेत्र के वाणिज्यिक व्यवसायिक उपभोग से जोन-वार कुल कितनी धनराशि/राजस्व अर्जित किया गया है; और

(घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे भूमि और इसके नभ-क्षेत्र के वाणिज्यिक उपयोग से कितना राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) रेलों पर रेलवे भूमि और एयर-स्पेस के वाणिज्यिक उपयोग की अपनी नीति है। इसके अनुसार, रेलवे अपनी इस खाली भूमि/एयर-स्पेस को पौधे लगाने, मत्स्य पालन, किराए के मार्गाधिकार आदि जैसे विभिन्न प्रकार से वाणिज्यिक उपयोग में लाती है। जहां संभावनाएं उपलब्ध होती हैं, उनके बारे में पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से संपत्ति विकास के लिए भी विचार किया जाता है। यह भूमि सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को लंबी अवधि के लिए पट्टे पर भी दी जाती है। रेलवे भूमि/एयर-स्पेस के वाणिज्यिक उपयोग के अलावा, खाली उपलब्ध भूमि जो तत्काल परिचालन तथा अनुरक्षण प्रयोजन के लिए अपेक्षित नहीं होती है, का जिनका रेलवे से क्रिया कलापों (अर्थात् थोक तेल प्रतिष्ठानों, साइडिंगों, वाणिज्यिक प्लाटों आदि) कम अवधि के लिए पट्टे पर दिया जाता है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान संपत्ति विकास सहित भूमि से रेलों को अर्जित कुल राजस्व जोन-वार नीचे दिया गया है:-

आंकड़े हजार रुपए में

रेलें	2002-03	2003-04	2004 से जनवरी, 05 तक
1	2	3	4
मध्य	113290	101384	84016
पूर्व	81930	64716	39896

1	2	3	4
पूर्व मध्य	*	1520	3792
पूर्व तट	*	15394	51397
उत्तर	349463	301521	592447
उत्तर मध्य	*	15914	19806
पूर्वोत्तर	31681	57665	19251
पूर्वोत्तर सीमा	27302	81296	44821
उत्तर पश्चिम	*	66017	71716
दक्षिण	126685	177396	145479
दक्षिण मध्य	37275	74278	68934
दक्षिण पूर्व	50575	32830	17353
दक्षिण पूर्व मध्य	*	21461	10059
दक्षिण पश्चिम	*	11181	18946
पश्चिम	12974	50552	42172
पश्चिम मध्य	*	275	18653
मेट्रो	2973	767	0
कुल	834148	1074167	1248738

* इन नई रेलों के अंतर्गत बुकिंग 2003-04 से शुरू हुई।

(घ) वर्ष 2004-05 के लिए 150 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था।

[हिन्दी]

रायपुर विमानपत्तन का विस्तार

4228. श्री प्रदीप गांधी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में देश के कुछ विमानपत्तनों का विस्तार करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर विमानपत्तन का विस्तार सम्मिलित है;

(घ) यदि हां, तो रायपुर विमानपत्तन के विस्तार हेतु कितनी भूमि की आवश्यकता है और इस भूमि के अधिग्रहण हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ङ) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भूमि के अधिग्रहण हेतु राज्य सरकार को अपेक्षित भुगतान किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने चरणबद्ध आधार पर अनंतिम रूप से चुनिंदा 25 गैर-मेट्रो हवाईअड्डों को विश्वस्तर के मानकों पर आधुनिकीकृत करने का निर्णय लिया है, जिनमें एयरसाइड तथा सिटी साईड के विकास तथा गैर-वैमानिक राजस्व में वृद्धि किए जाने पर बल दिया गया है।

(ग) जी, नहीं। बहरहाल, विभिन्न हवाईअड्डों पर नियमित आधार पर हवाईअड्डा अवसंरचना के स्तरोन्नयन की नीति की तर्ज पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा रायपुर में रनवे को 7500 फीट तब बढ़ाए जाने की योजना है ताकि उसे ए-320 प्रकार के विमान के प्रचालन के लिए उपयुक्त बनाया जा सके तथा मौजूदा एप्रन की पार्किंग क्षमता में वृद्धि हो सके।

(घ) इस कार्य के लिए कुल 50.17 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने 50.17 एकड़ भूमि (22.22 एकड़ निजी भूमि तथा 27.95 एकड़ सरकारी भूमि) अधिग्रहीत कर ली है। राज्य सरकार ने इस भूमि को निःशुल्क तथा सभी दायित्वों से मुक्त कराकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दी है।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

ताज के रात्रि दर्शन शुल्क में वृद्धि

4229. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ताज के रात्रि दर्शन शुल्क में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इससे पर्यटकों की संख्या में कमी आने और इससे राजस्व अर्जन में होने वाली गिरावट की आशंका से शुल्क में वृद्धि करने का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा रात्रि दर्शन हेतु आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

ताज महल को रात में देखने के लिए टिकटों की दर निम्न प्रकार है:–

भारतीय नागरिक	रु 519 प्रति व्यक्ति
अन्य	रु 750 प्रति व्यक्ति
बच्चे : (3 से 15 वर्ष की आयु)	रु. 500 प्रति बच्चा

(ग) जी, नहीं। ताज महल को रात्रि में देखने के लिए प्रवेश शुल्क की दर सुरक्षा व्यवस्था के वास्ते अतिरिक्त लागत के आधार पर और परिदर्शकों की संख्या को विनियमित करने के लिए नियत की गई थी क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने प्रति रात्रि केवल 400 परिदर्शकों के लिए निदेश दिया था। नवम्बर, 2004 से मार्च, 2005 तक जिन पर्यटकों ने ताज महल देखा, उनकी संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) क्योंकि रात में ताज देखने के लिए पर्यटकों की संख्या अभी तक प्रति रात 400 परिदर्शकों की अधिकतम अनुमत्य संख्या तक नहीं पहुंची है, अतः ऐसी स्थिति में रात में ताज को देखने के लिए पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

ताज महल को नवम्बर, 2004 से मार्च 2005 तक रात्रि में देखने के लिए आए परिदर्शकों की संख्या

महीना तथा वर्ष	दिनांक	व्यस्क		बच्चा (भारतीय + विदेशी)	ताज महल को रात में देखने के लिए आए कुल परिदर्शकों की संख्या
		भारतीय	विदेशी		
1	2	3	4	5	6
नवम्बर, 2004	27.11.04	229	49	23	301
	28.11.04	204	119	24	34
	जोड़	433	168	47	648
दिसम्बर, 2004	26.12.04	154	42	29	225
	27.12.04	137	47	42	226
	28.12.04	140	85	63	288
	जोड़	431	174	134	739
जनवरी, 2005	23.1.05	24	36	03	63
	24.1.05	107	71	00	178
	25.1.05	96	113	13	222
	26.1.05	28	80	00	108
	27.1.05	21	51	05	77
	जोड़	276	351	21	648
फरवरी, 2005	22.02.05	22	130	04	156
	23.02.05	34	84	00	118

1	2	3	4	5	6
	24.02.05	86	88	06	180
	26.02.05	45	83	10	138
	जोड़	187	385	20	592
मार्च, 2005	23.03.2005	16	55	04	75
	24.03.2005	96	60	18	174
	26.03.2005	193	68	33	294
	27.03.2005	19	28	02	49
	जोड़	324	211	57	592

क्रेडिट पक्षों पर बकाया धनराशि

4230. श्री रघुनाथ झा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई वर्षों से इंडियन एयरलाइंस का करोड़ों रुपया क्रेडिट पक्षों के पास बकाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्रेडिट पक्षों का ब्यौरा क्या है और इसमें कितना ब्याज अंतर्ग्रस्त है;

(ग) संबंधित पक्षों से बकाया धनराशि की वसूली करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या एयरलाइंस ने क्रेडिट पक्षों से बकाया धनराशि की वसूली करने हेतु अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को कोई अनुदेश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) वसूली कार्य की अनदेखी करने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) इंडियन एयरलाइंस द्वारा 30 सितम्बर, 2004 तक उधार पर टिकटें बेचें जाने के कारण क्रेडिट पार्टियों की ओर से 36.66 करोड़ रुपए की धनराशि बकाया है।

(ख) इन क्रेडिट पार्टियों में मुख्यतः सरकारी मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सम्मिलित हैं। बीजकों के निपटान में विलम्ब का प्रमुख कारण सरकारी विभागों की आंतरिक प्रक्रियाएं हैं जैसे कि निधि का उपलब्ध न होना, संबंधित अधिकारियों के टी ए/डी ए दावों के साथ बीजकों (इनवायसिज) का परस्पर संबंध, संबंधित अधिकारियों द्वारा टी ए/डी ए प्रस्तुत न करना, लेखापरीक्षा पूर्व संबंधी क्लीयरेंस आदि। दिनांक 30.9.2004 को 10 लाख रुपए तथा इससे अधिक की बकाया राशि वाली क्रेडिट पार्टियों का विवरण संलग्न है।

(ग) से (छ) बकाया राशि की वसूली सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया के तहत ऋण शर्तों के अनुसार की जाती हैं। पुराने बीजकों के संबंध में नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अपवादात्मक परिस्थितियों में ही ऋण सुविधा को बंद कर देने या कानूनी कार्रवाई करने पर विचार किया जाता है, क्योंकि इनमें से अधिकांश पार्टियां सरकारी हैं।

विवरण

30 सितम्बर, 2004 तक ऋण पर जारी टिकटों के लिए ऋण पार्टियों से बकाया राशि

(10 लाख रु. तथा इससे अधिक)

क्रम सं.	पार्टी का नाम	राशि
1	2	3
1.	लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली	621.78
2.	राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली	452.70
3.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली	58.28
4.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, मुम्बई	53.89
5.	सी आर पी एफ, कोलकाता (विभिन्न प्रभाग)	53.32

1	2	3
6.	बी एस एफ, पश्चिम बंगाल (विभिन्न प्रभाग)	50.04
7.	एस पी जी केबिनेट सचिवालय, रेस कोर्स रोड, नई दिल्ली	45.64
8.	पुलिस महानिदेशालय, मद्रास	43.74
9.	भारतीय दूतावास, बैंकाक	42.37
10.	एस. ओ. नागर विमानन महानिदेशालय, सफ़दरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली	41.50
11.	भारतीय दूतावास, यांगोन	41.32
12.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, मुम्बई	39.00
13.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली	38.87
14.	सीमा सुरक्षा बल, कश्मीर सीमा, श्रीनगर	36.00
15.	कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली	35.84
16.	सामान्य जन निर्माण विभाग, मद्रास	31.72
17.	सी.बी.आई., सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली	30.80
18.	आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल	29.39
19.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली	28.94
20.	योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली	28.52
21.	डाक्यूमैंट स्काउट्स सर्विस, मुम्बई	28.13
22.	सहायक निदेशक, इन्टैलिजेन्स ब्यूरो, नई दिल्ली	27.59
23.	सहायक निदेशक, लेखा मुख्यालय, जम्मू सीमा (बी एस एफ) जम्मू	27.52
24.	द स्टेट्समैन लि, कोलकाता	26.17
25.	माज़ागॉन डॉक लि., मुम्बई	25.84
26.	भारतीय दूतावास, बांग्लादेश	25.48
27.	कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली	24.82
28.	भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण	22.62
29.	मौसम विज्ञान महानिदेशालय, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली	21.96
30.	सहायक निदेशक (पी आर ओ वी) मुख्यालय, अंडमान एवं निकोबार सीमा, बी.एस.एफ	21.40
31.	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली	21.29
32.	सरकार के अवर सचिव (निजी), मद्रास	20.25
33.	एन.एस.जी., गृह मंत्रालय, नई दिल्ली	19.75
34.	मुख्य वित्त प्रबंधक, मैकॉब, कोलकाता	19.21
35.	प्रधानमंत्री सचिवालय, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली	18.11
36.	भारतीय स्टेट बैंक	17.88
37.	अनु. जाति एवं अनु. ज. जाति आयोग, आर.के. पुरम, नई दिल्ली	17.56
38.	ए. एंड आई. आर. दक्षिण पूर्व कोयला क्षेत्र लि., विलासपुर	17.50
39.	एम.ई.ए. (टी.जी.), अकबर भवन, नई दिल्ली	17.14
40.	सहायक सचिव, साधारण शाखा, उत्तरी रेलवे	16.35
41.	पी.ओ.बी.सी. लि., मुम्बई	15.95
42.	केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली	15.62
43.	सरकार के सहायक सचिव (सामान्य प्रशासन), चेन्नै	15.39
44.	आयकर निदेशालय (प्रणाली), नई दिल्ली	15.34
45.	महाप्रबंधक टेलिकॉम, मुम्बई	15.32
46.	जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली	15.30
47.	मुख्य कार्मिक प्रबंधक, सेल, रांची	14.95
48.	भारतीय दूतावास, इस्लामाबाद, पाकिस्तान	14.68
49.	आई टी बी पी (एम एच ए), भारत सरकार, नई दिल्ली	14.29
50.	वित्त मंत्रालय (रक्षा), साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली	14.06
51.	सीमाशुल्क कलेक्टर, मुम्बई	13.86

1	2	3
52.	निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (एच.पी.)	13.30
53.	डी.डी.जी, ऑब्जर्वेटरी अपर एयर इन्ट्रूमैंट्स, नई दिल्ली	12.89
54.	अवर सचिव, समाज कल्याण विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	12.30
55.	दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली	12.02
56.	अवर सचिव, यू.पी.एस.सी., धोलपुर हाउस, शाहजहां रोड़, नई दिल्ली	2.02
57.	अवर सचिव, जनजाति मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	12.00
58.	भारतीय दूतावास, काठमांडू	11.91
59.	सी.बी.आई., मुम्बई	11.87
60.	महाप्रबंधक के सचिव, उत्तरपूर्वी रेलवे, कोलकाता	11.74
61.	द टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	11.59
62.	अवर सचिव, महासागर विकास विभाग, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली	11.47
63.	आनिक्स सर्विसेज (प्रा.) लि., नई दिल्ली	11.44
64.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, मद्रास	11.31
65.	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम लि.	11.31
66.	सरकार के सचिव, मद्रास	11.04
67.	अवर सचिव (रोकड़), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	10.51
68.	डी.जी. स्वास्थ्य सेवाएं, निर्माण भवन, नई दिल्ली	10.50
69.	निर्माण महानिदेशालय, सी.पी.डब्ल्यू.डी. (निर्माण भवन), नई दिल्ली	10.29
70.	पश्चिमी कोयला क्षेत्र, नागपुर	10.10
71.	शहरी कार्य एवं रोजगार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	10.07

[हिन्दी]

रोगियों के परिचारक को निःशुल्क रेल पास

4231. श्री चन्द्रभान सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रेल यात्रा के लिए मिर्गी के रोगियों के साथ यात्रा करने वाले परिचारक को निःशुल्क रेलपास अथवा रेल यात्रा छूट प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो रेलवे द्वारा उक्त रोगियों को किसी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में क्या सहायता उपलब्ध कराई जाती है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी, नहीं। मिर्गी के रोगियों को रियायत नहीं दी जाती है। बहरहाल, डाक्टरों को यात्रियों की चिकित्सा के लिए 10% की रियायत दी जाती है।

[अनुवाद]

टी-72 टैंकों का उन्नयन

4232. श्री कुलदीप सिंह बिश्नोई : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक टी–72 टैंकों के बेड़े के उन्नयन में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) सरकार द्वारा टी–72 बेड़े की उन्नयन परियोजना में विश्व स्तर पर उपलब्ध नवीनतम आधुनिक प्रणालियों को सम्मिलित करने हेतु क्या नए कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) रक्षा उपस्करों का उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है, जो उपलब्ध प्रौद्योगिकी, खतरे की संभावना और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। टी–72 टैंकों के बेड़े का स्तरोन्नयन और आधुनिकीकरण किया जा रहा है ताकि इसमें थर्मल इमेजर स्टैण्ड अलोन सिस्टम, उन्नत इंजनों और कमान तथा कंट्रोल टैंकों आदि के लिए आटो लैण्ड नेवीगेशन सिस्टम संस्थापन को शामिल किया जा सके।

रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

4233. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2002 के दौरान रक्षा उपकरण विनिर्माण क्षेत्र में 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो उपकरणों के उत्पादन हेतु कितने मांग पत्र जारी किए गए है; और

(ग) अब तक इनमें से कितनों को शुरू किया गया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के तहत रक्षा उपकरणों के उत्पादन के लिए अभी तक कोई आशय पत्र जारी नहीं किया गया है। तथापि, विभिन्न रक्षा–मदों के विनिर्माण हेतु निजी उद्यमियों को अब तक 22 आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। तथापि, उनमें से किसी ने भी अभी तक उत्पादन शुरू नहीं किया है।

[हिन्दी]

रूस में एलएनजी संयंत्र

4234. श्री पंकज चौधरी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम रूस में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) संयंत्र स्थापित करने की संभावना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) वर्तमान में ओएनजीसी/ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का रूस में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तन के विकास हेतु भूमि का आबंटन

4235. श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री कृष्ण मुरारी मोघे :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विकसित किए जाने वाले वे विमानपत्तन कौन से हैं जिनके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भूमि आबंटित की गई है;

(ख) क्या विकास कार्य पूरा किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण से 5.87 एकड़ भूमि की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने केवल खुजराहो एयरपोर्ट के लिए ही भूमि आबंटित की है। भोपाल एयरपोर्ट पर रनवे का 7500 फीट तक विस्तार किए जाने के लिए अतिरिक्त भूमि मांगी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। खजुराहो एयरपोर्ट पर रनवे के विस्तार का कार्य पूरा कर लिया गया है। फिर भी रनवे के विस्तारित हिस्से को चालू नहीं किया जा सकता है क्योंकि कैनाल्स के डाइवर्जन तथा हाई टेंशन (एच.टी.) लाइनों से संबंधित कार्य राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकरणों द्वारा अभी पूरा नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण भोपाल एयरपोर्ट पर राज्य सरकार का हैंगर परिसर बनाने के लिए 1 रुपए के टोकन शुल्क पर और कुछ शर्तों के आधार पर भी सिद्धांत रूप में 5.87 एकड़ भूमि लीज पर देने के लिए सहमत हो गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सेक्टरों के लिए निजी विमान कंपनियों को अनुमति

4236. डा. राजेश मिश्रा : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय सेक्टरों पर संचालन की अनुमति प्राप्त करने वाली निजी विमान कंपनियां निर्धारित समयावधि में अपनी उड़ानें प्रचालित करने के लिए अनिच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन निजी विमान कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय सेक्टरों पर अपनी उड़ानों के संचालन के समय को बढ़ाने हेतु अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) न ही जेट एयरवेज और न ही सहारा एयरलाइंस ने जो सेक्टर उन्हें आबंटित किए गए थे उन पर प्रचालन आरंभ करने के लिए समय-सीमा बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध किया है। दोनों एयरलाइनों ने यह संकेत दिया है कि वे वर्ष 2005 के गर्मी के सीजन दिनांक 27 मार्च, 2005 से 29 अक्तूबर, 2005 के बीच अपने ट्रैफिक अधिकारों का उपयोग कर लेंगी। जेट एयरवेज, वास्तव में, मुम्बई तथा सिंगापुर के बीच प्रचालन पहले ही आरंभ कर चुका है।

[अनुवाद]

सियाचिन से सैन्य दलों को हटाया जाना

4237. श्री भर्तृहरि महताब :
श्री प्रह्लाद जोशी :
श्री अनन्त नायक :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सियाचिन से सैन्य दलों को हटाने के संबंध में अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सियाचिन मुद्दे पर सरकार द्वारा क्या नई पहलें की गई हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) सियाचिन से किसी भी सैन्य टुकड़ी को नहीं हटाया गया है। सियाचिन में बलों को कम करने के लिए पाकिस्तान के साथ कोई करार भी नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

भारी वाहनों का निर्माण

4238. श्री राकेश सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र की प्रमुख वाहन कंपनियों के सहयोग से देश की प्रमुख रक्षा संस्थापना वाहन फैक्ट्रियों में निर्मित किये जा रहे भारी वाहनों के निर्माण का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) टैंकों तथा इन्फैंट्री युद्धक वाहनों जैसे भारी वाहनों, जिनका रक्षा प्रतिष्ठान वाहन फैक्ट्रियों में उत्पादन किया जाता है, का निजी क्षेत्र की कंपनियों के सहयोग से विनिर्माण नहीं किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

समाचार पत्रों की कतरनों (क्लिपिंग्स) की आपूर्ति

4239. श्री जे. एस. आरून रशीद :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रेस सूचना ब्यूरो ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को प्रतिदिन के समाचार पत्रों की कतरनों (क्लिपिंग्स) को उपलब्ध करवाने की सेवा बन्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो यह कब से बन्द की गई है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रेस सूचना ब्यूरो का विघटन करके मंत्रालयों/विभागों में जन संपर्क प्रकोष्ठ बनाने का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अहमदाबाद में चाणक्यपुरी रेलवे क्रासिंग पर रेल उपरि सेतु

4240. श्री हरिलाल माधवजी भाई पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अहमदाबाद में चाणक्यपुरी रेलवे क्रासिंग पर रेल उपरि सेतु के निर्माण का कार्य रेलवे प्राधिकारियों तथा एयूडीए द्वारा 50:50 लागत भागीदारी के आधार पर शुरू किया जाना था;

(ख) यदि हां, तो उक्त सेतु के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति की गई है; और

(ग) इस कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण से प्राप्त प्रस्ताव पूरा नहीं था। उन्हें सही प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। पूर्व प्रस्ताव प्राप्त होने पर रेलवे जांच करेगी।

(ग) इस स्तर पर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पीएमटी गैस का सीधा विपणन

4241. श्री राजेन्द्र कुमार :
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पन्ना, मुक्ता तथा ताप्ती तेल क्षेत्र से प्रति दिन/प्रति वर्ष कुल गैस की कितनी मात्रा का उत्पादन किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने पन्ना–मुक्ता–ताप्ती (पीएमटी) क्षेत्रों के गैस के सीधे विपणन की अनुमति दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गेल के नेटवर्क के माध्यम से पीएमटी गैस की आपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा पीएमटी गैस की आपूर्ति के लिए कौन सी अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) पन्ना–मुक्ता और मध्य–दक्षिण ताप्ती क्षेत्रों से प्रतिदिन और वार्षिक रूप से उत्पादित गैस की मात्रा निम्नानुसार है:

	पन्ना–मुक्ता	ताप्ती
वर्तमान दैनिक दर (एमएमएससीएमडी)	4.16	6.91
वार्षिक उत्पादन (एमएमएससीएम)	1411.8	2129.61

(ख) से (ङ) सरकार ने 1.4.2005 से पन्ना–मुक्ता–ताप्ती संयुक्त उद्यम को, 6 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन को छोड़कर, जिसे गेल को उनके उर्वरक और विद्युत क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए बेचा जाना है, अपनी गैस के विपणन के लिए स्वयं की व्यवस्था करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

पंजाब में मण्डी गोविन्दगढ़ में रेल उपरि सेतु

4242. सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में मण्डी गोविन्दगढ़ में रेल उपरि सेतु के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : निक्षेप शर्तों पर किसी 323/23–25 पर ऊपरि सड़क पुल के निर्माण के लिए म्यूनिसिपल काउंसिल से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। आरंभिक योजना और सार अनुमान म्युनिसिपल काउंसिल को अप्रैल, 2002 में स्वीकृति हेतु भेजे गए थे। इसकी स्वीकृति की अभी प्रतीक्षा है।

छोटे एलपीजी सिलिंडरों की आपूर्ति

4243. डा. टोकचोम मैन्या : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग–अलग एलपीजी उपभोक्ताओं की लगभग कितनी संख्या है,

(ख) क्या पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे एलपीजी सिलिंडरों की आपूर्ति का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पास 1.1.2005 की स्थिति के अनुसार शहरी क्षेत्रों मे लगभग 691.12 लाख ग्राहक और ग्रामीण क्षेत्रों में 135.68 लाख अर्थात् कुल 826.80 लाख ग्राहक हैं।

(ख) और (ग) सामान्य 14.2 कि.ग्रा. एलपीजी सिलेंडर के अलावा तेल विपणन कंपनियां 5 कि.ग्रा. के एलपीजी सिलेंडरों का भी विपणन कर रही है। 1.1.2005 की स्थिति के अनुसार

सूचीबद्ध कुल 826.80 लाख संख्या में से 2.23 लाख ग्राहक 5 कि.ग्रा. श्रेणी के लिए हैं।

पंजाब में एलपीजी एजेंसियों को समाप्त करना

4244. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-2005 के दौरान पंजाब में इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा समाप्त की गई एलपीजी एजेंसियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन सभी एजेंसियों के विरूद्ध कार्रवाई मंत्रालय द्वारा बनाए गए विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अनुसार की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन दिशानिर्देशों का समान रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने वर्ष 2004-05 के दौरान, वितरण केन्द्र करार के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर, दो एलपीजी वितरण केन्द्रों को समाप्त कर दिया है। आईओसीएल ने रिपोर्ट दी है कि दोनों ही मामलों में कदाचार/अनियमितता की प्रकृति काफी गंभीर थी और इसलिए वितरण केन्द्र करार की शर्तों पर दोषी वितरकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सरकार ने वितरकों की ओर से हो रहे विभिन्न कदाचार के मामलों से निपटने के लिए विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एमडीजी) अनुमोदित किए हैं और तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) इनका समान रूप से अनुपालन करती है। तथापि, यदि इन दिशानिर्देशों के अनुपालन में ओएमसी की तरफ से विपथन का कोई मामला सरकार के पास आता है तो उसकी जांच की जाती है और ओएमसीज को समुचित सलाह दी जाती है।

भूमि से हटाए गए व्यक्तियों को मुआवजा

4245. श्री अनन्त नायक : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में बांसपानी से जोखापुरा तक रेल लाइन के निर्माण के कारण कितने परिवारों को अपनी भूमि को खोना पड़ा है;

(ख) भूमि से हटाए गए प्रत्येक व्यक्ति को किस दर से मुआवजा दिया गया;

(ग) क्या कुछ लोगों को अभी तक मुआवजा देना बाकी है; और

(घ) यदि हां, तो जल्द भुगतान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) कुल 2352 परिवारों को अपनी भूमि छोड़नी पड़ी।

(ख) उड़ीसा राज्य सरकार दैतारी-क्योंझर-बांसपानी (डी के बी) रेल लिंक परियोजना के लिए अपेक्षित निजी भूमि का अधिग्रहण कर रही है और क्षेत्र में मौजूदा भूमि की दर को ध्यान में रखते हुए आवश्यक मुआवजे का भुगतान कर रही है।

(ग) जी हां।

(घ) क्लेक्टर/क्योंझर ने विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी/क्योंझर/डी के बी रेल लिंक परियोजना को सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के अध्यधीन शेष भूमि परित्यक्ताओं को शीघ्र क्षतिपूर्ति की अदायगी के अनुदेश दे दिए हैं।

शिर्डी में विमानपत्तन

4246. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिर्डी में एक विमानपत्तन के विकास हेतु सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विमानपत्तन के लिए किसी स्थान की पहचान की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) ने शिर्डी तीर्थस्थल से लगभग 30 कि.मी. की दूरी पर खंडाला गांव, तहसील श्रीरामपुर के समीप, सरकार द्वारा सुझाए गए स्थल पर प्रारंभिक संभाव्यता अध्ययन कराया है। इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

जय प्रकाश नारायण पुस्तकालय का निर्माण

4247. श्री मुनव्वर हसन : क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जय प्रकाश नारायण पुस्तकालय परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस परियोजना के लिए अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) पुस्तकालय के निर्माण में भूमि के उपयोग के तरीके (पैटर्न) में परिवर्तन शामिल है। ऐसे किसी परिवर्तन के लिए अब तक दिल्ली विकास प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। इन कार्यों के लिए सी पी डब्ल्यू डी को अब तक 222 लाख रु. जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर संकल्पना

4248. प्रो. एम. रामदास : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर की संकल्पना उनकी सामाजिक प्रगति के लिए अहितकर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संकल्पना, जहां भी यह अभी लागू है, को हटाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार शिक्षा संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) अन्य पिछड़े वर्गों के मध्य क्रीमी लेयर की संकल्पना, भारत सरकार के अधीन सिविल पदों एवं सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लाभों से सामाजिक रूप से सम्पन्न लोगों/वर्गों को अलग रखने हेतु इन्दिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों के आधार पर की गई है। इस संकल्पना को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण विचाराधीन है।

[हिन्दी]

छावनी क्षेत्रों में अतिक्रमण

4249. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में विद्यमान छावनी बोर्डों की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक बोर्ड को दिए गए अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को छावनियों के अन्दर और बाहर रक्षा भूमियों के अतिक्रमण तथा अनधिकृत कब्जे के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2004 तथा 2005 के दौरान अब तक ऐसी कितनी शिकायतें मिली हैं;

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(ङ) क्या छावनी बोर्डों के प्रशासकों के पास अतिक्रमण तथा अनधिकृत कब्जे से निपटने के लिए पर्याप्त अधिकार हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) रक्षा संपदा कार्यालयों में 2004-05 में कुल 119 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्राधिकारियों द्वारा छावनी अधिनियम, 1924 और सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबंधों के तहत कार्रवाई की जाती है।

(ङ) और (च) छावनी अधिशासी अधिकारी, रक्षा संपदा अधिकारी और स्टेशन कमांडरों के पास छावनी अधिनियम, 1924 और सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबंधों के अधीन, छावनियों के भीतर और बाहर की रक्षा भूमि के अतिक्रमणों तथा अप्राधिकृत कब्जे के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं।

विवरण

क्रम सं.	छावनी परिषद	आबंटन (लाख रुपये में)		
		2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1	आगरा	0.00	0.00	0.00
2	अहमदाबाद	0.00	0.00	0.00
3	अहमदनगर	125.00	130.00	195.00

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
4	अजमेर	0.00	0.00	0.00	32	जम्मू	96.00	10.00	54.00
5	इलाहाबाद	0.00	0.00	0.00	33	झांसी	0.00	0.00	0.00
6	अल्मोड़ा	58.00	45.00	30.00	34	जतोग	51.00	55.00	61.00
7	अम्बाला	0.00	0.00	0.00	35	काम्पटी	10.00	0.00	0.00
8	अमृतसर	0.00	10.00	10.00	36	कानपुर	0.00	0.00	0.00
9	औरंगाबाद	25.00	40.00	0.00	37	कसौली	68.00	70.00	102.00
10	बबीना	50.40	0.00	0.00	38	खस्यौल	76.00	70.00	112.00
11	बदामीबाग	25.00	155.00	93.00	39	किरकी	0.00	0.00	0.00
12	बकलोह	57.00	60.00	74.00	40	लंडौर	50.00	50.00	68.00
13	बरेली	0.00	0.00	0.00	41	लैंसडाऊन	10.00	84.46	121.00
14	बैरकपुर	115.00	115.00	167.00	42	लेबांग	34.00	32.00	48.00
15	बेलगांव	0.00	0.00	0.00	43	लखनऊ	0.00	0.00	0.00
16	कण्नूर	0.00	0.00	0.00	44	मथुरा	0.00	0.00	0.00
17	चकराता	67.00	55.00	129.00	45	मेरठ	0.00	0.00	0.00
18	क्लेमेंट टाऊन	70.00	60.00	117.00	46	महू	0.00	0.00	0.00
19	डगशायी	42.00	60.00	59.00	47	मुरार	5.00	0.00	0.00
20	डलहौजी	47.00	57.00	70.00	48	नैनीताल	33.00	50.00	57.00
21	दानापुर	62.00	95.00	124.00	49	नसीराबाद	0.00	0.00	0.00
22	देहरादून	186.00	120.00	0.00	50	पंचमढ़ी	22.46	30.00	32.00
23	देहू रोड	15.00	0.00	0.00	51	पुणे	0.00	0.00	0.00
24	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	52	रामगढ़	130.00	130.00	141.00
25	देवलाली	117.00	0.00	0.00	53	रानीखेत	201.62	250.00	351.38
26	फैजाबाद	72.00	75.00	92.00	54	रुड़की	0.00	0.00	0.00
27	फतेहगढ़	0.00	0.00	0.00	55	सागौर	20.00	80.00	50.00
28	फिरोजपुर	124.00	130.00	165.00	56	सिकन्दराबाद	0.00	0.00	0.00
29	जबलपुर	0.00	0.00	0.00	57	शाहजहांपुर	7.00	20.00	15.00
30	जलापहाड़	32.00	45.00	90.00	58	शिलौंग	66.71	54.00	53.00
31	जालन्धर	160.00	90.00	90.00	59	सेंट थामस माऊंट	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
60	सुबाथू	45.00	65.00	65.00
61	वाराणसी	5.00	0.00	0.00
62	वेलिंगटन	122.81	107.54	161.62
	कुल	2598.00	2500.00	2997.00

[अनुवाद]

चैन्नई में मेट्रो रेल

4250. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के समक्ष शहरी विकास मंत्रालय और निजी कंपनियों के साथ समन्वय एवं सहयोग से चैन्नई में मेट्रो रेल निर्माण सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोर्ट मार्शल

4251. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि रक्षा बलों में कोर्ट मार्शल के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में रक्षा सेवाओं के उच्च अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनके विरूद्ध कोर्ट मार्शल की कार्यवाही आरम्भ की गई; और

(ग) उन्हें दिए गए दण्ड का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) सशस्त्र सेनाओं में कोर्ट मार्शल के मामलों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक में तथा चालू वर्ष के दौरान कोर्ट मार्शल किए गए उच्च अफसरों (ब्रिगेडियर/समकक्ष तथा उससे ऊपर) की संख्या इस प्रकार है:-

सेवा	2002	2003	2004	2005
सेना	02	02	01	01
नौसेना	–	01	–	–
वायुसेना	01	–	–	–

(ग) दिया गया दण्ड, घोर भर्त्सना से लेकर कठोर कारावास सहित बर्खास्तगी तक, अलग-अलग रहा।

[अनुवाद]

इतवारी में रेल उपरिपुल की मरम्मत

4252. श्री सुबोध मोहिते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि इतवारी, नागपुर स्थित मस्कासथ रेल उपरिपुल का एक भाग तीन वर्षों के दौरान दूसरी बार गिर गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पुल की मरम्मत कब तक होने की सम्भावना है और इसे यातायात के लिए कब तक खोल दिया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) एकहरी लेन वाले ऊपरी सड़क पुल (आर ओ बी) सं. 8/ए एल का अभिकल्प एवं निर्माण केवल हल्के वाहन यातायात के लिए किया गया है। इस क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि होने, जनसंख्या में वृद्धि होने और इस पुल पर भारी वाहनों का अनधिकृत रूप से आवागमन के कारण ऊपरी पुल की अधिसंरचना काफी क्षतिग्रस्त हो गयी है। यह ऊपरी सड़क पुल दो बार (अक्तूबर, 2001 और फरवरी 2005 में) क्षतिग्रस्त हुआ है।

क्षतिग्रस्त गर्डरों की मरम्मत/पुनर्स्थापन कार्य को 2005-06 में कार्यान्वयन करने हेतु रेलवे ने मंजूरी दे दी थी लेकिन 19.03.2005 को राज्य सरकार प्राधिकारियों के साथ हुई बैठक के अनुसार उन्होंने इस स्थान पर दोहरी लेन वाला नए ऊपरी सड़क पुल के निर्माण की वांछा की है। लागत की भागीदारी के आधार पर नए ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए राज्य सरकार से औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त होना अभी प्रतीक्षित है। राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद रेलवे द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

पालियाकलां स्थित विमानपत्तन

4253. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के पालियाकलां में एक विमानपत्तन का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर किए गए व्यय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त विमानपत्तन को आरंभ कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो वहां उपलब्ध सुविधाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इस विमानपत्तन को आरंभ न करने के क्या कारण हैं; और

(च) उक्त विमानपत्तन को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

डी.टी.एच. सेवा के अन्तर्गत चैनल्स

4254. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में डी.टी.एच. सेवा के अन्तर्गत मुफ्त चैनलों और पे चैनलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पे चैनलों पर विज्ञापन का अनुपात बहुत अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन पे चैनलों को मुफ्त/नाममात्र के प्रभार पर उपलब्ध करवाने संबंधी कोई नीति तैयार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) मुफ्त और पे चैनलों पर विज्ञापनों और वास्तविक कार्यक्रम को समयावधि के अनुपात का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) एकमात्र निजी डी टी एच सेवा प्रदाता मैसर्स ए एस सी इंटरप्राइजेज ही अपने उपभोक्ताओं को मासिक शुल्क प्रभार पर 85 टी वी चैनल उपलब्ध करवा रहा है। तथापि, दूरदर्शन की डी टी एच सेवा अपने उपभोक्ताओं को 33 टी वी चैनल और 12 रेडियो चैनल निःशुल्क उपलब्ध कराती है क्योंकि दूरदर्शन कोई मासिक शुल्क प्रभार वसूल नहीं करता है।

(ख) से (च) फ्री-टु-एयर अथवा पे चैनलों पर विज्ञापन समय की अवधि की मानीटरिंग सरकार द्वारा नहीं की जाती है। पे चैनलों को निःशुल्क/नाममात्र प्रभार पर उपलब्ध कराने हेतु एक नीति बनाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

मुरैना रेलवे स्टेशन पर रेल पुल

4255. श्री अशोक अर्गल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास मुरैना रेलवे स्टेशन की रेलवे क्रासिंग पर एक रेलवे पुल के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। राज्य सरकार से अभी कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

छत्रपति शिवाजी टर्मिनस

4256. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनेस्को की विश्व विरासत समिति ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को विश्व विरासत की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को विश्वस्तरीय आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने की कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की वास्तुकला की भव्यता को संरक्षित करने के लिए रेलवे द्वारा क्या अन्य योजना तैयार की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) चीन में जून/जुलाई, 2004 में आयोजित विश्व विरासत कंवेंशन के दौरान यूनेस्को ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का नाम विश्व विरासत की सूची में लिख लिया है।

(ग) यह माना जाता है कि छत्रपति शिवजी टर्मिनस पर उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार पहले से ही यह स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अग्रणी स्टेशनों में से है और इसे आदर्श स्टेशन बनाने पर विचार किया जा सकता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वस्तुकला विशेषताओं सहित इस इमारत को मूल प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए एक योजना तैयार की गई है। इस योजना में छत की वाटर प्रूफिंग, आंतरिक और बाहरी मरम्मत, प्रसाधनों को नया स्वरूप देना, पानी की आपूर्ति में सुधार और नलसाजी व्यवस्था और अग्नि शमन प्रणाली का संस्थापन शामिल है।

निर्माताओं का चयन

4257. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूरदर्शन गुवाहाटी और दूरदर्शन (पी.पी.सी.) नार्थ ईस्ट के कमीशंड कार्यक्रमों के निर्माताओं के चयन में बहुत अधिक विसंगतियां हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नार्थ-ईस्ट में कमीशंड कार्यक्रमों हेतु निर्माताओं के चयन में किन मानदण्डों को अपनाया जाता है;

(घ) क्या सरकार का ध्यान मानदण्डों और प्रक्रियाओं के उल्लंघन की ओर गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसमें सुधार के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उन्होंने निर्माताओं के चयन में किसी अनियमितता का पता नहीं लगाया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि निर्माताओं के चयन हेतु मानदण्ड इस प्रकार हैं :-

(i) दीर्घावधि तक चलने वाले काल्पनिक धारावाहिकों हेतुः-

पांच वर्ष या अधिक का अनुभव रखने वाले ऐसे निर्माण अथवा निर्माताओं के प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड के साथ वीडियो या फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले निर्माता।

(ii) गैर काल्पनिक कार्यक्रमों हेतुः-

कम अनुभव वाले निर्माता और, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान से विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले निर्माता और नए निर्माता।

प्रसार भारती ने सूचित किया है कि अन्तिम रूप से निर्माताओं का चयन उनके ट्रैक रिकॉर्ड, तकनीकी टीम, कथा/कथासार, प्रदर्शन रील और चयन समिति के समक्ष मौखिक प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और उधमपुर के बीच रेल सम्पर्क

4258. श्री अनन्त नायक : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और उधमपुर के बीच रेल सम्पर्क पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वास्तविक अनुमान की तुलना में अब तक कितना वास्तविक व्यय हुआ है;

(घ) लागत वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ङ) भविष्य में इन परियोजनाओं की लागत वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(च) जम्मू और उधमपुर के बीच रेल सम्पर्क को कब तक खोले जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क), (ख) और (च) जम्मू और उधमपुर के बीच रेल लाइन का काम पूरा हो गया है तथा इसे यात्री यातायात के लिए 13.4.2005 को खोल दिया गया है।

(ग) 1981-82 में मूल परियोजना लागत 50 करोड़ रुपए की थी और अब प्रत्याशित लागत 515 करोड़ रुपए है। मार्च, 2005 तक प्रत्याशित व्यय 507 करोड़ रुपए है।

(घ) आमतौर पर, सामग्री, ईंधन, श्रम आदि की लागत में वृद्धि के कारण निर्माण अवधि के दौरान परियोजना की लागत बढ़ जाती है। इस मामले में, यह परियोजना अस्थायी बनावट और कठिन भूवैज्ञानिक स्थिति वाली छोटी-छोटी पहाड़ियों वाले कठिन पर्वतीय क्षेत्र में निष्पादित की गई है। पुलों और सुरंगों की योजना बनाने और इसका निष्पादन करने में कई तकनीकी समस्याओं का सामना किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप इसे पूरा करने में विलंब और लागत में वृद्धि हुई है।

(ङ) चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सामान्य बजटीय संसाधनों से इतर संसाधन जुटाने के लिए कई पहलकार्य किए गए हैं।

अरक्कोणम रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में बनाना

4259. श्री के. सी. पलनिसामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अरक्कोणम रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में बनाने के आदेश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, नहीं। बहरहाल, प्रस्ताव जांचाधीन है।

बोफोर्स मामला

4260. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो की बोफोर्स कमीशन की जांच को आघात लगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्विस सरकार ने इस मामले में सहयोग करने संबंधी केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनुरोध को ठुकरा दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह मामला स्विस सरकार के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर स्विस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) स्विस सरकार ने, वर्ष 1990 तथा 1998 में जारी किए गए अधियाचन पत्रों के निष्पादन के मामले में सहयोग किया है। तथापि, स्विस प्राधिकारियों ने 1998 के दूसरे अधियाचन पत्र के कतिपय बिंदुओं को कार्यान्वित करने में इस आधार पर अपनी असमर्थता व्यक्त की थी कि संदर्भित लेन-देन का संबंध दस वर्ष से भी पुरानी अवधि से है तथा स्विस बैंक अपने दस्तावेजों को दस वर्षों की अवधि तक ही रखने के लिए बाध्य हैं तथा आगे यह कि इसी बीच कुछ संदर्भगत बैंक बेच दिए गए अथवा उनका विलय हो गया था या उनका पुनर्गठन हो गया और अधिकांश बैंक कर्मचारी जिनकी संगत सूचना एकत्र करने हेतु जांच किए जाने की जरूरत थी, अब अपने मूल कार्य पर मौजूद नहीं थे।

(ग) और (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपर्युक्त मामले पर अप्रैल, 2004 में संबंधित स्विस प्राधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की थी। स्विस प्राधिकारियों ने लिखित रूप से यह सूचना दी कि इस मामले के तथ्य 'समय व्यपगमन' नियम के अंतर्गत आते हैं तथा यह खेद व्यक्त किया कि ऊपर उल्लिखित कारणों की वजह से स्विस प्राधिकारी भारतीय प्राधिकारियों की अब आगे और कोई मदद नहीं कर सकते। तथापि, यदि नये तथ्य सामने आते हैं जो 'समय-व्यपगमन' की धारा के तहत नहीं आते हो, तब स्विस प्राधिकारी मामले की पुनः जांच करेंगे।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एशियाई गैस डीलरों का शिखर सम्मेलन

4261. श्री बापू हरी चौरे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में 14 फरवरी, 2005 को एशियाई गैस विक्रेताओं/डीलरों का कोई शिखर सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किए गए मुद्दे क्या हैं और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) जी, हां। नई दिल्ली में 14 व 15 फरवरी, 2005 को तीसरा एशिया गैस खरीददारों का सम्मेलन किया गया था। यह सम्मेलन फिक्की द्वारा आयोजित किया गया था और गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा इसका प्रायोजन किया गया था। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था "प्राकृतिक गैस क्षेत्र

में ग्राहक सेवाएं"। इस सम्मेलन में 25 देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। बैठक में गैस प्रबंधन प्रणाली, प्रतिस्पर्धी आधारभूत संरचना, वरदान या अभिशाप, आपूर्ति सुरक्षा हेतु कार्यनीतिक भंडार, नवोन्मुषी ग्राहक लेखाकरण और प्रबंधन, गैस वितरण में तकनीकी सेवाएं और बाजार को गैस : नई प्रौद्योगिकियां, समेत विभिन्न प्राकृतिक गैस संबंधित मामलों पर चर्चा की गई थी।

ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का रख-रखाव

4262. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं/स्मारकों के रख-रखाव के लिए अन्य देशों से प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ देशों के साथ इस सम्बन्ध में बातचीत हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ स्मारकों और ऐतिहासिक वस्तुओं के संरक्षण के लिए जापान, इटली तथ बेल्जियम देशों और विश्व स्मारक निधि से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) जी, हां।

(घ) मध्य प्रदेश में सांची तथा सतधारा में बौद्ध स्थलों के संरक्षण के लिए जापान, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक ने महाराष्ट्र में अजंता – एलोरा पीलतालखोड़ा – औरंगाबाद गुफाओं, दौलताबाद किला और बीबी-का-मकबरा में संरक्षण तथा पर्यटन विकास के वास्ते सुलभ ऋण दिया है।

अजंता और एलोरा के चित्रों के संरक्षण के लिए इटली सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

श्रीरंगपटना स्थित टीपू सुल्तान के महल के चित्रों के संरक्षण और हम्पी के स्मारकों के पत्थर के कार्य के रासायनिक संरक्षण के वास्ते बेल्जियम की एक प्राइवेट सेक्टर की कम्पनी जैन्सन फार्मास्युटिका एन.वी. बेर्से के साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

विश्व स्मारक निधि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ राजस्थान के जैसलमेर दुर्ग का पुनरूद्धार कर रही है।

अल्पसंख्यकों हेतु 15 सूत्रीय कार्यक्रम

4263. श्री रामदास आठवले : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कि अल्पसंख्यक बेरोजगार व्यक्ति अपने नाम दर्ज करवाकर रोजगार प्राप्त कर सकें?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : 15 सूत्रीय कार्यक्रम, विभिन्न मंत्रालयों/राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जारी दिशा-निर्देशों की प्रकृति का है और इसमें अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से केन्द्र एवं राज्य पुलिस बलों में चयन हेतु विशेष ध्यान देने की बात कही गयी है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विभिन्न व्यावसायिक एवं तकनीकी संस्थानों में प्रवेश और सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न पदों एवं सेवाओं में चयन के लिए अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के साथ अल्पसंख्यकों में कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग एवं संबद्ध सहायता योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को वृत्तिभोगी लाभ भी प्रदान किए जाते हैं।

तथापि, अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार व्यक्तियों के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की कोई व्यवस्था नहीं है।

उत्तर प्रदेश में केरोसीन के कोटे में वृद्धि

4264. श्री संतोष गंगवार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य के मासिक केरोसीन कोटे को बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, हां। इस मंत्रालय

को उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनके एस के ओ कोटे में वृद्धि करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग को पूरा करने हेतु अतिरिक्त आबंटन किए गए हैं जिसमें उत्तर प्रदेश को जनवरी से मार्च, 2005 की अवधि के लिए 30,287 मीट्रिक टन एस के ओ का अतिरिक्त आबंटन सम्मिलित है। केन्द्र सरकार ने देश में मिट्टी तेल की मांग का सबसे पहला विस्तृत अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद का भी गठन किया है। रिपोर्ट के प्राप्त होने पर इसकी जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

4265. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश भर के विश्वविद्यालयों में एम.फिल तथा पी.एच.डी. करने के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में संस्थानों का चयन किया है;

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्यार्थ चिन्हित संस्थानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस प्रकार के संस्थानों में महिलाओं के लिए कितना कोटा आरक्षित है;

(च) इस प्रकार के संस्थानों में प्रवेश के लिए शोध छात्रों के चयन की प्रक्रिया क्या है; और

(छ) योजना के कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (छ) जी, हां। सरकार सम्पूर्ण देश में विश्वविद्यालयों में एम.फिल तथा पी.एच.डी. के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप तैयार करने की कार्रवाई कर रही है। इस योजना को वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान घोषित किए जाने की संभावना है।

स्कोरपेन पनडुब्बियों की खरीद

4266. श्री उदय सिंह :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री विजय कृष्ण :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री तथागत सत्पथी :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 मार्च, 2005 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार 'सब डील डिले कोस्ट्स इंडिया 2 करोड़ ए डे' की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय नौसेना द्वारा स्कोरपेन पनडुब्बियों को खरीदने में विलंब तथा अनिर्णय के कारण इनमें 4000 करोड़ रुपए की लागत वृद्धि हो चुकी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) लागत में और वृद्धि न हो इस संबंध में सरकार ने शीघ्र निर्णय लेने हेतु क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) सरकार ने देश में ही पनडुब्बियों के निर्माण तथा पनडुब्बी-निर्माण में राष्ट्रीय क्षमता अर्जित करने के लिए एक दीर्घकालिक संदर्शी योजना अनुमोदित की थी। चूंकि सरकार ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अंतर्गत स्कोर्पिन पनडुब्बी के निर्माण संबंधी प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, इसलिए मूल्य वृद्धि का मामला काल्पनिक है।

सी एन जी फिलिंग स्टेशन

4267. श्री अधीर चौधरी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सी एन जी वाहन चालकों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ सी एन जी स्टेशनों की एक श्रृंखला स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने भी राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ सी एन जी स्टेशन स्थापित करने में रुचि दिखाई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री

(श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, प्राकृतिक गैस की बढ़ती हुई उपलब्धता तथा पाइपलाइन बुनियादी सुविधा के विस्तार के साथ, प्रदूषित शहरों में सी एन जी की उत्तरोत्तर शुरूआत प्रभावित है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सी एन जी स्टेशन स्थापित करने का कोई अनुरोध विशेष प्राप्त नहीं हुआ है। अगर और जब ये अनुरोध प्राप्त हो जाते हैं, तब इन पर विधिवत रूप से विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

कारतूसों की जब्ती

4268. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली आने वाली राजधानी एक्सप्रेस के एक डिब्बे से हाल ही में 5012 कारतूसों की जब्ती की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामलें में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। 22.3.05 को लगभग 06.20 बजे डिब्रूगढ़ से गाड़ी सं. 2435-ए डाऊन राजधानी एक्सप्रेस गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर पहुंची और गाड़ी सं. 2435 गुवाहाटी-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के साथ जोड़ी गई। राजकील रेल पुलिस, असम द्वारा जांच करने पर कोच सं. ए एस-8/97106 में 04 लावारिस वी आई पी सूटकेश और 01 ब्रीफकेश पाया। वी आई पी सूटकेसों और ब्रीफकेस को खोल गया और राजकीय रेल पुलिस, गुवाहाटी (असम) द्वारा 5 गनी बैगों और 2 प्लास्टिक बैगों में 592 अदद चार्जर क्लिपों, 55 अदद बंडोलियर्स सहित 5012 अदद असला (सेल्फ लोडिंग राइफल 7.62 के 3255 राउंड, 303 राइफल के 1697 रांउड और लाइट मशीनगन के 60 राउंड) पाया गया।

(ग) राजकीय रेल पुलिस, गुवाहाटी (असम) ने 22.3.2005 को आर्म्स एक्ट 25 (1) (ए), 27/1(1) (2) के तहत मामला सं. 23/05 दर्ज किया गया है।

अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग सुविधाएं

4269. श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा इत्यादि की तैयारी में लगे अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लाभ के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग सुविधाएं राज्य-वार कहां-कहां दी जा रही है;

(ख) अनुसूचित जाति के कितने उम्मीदवारों को राज्यवार 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग प्रदान की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कोचिंग सुविधाएं प्रदान करने पर राज्यवार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) इन परीक्षाओं में उक्त अवधि के दौरान सफल उम्मीदवारों का प्रतिशत कितना है;

(ङ) क्या इन प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम आशाओं/लक्ष्यों के अनुरूप निकले है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या लक्षण है तथा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाएंगे?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (च) अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग और सम्बद्ध सहायता योजना समाज के इन तीनों वर्गों के लक्ष्य समूहों की क्रमशः 5 : 3 : 2 अनुपात में देखरेख कर रही है। यह योजना मोटे तौर पर केन्द्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र में उनके समतुल्य समूह क और समूह ख सेवाओं में भर्ती के लिए कोचिंग सहायता प्रदान करती है। योजना सेवाओं को अलग-अलग/वर्गीकृत नहीं करती है। इसलिए लाभार्थियों का सेवा-वार ब्यौरा और व्यय का रखरखाव नहीं किया जाता है। पांच राज्य सरकार, 22 विश्वविद्यालय और 50 गैर सरकारी संगठन हैं जिन्हें 2004-05 के दौरान योजना के तहत सहायता अनुदान मंजूर किए गए हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

2004-05 के दौरान अनुदान स्वीकृत गैर-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों का ब्यौरा।

क. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

1. आंध्र प्रदेश (ए पी स्टडी सर्किल, हैदराबाद)

2. हरियाणा (राज्य में विभिन्न केन्द्र)

3. मध्य प्रदेश (एम पी भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोज और विभिन्न अन्य केन्द्र)

4. पंजाब (अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर्स एंड कोर्सेज, मोहाली)

5. दिल्ली (परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्र, करोलबाग)

ख. विश्वविद्यालय

1. नागार्जुन विश्वविद्यालय गुन्टुर, आंध्र प्रदेश

2. श्री कृष्णदेव राय विश्वविद्यालय, अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश

3. गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी, असम

4. पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार

5. मुंशी राम कालेज, मोतीहारी, बिहार

6. जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली

7. बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर, कर्नाटक

8. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश

9. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, मध्य प्रदेश

10. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्य प्रदेश

11. ए पी एस विश्वविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश

12. डा. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय समाज विज्ञान संस्थान, मऊ, मध्य प्रदेश

13. मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई, महाराष्ट्र

14. पूना विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र

15. नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र

16. पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी

17. पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, पंजाब

18. भारतीय दर्शन विश्वविद्यालय, त्रिची, तमिलनाडु

19. इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश

20. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश

21. मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

22. एच एन बी विश्वविद्यालय, उत्तरांचल

ग. गैर-सरकारी संगठन

1. प्रसाद एकता समिति, ग्वालियर, मध्य प्रदेश

2. सुरूचि वी पी एस, ग्वालियर, मध्य प्रदेश

3. विकास सेवा समिति, चित्तूर, आंध्र प्रदेश

4. राव स्टडी सेंटर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश

5. श्री राजू एज्युकेशनल सोसाइटी, नैल्लौर, आंध्र प्रदेश

6. श्री विवेकानन्द विद्या संस्था सोसाइटी, गुन्टुर, आंध्र प्रदेश

7. एपटेक लिमिटेड, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश

8. ट्रीज, नैल्लौर, आंध्र प्रदेश

9. गुड होफ स्टडी सेंटर, मछलीपटटनम, आंध्र प्रदेश

10. एन आई आई टी लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु

11. एपटेक लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु

12. एन आई आई टी लि., बंगलौर, कर्नाटक

13. एपटेक लिमिटेड, बंगलौर, कर्नाटक

14. न्यू ऐरा एज्यूकेशनल सोसाइटी, रायपुर, छत्तीसगढ़

15. सेवा, नान्देड, महाराष्ट्र

16. ध्यानवर्धनी एजु. एंड चेरि. फाउंडेशन, शोलापुर, महाराष्ट्र

17. एपटेक लिमिटेड, मुम्बई, महाराष्ट्र

18. एन आई आई टी लि., मुम्बई, महाराष्ट्र

19. अखिल भारतीय सेवा समाज उत्थान मंडल, जलगांव, महाराष्ट्र

20. जीवन रेखा प्रतिष्ठान, लातुर, महाराष्ट्र

21. सोसल सांइस सुधार रिसर्च इंस्टीटयूट, कानपुर, उत्तर प्रदेश

22. जनसेवा खादी ग्राम सेवा संस्थान, इटावा, उत्तर प्रदेश

23. डा. आर एम एल व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर, उत्तर प्रदेश

24. पी एम टी फिजिक्स कालेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

25. सहारा अकादमी, कानपुर, उत्तर प्रदेश

26. अग्नि शिक्षा, बालेश्वर, उड़ीसा

27. एल सी इंस्टीट्यूट ऑफ सोसल एंड एफ. भुवनेश्वर, उड़ीसा

28. सोसल रिलीफ एंड विकास काउंसिल, मणिपुर

29. डेवलपमेंट ऑफ रूरल यूथस, इम्फाल, मणिपुर

30. रूरल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एसो. थाउबल, मणिपुर

31. विमेन्स इकोनोमिक डेवलपमेंट सोसाइटी, इम्फाल, मणिपुर

32. सोसल डेवलपमेंट एंड रिहैबिलिटेशन कांउसिल, थाउबल, मणिपुर

33. मणिपुर रूरल सर्विस एसोसिएशन, इम्फाल, मणिपुर

34. इंवायरमेंट एंड इकोनोमिक्स मैनजमेंट एसोसिएशन, इम्फाल, मणिपुर

35. सोसल अवेयरनेंस एंड डेवलपमेंट एजेंसी, इम्फाल, मणिपुर

36. एसोसिएशन फॉर एड. एंड रेस. आर्थोरेटी, मणिपुर

37. किशन डेवलपमेंट एसोसिएशन, इम्फाल, मणिपुर

38. वेस्टर्न रूरल सोसियो इकोनोमिक डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, इम्फाल, मणिपुर

39. एज्यूकेशन फाउंडेशन, नागांव, असम

40. एन आई आई लि., नई दिल्ली

41. एपटेक लिमिटेड, नई दिल्ली

42. हमदर्द एज्युकेशन सोसाइटी, नई दिल्ली

43. हमदर्द एज्युकेशन सोसाइटी, नई दिल्ली

44. दिल्ली एज्यूकेशन सेंटर, नई दिल्ली

45. डा. सक्सेना वीजन फाउंडेशन, श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर

46. न्यू पब्लिक मॉर्डन शिक्षण समिति, पाली, राजस्थान

47. विद्या मंदिर शिक्षा समिति, श्रीगंगा नगर, राजस्थान

48. एन एस ए कृषि समिति, जयपुर, राजस्थान

49. एन आई आई टी लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

50. एपटेक लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

महिला कैडेटों का यौन उत्पीड़न

4270. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
कुंवर मानवेन्द्र सिंह :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री राजेन्द्र कुमार :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वायुसेना अकादमी, हैदराबाद में महिला कैडेटों के कथित यौन उत्पीड़न के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाई की गई?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) उत्पीड़न का आरोप, उन तीन पूर्व–महिला उड़ान कैडेटों यथा सुश्री अंशु सिंह, सुश्री सरभजीत जस और सुश्री प्रीति बहल द्वारा आरोप लगाया गया था, जिन्हें महिलाओं के लिए अल्पकालिक सेवा कमीशन योजना के तहत जनवरी, 2004 में वायुसेना अकादमी, हैदराबाद में प्रशिक्षण के लिए प्रवेश दिया गया था। ये तीनों पूर्व–उड़ान कैडेट, प्रशिक्षण के दौरान तीन या इससे अधिक परीक्षाओं में असफल रहीं जोकि मौजूदा नीति के अंतर्गत असफलता के लिए अनुज्ञेय अधिकतम संख्या से अधिक है। तत्पश्चात् सुश्री अंश सिंह की कैडेटशिप 28.12.2004 को और सुश्री सरभजीत जस तथा सुश्री प्रीति बहल की कैडेटशिप 13.1.2005 को समाप्त कर दी गई। यौन उत्पीड़न का आरोप सर्वप्रथम सुश्री सरभजीत जस द्वारा 25.1.2005 को एक लिखित शिकायत के माध्यम .से लगाया गया था। सुश्री अंश सिंह ने वायुसेना मुख्यालय के अफसरों के साथ अपने साक्षात्कार के दौरान ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया था तथापि उसने बाद में मीडिया में इसकी घोषणा की। सुश्री प्रीति बहल ने एक वरिष्ठ अनुदेशक द्वारा कुछ अनुचित सहयोग की मांग किए जाने, जिसके लिए उसने इंकार कर दिया था, के बारे में, अपने 28 फरवरी, 2005 के पुनर्विचार प्रार्थना–पत्र में केवल उल्लेख किया था।

(ग) दिनांक 18.3.2005 को एक जांच अदालत बिठाई गई है जो अभी अपना कार्य कर रही है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

आई ओ सी तथा ओ आई एल के बीच समझौता

4271. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन ने आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) के साथ तेल के व्यवसाय तथा हाइड्रोकार्बन चेन में अन्य संबंधित संभावनाओं हेतु 10 वर्ष के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा विदेश में एल एन जी (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) तथा पेट्रो-रसायन के क्षेत्र में कुल कितना निवेश किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, हां। 8.12.2004 को इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) और आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) ने अपने संबंधित क्षेत्रों में कौशलों और शक्तियों की सहयोगिता करने और संयुक्त रूप से विदेशी अपस्ट्रीम व्यावसायिक अवसरों की खोज करने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है।

समझौता ज्ञापन के अनुसार सभी विदेशी अवसरों में आई ओ सी और ओ आई एल के प्रतिभागिता हित समान होंगे जब तक परियोजना दर परियोजना आधार पर पारस्परिक रूप से अन्यथा निर्णय न लिया जाए। ओ आई एल उस पर हर जगह सभी विदेशी अपस्ट्रीम परियोजनाओं के लिए प्रचालक होगी जहां आई ओ सी – ओ आई एल समूह प्रचालन अधिकार पाता है। आरम्भ में समझौता ज्ञापन 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होगा और इसके बाद इसे पारस्परिक करार द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

(ग) आई ओ सी ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल एन जी) और पेट्रोरसायन परियोजनाओं में विदेश में अब तक कोई निवेश नहीं किया है।

राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

4272. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री नकुल दास राई :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के गोंदिया में एक राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) संस्थान के कब तक चालू हो जाने की संभावना है तथा संस्थान में एक वर्ष में कितने भावी पायलटों को प्रशिक्षित किया जाएगा;

(घ) क्या यह संस्थान सरकारी क्षेत्र की कंपनियों अथवा निजी क्षेत्र की कंपनियों के पायलटों को भी प्रशिक्षण प्रदान करेगा, चूंकि विमानन क्षेत्र में और कंपनियां भी प्रवेश करती जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार देश के अन्य भागों में भी इस प्रकार के संस्थानों की स्थापना करने का है; और

(छ) यदि हां, तो भावी कार्य योजना का ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्यार्थ किन-किन संभावित स्थलों के चुने जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र के गोंडिया नामक स्थान पर राष्ट्रीय फ्लाइंग प्रशिक्षण संस्थान बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2005-06 में 1.00 करोड़ रु. का टोकन प्रावधान रखा गया है। इस प्रयोजन से औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी गई है।

एक ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के बाद परियोजना की ठीक-ठीक अनुमानित लागत, इस संस्थान के खोले जाने की संभावित तारीख तथा प्रशिक्षण दिए जाने वाले पायलटों की संख्या निश्चित की जाएगी।

(घ) और (ङ) संस्थान में किसी भी एयरमाईंडिड युवक को प्रारम्भ से व्यावसायिक पायलट के लाइसेंस स्तर तक उड़ान प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों के साथ रेल संपर्क

4273. श्री सुनील खां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कौन-कौन से हैं, जिनका रेल संपर्क नहीं है;

(ख) क्या सरकार ने इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रेल से जोड़ने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) मेघालय, सिक्किम, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, अंडमान–निकोबार और लक्षद्वीप में कोई रेल सम्पर्क नहीं है।

(ख) और (ग) दुधनोई से दीपा (मेघालय में) तक नई लाइन का निर्माण कार्य पहले से ही शुरू हो चुका है। शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए रेल सम्पर्क मुहैया कराने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

सीपीएसई में पूंजीनिवेश

4274. श्रीमती जयाप्रदा :
डा. चिन्ता मोहन :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार के उद्यमों (सीपीएसई); की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से ऐसे सीपीएसई की संख्या कितनी है, जिनकी मूल पूंजी लगातार नुकसान के कारण पूरी तरह समाप्त हो चुकी है; और

(ग) सरकार ने इन उद्योगों में कुल कितना पूंजीनिवेश किया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) दिनांक 8.6.2004 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2002–03, जो कि एक प्रकाशित दस्तावेज है, के अनुसार 31.3.2003 तक की अवधि की सूचना उपलब्ध है, जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 240 उद्यम थे। इनमें से 227 उद्यम प्रचालनरत थे तथा 13 निर्माणाधीन थे।

(ख) 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 227 प्रचालनरत उद्यमों में 88 उद्यमों की निवल परिसंपत्तियां ऋणात्मक थीं, जिससे उनकी पूंजी पूरी तरह समाप्त हो गई।

(ग) 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में सरकार द्वारा इक्विटी के माध्यम से किए गए निवेश की राशि 5097 करोड़ रुपए थी (इसमें सहायक कंपनियों में धारक कंपनियों का निवेश शामिल नहीं है)।

[अनुवाद]

विमान बेड़ा

4275. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री रघुनाथ झा :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमान बेड़े में अधिकतर मिग श्रृंखला के पुराने विमान हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सभी परिस्थितियों में विमान क्षेत्र में श्रेष्ठता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय वायु सेना (आई ए एफ) की प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) भारतीय वायु सेना में हल्के लड़ाकू विमान (एल सी ए) कब शामिल किए जाएंगे?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां। तथापि, इस लड़ाकू बेड़े का काफी अवशेषी कार्यकाल, भारतीय वायु सेना द्वारा इस्तेमाल करने के लिए अभी भी बचा हुआ है।

(ख) भारतीय वायु सेना के लड़ाकू बेड़े का आधुनिकीकरण, सुखोई–30, मिराज–2000, जगुआर तथा अन्य लड़ाकू विमान अधिप्राप्त करके सतत् आधार पर मौजूदा विमान बेड़े का उन्नयन करके किया जा रहा है।

(ग) हल्के लड़ाकू विमान को वर्ष 2008 से आगे भारतीय वायुसेना में शामिल करने की योजना है।

केरल में सड़क उपरिपुलों का निर्माण

4276. श्री सी. के. चन्द्रप्पन :
श्री पी. राजेन्द्रन :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल सरकार से राज्य में आर ओ बी/आर यू बी के निर्माण के लिए प्राप्त नए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) रेलवे द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या केरल में आर ओ बी का निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) केरल में निर्माणाधीन आर ओ बी/आर यू बी के कार्य के लिए अब तक कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) केरल राज्य सरकार से प्राप्त निम्नलिखित तीन प्रस्तावों को रेलवे बजट 2005-06 में शामिल किया गया है:

(i) एट्टमानूर-कोल्लम के बीच समपार सं. 33 के बदले ऊपरी सड़क पुल (आरओबी)।

(ii) कोट्टयम-चिंगावनम के बीच समपार सं. 36 के बदले ऊपरी सड़क पुल।

(iii) चालकुडी-करूक्कुट्टि के बीच समपार सं. 50 के बदले निचला सड़क पुल (आरयूबी)।

(ग) से (ङ) ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल का निर्माण रेलवे और राज्य सरकार का संयुक्त कार्य होता है। रेलवे खास अर्थात् रेलपथों के आर-पार के पुल का निर्माण करती है और पहुंच मार्गों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। रेलवे द्वारा अपने हिस्से का कार्य राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों के साथ-साथ पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

इस समय केरल राज्य में लागत की भागीदारी के आधार पर 49 कार्यों की मंजूरी दी गई है जो योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

इन कार्यों के लिए रेलवे बजट 2005-06 में 10.38 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

गर्मी के मौसम में विशेष रेलगाड़ियां

4277. श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री विजय कृष्ण :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती निवेदिता माने :
मो. मुकीम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गर्मी के मौसम में होलीडे स्पेशल/विशेष रेलगाड़ियां चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रेलगाड़ी-वार ब्यौरा क्या है और उक्त रेलगाड़ियों की यात्रा किन स्थानों से चलकर कहां पर समाप्त होगी;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजन हेतु किसी विशेष पैकेज की शुरूआत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

समर 2005 के दौरान चल रही/प्रस्तावित होली डे/समर स्पेशल गाड़ियों की कुल सं. 2378 है, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्रम सं.	गाड़ी सं.	खंड	अवधि	फेरे
1	2	3	4	5
1.	231/232	हवड़ा-नई दिल्ली-हवड़ा (सप्ताह में चार दिन)	1.5.05 से 15.6.05	52
2.	407/408	मुंबई सेंट्रल-निजामुद्दीन-मुंबई सेंट्रल (सप्ताह में दो बार)	10.4.05 से 2.7.05	48
3.	905/906	बांद्रा टर्मिनस-जम्मू तवी-बांद्रा टर्मिनस (साप्ताहिक)	9.4.05 से 28.6.05	24
4.	233/234	हवड़ा-देहदादून-हवड़ा (साप्ताहिक)	6.5.05 से 12.6.05	12
5.	528/527	काठगोदाम-देहरादून-काठगोदाम (सप्ताह में दो बार)	1.5.05 से 30.6.05	36
6.	653/654	जोधपुर-चेन्नै सेंट्रल-जोधपुर (साप्ताहिक)	4.4.05 से 15.6.05	22
7.	639/640	अजमेर-चेन्नै सेंट्रल-अजमेर (साप्ताहिक)	7.4.05 से 11.6.05	20
8.	674/673	यशवंतपुर-अजमेर-यशवंतपुर (साप्ताहिक)	3.4.05 से 29.6.05	26

1	2	3	4	5
9.	637/638	बेंगलूरू–एर्णाकुलम जंक्शन–बेंगलूरू (प्रतिदिन)	1.4.05 से 1.7.05	182.
10.	683/684	बेंगलूरू–चेन्नै सेंट्रल–बेंगलूरू (साप्ताहिक)	8.4.05 से 26.6.05	24
11.	635/636	चेन्नै सेंट्रल–त्रिवेंद्रम–चेन्नै सेंट्रल (सप्ताह में तीन बार)	4.4.05 से 7.6.05	56
12.	601/602	चेन्नै सेंट्रल–मैंगलोर–चेन्नै सेंट्रल (साप्ताहिक)	8.4.05 से 4.6.05	22
13	657/658	दादर–चेन्नै सेंट्रल–दादर (साप्ताहिक)	2.4.05 से 13.6.05	22
14.	605/606	नागरकोइल जंक्शन–चेन्नै एग्मोर–तूतीकोरन (सप्ताह में 2 बार)	3.4.05 से 13.6.05	42
15.	607/608	मदुरै–चेन्नै एग्मोर–मदुरै (सप्ताह में 2 बार)	2.4.05 से 12.6.05	42
16.	613/614	तूतीकोरन–चेन्नै एग्मोर–तूतीकोरन (साप्ताहिक)	4.4.05 से 7.6.05	20
17.	201/202	गुवाहाटी–बेंगलूरू–गुवाहाटी (साप्ताहिक)	10.4.05 से 21.6.05	20
18.	764/763	सिकंदराबाद–तिरूपति–सिकंदराबाद (साप्ताहिक)	20.4.05 से 16.6.05	18
19.	724/723	सिकंदराबाद–विजयवाड़ा–सिकंदराबाद (साप्ताहिक)	19.4.05 से 17.6.05	18
20.	702/701	सिंकदराबाद–चेन्नै सेंट्रल–सिंकदराबाद (साप्ताहिक)	17.4.05 से 13.6.05	18
21.	एमबी 1/ बीएम 1	मैसूर–बेंगलूरू–मैसूर (प्रतिदिन)	1.4.05 से 3.06.05	182
22.	165/166	दादर–एर्णाकुलम जंकशन–दादर (साप्ताहिक)	9.4.05 से 26.6.05	22
23.	167/168	दादर–मैंगलोर–दादर (साप्ताहिक)	13.4.05 से 30.6.05	24
24.	803/804	हवड़ा–बेंगलूरू–हवड़ा (साप्ताहिक)	6.4.05 से 1.7.05	26
25.	जेयूआई/यूजेआई	चिकजाजूर–हुबली–चिकजाजूर (प्रतिदिन)	1.4.05 से 30.6.05	182
26.	972/971	अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल–अहमदाबाद (साप्ताहिक)	9.4.05 से 26.6.05	48
27.	4845/4846	अहमदाबाद – बांद्रा टर्मिनस–अहमदाबाद (सप्ताह में तीन बार)	11.4.05 से 30.6.05	70
28.	919/920	जयपुर–बांद्रा टर्मिनस–जयपुर (सप्ताह में तीन बार)	10.4.05 से 15.6.05	58
29.	975/976	ओखा–बांद्रा टर्मिनस–ओखा (साप्ताहिक)	11.4.05 से 10.5.05	10
30.	983/984	पोरबंदर–बांद्रा टर्मिनस–पोरबंदर (साप्ताहिक)	11.4.05 से 28.6.05	24
31.	139/140	दादर–वाराणसी–दादर (प्रतिदिन)	3.4.05 से 1.7.05	178
32.	524/523	गोरखपुर–लोकमान्य तिलक (टी)–गोरखपुर (प्रतिदिन)	8.4.05 से 15.7.05	176
33.	204/203	गुवाहाटी–मुंबई सीएसटी–गुवाहाटी (साप्ताहिक)	15.4.05 से 21.6.05	20
34.	860/859	हवड़ा–मुंबई सीएसटी–हवड़ा (साप्ताहिक)	15.4.05 से 26.6.05	22
35.	143/144	वाराणसी–लोकमान्य तिलक (टी)–वाराणसी (सप्ताह में दो बार)	4.4.05 से 2.7.05	52

1	2	3	4	5
36.	155/156	गोरखपुर–लोकमान्य तिलक (टी)–गोरखपुर (सप्ताह में तीन बार)	4.4.05 से 2.7.05	78
37.	109/110	मडगांव–मुंबई सीएसटी–मडगांव (प्रतिदिन)	8.4.05 से 1.7.05	168
38.	959/960	गांधीधाम–मुम्बई सेंट्रल–गांधीधाम (सप्ताह में तीन बार)	12.4.05 से 01.7.05	70
39.	992/991	इंदौर–बांद्रा टर्मिनस–इंदौर (साप्ताहिक)	12.4.05 से 15.6.05	20
40.	949/950	धनबाद–अहमदाबाद–धनबाद (साप्ताहिक)	9.4.05 से 28.6.05	24
41.	525/526	गोरखपुर–अहमदाबाद–गोरखपुर (साप्ताहिक)	18.4.05 से 13.7.05	26
42.	997/998	वलसाड–पटना–वलसाड (साप्ताहिक)	10.4.05 से 12.6.05	24
43.	746/745	हावड़ा–हैदराबाद–हावड़ा (साप्ताहिक)	15.4.05 से 12.6.05	18
44.	807/808	हावड़ा–पुरी–हावड़ा (साप्ताहिक)	19.4.05 से 29.6.05	22
45.	243/244	हावड़ा–न्यूजलपाईगुड़ी–हावड़ा (साप्ताहिक)	4.5.05 से 16.6.05	14
46.	249/250	हावड़ा–गोरखपुर–हावड़ा (सप्ताह में दो बार)	4.5.05 से 16.6.05	26
47.	409/410	हावड़ा–पुरी–हावड़ा (साप्ताहिक)	17.4.05 से 13.6.05	18
48.	207/208	सियालदाह–गुवाहाटी–सियालदाह (सप्ताह में दो बार)	3.5.05 से 15.6.05	28
49.	719/720	बीकानेर–हैदराबाद–बीकानेर (साप्ताहिक)	17.4.05 से 16.6.05	18
50.	153/154	पुणे–गोरखपुर–पुणे (साप्ताहिक)	5.4.05 से 30.6.05	26
		कुल		2378

अजय विक्रम सिंह समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करना

4278. श्री नवजोत सिंह सिद्धू :
श्री डी. विट्ठल राव :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नौसेना और वायुसेना अधिकारियों हेतु अजय विक्रम सिंह समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने अधिकारियों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(ग) उक्त रिपोर्ट के लागू होने के बाद कितना व्यय होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) नौसेना और वायुसेना के अचयनित रैंकों के अफसरों के बारे में अजय विक्रम सिंह समिति की सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं।

(ख) नौसेना के 2307 अफसरों और वायुसेना के 4445 अफसरों की अगले उच्च रैंक में पदोन्नति कर दी गई है।

(ग) प्रति वर्ष किया जाने वाला संभावित व्यय नौसेना के संबंध में 18 करोड़ रुपए और वायुसेना के लिए 21.45 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

किराने की दुकानों पर एल. पी. जी. की बिक्री

4279. श्री मो. ताहिर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राज्यों में किराने की दुकानों पर एल पी जी की बिक्री हेतु कोई लाइसेंस दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में किराने की दुकानों पर एल पी जी की बिक्री के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां पूरे देश में अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटरों के नेटवर्क के माध्यम से एल पी जी का विपणन करती हैं। न तो किराने की दुकानों में एल पी जी की बिक्री की अनुमति दी गई है और न ही उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में किराने की दुकानों में एल पी जी की बिक्री के बारे में कोई शिकायत मिली है।

निराश्रित पेंशन के भुगतान हेतु केन्द्रीय सहायता

4280. **श्रीमती नीता पटैरिया** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार 65 वर्ष से अधिक आयु के लाभग्राहियों को दी जा रही निराश्रित पेंशन के भुगतान के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में पूरी धनराशि प्रदान करती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार "राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना" के सभी लाभग्राहियों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है,

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या पात्र लाभग्राहियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश को उचित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीसुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जिसमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना शामिल थी, इस कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2002-03 से राज्य-योजना को अंतरित कर दिए जाने तक, संचालित कर रहा था। इन योजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरित् कर दिए जाने के बाद, केन्द्र सरकार इन योजनाओं के लिए केवल अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रही है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन योजनाओं के चयन एवं कार्यान्वयन में अपेक्षित नम्यता है।

(ङ) और (च) वर्ष 2004-05 के दौरान, वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और अन्नपूर्णा योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 7644.82 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की।

चलती हुई रेलगाड़ियों में टीटीई की सुरक्षा

4281. **श्री गणेश सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चलती हुई रेलगाड़ियों में टिकट चल परीक्षकों की सुरक्षा संबंधी पहलू की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि टिकट परीक्षण के दौरान टिकट चल परीक्षकों के साथ प्रायः हाथापाई होती है;

(ग) यदि हां, तो उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस संबंध में रेलवे सुरक्षा बल की भूमिका संतोषजनक नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) रेलों के वाणिज्य अथवा सतर्कता विभागों की मांग पर रेलवे सुरक्षा बल/राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मी टिकट जांच में सहयोग करते हैं। जब कभी हाथापाई के किसी मामले की रिपोर्ट की जाती है तब कानून के उपबंध के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

निःशुल्क चैनल

4282. **श्री चन्द्र भूषण सिंह** :
श्री संतोष गंगवार :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डायरेक्ट टू होम सेवा के अन्तर्गत और अधिक निःशुल्क चैनलों का प्रसारण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में उपर्युक्त सेवा के अन्तर्गत प्रसारित किए जा रहे चैनलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) अपने चैनलों के निःशुल्क प्रसारण हेतु प्रसार भारती को राज्य-वार कितने प्रसारकों ने आवेदन किया है; और

(ङ) इन आवेदनों को स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) सरकार ने प्रसार भारती को अपने चैनल समूह में डी डी डायरेक्ट + की संख्या को पचास तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है। प्रसार भारती इस संबंध में आवश्यक प्रबंध-व्यवस्था करने की प्रक्रिया में है।

(ग) और (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है क्योंकि यह अपेक्षित हार्डवेयर की अधिप्राप्ति पर निर्भर होगा।

विवरण

डी डी डायरेक्ट प्लस के समूह में शामिल किए गए चैनलों की सूची

	डी डी चैनल		निजी चैनल		रेडियो चैनल
1.	डी डी नेशनल	1.	आज तक	1.	विविध भारती
2.	डी डी न्यूज	2.	हेडलाईन्स टुडे	2.	आकाशवाणी एफ एम रेनबो
3.	डी डी स्पोर्ट्स	3.	बीबीसी वर्ल्ड	3.	आकाशवाणी एफ एम गोल्ड
4.	डी डी इंडिया	4.	जैन टी वी	4.	आकाशवाणी हिन्दी
5.	डी डी भारती	5.	स्टार उत्सव	5.	आकाशवाणी बंगला
6.	डी डी कशीर	6.	जी म्यूजिक	6.	आकाशवाणी उत्तर-पूर्व
7.	डी डी पंजाबी	7.	स्माईल टी वी	7.	आकाशवाणी उड़िया
8.	डी डी पूर्वोत्तर	8.	ई टी वी मराठी	8.	आकाशवाणी गुजराती
9.	डी डी बंगला	9.	सन टी वी	9.	आकाशवाणी मराठी
10.	डी डी उड़िया	10.	कैरली टी वी	10.	आकाशवाणी तेलुगु
11.	डी डी गुजराती	11.	आकाश बंगला	11.	आकाशवाणी तमिल
12.	डी डी सहयाद्रि (मराठी)	12.	ई टी सी पंजाबी	12.	आकाशवाणी कन्नड़
13.	डी डी सप्तगिरि (तेलुगु)	13.	एम एच-1		
14.	डी डी चंदाना (कन्नड़)	14.	टी वी-9		
15.	डी डी पोदिगई (तमिल)				
16.	डी डी मलयालम				
17.	डी डी लोस (लोक सभा)				
18.	डी डी रास (राज्य सभा)				

शैक्षिक चैनल

1. ज्ञान दर्शन

डी डी डायरेक्ट प्लस में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाले चैनलों की सूची

क्र.सं.	चैनल का नाम	भाषा/विषय-वस्तु	अवस्थिति
1	2	3	4
1.	आस्था	हिन्दी/धार्मिक	दिल्ली
2.	चैनल न्यूज एशिया	एशियन न्यूज चैनल	सिंगापुर

1	2	3	4
3.	सी एम एम म्यूजिक	हिंदी/संगीत	दिल्ली
4.	डे स्टार	अंग्रेजी/धार्मिक	अमरीका
5.	ड्यूश वेले	जर्मन/अंग्रेजी/अति. सेवा	जर्मनी
6.	ई टी सी म्यूजिक	हिन्दी/संगीत	पंजाब
7.	इंडिया विजन	मलयालम/समाचार	केरल
8.	जागरण (जी)	हिन्दी/धार्मिक	दिल्ली
9.	जया टी वी	तमिल/सा. मनोरंजन	तमिलनाडु
10.	जीवन	मलयालम/सा. मनोरंजन	केरल
11.	महर्षि वेदा विजन	हिन्दी/धार्मिक	
12.	गॉड टी वी	अंग्रेजी/हिन्दी/धार्मिक	चेन्नई
13.	माना टी वी (4 चैनल)	तेलुगु/शैक्षिक	आ.प्र.
14.	एम टी ए	8 भाषाएं/धार्मिक/सामान्य	
15.	नेपाल 1	नेपाली/सामान्य	नेपाल
16.	राज म्यूजिक्स	दक्षिण/तमिल/संगीत	तमिलनाडु
17.	मुसलिम टी वी एहमदिया	धार्मिक-केरल	केरल
18.	साधना	हिन्दी/धार्मिक	दिल्ली
19.	सहारा 1	हिन्दी/सा. मनोरंजन	दिल्ली
20.	सहारा समय राष्ट्रीय	हिन्दी/समाचार	दिल्ली
21.	संस्कार	हिन्दी/धार्मिक	दिल्ली
22.	सप्लैश	बच्चों से संबंधित	दिल्ली
23.	एस एस म्यूजिक	अंग्रेजी/हिन्दी/दक्षिण भारतीय/संगीत	चेन्नई
24.	एस एस टी वी	(कनाडा)/सामान्य मनोरंजन	कनाडा
25.	सुर संगीत	हिन्दी/संगीत	चेन्नई
26.	टी वी एन इंडिया	हिन्दी/धार्मिक	
27.	टी वी 5	फ्रांसीसी/बाह्य सेवा	फ्रांस
28.	व्यास	हिन्दी/अंग्रेजी/शैक्षिक	दिल्ली
29.	विन टी वी	हिन्दी/सा. मनोरंजन	दिल्ली
30.	विन टी वी कन्नड़	कन्नड़/सा. मनोरंजन	कर्नाटक
31.	जी न्यूज	हिन्दी/समाचार	दिल्ली
32.	वर्ल्डरूम ट्रेवल टी वी	अंग्रेजी/भ्रमण एवं पर्यटन	लन्दन
33.	स्पीड म्यूजिक	हिन्दी/क्षेत्रीय	दिल्ली

1	2	3	4
34.	बल्ले-बल्ले	पंजाबी/हिन्दी	दिल्ली
35.	पंजाब टुडे	पंजाबी समाचार चैनल	दिल्ली
36.	लव वर्ल्ड	अंग्रेजी/हिन्दी/क्षेत्रीय/धार्मिक	अमरीका
37.	झंकार	हिन्दी/अंग्रेजी/संगीत	दिल्ली
38.	कुल टी वी	हिन्दी/पंजाबी	दिल्ली

अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति

4283. श्री थावरचन्द गेहलोत :
श्री श्री मित्रसेन यादव :
श्री मणि चारेनामै :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओ एन जी सी ने उन सरकारी अनुदेशों को लागू किया है जहां पर श्रेणी एक और दो पदों के अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों के अधिक्रमण के मामले में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम प्रबंधन के लिए निदेशक मंडल का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा उन अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिनका सरकारी नीति का उल्लंघन करके अधिक्रमण किया गया है; और

(घ) गत तीन वर्ष के दौरान विभिन्न श्रेणियों मे अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) ओ एन जी सी ने श्रेणी I और II पदों पर अनु. जाति/अनु. ज. जा. के कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी भारत सरकार के अनुदेशों का अनुपालन किया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान गैर-कार्पोरेट स्तर अर्थात ई-4 और इससे नीचे अनु. जा./अनु. ज. जा. के कुल 1468 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया था। इन्हीं 3 वर्ष के दौरान कार्पोरेट स्तर पर 1.1.2003 से 46 अनु. जा./अनु. ज. जा. के कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई। 1.1.2004 और 1.1.2005 से आरम्भ होने वाले वर्ष के लिए कार्पोरेट स्तर के कर्मचारियों की पदोन्नतियां विचाराधीन हैं।

निःशक्त हितैषी शैक्षिक संस्थान/अस्पताल

4284. श्री एम. शिवन्ना :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में अधिकांश शैक्षिक संस्थान (विशेषकर विद्यालय एवं महाविद्यालय) और अस्पताल बिल्कुल भी निःशुक्त-हितैषी नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का सारे अस्पतालों और शैक्षिक संस्थानों को निःशक्त-हितैषी बनाना सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्कूलों, कालेजों और अस्पतालों सहित सार्वजनिक भवनों में इन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की गई है। इनमें से कई सुविधाएं अनेक शिक्षा संस्थाओं तथा अस्पतालों में प्रदान की गई है। इस उद्देश्य के लिए शुरू किए गए विशिष्ठ कार्यक्रम निम्नवत हैं :

(1) सार्वजनिक भवनों के लिए दिशानिर्देशों और स्थान मानकों सहित बाधामुक्त निर्मित वातावरण हेतु प्रावधानों तथा सुविधाओं वाले आदर्श भवन उन नियम तैयार किए गए हैं और सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को अपनाने के लिए परिचालित किए गए हैं।

(2) देश में सभी स्कूलों और कालेजों को विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए, विकलांग बच्चों और युवाओं

को अनन्यरूप से शिक्षा के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है।

(3) स्कूलों में विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए वास्तुशिल्पिय बाधा हटाने/संशोधन हेतु विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(4) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, निर्माणाधीन सभी नए भवनों में रैम्पस, हैंडरेल्स तथा अन्य ऐसे संसाधन मुहैया कराए जाते हैं।

(5) सार्वजनिक भवनों में बाधामुक्त विशेषताओं की जागरूकता पैदा करने के लिए राज्यों/गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी से कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है।

सिमुलेटरों की खरीद

4285. डा. के. धनराजू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन सिमुलेटरों को खरीदा है जिन्हें रेल चालकों को प्रशिक्षण देने के लिए कम्प्यूटरीकृत प्रशिक्षण किट के रूप में जाना जाता है;

(ख) यदि हां, तो कितने सिमुलेटर खरीदे गए और इनकी खरीद पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) अब तक कितने रेल चालकों को प्रशिक्षण दिया गया है;

(घ) वर्ष 2005-06 के दौरान कितने रेल चालकों को प्रशिक्षित किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या रेलवे का वर्ष 2005-06 के दौरान सिमुलेटर खरीदने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) 16 अदद; 134 करोड़ रुपए (अनुमानित)

(ग) अभी तक 31,922 रेलवे ड्राइवरों को प्रशिक्षित किया गया है।

(घ) वर्ष 2005-06 में लगभग 5,572 रेलवे ड्राइवरों को प्रशिक्षित किए जाने की योजना है।

(ङ) और (च) मशीन और संयंत्र कार्यक्रम, 2005-06 में 2 अदद सिमुलेटरों की खरीद के लिए एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

भारत-ईरान गैस पाइपलाइन का विस्तार

4286. श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री एस. के. खारवेनथन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत-ईरान गैस पाइपलाइन का विस्तार म्यांमार के रास्ते चीन तक करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पाइपलाइन के चीन तक विस्तार से भारत को पारगमन शुल्क के रूप में भारी राशि मिलने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने रूकावटों, यदि कोई हों, के विरूद्ध कोई पर्याप्त सुरक्षोपायों की तैयारी की है; और

(च) यदि हां, तो पाइपलाइन चालू होने के बाद गैस के बिना रूकावट प्रवाह के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन के प्रस्ताव पर वार्ता प्रारंभिक चरणों पर है। परियोजना के ब्यौरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। इस समय म्यांमार से होकर चीन तक पाइपलाइन विस्तार करने का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है पर यह प्रस्ताव लोक चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(ग) और (घ) संकल्पना का मार्गस्थ शुल्क आयाम भी जनता के विचारार्थ उपलब्ध है।

(ङ) और (च) ब्यौरो को अंतिम रूप देते समय, परियोजना में आपूर्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। इसी बीच सुरक्षा आयाम भी जनता के विचारार्थ उपलब्ध है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में रसोईयान सुविधा

4287. श्री सुशील कुमार मोदी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक रेलगाड़ियों में रसोईयान सुविधा उपलब्ध नहीं है जिसके कारण यात्रियों को असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो रसोईयान सुविधा किन-किन रेलगाड़ियों में उपलब्ध नहीं है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान किन-किन रेलगाड़ियों में रसोईयान सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(घ) वर्ष 2005-06 के दौरान रसोईयान सुविधाओं के लिए किन-किन रेलगाड़ियों को चुना गया है;

(ङ) क्या नई दिल्ली-भागलपुर के बीच चल रही विक्रमशीला एक्सप्रेस में रसोईयान सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त रेलगाड़ी में रसोईयान सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) पैंट्री कार सुविधाएं उन चुनिंदा सुपरफास्ट/मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में प्रदान की जाती हैं जो लोकप्रिय मार्गों पर चलती हैं और जहां स्थायी इकाइयों से पर्याप्त और संतोषजनक खानपान सेवाएं देना संभव नहीं है। अतैव भारतीय रेलों पर लगभग 59 अदद लंबी दूरी की सुपरफास्ट/मेल एक्सप्रेस गाड़ियां हैं जिनमें इस समय पैंट्री कार नहीं लगी हुई हैं हालांकि इन गाड़ियों का यात्रा समय प्रत्येक तरफ 24 घंटे से अधिक है और जिनमें शयनयान श्रेणी के दस या उससे अधिक डिब्बे हैं। वे गाड़ियां जिनमें पैंट्री कार उपलब्ध नहीं है, के नाम विवरण-I पर संलग्न है। इन गाड़ियों में पैंट्री कार की सुविधाओं की व्यवस्था न करने के कारणों में, स्टेशनों पर पर्याप्त ठहराव जिनमें मार्गवर्ती स्थायी खानपान इकाइयों से संतोषजनक खानपान सेवाएं उपलब्ध हैं तथा परिचालनिक तंगियों जैसे चल स्टॉक, गाड़ियों आदि में स्थान उपलब्ध न होना आदि जैसे कारण शामिल हैं। बहरहाल, लंबी दूरी की गाड़ियों में पैंट्री कार सेवाएं चरणबद्ध आधार पर शुरू की जाएंगी बशर्तें कि नई पैंट्री कारें उपलब्ध हों।

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान जिन गाड़ियों में पैंट्री कार की सुविधाएं प्रदान की गई हैं उन गाड़ियों के नाम विवरण-II पर संलग्न है।

(घ) वर्ष 2005-06 के दौरान जिन गाड़ियों में पैंट्री कार सुविधाएं प्रदान की जानी हैं उन गाड़ियों के नामों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वर्ष 2005-06 के दौरान केवल 7037-7038 सिकंदराबाद-बीकानेर एक्सप्रेस गाड़ियों में पैंट्री कार की सुविधा प्रदान की गई है तथा विक्रमशिला एक्सप्रेस के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है।

(ङ) और (च) रेल मंत्रालय ने विक्रमशिला एक्सप्रेस गाड़ियों में पैंट्री कार सेवाएं शुरू करने का विनिश्चय कियां है। इस गाड़ी के लिए भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लि. (आई आर सी टी सी) द्वारा निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। इसे शीघ्र ही अंतिम रूप देने की संभावना है।

विवरण-I

लंबी दूरी की मेल एक्सप्रेस/सुपर फास्ट गाड़ियां जो बिना पेंट्री कार के चलती हैं और जिनकी यात्रा का समय प्रत्येक तरफ 24 घंटे से अधिक है और जिनमें वातानुकूलित शयनयान श्रेणी के सवारी डिब्बों सहित 10 शयनकक्ष हैं।

क्रम सं.	गाड़ी सं.	नाम
1	2	3
1.	1039/1040	श्री छत्रपति साहू महाराज (टी.)-गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस
2.	1034/1044	लोकमान्य तिलक (टी.)-मदुरै एक्सप्रेस
3.	1045/1046	लोकमान्य तिलक (टी.)-भुवनेश्वर एक्सप्रेस
4.	1053/1054	श्री छत्रपति साहू महाराज (टी.)-निजामुद्दीन एक्सप्रेस
5.	1055/1056	गोरखपुर-लोकमान्य तिलक (टी.) गोदान एक्सप्रेस
6.	1057/1058	दादर-अमृतसर एक्सप्रेस
7.	1059/1060	छपरा-लोकमान्य तिलक (टी.)-एक्सप्रेस
8	1067/1068	लोकमान्य तिलक (टी.)-फैजाबाद साकेत एक्सप्रेस
9	1069/1070	लोकमान्य तिलक (टी.)-इलाहाबाद एक्सप्रेस

1	2	3
10.	1071/1072	लोकमान्य तिलक (टी.)–वाराणसी कामायनी एक्सप्रेस
11.	1093/1094	छत्रपति साहू जी टर्मिनल मुंबई वाराणसी महानगरी एक्सप्रेस
12.	1097/1098	पुणे–एर्णाकुलम पूर्णा एक्सप्रेस
13.	1405/1406	विशाखापतनम–काकीनाड़ा टाउन मनमाड एक्सप्रेस
14.	1463/1464	राजकोट–जबलपुर एक्सप्रेस
15.	1465/1466	राजकोट–जबलपुर एक्सप्रेस
16.	2315/2316	सियालदह–अजमेर अनन्या एक्सप्रेस
17.	2317/2318	सियालदह–अमृतसर अकाल तख्त एक्सप्रेस
18.	2405/2406	भुसावल–निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस
19.	2409/2410	बिलासपुर–निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस
20.	2647/2648	कोयम्बटूर–निजामुद्दीन कोंगू एक्सप्रेस
21.	2905/2906	पोरबंदर–हावड़ा एक्सप्रेस
22.	2977/2978	एर्णाकुलम–जयपुर मरुसागर एक्सप्रेस
23.	2983/2984	बिलासपुर–जयपुर एक्सप्रेस
24.	3009/3010	हावड़ा–देहदादून एक्सप्रेस
25.	3013/3014	हावड़ा–देहरादून उपासना एक्सप्रेस
26.	3019/3020	हावड़ा–काठगोदाम बाग एक्सप्रेस
27.	3287/3288	टाटा नगर–दुर्ग–पटना साहिब साउथ बिहार एक्सप्रेस
28.	3447/3448	भागलपुर–दादर एक्सप्रेस
29.	4311/4312	बरेली–भुज आला हजरत एक्सप्रेस
30.	4313/4314	बरेली–दादर एक्सप्रेस
31.	4707/4708	बीकानेर–बांद्रा टर्मिनल रनकपुर एक्सप्रेस
32.	4853/4854	वाराणसी–जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस
33.	4863/4864	वाराणसी–जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस
34.	5017/5018	दादर–गोरखपुर–काशी एक्सप्रेस
35.	5635/5636	ओखा–गुवाहाटी द्वारका एक्सप्रेस
36.	5637/5638	सिकंदराबाद–गुवाहाटी एक्सप्रेस
37.	5639/5640	पुरी–गुवाहाटी एक्सप्रेस
38.	5707/5708	कटिहार–अमृतसर एक्सप्रेस
39.	5933/5934	डिब्रूगढ़ टाउन अमृतसर एक्सप्रेस
40.	6003/6004	हावड़ा–चेन्नै मेल
41.	6125/6126	चेन्नै एग्मोर–जोधपुर एक्सप्रेस
42.	6357/6358	नागरकोइल जंक्शन–हावड़ा गुरूदेव एक्सप्रेस
43.	6359/6360	एर्णाकुलम–राजेन्द्र नगर एक्सप्रेस

1	2	3
44.	6529/6530	मुंबई–बैंगलोर उद्यान एक्सप्रेस
45.	6613/6614	राजकोट–कोयम्बटूर एक्सप्रेस
46.	8005/8006	हावड़ा–कोरापुट एक्सप्रेस
47.	8029/8030	हावड़ा–लोकमान्य तिलक (टी.) एक्सप्रेस
48.	8103/8104	टाटा नगर–अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस
49.	8233/8234	इंदौर–बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस
50.	8415/8416	भुवनेश्वर–यशवंतपुर एक्सप्रेस
51.	8609/8610	हटिया–लोकमान्य तिलक (टी.) एक्सप्रेस
52.	9019/9020	बांद्रा–देहरादून एक्सप्रेस
53.	9049/9050	वलसाड–राजेन्द्र नगर एक्सप्रेस
54.	9163/9164	अहमदाबाद–फैजाबाद साबरमती एक्सप्रेस
55.	9165/9166	अहमदाबाद–मुज्फ्फरपुर साबरमती एक्सप्रेस
56.	9167/9168	अहमदाबाद–वाराणसी साबरमती एक्सप्रेस
57.	9305/9306	इंदौर–हावड़ा–शिप्रा एक्सप्रेस
58.	9313/9314	इंदौर–राजेन्द्रनगर एक्सप्रेस
59.	9569/9570	ओखा–वाराणसी एक्सप्रेस

विवरण-II

गाड़ियों में पेंट्री कार सुविधाएं

क्रम सं.	गाड़ी सं.	नाम
1.	2501/2502	पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस
2.	2707/2708	आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति
3.	5265/5266	बिहार संपर्क क्रांति
4.	2823/2824	छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति
5.	2917/2918	गुजरात संपर्क क्रांति
6.	2653/2654	केरल संपर्क क्रांति
7.	2907/2908	महाराष्ट्र संपर्क क्रांति
8.	2121/2122	मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति
9.	2819/2820	उड़ीसा संपर्क क्रांति
10.	2463/2664	राजस्थान संपर्क क्रांति
11.	2447/2448	उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति
12.	2329/2330	पश्चिम बंगाल संपर्क क्रांति
13.	2449/2450	गोवा संपर्क क्रांति
14.	2825/2826	झारखंड संपर्क क्रांति
15.	2651/2652	तमिलनाडु संपर्क क्रांति
16.	7091/7092	सिकंदराबाद राजेन्द्र एक्सप्रेस
17.	2649/2650	कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस

[अनुवाद]

कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र

4288. श्री पी. मोहन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कितने कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्रों का निर्माण किया गया और उन्हें चालू किया गया;

(ख) क्या कुछ केन्द्रों का निर्माण किया जा चुका है लेकिन लंबे समय के बाद भी उन्हें चालू नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी है और इसके क्या लक्षण हैं; और

(घ) इन केन्द्रों को शीघ्र चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) हिसार, गंगटोक और वारंगल स्थित तीन स्टूडियो केन्द्रों को पिछले तीन वर्षों के दौरान चालू कर दिया गया है।

(ख) से (घ) राजौरी (जम्मू-कश्मीर) कालीकट (केरल) पटियाला (पंजाब) कोयम्बटूर और मदुरै (तमिलनाडु) में पांच स्टूडियो केन्द्र तकनीकी रूप से तैयार हैं, लेकिन पर्याप्त जन-शक्ति उपलब्ध न होने के कारण इनको चालू नहीं किया जा सका है जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

तेलुगू समाचार

4289. श्री किन्जरपु येरनायडु : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी की तेलुगू न्यूज केन्द्र को दिल्ली से हैदराबाद स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थानांतरित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि तेलुगू समाचार एकक को पहले ही 1 अप्रैल, 2005 से दिल्ली से हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया है।

मथुरा रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं

4290. कुंवर मानवेन्द्र सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मथुरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार मथुरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) मथुरा जंक्शन 'क' कोटि का स्टेशन है। इस स्टेशन में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार, सभी न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध हैं, मथुरा में यात्री सुविधाओं में सुधार करने से संबंधित तीन कार्य शुरू किए गए हैं। अर्थात् (i) 29.35 लाख रु. की लागत पर 13 सवारी डिब्बों को स्टार्ट करने के लिए प्लेटफार्म सं. 6 पर इलैक्ट्रिकल चार्जिंग सुविधा प्रदान करना (ii) 21.50 लाख रु. की लागत पर कोच गाइडेन्स इंडिकेटर की व्यवस्था (iii) 10.27 लाख रु. की लागत पर प्लेटफार्म सं. 2/3 पर अतिरिक्त ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ट्रांसमीटर

4291. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के महानगरों और अन्य बड़े शहरों में दूरदर्शन के दो या तीन चैनलों का सीधा प्रसारण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो देश के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी सुविधा प्रदान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों में भी दूरदर्शन दो-तीन चैनलों के प्रसारण के लिए नए ट्रांसमीटरों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास मंहगा होने के कारण फ्री टू एयर, डी.टी.एच. सेवा के प्रसारण पर पुनर्विचार संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उपग्रह पद्धति में दूरदर्शन चैनल पूरे देश में उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में स्थापित 1401 ट्रांसमीटरों के एक नेटवर्क के जरिए दो स्थलीय चैनल नामतः डी डी-1 और डी डी न्यूज देश की क्रमशः लगभग 90.7% और 45.9% जनसंख्या को उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) के.यू. बैंड (फ्री–टु–एयर डी टी एच) प्रसारण सेवा के जरिए बहु चैनल कवरेज (33 टी वी और 12 रेडियो चैनल) समग्र देश (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर) को उपलब्ध करवा दी गई है। स्थलीय प्रसारण द्वारा अब तक कवर न किए गए क्षेत्रों को के.यू.बैंड प्रसारण के जरिए कवरेज उपलब्ध करवा दी गई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पायलटों की भर्ती

4292. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री राजनरायन बुधौलिया :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पायलटों की बढ़ती मांग के मद्देनजर वाणिज्यिक पायलटों की भर्ती संबंधी कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनके चयन के लिए चयन प्रक्रिया निर्धारित कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) पायलटों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हालांकि कोई विशिष्ट योजना तैयार नहीं की गई है तथापि, सरकार ने एयरलाइन प्रचालकों को 60 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 61 वर्ष तक की आयु के व्यावसायिक पायलटों की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दे दी है बशर्ते कि (i) पायलटों का चिकित्सा रिकार्ड एकदम साफ हो अर्थात् लाइसेंस अधिकार पर किसी प्रकार का चिकित्सा प्रतिबंध न हो (ii) पायलट का प्रत्येक तीन महीनों में आई ए एम बंगलौर/ए एफ सी एम ई, नई दिल्ली से पुनः प्रथम श्रेणी स्तर का चिकित्सा मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) जी, नहीं। एयरलाइन्स सामान्यतः प्रशिक्षु पायलटों इत्यादि की आवश्यकता के आधार पर उनकी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है जो एयरलाइन द्वारा अपने विमान बेड़े में शामिल किए जा रहे विमानों की संख्या पर निर्भर करती है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, लागू सिमुलेटर पर प्रवीणता मूल्यांकन जांच तथा तत्पश्चात् सामूहिक चर्चा एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल हैं। सामान्यतः उम्मीदवारों का चयन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, वायुसेना, जलसेना तथा खुले बाजार से किया जाता है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति कल्याण योजनाओं के लिए जागरूकता अभियान

4293. श्री डी. विट्ठल राव : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास गैर–सरकारी संगठनों की सहायता से अनुसूचित जातियों के परिवारों को उनके लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अभियान में शामिल किए जाने वाले गैर–सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ङ) इस संबंध में अभी तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अंतरराष्ट्रीय वायु यातायात मार्ग

4294. श्री अतीक अहमद : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात मार्ग भारतीय वायु क्षेत्र से होकर गुजरते हैं, और सरकार को इन वायु यातायात मार्गों का उपयोग करने वाली उड़ानों से कितनी वार्षिक आय होती है; और

(ख) सरकार द्वारा नागर विमानन क्षेत्र में पुनरोद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) 84 अन्तरराष्ट्रीय वायु यातायात सेवा मार्ग, भारतीय वायु क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को वर्ष 2003–04 के दौरान मार्ग दिक्चालन सुविधा प्रभारों (आर.एन.एफ.सी.) (इनरूट) से 339.32 करोड़ रुपए की आय हुई है।

(ख) जहां, तक भारतीय वायुक्षेत्र का संबंध है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने संशोधित ए.टी.एस. रूट स्ट्रक्चर, यूरोप मिडल ईस्ट एशिया रूट स्ट्रक्चर साउथ ऑफ हिमाल्यास (इ एम ए आर एस एस एच) प्रोजेक्ट, रिड्यूज्ड वर्टिकल सैप्रेशन मिनिमम

(आर वी एस एम) को कार्यान्वित किया है, जिससे उर्ध्व तथा क्षैतिज आयामों की दृष्टि से वायुक्षेत्र की क्षमता में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विभिन्न क्षेत्र नियन्त्रण केन्द्रों में नए रडार भी चालू किए हैं, चेन्नई तथा कोलकाता के क्षेत्र नियन्त्रण केन्द्रों में ओटोमेटिक डिपेंडेंट सर्विलेंस/कंट्रोलर पायलट डाटा लिंक कम्यूनिकेशन (एडीएस/सीपीडीएलसी) भी संस्थापित किया है। एडीएस/सीपीडीएलसी को मुम्बई तथा दिल्ली में आरंभ किए जाने की भी योजना है। भारतीय वायुक्षेत्र से होकर गुजरने वाली और अधिक अन्तरराष्ट्रीय उड़ानों को आकर्षित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भारतीय वायुक्षेत्र से होकर गुजरने वाली अन्तरराष्ट्रीय उड़ानों के उड़ान समय को कम करने की दृष्टि से कुछ मुख्य अन्तरराष्ट्रीय एटीएस मार्गों को छोटा कर दिया है।

[अनुवाद]

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स का विलय

4295. श्री जी. वी. हर्ष कुमार : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के विलय का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

समाचार एकत्र करने वाली इलेक्ट्रानिक इकाइयां

4296. श्री जुएल ओराम : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार समाचार एकत्र करने वाली कितने इकाइयों (ई.एन.जी.) की स्थापना की गई है;

(ख) क्या सरकार को राज्य सरकारों से राज्य में ई.एन.जी. इकाइयों की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित इकाइयों का ब्यौरा क्या है और यह इकाइयां किन-किन स्थानों पर स्थापित की जाएंगी?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि देश के सभी दूरदर्शन स्टुडियो केन्द्रों और तिरूपति उच्च शक्ति ट्रांसमीटर में इलेक्ट्रॉनिक समाचार संचयन (ई एन जी) उपलब्ध कराए गए हैं (स्टुडियो केन्द्रों की अवस्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है)।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों सहित विभिन्न भागों से स्टुडियो केन्द्रों में ई एन जी इकाइयों की स्थापना करने के अनुरोध समय-समय पर प्राप्त किए जाते हैं। स्थानीय आवश्यकताओं और अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए समय-समय पर स्टुडियो केन्द्रों स्थित ई एन जी इकाइयों का संवर्धन किया जाता है। वर्ष 2005-06 के दौरान नई अवस्थितियों में ई एन जी इकाइयों को स्थापित करने की कोई स्कीम नहीं है।

विवरण

दूरदर्शन स्टुडियो केन्द्र (दिनांक 19.4.2005 तक की स्थिति के अनुसार)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मौजूदा स्टुडियो
1	2	3
1.	असम	गुवाहाटी
		डिब्रूगढ़
		सिलचर
		गुवाहाटी (क्षेत्रीय निर्माण केन्द्र)
2.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
		विजयवाड़ा
		वारंगल
3.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर
4.	बिहार	पटना
		मुजफ्फरपुर
5.	छत्तीसगढ़	जगदलपुर
		रायपुर
6.	गोवा	पणजी
7.	गुजरात	अहमदाबाद
		राजकोट
8.	हरियाणा	हिसार
9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
10.	झारखंड	रांची
		डाल्टनगंज
11.	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर

1	2	3
		जम्मू
		लेह
12.	केरल	त्रिवेन्द्रम
		त्रिचूर
13.	कर्नाटक	बंगलौर
		गुलबर्गा
14.	मध्य प्रदेश	भोपाल
		इन्दौर
		ग्वालियर
15.	मेघालय	शिलांग
		तुरा
16.	महाराष्ट्र	मुम्बई
		नागपुर
		पुणे
17.	मणिपुर	इम्फाल
18.	मिजोरम	एजवाल
19.	नागालैण्ड	कोहिमा
20.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
		भवानीपटना
		सम्बलपुर
21.	पंजाब	जालन्धर
22.	राजस्थान	जयपुर
23.	सिक्किम	गंगटोक
24.	तमिलनाडु	चेन्नई
25.	त्रिपुरा	अगरतला
26.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
		गोरखपुर
		बरेली
		मऊ
		इलाहाबाद
		वाराणसी
		मथुरा
27.	उत्तरांचल	देहरादून
28.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता
		शांतिनिकेतन
		जलपाईगुड़ी
29.	दिल्ली	दिल्ली क्षेत्रीय निर्माण केन्द्र
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	पोर्टब्लेयर
31.	पांडिचेरी	पांडिचेरी
32.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़

[हिन्दी]

पाकिस्तान टेलीविजन कार्यक्रम

4297. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर और बीकानेर जैसे सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तान टेलीविजन द्वारा प्रसारित कार्यक्रम अधिक साफ दिखाई देते हैं;

(ख) क्या सरकार के पास पाकिस्तान चैनलों के कार्यक्रमों से मुकाबला करने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों के हिस्सों में पाकिस्तानी टी.वी. सिगनलों की गुणवत्ता घटिया से अच्छे तक अलग-अलग है।

स्थलीय पद्धति में दूरदर्शन कार्यक्रमों के सिगनलों की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु उपरोक्त जिलों में इस समय 15 दूरदर्शन ट्रांसमीटर (उ.श.ट्रा.-4), (अ.श.ट्रा.-11) कार्यशील है। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि ट्रांसमीटरों के कवरेज क्षेत्र में सिगनलों की गुणवत्ता संतोषजनक है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थलीय कवरेज का और विस्तार किया जा रहा है।

प्रसार भारती ने सूचित किया है कि पाक टी.वी. चैनलों के कार्यक्रमों का मुकाबला करने के लिए के.यू.बैंड (फ्री टु एयर, डी.टी.एच. सेवा) के जरिए देश के अन्य हिस्सों के साथ-साथ राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्कृष्ट सिगनल गुणवत्ता के साथ बहु चैनल कवरेज (33 अ.वी. चैनल और 12 रेडियो चैनल) उपलब्ध करवा दी गई है।

[अनुवाद]

पालनपुर और गांधीधाम के बीच आमान परिवर्तन

4298. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ रेलवे कंपनी (के आर सी एल) को पालनपुर और गांधीधाम के बीच आमान परिवर्तन का कार्य सौंपा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या वित्तीय संकट और प्रबंधन जोखिम के कारण निजी और सरकारी भागीदारी पहल के अंतर्गत के आर सी एल के गठन का कार्य धीमा पड़ गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पहल के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों की वर्तमान में क्या स्थिति है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आरक्षित कोचों में अनारक्षित/अनधिकृत यात्रियों का प्रवेश

4299. श्री रूपचन्द मुर्मू :
मो. मुकीम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने एक्सप्रेस ट्रेनों, विशेषकर बिहार से गुजरने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के कोचों के आरक्षित कोचों में अनारक्षित/अनधिकृत यात्रियों को पकड़ने के लिए औचक जांच अभियान शुरु किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक आरक्षित कोचों में अनारक्षित/अनधिकृत यात्रियों के प्रवेश के कितने मामले सामने आए हैं;

(ग) दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या रेलवे को अनारक्षित/अनधिकृत यात्रियों पर लगाए गए अर्थदंड के कारण बड़ी धनराशि भी प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी राशि वसूल की गई है; और

(च) रेलवे द्वारा आने वाले ग्रीष्म काल में बढ़ने वाली भीड़ के मद्देनजर आरक्षित कोचों में अनारक्षित/अनधिकृत यात्रियों के प्रवेश को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) टिकट चैकिंग एक चलती रहने वाली प्रक्रिया है। नेमी टिकट चैकिंग के अलावा, आरक्षित डिब्बों में अप्राधिकृत यात्रियों के प्रवेश के संबंध में बिहार सहित सम्पूर्ण भारतीय रेलों पर आकस्मिक जांच भी की जाती है। आरक्षित डिब्बों में अप्राधिकृत रूप से यात्रा करने वाले पाए गए व्यक्तियों पर कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। बहरहाल, आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने वाले पाए गए अनारक्षित/अप्राधिकृत यात्रियों के लिए अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। बहरहाल, अप्रैल, 2004 से फरवरी, 2005 तक की अवधि के दौरान बिना टिकट/अनियमित यात्रा के कुल 73.54 लाख मामलों का पता लगा था।

(ग) दोषी पाए गए रेल कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ) अप्रैल, 2004 से फरवरी, 2005 तक की अवधि के दौरान बिना टिकट या अनियमित टिकट सहित यात्रा करने वाले पाए गए व्यक्तियों के किराए और दंड के रूप में 172.38 करोड़ रुपए की राशि की वसूली की गई है।

(च) निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) 01.07.2004 से बिना टिकट/अनियमित यात्रा के लिए दंड 50/- रुपए से बढ़ाकर 250/- रुपए कर दिया गया है।

(ii) वाणिज्य, सतर्कता और पुलिस द्वारा नियमित रूप से आकस्मिक जांच की जाती हैं।

डाउनलिंकिंग नीति

4300. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाउनलिंकिंग नीति को तैयार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कब तक लागू होने की संभावना है; और

(घ) नई नीति वर्तमान प्रथा और नियमों से कहां तक अलग है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (घ) सरकार अन्य देशों से अपलिंक किए

जाने वाले और आम दर्शकों के लिए भारत में डाऊनलिंक किए जाने वाले उपग्रह टी.वी. चैनलों को विनियमित करने के लिए डाऊनलिंकिंग नीति की शुरूआत करने संबंधी मुद्दे की जांच कर रही है। दिशा–निर्देशों को अन्तिम रूप देने के लिए कोई समय सीमा इंगित नहीं की जा सकती है।

इस समय विदेश से अपलिंग किए जाने वाले और आम दर्शकों के लिए भारत में डाऊनलिंक किए जाने वाले उपग्रह टी.वी. चैनलों के सिगनलों को डाऊनलिंक किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र

4301. **श्री कुलदीप बिश्नोई** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान मई में दिल्ली में एक राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना को निष्पादन में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) "नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र की स्थापना" नामक स्कीम को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था और इसे पत्र सूचना कार्यालय (पी आई बी) की नौवीं योजना में जारी रखा गया था। इस परियोजना को शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा बाधा रहित भू–खण्ड का कब्जा अक्तूबर, 2002 में दिया गया था।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पत्र सूचना कार्यालय की योजना स्कीम के एक भाग के रूट में प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया के प्रयोग हेतु आधुनिक सम्प्रेषण सुविधाओं वाले एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र को नई दिल्ली में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजनार्थ, 1955 एकड़ का एक प्लॉट 7, रायसीना रोड पर आबंटित कर दिया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र की स्थापना हेतु 35.00 करोड़ रुपये उद्दिष्ट कर दिए गए हैं। व्यय वित्त समिति ने दिनांक 25 जनवरी, 2005 को आयोजित अपनी बैठक में इस परियोजना को अनुमोदित कर दिया है। चूंकि यह परियोजना लुटयेन्स दिल्ली में स्थित है इसलिए सभी संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए इसका डिजाइन और खाका सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना है। डिजाइन का चयन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। निर्माण कार्य शुरू होने की तारीख से 24 महीनों में इस परियोजना के पूरा होने की संभावना है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित खुदरा विक्रय केन्द्र

4302. **श्री राजेन गोहेन** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित, कितने विक्रय केन्द्र, एस के ओ और एल डी ओ डीलर तथा एल पी जी डीलर हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को दिए गए आर ओ एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप का बेनामी डीलर उपयोग कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार; द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को दी गई डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप का उपयोग करने वाले बेनामी डीलर/डीलरशिप के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या वर्तमान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वर्गों का आर ओ एस के ओ, एल डी ओ और एल पी जी डीलर आरक्षण कोटे के अनुसार पर्याप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों अर्थात इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और आई बी पी कम्पनी लिमिटेड के 1.3.2005 को देश भर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों से संबंधित 2349 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप, 1612 एल पी जी वितरण केन्द्र और 574 एस के ओ – एल डी ओ वितरण केन्द्र कार्यरत थे।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्ष के दौरान, तेल विपणन कंपनियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत 3 खुदरा बिक्री केन्द्रों और 5 एल पी जी वितरण केन्द्रों के बेनामी प्रचालन के मामले मिले हैं। खुदरा बिक्री केन्द्रों के मामले में, एक बिक्री केन्द्र को समाप्त कर दिया गया है और शेष दो को समाप्त करने के लिए तेल कंपनी विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों/डीलरशिप करार के अनुरूप कार्रवाई कर रही है। एलपीजी वितरण केन्द्रों के मामले में, 3 वितरण केन्द्रों को समाप्त कर दिया गया है और शेष 2 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उक्त अवधि में एस के ओ – एल डी ओ डीलरशिप के मामले में कंपनियों को किसी बेनामी प्रचालन का कोई मामला नहीं मिला है।

(घ) और (ङ) पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिपों/वितरण केन्द्रों के आबंटन के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षण की प्रतिशतता का अनुपालन करती है। आबंटन संबंधी ब्यौरे संबंधित कंपनियों के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

चल टिकट परीक्षकों द्वारा अधिक प्रभार वसूलना

4303. श्री देविदास पिंगले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चल टिकट परीक्षक द्वारा यात्रियों से विशेषकर महाराष्ट्र में पंचवटी एक्सप्रेस के यात्रियों से अधिक प्रभार वसूल किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कितने मामले दर्ज किए गए हैं और चल टिकट परीक्षकों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) टिकट जांचकर्ता कर्मचारी अनियमित रूप से यात्रा करने वाले यात्रियों जैसे बगैर टिकट यात्रा करना, अनारक्षित टिकट के साथ अनुमति लिए बिना आरक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करना, उन गाड़ियों और सवारी डिब्बों में जिनमें मासिक सीजन टिकटधारकों को यात्रा की अनुमति नहीं है, में मासिक सीजन टिकटों के साथ यात्रा करना, बगैर सुपरफास्ट अधिभार टिकट के सुपरफास्ट गाड़ियों में यात्रा करने वालों से प्रभार वसूलते हैं।

पंचवटी एक्सप्रेस को 15.11.2004 से सुपरफास्ट गाड़ी में परिवर्तित कर दिया गया है। मासिक सीजन टिकट को उनके मासिक सीजन टिकट के साथ-साथ सुपरफास्ट अधिभार टिकट भी लेना आवश्यक होता है। यदि सुपरफास्ट टिकट नहीं खरीदा गया तो टिकट जांचकर्त्ता कर्मचारी जुर्माना वसूल करेंगे। बहरहाल, यदि टिकट जांचकर्ता कर्मचारी यात्रियों से गलत रूप से प्रभार वसूलते हैं तो उनके विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। जहां तक ऐसे मामलों की संख्या का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

व्यावसायिक परिसरों का निर्माण

4304. श्री राकेश सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे के राजस्व स्त्रोतों को बढ़ाने हेतु व्यावसायिक परिसरों के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए पहचाने गए स्थलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) रेलवे ने रेलवे भूमि/आकाशीय क्षेत्र का वाणिज्यिक उपयोग करना शुरू कर दिया है जिसमें बड़े स्टेशनों पर या उसके आस-पास आवश्यकता, व्यवहार्यता और रेल सुविधाओं में सुधार करने के लिए राजस्व के सृजन की संभाव्यता के आधार पर वाणिज्यिक काम्पलैक्शन/होटल आदि की स्थापना करना शामिल है।

रेलवे में राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। बहरहाल, जोनल रेलों पर 61 स्थल लिए गए हैं जिनमें से अब तक 9 स्थलों को अंतिम रूप दे दिया गया है और 6.5 करोड़ रुपयों की राजस्व की उगाही की गई है।

तमिलनाडु में रेल परियोजना

4305. श्री जे. एम. आरुन रशीद :
श्री के. सी. पलनिसामी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में नई रेल परियोजनाओं और किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं और सर्वेक्षण को पूरा करने के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं पर अभी तक परियोजनावार कितना व्यय हुआ है;

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार से इन चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष पैकेज प्रदान करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/आंशिक तौर पर पड़ने वाली किसी नई रेल परियोजना को वर्ष 2005-06 के बजट में शामिल नहीं किया गया है। वर्ष 2005-06 के बजट में तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली निम्नलिखित नई लाइनों के सर्वेक्षणों को शामिल किया गया है:-

(1) धरमपुरम के रास्ते इरोड से पलानी तक नई लाइन (115 किमी)।

(2) तिरुकाडयूर तरमगमबाडी और तिरुनालर के रास्ते मइलादतराई से करइकाल तक नई लाइन (35 किमी)।

(3) अंथूर के रास्ते सत्यामंगलम से मेत्तूर तक नई लाइन।

(4) महाबलीपुरम और पांडिचेरी के रास्ते (71 किमी) चेन्नै से कुड्डालोर तक नई लाइन।

(5) मदुरै–बोदीनायकनोर (90 किमी) का आमान परिवर्तन।

(ग) ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

टी-स्टालों के आबंटन में भागीदारी शुरूआत

4306. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे/रेलवे बोर्ड की व्यक्तियों के नामों पर आबंटित किए गए टी–स्टालों को उनके (परिवार के और परिवार के बाहर) के व्यक्तियों को भी भागीदार बनाने की अनुमति देने संबंधी कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसे कब बनाया गया था;

(ग) पश्चिम रेलवे को परिवार के अंदर और परिवार के बाहर पृथक–पृथक भागीदारों को अनुमति देने संबंधी कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) इनमें से भागीदारी की शुरूआत कितने आवेदनों को अनुमति दी गई है और इस संबंध में कितने आवेदनों को रद्द किया गया है;

(ङ) पश्चिम रेलवे के क्षेत्रीय/जोनल रेलवे कार्यालयों में भागीदारी की शुरूआत संबंधी कितने आवेदन लंबित हैं; और

(च) इनके लम्बित रहने के क्या कारण हैं और इन्हें कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी नहीं, व्यक्तिगत लाइसेंसधारकों में वृद्ध, अपंग, अशक्त होने के मामले में यदि वह अपने लाइसेंस में अपने बेटा/बेटी, पत्नी/पति का नाम शामिल करना चाहता/चाहती है, तो उसके अनुरोध पर बशर्ते कि उसका निष्पादन संतोषजनक हो, लाइसेंसधारी पर रेलवे का बकाया न हो तथा भारतीय रेल पर उसके पास अन्य कोई खान–पान/वेंटिंग लाइसेंस न हो, क्षेत्रीय रेलों के मुख्य वाणिज्यिक प्रबन्धकों/भारतीय रेल खान पान निगम के प्रबंध निदेशकों, जैसा भी मामला हो, को ऐसे मामलों में केवल आपवादिक रूप से व्यक्तिगत तौर पर विचार करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। इस प्रकार लाइसेंस में नया प्रवेशक साझेदार नहीं होता है। वह केवल लाइसेंस धारक की ओर से केयर टेकर होता है तथा उसे लाइसेंस धारक द्वारा अनुमोदन प्राप्त होता है। रेलवे बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी खान–पान नीति में इस प्रकार के उपबंधों को दोहरा दिया गया है।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

स्टालों के आबंटन में ठेकेदारों के नामों में परिवर्तन

4307. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे/रेलवे बोर्ड ने रेलवे स्टेशनों पर आबंटित टी–स्टालों, कैमिस्टों, फल–स्टालों इत्यादि के ठेकेदारों के नाम में परिवर्तन की अनुमति देने संबंधी कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और यह नीति कब से चालू है;

(ग) पश्चिम रेलवे को ठेकेदारों द्वारा फर्म के नाम में परिवर्तन की अनुमति के कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या डाइनिंग कार के आबंटी को भी भागीदार बनाने में और नाम तथा फर्म में परिवर्तन की अनुमति है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में कितने मामले लंबित हैं और इनके लम्बन के क्या कारण हैं और इन्हें कब तक मंजूरी प्राप्त होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। दि. 16.03.2005 को खानपान नीति 2005 के अनुसार ठेकेदार के नाम के परिबर्तन/स्थानांतरण की अनुमति ठेकेदार की मृत्यु में ही ठेके की बनी अवधि के लिए ही ठेकेदार के आश्रित/कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाती है।

(ग) और (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) जी नहीं। वृद्धावस्था, अपंगता, अशक्तता आदि के मामले में, खानपान लाइसेंस में बेटा/बेटी, पत्नी/पति/कानूनी उत्तराधिकारी का नाम शामिल करने की अनुमति है। बशर्ते कि

उसका निष्पादन संतोषजनक हो और लाइसेंसधारी की ओर रेलवे का कोई बकाया न हो। खानपान लाइसेंसों में बाद में साझेदार को शामिल करने की अनुमति नहीं है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

नए रेलवे जोनों में स्टाफ की भर्ती

4308. श्री प्रहलाद जोशी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के सात नए जोन जिनका सृजन दो वर्ष पूर्व किया गया था अन्य जोनल मुख्यालयों से कर्मचारियों और अधिकारियों को मांग कर अपना कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐस मांगे गए स्टाफ और अधिकारियों की संख्या का जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या रेलवे के नए जोनों ने अपने मुख्यालय के कार्यालय के लिए सभी श्रेणियों के पदों की भर्ती की है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे जोनल कार्यालयों द्वारा जोनवार भर्ती का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) रिक्तियों का उत्पन्न होना और भरना एक सतत प्रक्रिया है। विभिन्न श्रेणियों में भर्ती ग्रेडों में पदों को भरने के लिए समय-समय पर भर्ती की आवश्यकता और जारी प्रक्रिया के अनुसार भर्ती की जा रही है। बहरहाल अधिकारियों की भर्ती रेलवे वार नहीं की जाती अपितु समग्र भारतीय रेलवे के लिए की जाती है।

बाल गृह

4309. श्री गुरुदास कामत : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर मुम्बई में बाल गृह में गंभीर अनियमितताएं/खामियां पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) बाल गृह में अनियमितताओं/खामियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) मुम्बई में 3 बाल गृहों तथा महाराष्ट्र में अन्यत्र 8 में अनियमितताओं का पता चला है। किसी जिले के नए संस्थानों की स्वीकृति से पूर्व जिलावार कार्य योजना तैयार करने; अर्हता प्राप्त और अनुभवी कर्मचारियों की भर्ती और उनके प्रशिक्षण तथा इन संस्थओं के पर्यवेक्षकों मानकों में सुधार के संबंध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

एच पी सी एल रिफाइनरी में हिस्सेदारी के लिए सऊदी "आरामको" का प्रस्ताव

4310. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिकन पेट्रोलियम जाइंट सऊदी आरामको ने एच पी सी एल की विशाखापटनम रिफाइनरी में हिस्सेदारी लेने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे भारतीय कंपनी को कितना लाभ होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड मैसर्स सउदी आरामको के साथ चर्चा कर रही है परन्तु उनसे इसकी विशाखापटनम रिफाइनरी में हिस्सा अर्जन हेतु अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलवे में भ्रष्टाचार

4311. श्री बीर सिंह महतो :
श्री बी. के. दुम्मर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्टाचार की वजह से रेलवे पिछले कई वर्षों से भारी घाटा उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रेलवे प्राधिकारियों के ध्यान में आए भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) उन कितने अधिकारियों को दण्डित किया गया है जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले सिद्ध/दर्ज हुए हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कालीसूची में डाली गई भ्रष्टाचार में संलिप्त फर्मों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं। फिर भी रेलवे का सतर्कता विभाग नियमित रूप से निवारक जांचे और प्राप्त शिकायतों की सतर्कता की दृष्टि से जांच पड़ताल करता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान की गई निवारक जाचें और उन शिकायतों की संख्या नीचे दी गई है जिन पर सतर्कता की दृष्टि से जांच–पड़ताल की गई है:

	2002	2003	2004
की गई निवारक जांचे	35,212	30,799	32,580
शिकायतों पर की गई जांच पड़ताल	2,141	1,421	1,463

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दंडित किए गए भ्रष्ट अधिकारियों की संख्या नीचे दी गई है:

2002	2003	2004
10,539	8,633	8,565

(घ) विवरण संलग्न हैं:

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान काली सूची में डाली गई भ्रष्टाचार मे संलिप्त फर्में निम्नलिखित हैं:

1. मैसर्स सिंह बिल्डर्स, लखनऊ
2. मैसर्स इश्वाको इंडिया (प्रा.) लि., नई दिल्ली
3. मैसर्स दीपक कुमार जिंदल, भटिंडा
4. मैसर्स बी. एम. इलैक्ट्रीकल इंटरप्राइजेज, हालीशहर, 24 परगना
5. मैसर्स ट्रांसवर्ल्ड, कोलकाता
6. मैसर्स अरविन्द इंजीनियर्स कॉरपोरेशन, मुरादाबाद
7. मैसर्स इसरार अहमद, लक्सर
8. मैसर्स मोहन सिंह इंजीनियर और कॉन्टेक्टर, मुरादाबाद
9. मैसर्स शमीम अहमद, लक्सर
10. मैसर्स ओरियंट इंजीनियर्स, अंबाला कैंट
11. मैसर्स आदित्य राय, उंडाल
12. मैसर्स बी. सी. सहाम, सियालदह
13. मैसर्स मीसा कंस्ट्रक्शंन, सियालदह
14. मैसर्स एम. आर. मंडल, कोलकाता
15. मैसर्स बी. सी. सोना, कोलकाता
16. मैसर्स एवरशाईन इलैक्ट्रीकल्स (प्रा.) लि., दिल्ली
17. मैसर्स सहिल कांस्ट्रक्शन, दिल्ली
18. मैसर्स हाई–फैब स्टील कंस्ट्रक्शन कंपनी, सहारनपुर
19. मैसर्स मोदी इंटरप्राइजेज, बीकानेर
20. मैसर्स जनता ट्रेडर्स, उंचाहार, उ.प्र.
21. मैसर्स जैन ब्रदर्स, मुंबई
22. श्री के. एल. जैन कान्टरेक्टर, सेन्थाला, बौलनगीर
23. मैसर्स एलाअड कंस्ट्रक्शन, बुलंदशहर, उ.प्र.
24. मैसर्स बिमल एंड संस, कन्स्ट्रक्टर, खड़गपुर
25. मैसर्स बालाजी इंजीनियरिंग कॉपोरेशन, रायपुर
26. मैसर्स हिन्दुस्तान कास्टरक्शन कंपनी, भुवनेश्वर
27. मैसर्स अनिल अग्रवाल, भुवनेश्वर
28. मैसर्स कृष्णा कस्टक्शन कंपनी, चक्रधरपुर
29. मैसर्स अशोक जे. सुराना, कन्स्ट्रक्टर, भुसावल
30. मैसर्स अवाट कास्टक्शन, थाणे
31. श्री श्रीकांत सिंह कॉस्टक्टर, गोरखपुर और
32. मैसर्स शिव सिंह रेलवे कॉस्टक्टर, ग्वालियर

[अनुवाद]

ओ. एन. जी. सी. द्वारा विद्युत संयंत्र और पेट्रोरसायन परिसर

4312. श्री सुग्रीव सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओ एन जी सी ने गैस आधारित विद्युत संयंत्र और पेट्रोरसायन परिसर के कार्यान्वयन के लिए हिन्दूजा समूह के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके द्वारा कब तक कार्य करना आरम्भ कर दिया जायेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) तथा हिन्दुजा समूह की कंपनी, अशोक लीलैण्ड प्रोजेक्ट्स सर्विसेस लि. (ए एल पी एस) ने भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में एल एन जी आधारित कारोबारी अवसरों के संयुक्त अन्वेषण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

समझौता ज्ञापन, यदि ऐसा व्यवहार्य पाया जाता है तो, परस्पर सहयोग के क्षेत्रों का व्यापक चित्रण करते हुए परियोजनाओं के विस्तृत फ्रेमवर्क के संयुक्त विकास के लिए कार्य क्षेत्र उपलब्ध कराता हैं ऐसी किसी परियोजना के लिए संबंधित नैगम तथा सरकारी निकायों का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(ग) चर्चा की अन्तिम प्रारम्भिक प्रकृति के कारण, इस स्तर पर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

दूरदर्शन और रेडियो कवरेज का विस्तार

4313. प्रो. एम. रामदास : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने नयी संस्थाओं के सृजन के माध्यम से मनोरंजन क्षेत्र में मानव संसाधनों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ख) स्थानीय समुदायों और अन्य संगठनों द्वारा एफ. एम. मोड में कम क्षमता वाले सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) दूरदर्शन और रेडियो सेवाओं का सेवा से वंचित क्षेत्रों में कवरेज के विस्तार के लिए कौन–कौन से ठोस उपाय किये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) नई संस्थाओं का सृजन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, यह मंत्रालय, मानव संसाधनों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों को आयोजित करने हेतु उपयुक्त कदम उठा रहा है।

(ख) एफ एम पद्धति में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने का अनुरोध करते हुए अब तक विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से 68 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 30 संस्थाओं को आशय पत्र जारी कर दिए गए हैं। इनमें से 20 संस्थाओं ने लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और 7 संस्थाएं चालू किए जाने की विभिन्न स्थितियों में है।

(ग) दूरदर्शन ने के. यू. बैंड (फ्री–टु–एयर डी टी एच) सेवा शुरू की है और इसके 33 टीवी और 12 रेडियो चैनलों के समूह को एक छोटे आकार की डिश अभिग्रहण एकक की मदद से सारे देश में (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर) देखा जा सकता है।

जहां तक आकाशवाणी का संबंध है 99.13% जनसंख्या आकाशवाणी के प्राइमरी ग्रेड सिगनल द्वारा कवर की जाती है और 10वीं योजना स्कीमों के पूरा हो जाने के बाद 99.49% जनसंख्या को रेडियो सिगनलों द्वारा कवर किए जाने की आशा है। 10वीं योजना के दौरान 25 नए रेडियो स्टेशनों को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त नजीबाबाद स्थित 200 कि.वा.मी. वे. ट्रांसमीटर (100 कि वा मी वे ट्रांसमीटर का प्रतिस्थापन), अगरतला–10।

कि.वा.एफ.एम ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल) और टयूनसांग 5 कि.वा.एफ एम ट्रांसमीटर (1 कि.वा.मी. वे. ट्रांसमीटर का प्रतिस्थापन (अतिरिक्त चैनल) कवर न किए गए क्षेत्रों को सिगनल उपलब्ध करवाएंगे।

10वीं योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में 100 अल्प शक्ति एफ एम ट्रांसमीटर और अन्य क्षेत्रों में 50 ट्रांसमीटरों की स्थापना किया जाना भी प्रस्तावित है।

उपरोक्त स्कीमों का कार्यान्वयन अनुमोदन और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन होगा।

न्योमा, डिस्किट और पदम स्थित तीन रेडियो स्टेशन तकनीकी रूप से तैयार हैं।

अशोभनीय और अनैतिक कार्यक्रम

4314. श्री रघुनाथ झा :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
प्रो. एम. रामदास :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केबल टी.वी. ऑपरेटरों और सेटलाइट चैनलों द्वारा अशोभनीय और अनैतिक कार्यक्रमों के प्रसारण से संबंधित बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) केबल टी.वी. ऑपरेटरों और सेटलाइट चैनलों द्वारा प्रसारित अशोभनीय और अनैतिक कार्यक्रमों/विज्ञापनों को रोकने/

विनियमित करने और सौंदर्यपरक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) जी, हां। पिछले एक वर्ष में टी.वी. चैनलों की विषय–वस्तु के बारे में लगभग 18 (अठारह) पत्र प्राप्त हुए थे।

टेलीविजन चैनलों की कोई पूर्व–प्रसारण सेंसरशिप नहीं है। सभी उपग्रह टी.वी. चैनलों के कार्यक्रमों और विज्ञापनों को केबल नेटवर्क के जरिए प्रसारित/पुनः प्रसारित किए जाने पर केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहित और इसके तहत बनाए गए नियमों का पालन करना अपेक्षित होता है।

संहिताओं के उल्लंघनों के बारे में कार्यवाही किसी प्राधिकृत अधिकारी अर्थात एस. डी. एम., डी. एम. अथवा पुलिस आयुक्त अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किसी अन्य अधिकारी द्वारा की जा सकती है। केन्द्र सरकार ने कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता के उल्लंघनों की जांच करने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 20 के तहत दो अन्तर मंत्रालयीय समितियों का गठन किया है।

विशिष्ट शिकायतों पर समय–समय पर कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है। प्रवर्तन तन्त्र को सुदृढ़ बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर उठाए जाने वाले कदमों पर हालही में सम्पन्न हुए 25वें राज्य के सूचना मंत्रियों के सम्मेलन (सिम्कोन) में भी चर्चा की गई थी।

सरकार टी.वी. चैनलों की विषय–वस्तु को विनियमित करने हेतु एक स्वायत्तशासी विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने पर भी विचार कर रही है।

पेट्रोल और डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र

4315. श्री रविचन्दन सिप्पीपाराई : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर तमिलनाडु में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के ऐसे कितने खुदरा बिक्री केन्द्र हैं, जहां कम सल्फर वाले पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) क्या देश में ओक्टेन 91 के युक्त बेहतर क्षमता वाले पेट्रोल और डीजल का भी संवितरण/आपूर्ति की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो देश में विशेषकर तमिलनाडु में कितने खुदरा बिक्री केन्द्र हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) सरकार ने विनिर्दिष्ट किया है कि मोटर स्पिरिट (एस एस) पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल (एच एस डी) (डीजल) के विभिन्न विनिर्देश तमिलनाडु राज्य सहित देश में निम्नानुसार लागू किए जाएंगे:–

(i) देशभर में भारत चरण – ii एम एस 1.4.2005 से।

(ii) राजस्थान, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू–कश्मीर राज्यों और उत्तर प्रदेश राज्य के कतिपय जिलों के अतिरिक्त सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में भारत चरण–ii एच एस डी 1.4.2005 से।

(iii) चेन्नई सहित ग्यारह पहचान किए गए शहरों में यूरो–III समतुल्य एमएस और एच एस डी 1.4.2005 से।

(iv) शोलापुर और लखनऊ शहरों में यूरो – III समतुल्य एम एस 1.6.2005 से।

(ख) और (ग) तेल विपणन कंपनियां तमिलनाडु राज्य सहित देश में चुनिंदा खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से उच्च निष्पादन वाले पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति विभिन्न ब्राण्ड नामों के तहत कर रही है।

[हिन्दी]

मिट्टी के तेल का अतिरिक्त आबंटन

4316. श्री संतोष गंगवार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने सूखा राहत उद्देश्यों के लिए 20 हजार किलोलीटर मिट्टी के तेल के अतिरिक्त आबंटन की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, हां। इस मंत्रालय को 2004–05 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से क्रमशः बाढ़ और सूखे प्रत्येक से उत्पन्न होने वाली स्थितियों का सामना करने के लिए 10,000 किलो लीटर (कि.ली.) एस के ओ के अतिरिक्त आबंटन का अनुरोध प्राप्त हुआ था।

(ख) बाढ़ के लिए 5000 कि.ली. और सूखे के लिए 7500 कि.ली. एस के ओ के अतिरिक्त आबंटन क्रमशः जुलाई और सितम्बर, 2004 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए किए गए थे।

[अनुवाद]

स्मारकों में प्रवेश शुल्क में वृद्धि

4317. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अर्जुन सेठी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संरक्षित स्मारकों में प्रवेश शुल्क में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है जैसा कि दिनांक 13 मार्च, 2005 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में पर्यटन उद्योग के विचार मांगे गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो पर्यटन उद्योग की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

होली के पर्व के दौरान स्टेशनों पर अत्यधिक भीड़

4318. श्री हेमलाल मुर्मु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को होली के पर्व के दौरान स्टेशनों पर अत्यधिक भीड़ की जानकारी है जैसा कि दिनांक 21 मार्च, 2005 के दैनिक जागरण में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये गये/किये जाएंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर यात्रा करने वालों की मांग में भारी वृद्धि हुई।

(ख) और (ग) होली के अवसर पर भारी भीड़ से निपटने के लिए संबंधित क्षेत्रीय रेलों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए:

(i) होली की भीड़ से निपटने और दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों पर भारी भीड़ से बचने के लिए गाजियाबाद स्टेशन पर ठहराव देते हुए दिल्ली सराय रोहिल्ला, दिल्ली सफदरजंग और हजरत निजामुद्दीन जैसे विभिन्न स्टेशनों से 35 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई।

(ii) विभिन्न गाड़ियों में दिन–प्रतिदिन आधार पर अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाए गए।

(iii) यातायात पुलिस, सिविल पुलिस और राजकीय रेलवे पुलिस के सहयोग से रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई।

(iv) नई दिल्ली और दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर क्लोज सर्किट कैमरा मानीटरिंग प्रणाली के माध्यम से रे.सु.ब. द्वारा गहन मानीटरिंग की गई।

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस भंडारों का विकास

4319. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जापान के बीच भारत में प्राकृतिक गैस संसाधनों का विकास करने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जापान के साथ हस्ताक्षर किये गये समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सर्वेक्षण कार्य कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, नहीं। भारत में प्राकृतिक गैस संसाधनों के लिए भारत सरकार तथा जापान सरकार के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विमान वाहक पोतों का निर्माण

4320. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
प्रो. महादेवराव शिवणकर :
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास स्वदेश में निर्मित विमान वाहक पोतों के निर्माण का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विमान वाहक पोतों के निर्माण में कौन-कौन सी एजेंसियां कार्य कर रही हैं;

(ग) विमान वाहक पोतों के निर्माण के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(घ) ऐसे विमान वाहक पोतों का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि में लगभग 37,500 मिट्रिक टन के वायु रक्षा पोत (एडीएस) के स्वदेशी निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस वायु रक्षा पोत के निर्माण की संशोधित लागत 2880 करोड़ रुपए है। विमान वाहक पोत का निर्माण वर्ष 2011-12 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

केरल में डी.एम.यू. आरंभ किया जाना

4321. श्री सी. के. चन्द्रप्पन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में, जहां विद्युतीकरण का कार्य अब भी पूरा नहीं हुआ है, अधिक संख्या में डीजल मल्टीपल यूनिट्स (डी.एम.यू.) आरंभ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार केरल में सभी यात्री रेलगाड़ियों के स्थान पर ई.एम.यू. और डी.एम.यू. चलाने और इन रेलगाड़ियों में और अधिक सवारी डिब्बे जोड़ने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं। परम्परागत गाड़ी सेवाओं से क्षेत्र में यात्री यातायात की आवश्यकता पूरी की जा रही है। डीजल मल्टीपल यूनिट चलाया जा सकता है। जैसा कि एक इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट पहले से चल रहा है। बहरहाल, डीजल मल्टीपल यूनिट्स चलानें की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में डीलरशिप का आबंटन

4322. श्री कमला प्रसाद यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री राजस्थान में डीलरशिप/खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए आवेदन के बारे में 9.12.2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1559 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम (आई ओ सी) ने 47 स्थानों पर प्रस्तावित खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए प्राप्त सभी 1,207 आवेदनों की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, प्रत्येक स्थान के लिए कितने डमी आवेदक पाये गये; और

(ग) इन डमी आवेदकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी हां।

(ख) किसी भी स्थान की डीलरशिप के लिए आवेदन करने वाले किसी भी डमी आवेदक की कोई घटना आई ओ सी के देखने में नहीं आई है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेल भूमि विकास प्राधिकरण

4323. मोहम्मद शाहिद :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री मो. ताहिर :
श्री मुन्शी राम :
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे के पास अतिरिक्त भूमि क्षेत्रों का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी भूमि का जोनवार कुल कितना (हैक्टेयर) क्षेत्र है;

(ग) सरकार द्वारा इस अतिरिक्त भूमि का किस प्रकार से उपयोग किये जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग)

रेलों के पास अतिरिक्त भूमि नहीं है। बहरहाल, रेलों के पास 42,846 हैक्टेयर खाली रेल भूमि है, जो भविष्य में रेलों के अपने विकासात्मक कार्यों के लिए अधिकांश रूप से अपेक्षित है। खाली पड़ी भूमि का जोनवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

रेलवे	खाली पड़ी भूमि (हैक्टेयर)
मध्य	2478.05
पूर्व	1516
पूर्व-मध्य	4453.82
पूर्व-तटीय	188.43
उत्तर	2898.45
उत्तर मध्य	713.39
पूर्वोत्तर	5874.64
पूर्वोत्तर सीमा	3472.8
उत्तर पश्चिम	374.13
दक्षिण	2287
दक्षिण मध्य	3903.14
दक्षिण पूर्व	83.95
द.पू.म.	3260
दक्षिण पश्चिम	2853.9
पश्चिम	7458.56
पश्चिम मध्य	1030.23
कुल	42846.49

(घ) और (ङ) जी हां। रेलों के एक कार्य के रूप में रेल भूमि (तथा नभ क्षेत्र) का वाणिज्यिक उपयोग करने तथा रेल अधिनियम 1989 में संशोधन करके रेल भूमि का वाणिज्यिक उपयोग करने हेतु रेल भूमि विकास प्राधिकरण स्थापित करने के लिए 20.12.04 को राज्य सभा में रेल बिल, 2004 पेश किया गया है, जिसे रेल संबंधी स्थाई समिति को भेज दिया गया है।

अनाथ हुए बच्चों का पुनर्वास

4324. श्री ब्रजेश पाठक : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में भूकंप और साम्प्रदायिक हिंसा के कारण अनाथ और बेघर हुए बच्चों के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे अनाथ और बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए कौन-कौन से कल्याणकारी उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में विदेशी सहायता प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) ब्यौरा इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है।

(ख) गुजरात में साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ित 539 अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए स्व-नियोजित महिला एसोसिएशन नामक संगठन को सहायता दी गयी;

2002-03 – 60 लाख रुपए

2003-04 – 37.44 लाख रुपए

(ग) और (घ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

अशक्त व्यक्तियों के लिए रेल यात्रा में रियायत

4325. श्री एम. शिवन्ना :
श्री ए. वैंकटेश नायक :
क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस और अन्य विशेष रेलगाड़ियों में अशक्त व्यक्तियों को रेल यात्रा में जरा भी रियायत न दिये जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जन प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और अशक्त कल्याणकारी संघों से सभी रेलगाड़ियों में और सभी श्रेणियों में बिना किसी भेदभाव के अशक्त व्यक्तियों को रेल यात्रा में छूट प्रदान करने की निरंतर मांग की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो शताब्दी, राजधानी और अन्य विशेष रेलगाड़ियों में यह सुविधा प्रदान करने के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) सभी लोकप्रिय गाड़ियों जैसे राजधानी, शताब्दी और जनशताब्दी गाड़ियों को छोड़कर विकलांग व्यक्तियों के लिए सभी गाड़ियों में रियायत दी जाती है। इन लोकप्रिय गाड़ियों में विकलांग व्यक्तियों के लिए रियायत देने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। वित्त की तंगी के कारण, प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

चलती रेलगाड़ियों में सिनेमा हॉल

4326. डा. के. धनराजू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास यात्रियों के मनोरंजन के लिए

लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में "सिनेमा हाल" आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव को अभी तक कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या जनता की भारी मांग को देखते हुए सरकार का विचार इस प्रस्ताव को अब कार्यान्वित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) चलती गाड़ियों में एक मिनी थियेटर के प्रावधान के एक प्रस्ताव पर विचार किया गया था और उसे परिचालनिक तथा वित्तीय दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया था।

(घ) और (ङ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

ऊर्जा नीति

4327. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा नीति का अध्ययन करने और उसे तैयार करने के लिए मंत्रियों के समूह की एक समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति को कब तक तैयार किये जाने और घोषणा किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) जी, नहीं। मंत्रि-समूह की किसी समिति का गठन नहीं किया गया है। मसौदा ऊर्जा नीति तैयार करने के लिए सदस्य (ऊर्जा), योजना आयोग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन 12 अगस्त, 2004 को किया गया था। इस समिति को अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करनी है।

रेलगाड़ियों में बर्थ के आबंटन में भ्रष्टाचार

4328. डा. एम. जगन्नाथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों में बर्थ के आबंटन में घूसखोरी के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान ऐसे कितने मामले प्रकाश में आये; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) गाड़ियों में सीटों/बर्थों के आबंटन के संबंध में अनियमितताओं में लिप्त पाए गए चल टिकट परीक्षकों (टीटीई) के मामलों की सूचना मिली है। बहरहाल, चल टिकट परीक्षकों के विरूद्ध दर्ज रिश्वत लेने के मामलों के अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।.

(ग) अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत दोषी पाए गए रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

विकलांग पुनर्वास केन्द्र/डी.डी.आर.सी. खोला जाना

4329. श्री किन्जरपु येरननायडु :
कुंवर मानवेन्द्र सिंह :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विकलांग पुनर्वास केन्द्रों की निगरानी करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इनमें से प्रत्येक केन्द्र द्वारा कितने लोगों को सहायता प्रदान की गयी है;

(घ) क्या अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भी ऐसे विकलांग पुनर्वास केन्द्र अथवा डी.डी.आर.सी. स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कौन-कौन से स्थानों की पहचान की गयी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) जी, हां। प्रत्येक जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र की मानीटरी, जिला प्रबंधन टीम (डीएमटी) द्वारा की जाती है जिसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इन प्रत्येक जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों द्वारा सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या विवरण-I पर दी गई है।

(घ) और (ङ) हाल ही में नए जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों को स्थापित करने के लिए 16 स्थानों को स्वीकृत किया गया है। जिनका ब्यौरा विवरण-II पर दिया गया है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों के दौरान जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों द्वारा सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या

जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र का नाम	पुनर्वासित विकलांगों की संख्या
1	2
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र आलोट	931
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र आगार	216
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र अगरतला	283
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र आगरा	7225
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र अहमदाबाद	707
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र आइजोल	707
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र इलाहबाद	7264
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र अलमोडा	3224
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र अम्बेडकर नगर	1600
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र अनंतपुर	46432
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र अनंतनाग	635
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र औरंगाबाद	2866
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र बलिया	10124
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र बालघाट	2435
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र बंका	2533
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र बस्तर	333
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र बेलगाम	4799
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र बेल्लारी	8332
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र बुलडाना	1680
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र दक्षिण दिनाजपुर	10784
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र दरभंगा	5930
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र देवास	2389
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र धर्मशाला	5269
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र डिब्रूगढ़	381
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र दीमापुर	5019
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र दीव	851
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र दुमका	2164
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र दुर्ग	39
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र सिंहभूम	408
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र फरूखाबाद	1442
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र फिरोजपुर	5021
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र गंगटोक	848
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र गया	6674
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र गोंडा	9644
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र गोरखपुर	8736
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र गुलबर्गा	12646
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र ग्वालियर	10031
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र हरिद्वार	4678
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र हजारीबाग	8915
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र इम्फाल	1561
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र इंदौर	6951
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र इटानगर	559
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र जलपाइगुड़ी	1348
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र जामनगर	2704
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र जसपुर	751
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र जावद	45
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र जहानाबाद	635
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र झाबुआ	8455
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र झांसी	3731

1	2
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र जूनागढ़	126
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र कालाहांडी	617
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र करीमनगर	8358
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र किसनगंज	2541
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र कोल्हापुर	3685
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र कोरापुट	19084
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र कोझीकोड	17101
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र लातूर	4497
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र लेह	585
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र मदुरै	20453
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र माहिम	387
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र मंदसौर	117
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र माडया	1294
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र मंगलूर	5649
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र मऊ	7369
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र मयूरभंज	591
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र मेरठ	2523
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र मुजफ्फरपुर	2896
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र नवादा	952
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र पणजी	599
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र पटियाला	10781
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र पुलबाणी	29760
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र पीलीभीत	16057
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र पांडिचेरी	21190
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र पोर्ट ब्लेयर	805
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र रायगढ़	29781
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र रायगढ़	14422
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र राजकोट	3728
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र रायपुर	225
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र रांची	8616
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र रीवा	124
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र रोहतक	1619
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र सागर	9009
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र समस्तीपुर	240
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र सम्भलपुर	651
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र संगरूर	1538
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र सांरन (छपरा)	5640
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र सतना	351
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र सेलम	1124
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र शिलांग	5068
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र शिमला	6286
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र सिलचर	3850
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र सिलवासा	1659
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र सिंघदुर्ग	12363
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र सूरत	5479
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र टहरी	5014
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र तेजपुर	3053
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र तिरूअनंतपुरम	15399
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र थूथकूडी	9218
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र त्रिसूर	13363
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र टूमकूर	11303
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र उदयपुर	16913
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र उधमपुर	1006
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र उज्जैन	12498
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र वडौदरा	26
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र वाराणसी	8465

1	2
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र वैल्लूर	2307
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र विरुद्ध नगर	580
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र विशाखापटनम	35582
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र वरधा	12403
जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र 24 परगना (उ.)	1208
कुल	669810

115 कार्यकारी जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों में से 110 की सूचना, बाकी 5 नवगठित है।

विवरण-II

राज्य	नए विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों के गठन के लिए स्वीकृत जिले
उत्तर प्रदेश	1. रायबरेली + फतेहपुर
	2. मुज्जफरनगर
	3. महाराजगंज
पंजाब	4. भटिंडा
	5. होशियारपुर
बिहार	6. बेगूसराय
	7. केमूर
	8. पूर्वी चम्पारन
उडीसा	9. गंजम
	10. जजपुर
मिजोरम	11. कोलासिब + मामित
	12. लूंगली + लूंगलित
असम	13. धीमजी + लखीमपुर
	14. नोगांव + मारीगांव
नागालैंड	15. तेनसांग
	16. मोन

रेलवे व्यापक संदर्शी योजना

4330. श्री डी. विट्ठल राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अगले पांच वर्षों के लिए विकास और क्षमता बढ़ाने के लिए कोई रेलवे व्यापक संदर्शी योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई समिति गठित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-07 में रेलवे की व्यापक संदर्श योजना, यात्री और माल यातायात की प्रक्षेपित वृद्धि और 2002-07 की अवधि के लिए क्षमता संवर्धन शामिल है।

यातायात की प्रक्षेपित वृद्धि, क्षमता संवर्धन और अन्य आवश्यकताओं के पुनर्निर्धारण के लिए योजना आयोग द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन भी किया गया है।

विभिन्न आधुनिक उपायों और योजनाओं को शामिल करते हुए एक 'एकीकृत रेलवे आधुनिकीकरण योजना (2005-2010) भी तैयार की गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खुदरा बिक्री केन्द्र खोला जाना

4331. श्री बापू हरी चौरे :
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :
श्री इलियास आजमी :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री रनेन बर्मन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं योजना अवधि के दौरान देश में गैर-सरकारी/सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा राज्य-वार कितने पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में डीजल/पेट्रोल पम्पों के खोले जाने संबंधी कोई अनियमितताएं सरकार के ध्यान में आयी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) पेट्रोलियम क्षेत्र में 1.4.2002 से

प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था की समाप्ति की घोषणा के उपरांत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ एम सीज) वार्षिक आधार पर नए खुदरा बिक्री केन्द्रों (आर ओज) की स्थापना करने के लिए अपनी स्वयं की विपणन योजनाएं बनाती हैं। 10वीं योजना अवधि में आर ओज की स्थापना करने के लिए कोई लक्ष्य नहीं है। निजी क्षेत्र की कंपनियों, मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स एस्सार आयल लिमिटेड और मैसर्स शैल इंडिया मार्केटिंग प्रा. लि. को परिवहन ईंधन का विपणन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और उनका क्रमशः 5849, 1700 और 2000 खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। तथापि, इन आर ओज को स्थापित करने की कोई निर्धारित समय योजना नहीं है।

(ख) से (घ) सरकार को समय समय पर ओ एम सीज द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों को खोलने/डीलरों के चयन के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती हैं। इन शिकायतों की जांच की जाती है और जांच के उपरांत उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में जातियों को शामिल किया जाना

4332. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिकता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में कितनी जातियों को शामिल किया गया है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा अ.पि.वर्ग की केन्द्रीय सूची में उनमें से कितनी जातियों को शामिल किया गया है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा अ.पि.व. की केन्द्रीय सूची में शेष जातियों को कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) 82

(ख) 61

(ग) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एसोसिएशनों/संगठनों या व्यक्तियों से अनुरोध प्राप्त करने के बाद ही किसी जाति/समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में शामिल करने के अनुरोध की जांच करता है। केन्द्रीय सूची में शामिल नहीं की गई राज्य सूची की 21 जातियों में से आयोग को अन्य पिछड़े वर्ग की केन्द्रीय सूची में शामिल करने हेतु राजस्थान से केवल 5 जातियां/समुदाय के अभ्यावेदन ही प्राप्त हुए हैं। अन्य 16 जातियों/समुदायों के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा 5 मामलों के निपटान हेतु कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

ग्रीष्मकाल हेतु अतिरिक्त उड़ानें

4333. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शीतकालीन महीनों के दौरान भारत में आवाजाही हेतु सीटों की मांग को पूरा करने के लिए 2400 अतिरिक्त उड़ानों को संचालन में लगाया जाना था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अतिरिक्त उड़ानों का वांछित लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ग्रीष्मकालीन यात्रियों की भीड़ की आवाजाही हेतु विभिन्न मार्गों में अतिरिक्त उड़ानें प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) किन-किन मार्गों में अतिरिक्त उड़ानें शुरू किये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) शीतकालीन मौसम के दौरान भारत के लिए/से सीटों की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने दिनांक 1 नवम्बर, 2004 से 31 मार्च, 2005 तक की अवधि के लिए सीमित मुक्त आकाश नीति की घोषणा की थी, जिसके अन्तर्गत विदेशी वाहकों को उनके उपलब्ध प्वाइंट्स आफ काल के लिए कितनी भी अतिरिक्त उड़ानें प्रचलित करने तथा उनकी मौजूदा उड़ानों पर उपकरणों के स्तरोन्नयन की अनुमति दी गई थी। अतिरिक्त उड़ानों की संख्या के बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। बहरहाल, इस नीति के अन्तर्गत कुल 2534 अतिरिक्त उड़ानें (5,30,763 सीटें) प्रचालित की जा रही थीं। इसके अतिरिक्त विमान के उन्नयन के माध्यम से 61,066 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई गई थी।

(घ) से (च) सीमित मुक्त आकाश नीति को वर्ष 2005 के ग्रीष्मकाल तक के लिए बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, यातायात अधिकारों की समीक्षा की सतत् प्रक्रिया के रूप में विभिन्न मार्गों पर अतिरिक्त द्विपक्षीय अधिकारों पर सहमति हो गई है। यह आशा है कि वर्ष 2005 के ग्रीष्मकाल के दौरान विदेशी तथा भारतीय वाहकों द्वारा उपलब्ध की जाने वाली सीटों में वृद्धि करने से यात्रियों की आवश्यकता पूरी हो जाएगी।

अल्पसंख्यकों की स्थिति पर श्वेत पत्र

4334. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति के संबंध में श्वेत पत्र लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) जी, हां। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में खरीद केन्द्र

4335. श्री सर्वानन्द सोनोवाल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी क्षेत्र के नए उद्यमियों की सहयता के उद्देश्य से वहां सेना हेतु खरीद केंद्र बनाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में सेना की वर्तमान खरीद स्थिति क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) वर्तमान में, शुष्क खाद्य राशन की अधिप्राप्ति केंद्रीकृत आधार पर की जाती है और उसे सम्पूर्ण देश में सैन्य टुकड़ियों में वितरित किया जाता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

4336. श्री रामदास आठवले : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों/बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निष्कर्षों/निर्णयों का कार्यान्वयन न किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा आयोग के निष्कर्षों/निर्णयों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) एक मामले में गुड़गांव ग्रामीण बैंक के एक कर्मचारी ने सेवा में अपनी बहाली के लिए आयोग से आग्रह किया था। राष्ट्रीय आयोग ने बहाली का परामर्श दिया था क्योंकि कर्मचारी को दिया गया दंड असंगत था। तथापि, बैंक के निदेशक मंडल ने ऐसा नहीं किया क्योंकि मामले की समीक्षा के लिए सेवा नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

सी.पी.एस.ई. की परिसम्पत्तियों की कीमत

4337. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास केन्द्र सरकार के उपक्रमों (सीपीएसई) की निर्धारित परिसंपत्तियों की कीमत का आकलन करने हेतु कोई तंत्र है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई सीपीएसई अपनी निर्धारित परिसंपत्तियों की गलत कीमत दिखा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई ज़ांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सीपीएसई) की अचल परिसंपत्ति का मूल्यांकन सामान्यतः इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा वर्ष 1985 में जारी किए गए लेखांकन मानक 10 के अनुसार किया जाता है।

(ख) से (घ) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (वाणिज्यिक) की वर्ष 2005 की लेखा रिपोर्ट सं. 2, जिसे 22.3.2005 को संसद में प्रस्तुत किया गया था, के अध्याय 1 में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के वर्ष 2003–04 के लेखा के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों/की टिप्पणियों का उल्लेख किया गया था। ऐसे निष्कर्ष भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (वाणिज्यिक) के कार्यालय द्वारा संबंधित मंत्रालय/विभाग को अग्रेषित कर दिए जाते हैं, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके तथा लेखापरीक्षा के पुनरीक्षण के बाद सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (कोपू) को अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित टिप्पणी प्रस्तुत की जा सके। बहरहाल, इस बारे में की गई पूछताछ से संबंधित जानकारी किसी एक स्थान पर नहीं रखी जाती है।

रेफरल केन्द्र

4338. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय निःशक्त व्यक्ति पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य और जिला स्तर पर रेफरल केन्द्र स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (घ) राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति पुनर्वास कार्यक्रम, जिसे 1999-2000 में राज्य क्षेत्र योजना के रूप में अनुमोदित किया गया था, के अंतर्गत 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य रेफरल केन्द्र स्थापित किए हैं और 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जिला स्तरीय केन्द्र स्थापित किए हैं। भारत सरकार ने 1999-2002 के दौरान योजना के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां प्रदान की।

निर्मुक्त अतिरिक्त सहायता केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मुक्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार केन्द्रीय सहायता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त राशि
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	147.30
2.	आन्ध्र प्रदेश	257.10
3.	अरुणाचल प्रदेश	366.90
4.	असम	476.70
5.	बिहार	599.90
6.	चंडीगढ़	147.30
7.	छत्तीसगढ़	363.90
8.	दादर और नागर हवेली	147.30
9.	दमन और दीव	147.30
10.	दिल्ली	147.30
11.	गोवा	147.30
12.	गुजरात	366.90
13.	हरियाणा	257.10
14.	हिमाचल प्रदेश	257.10
15.	जम्मू कश्मीर	257.10
16.	झारखंड	366.90
17.	कर्नाटक	379.40
18.	केरल	257.10
19.	लक्षद्वीप	147.30
20.	मध्य प्रदेश	708.80
21.	महाराष्ट्र	379.40
22.	मणिपुर	257.10
23.	मेघालय	257.10
24.	मिजोरम	147.30
25.	नागालैंड	257.10
26.	उड़ीसा	379.40
27.	पांडिचेरी	147.30
28.	पंजाब	257.30
29.	राजस्थान	379.40
30.	सिक्किम	147.30
31.	तमिलनाडु	379.40
32.	त्रिपुरा	147.30
33.	उत्तर प्रदेश	818.60
34.	उत्तरांचल	257.10
35.	पं. बंगाल	257.10
	कुल	10413.15

रेल अधिनियम, 1989 की धाराओं को आर.पी.एफ के अंतर्गत लाना

4339. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों और रेल संपत्तियों की तोड़-फोड़ करने और उन्हें क्षति पहुंचाने तथा लोगों को चोट पहुंचाने संबंधी रेल अधिनियम, 1989 की धारा 150, 151 और 152 अभी भी राजकीय रेल पुलिस (जी.आर.पी.) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे रेलवे सुरक्षा बल के क्षेत्राधिकार में लाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) इन धाराओं के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं जो गंभीर प्रकृति के होते हैं और कानून एवं व्यवस्था पर प्रत्यक्षतः प्रभाव डालते हैं, जो कि राज्य पुलिस के मामले होते हैं। इसके अलावा ऐसे अपराधों की जांच के लिए विशेषज्ञता और अनुभव की आवश्यकता होती है जो कि रेल सुरक्षा बल (आर पी एफ) के पास उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण

4340. श्री देविदास पिंगले : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दसवीं योजना के अन्तर्गत देश विशेषकर महाराष्ट्र में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त केन्द्रों के आधुनिकीकरण/डिजिटलीकरण का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) जी, हाँ। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। संसाधनों की उपलब्धता और सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन के अध्यधीन 10वीं योजना के दौरान इन स्कीमों के पूरा हो जाने की आशा है।

विवरण

आकाशवाणी

10वीं योजना के दौरान आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण हेतु स्कीमें निम्नानुसार हैं:–

1. क्षेत्रीय मुख्यालय स्थित डिजीटल उपग्रह समाचार संचयन प्रणाली का प्रावधान।
2. मुख्य स्टेशनों में समाचार संचयन हेतु पोर्टेबल एम एस एस टर्मिनलों का प्रावधान।
3. नई राज्य की राजधानियों में डिजीटल अपलिंक का प्रावधान।
4. राज्य की राजधानियों में मौजूदा उपग्रह अपलिंक का उन्नयन।
5. डिजीटल उपस्करों द्वारा पुराने, ट्रौंसमीटरों, स्टुडियों उपस्करों और स्टुडियो ट्रांसमीटर का प्रतिस्थापन।

महाराष्ट्र में निम्नलिखित स्कीमें प्रस्तावित की गई हैं:-

1. मुम्बई में एम एस एस टर्मिनल।
2. मुम्बई में डिजीटल. उपग्रह समाचार संचयन प्रणाली और उपग्रह अपलिंक का उन्नैयन्।
3. औरंगाबाद स्थित 1 किवों मी.वे. ट्रांसमीटर का 10 किवों एफ एम ट्रांसमीटर में प्रतिस्थापन।
4. नागपुर स्थित 6 किवों एफ एम ट्रांसमीटर का 10 किवों एफ एम ट्रांसमीटर में प्रतिस्थापन।
5. पुणे स्थित 6 किवों एफ एम ट्रांसमीटर का 10 किवों एफ एम ट्रांसमीटर में प्रतिस्थापन।
6. मुम्बई स्थित 10 किवों एफ एम और 15 किवों एफ एम ट्रांसमीटर का 20 किवों एफ एम ट्रांसमीटर में प्रतिस्थापन।

दूरदर्शन

10वीं योजना अवधि के दौरान डिजीटलीकृत किए जाने वाले दूरदर्शन स्टुडियो केन्द्र

राज्य/संघ शासित प्रदेश	पूर्णतया डिजीटलीकृत किए जाने वाले स्टुडियो केन्द्र	आंशिक तौर पर डिजीटलीकृत किए जाने वाले स्टुडियो केन्द्र
1	2	3
असम	गुवाहाटी	गुवाहाटी (क्षेत्रीय निर्माण केन्द्र) डिबूगढ़ सिलचर
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद*	विजयवाडा
अरूणाचल प्रदेश		ईटानगर
बिहार	पटना	मुजफ्फरपुर
छत्तीसगढ़		रायपुर
गोवा		पणजी*
गुजरात	अहमदाबाद	राजकोट
हिमाचल प्रदेश		शिमला
झारखंड		रांची डालटनगंज
जम्मू–कश्मीर	श्रीनगर	जम्मू*
केरल	त्रिवेन्द्रम	
कर्नाटक	बंगलौर*	गुलबर्गा*
मध्य प्रदेश	भोपाल	इन्दौर

1	2	3
मेघालय		शिलांग तुरा
महाराष्ट्र	मुम्बई	पुणे
मणिपुर		इम्फाल
मिजोरम		एजवाल
नागालैण्ड		कोहिमा
उड़ीसा	भुवनेश्वर	सम्बलपुर
पंजाब	जालन्धर	
राजस्थान	जयपुर	
सिक्किम		गंगटोक*
तमिलनाडु	चेन्नई*	
त्रिपुरा		अगरतला
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	बरेली मऊ इलाहाबाद
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता*	जलपाईगुड़ी
दिल्ली	दिल्ली* क्षेत्रीय निर्माण केन्द्र	
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		पोर्ट ब्लेयर*
पांडिचेरी		पांडिचेरी

*अब डिजीटलीकरण पूरा हो गया है।

आयुध निर्माणियों में दुर्घटनाएं

4341. श्री राकेश सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में विभिन्न आयुध निर्माणियों में हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक दुर्घटना में कितने कर्मचारी मारे गए और घायल हुए;

(ग) इन कर्मचारियों के कितने बच्चों को मुआवजा दिया गया और कितने व्यक्तियों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दी गई;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे परिवारों को कोई सहायता देने का है जिनके किसी भी सदस्य को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दी गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (ग) वर्ष 2003–04 तथा 2004–05 के दौरान आयुध निर्माणियों में हुई बड़ी दुर्घटनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

स्थायी रूप से निशक्तता अथवा मृत्यु होने से संबंधित दुर्घटना के मामलों में कर्मचारियों को भुगतान किया गया मुआवजा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम द्वारा विनियमित होता है तथा स्थायी रूप से निशक्तता होने पर उस व्यक्ति को अथवा मृत्यु होने की अवस्था में निकटतम संबंधी को मुआवजे का भुगतान किया जाता है।

(घ) मृत्यु होने की अवस्था में निकटतम संबंधी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है अथवा नहीं इस बात पर ध्यान दिए बिना ही दुर्घटना में स्थायी रूप से निशक्त होने अथवा मृत्यु होने की अवस्था में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान कर दिया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2003–2004 के दौरान आयुध निर्माणियों में हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	निर्माणी/भवन संख्या/दिनांक	दुर्घटना का ब्यौरा	मानव जीवन की हानि	घायलों की संख्या	अनुकंपा के आधार पर दी गई नियुक्तियां
1	2	3	4	5	6
1.	ओएफसीएच/प्रूफ रेंज 31.10.03	फ्यूज माइन 1–सी के उन्नत नमूने के प्रूफ संचालन के दौरान हुई दुर्घटना	1	शून्य	मृतक के पुत्र को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई।
2.	दिनांक 04.07.03 को ओएफएजे	निर्माणी के अंदर सड़क दुर्घटना	1	शून्य	कोई नियुक्ति नहीं दी गई क्योंकि यह मेरिट के आधार पर विचार करने का मामला नहीं था।

1	2	3	4	5	6
3.	दिनांक 14.8.2003 को ओएफएम/एलएसएफ सैक्शन	पिघली धातु के बिखरने से हुई दुर्घटना	1	शून्य	मृतक के पुत्र को नियुक्ति प्रदान की गई।
4.	दिनांक 11.10.03 को ओएफपीएम/एलएमडी सैक्शन	विद्युतमारण से हुई दुर्घटना	1	शून्य	मृतक की पत्नी को नियुक्ति दी गई।
5.	दिनांक 05.11.03 को जीसीएफ/सतर्कता सैक्शन	ऊंचाई से गिरने पर	1	शून्य	कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
	वर्ष 2004–2005 के दौरान आयुध निर्माणियों में हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा				
1.	वीएफजे/स्टोर सैक्शन यार्ड/13.04.04	उत्पादन दुकान के बाहर स्टोर यार्ड में, जहां पर पैकिंग वुड स्क्रेप रखी हुई थी, आग लगी।	शून्य	शून्य	–
2.	ओएफएके/334एफ 3 सैक्शन 21.04.04	125 एमएम एफएसएपीडीएस गोलाबारूद के साथ सहायक सीसीसी की असेंबली के दौरान	1	1	मृतक के पुत्र को रोजगार दिया गया।
3.	ओएफवी/भवन संख्या 90–91 प्राइमर फिलिंग सैक्शन–27.04.04	लीड स्टाइफनेट का विस्फोट	1	1	मृतक के पुत्र को रोजगार दिया गया।
4.	एमएसएफ/पम्प कक्ष निष्कासन प्रक्रिया एमएमई सैक्शन 16.11.04	पारी की समाप्ति के बाद, जब प्रैस नहीं चल रही थी तथा कक्ष बंद था, निष्कासन प्रेस के पम्प कक्ष में आग लगी।	शून्य	शून्य	–
5.	ओएफसीएच/273–यूनिट IX 31.01.05	81 एमएम बम एचई का संघटन करने वाले भवन में आग लगी। यह भवन दोपहर के भोजनवाकाश के लिए बंद था। इस आग से कई बमों का विस्फोट हुआ।	शून्य	1	–
6.	जीसीएफ 13.09.04	ऊंचाई से गिरने पर	1	शून्य	प्रक्रियाधीन
7.	वीएफजे/टीजी–7 क्षेत्र : 16.12.04	ऊंचाई से गिरने पर	1	शून्य	प्रक्रियाधीन
8.	ओसीएफएस 02.03.2005	निर्माणी के अंदर सड़क दुर्घटना	1	शून्य	मृतक के पुत्र को रोजगार दिया गया।

[अनुवाद]

नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा

4342. श्री प्रहलाद जोशी : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एन. एस. डी.) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा "मानद विश्वविद्यालय" का दर्जा दिये जाने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव का कोई विरोध हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस. पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हाँ। विश्वविद्यालय अनुदान

आयोग की सिफारिश पर, जिसने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को विश्वविद्यालय के समतुल्य दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव की जाँच की तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा ने दिनांक 11 मार्च, 2005 की अपनी अधिसूचना के तहत् राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को पहले ही समतुल्य विश्वविद्यालय की घोषणा कर दी है। समतुल्य विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय विशेषज्ञता के सुविधा क्षेत्र में अनुसंधान प्रारंभ कर सकेगा तथा शिक्षा के क्षेत्र में नए कार्यक्रम भी शुरू कर सकेगा।

(ग) और (घ) जी, हाँ। समतुल्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने पर कुछ विद्यार्थियों द्वारा विरोध किया गया था। शैक्षणिक परिषद् और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सोसाइटी की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि तब तक 'समतुल्य विश्वविद्यालय' का दर्जा लागू न किया जाए जब तक कि विवक्षाओं का पूर्णरूप से अध्ययन न कर लिया जाए तथा सभी पणधारी (स्टेक होल्डर) संतुष्ट न हो जाएं। समिति इसका गहराई से अध्ययन कर रही है। सरकार इन सभी पहलुओं पर अध्ययन करने के बाद ही विचार करेगी।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा विरोध जताया जाना

4343. श्री गुरुदास कामत : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों ने प्रमुख विमानपत्तनों के निजीकरण के निर्णय के विरोध में उपवास रखा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?;

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारी संयुक्त मंच, द्वारा दिनांक 7 मार्च, 2005 से 23 मार्च, 2005 तक सभी अन्तर्राष्ट्रीय और बड़े हवाईअड्डों पर विरोधस्वरूप एक देशव्यापी क्रमिक भूख हड़ताल की गई।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि हवाईअड्डा प्रचालनों में कोई व्यवधान न हो, पर्याप्त कदम उठाए गए थे। विरोध प्रदर्शन की अवधि के दौरान हवाईअड्डों पर प्रचालन सामान्य थे और किसी भी फील्ड स्टेशन से उड़ान प्रचालनों तथा अन्य हवाईअड्डा सेवाओं के संबंध में कोई प्रतिकूल सूचना प्राप्त नहीं हुई। सरकार द्वारा कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों सहित पुनर्संरचना प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं से उन्हें अवगत कराने और प्रक्रिया के बारे में उनकी आशंकाओं को समाप्त करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों के साथ लगातार बैठकें भी की जा रही हैं।

बुलेट प्रूफ जैकेटों की कमी

4344. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना में बुलेट प्रूफ जैकेटों की कमी है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप सैन्य अभियान में जटिलता आ गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) सेना द्वारा बताई गई तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर 1 लाख बुलेट प्रूफ जैकेटें अधिप्राप्त की जा रही हैं। इस समय सेना के पास 1.79 लाख बुलेट प्रूफ जैकेटें उपलब्ध हैं। बुलेट प्रूफ जैकेटों के कारण संक्रियात्मक भूमिका में आने वाली जटिलताओं के बारे में सेना मुख्यालय से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

एअर इंडिया में भ्रष्टाचार के मामले

4345. श्री अशोक अर्गल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एअर इंडिया के सतर्कता विभाग को भ्रष्टाचार और कुप्रबंध के कितने मामले प्राप्त हुए;

(ख) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें जांच पूरी हो गई है;

(ग) ऐसे कितने अधिकारी हैं जिनके विरूद्ध सतर्कता रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या पहचान किए गए संवेदनशील विभागों में अधिकारियों के आवधिक रूप से स्थानांतरण हेतु मार्ग निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) एअर इंडिया के सतर्कता विभाग को, पिछले तीन वर्षों के दौरान, भ्रष्टाचार तथा कु–प्रबन्ध के 202 मामले प्राप्त हुए तथा इनमें से 193 मामलों में जाच पूरी कर ली गई है।

(ग) सतर्कता रिपोर्टों के अनुसार 107 अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सी.पी.एस.यू. कर्मचारियों का सांविधिक बकाया

4346. श्री नवजोत सिंह सिद्धू : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सरकारी क्षेत्र के वे कर्मचारी, जिनका 30 जून, 2004 तक 1365 करोड़ रुपए का सांविधिक बकाया है, उन्हें इसका केन्द्र सरकार के विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कामगारों को सारे सांविधिक बकाए का भुगतान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 30.6.2004 की स्थिति के अनुसार संबंधित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों की सांविधिक देयताओं तथा वेतन/मजूरी के कारण प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित 1365 करोड़ रुपए की बकाया राशि कम हो कर 28.2.2005 की स्थिति के अनुसार 399.72 करोड़ रुपए रह गई है। (ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है)।

(ग) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को यह सलाह दी थी कि वे निम्नलिखित तरीके से अपने कर्मचारियों की बकाया देयताओं को पूरा करें:–

(i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जो उद्यमों अपने कर्मचारियों की बकाया देयताएं पूरा करने में समर्थ हैं, उन्हें शीघ्र ही ऐसा करना चाहिए।

(ii) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों को देयताएं पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिसंपत्तियों की बिक्री करके संसाधन जुटाने में समय लगना है, वे बाजार में राशि जुटाएं, जिसके लिए सरकार आवश्यकतानुसार गारंटी तथा ब्याज के लिए आर्थिक–सहायता दे सकती है।

(iii) जहां भी कानूनी मुद्दे शामिल हैं, वहां प्रशासनिक मंत्रालय न्यायालय के बाहर निपटारा करने का प्रयास करें अथवा मामले का शीघ्र समाधान करने के लिए विधि मंत्रालय को मामला सौंप दें।

(iv) वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों/ एककों के पुनरूद्धार/बन्द करने/ विनिवेश के लिए विशेष कार्य योजना प्रस्तुत करें, ताकि वे देयताओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार से एकमुश्त वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें।

विवरण

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग		31.12.2002 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के नाम जिनके संबंध में देयताएं लंबित हैं	दिनांक 28.2.2005 के अनुसार बकाया देयताएं (लाख रुपए)
1.	कृषि एवं सहकारिता विभाग	1.	भारतीय राज्य फार्म्स निगम लि.	1117
			जोड़	1117
2.	केमिकल्स एण्ड पेट्रोकेमिकल्स विभाग	2.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	975
		3.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	73
			जोड़	1048
3.	रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग	4.	मझगांव डॉक लि.	14
			जोड़	14
4.	नौवहन मंत्रालय	5.	हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियरिंग लि.	80
			जोड़	80
5.	इस्पात मंत्रालय	6.	भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि.	2000
		7.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.	8300
			जोड़	10300
6.	कपड़ा मंत्रालय	8.	नेशनल जूट मैन्यु. कारपो. लि.	19004
		9.–17.	नेशनल टेक्सटाईल्स कारपोरेशन और उसकी 9 सहायक कंपनियां	[illegible]
			जोड़	23881
7.	जल संसाधन मंत्रालय	18.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.	8488
			जोड़	8488

कच्चे तेल की चोरी

4347. श्री रघुनाथ झा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात और असम में हो रही कच्चे तेल की चोरी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में तेल की चोरी किए जाने का अनुमान है; और

(ग) चोरी रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

घाटा उठाने वाली रेल परियोजनाएं

4348. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घाटा उठाने वाली 122 रेल परियोजनाओं का परित्याग करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने लाभ कमाने वाली/घाटा उठाने वाली परियोजनाओं का पता लगाने तथा यात्रियों को अधिकतम सुविधाएं मुहैया कराने हेतु कोई विशेषज्ञ समिति गठित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन

4349. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :
मोहम्मद शाहिद :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली राज्य सरकारों को अपने राज्यों में पर्याप्त संख्या में सी एन जी फिलिंग स्टेशन स्थापित करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राज्य–वार कितने सी एन जी फिलिंग स्टेशन स्थापित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 11 मार्च, 2005 के अपने आदेशों के अनुसार हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों को मैसर्स इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आई जी एल) को पूर्ण सहयोग तथा सहायता देने के निर्देश दिए हैं ताकि उत्तर प्रदेश राज्य में ग्रेटर नौएडा सहित नौएडा तथा हरियाणा राज्य में फरीदाबाद तथा गुड़गांव में सी एन जी बिक्री केन्द्रों की अपेक्षित संख्या की स्थापना की जा सके। बिक्री कर को हटा लेने के कारण से राजस्व की होने वाली हानि के संबंध में न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रथम दृष्टांत के रूप में, भारत की संघ सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों के बीच मामले पर चर्चा की जानी चाहिए ताकि एक सौहार्दपूर्ण हल निकाला जा सके। न्यायालय ने आगे आई जी एल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तथा भारत संघ सरकार को निदेश दिया है कि पांच सप्ताह की अवधि के अंदर एक प्रगति रिपोर्ट फाइल करें।

(ग) और (घ) आई जी एल ने एन सी आर शहरों तथा नौएडा (ग्रेटर नौएडा सहित), गुड़गांव तथा फरीदाबाद में सी एन जी की शुरूआत के लिए प्रारम्भिक कार्य पहले से ही शुरू कर दिए हैं। सरकार ने इस प्रयोजन से इन शहरों के लिए प्राकृतिक गैस आबंटित की है। आई जी एल की प्रारंभिक योजना निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार प्रथम चरण में 20 सी एन जी स्टेशनों को स्थापित करने की है:–

शहर का नाम	सी एन जी स्टेशनों की संख्या
फरीदाबाद	6
गुड़गांव	6
नौएडा	5
ग्रेटर नौएडा	3
कुल	20

अब तक, नौएडा में दो सी एन जी स्टेशन चालू किए गए हैं। प्राकृतिक गैस की बढ़ती हुई उपलब्धता तथा पाइपलाइन बुनियादी सुविधा के विस्तार के साथ देश के अन्य शहरों में सी एन जी की उत्तरोत्तर शुरूआत की जाएगी।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक समुदायों हेतु संस्थान

4350. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
मोहम्मद शाहिद :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी कोचिंग संस्थानों में दाखिला हेतु अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों के लिए संस्थानों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का विचार ऐसे संस्थानों को कुल कितनी धनराशि मुहैया कराने का है; और

(घ) इस संबंध में निजी कोचिंग संस्थानों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए अनन्य रूप से संस्थान अभिज्ञात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामसेट योजना

4351. श्री ब्रजेश पाठक : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक ग्रामसेट योजना पर हुए व्यय का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु इन कार्यक्रमों में जनजातीय लोगों को शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में पालतू पशुओं को ले जाना

4352. डा. के. धनराजू : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में यात्रियों को अपने साथ रेलगाड़ी में पालतू पशुओं को ले जाने की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इससे संबंधित स्पष्ट नियम क्या हैं और

(ग) सरकार द्वारा विशेषकर लंबी दूरी की रेलगाड़ियों जैसे तमिलनाडु, जी.टी. और राजधानी एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी वातानुकूल और प्रथम श्रेणी को छोड़कर अन्य श्रेणी के यात्रियों को यात्रा के दौरान पालतू पशुओं को संवदेना के साथ ले जाने और उनको उनके स्वामियों की सुगम पहुंच में रखने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) मौजूदा नियमों के अनुसार पालतू कुत्ते को द्वितीय श्रेणी लगेज और ब्रेक वेन (एस एल आर) के डॉग-बॉक्स में ले जाया जा सकता है। कुत्ते को यात्रियों के साथ वातानुकूल प्रथम श्रेणी और प्रथम श्रेणी डिब्बे में भी ले जाया जा सकता है। बशर्ते कि इसके लिए एक पूरे कूपे को (2 बर्थ अथवा 4 बर्थ) यात्री अथवा सभी समूह द्वारा उसके/उनके पूर्णतः उपयोग के लिए बुक किया गया हो। कुत्ते पर डॉग-बॉक्स में रेलगाड़ी में लागू पार्सल दरों पर 30 किलोग्राम प्रति पालतू कुत्तों को वातानुकूल प्रथम श्रेणी और प्रथम श्रेणी में 60 किलोग्राम प्रति कुत्ता की पार्सल दर से भी ले जा सकता है। कुत्तों को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, वातानुकूल तृतीय श्रेणी, वातानुकूल, कुर्सीयान, शयनयान श्रेणी और द्वितीय श्रेणी डिब्बों में ले जाने की अनुमति नहीं है। राजधानी रेल गाड़ियों में वातानुकूल प्रथम श्रेणी और सभी मेल/एक्सप्रैस गाड़ियों में कुत्ते को वातानुकूल प्रथम श्रेणी और प्रथम श्रेणी तथा एस एल आर में उपलब्ध डॉग-बॉक्सों में बुक कराने की सुविधा उपलब्ध है। वातानुकूल प्रथम श्रेणी और प्रथम श्रेणी दोनों में अलग से केबिन/कूपे की व्यवस्था है ताकि पालतू कुत्तों को ले जाने से सहयात्रियों को असुविधा न हो। शताब्दी गाड़ियों में, कुत्तों की बुकिंग की अनुमति नहीं है क्योंकि इन गाड़ियों में वातानुकूल प्रथम श्रेणी और प्रथम श्रेणी डिब्बों की सुविधा उपलब्ध नहीं है। राजधानी/शताब्दी रेलगाड़ियों में डॉग-बॉक्सों में कुत्तों की बुकिंग की अनुमति नहीं है क्योंकि इन गाड़ियों में डॉग-बॉक्स की सुविधा नहीं है। अन्य गाड़ियों में एक डॉग बॉक्स की सुविधा होती है और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रति गाड़ी केवल एक कुत्ता बुक किया जाता है। कुत्तों के लिए अग्रिम बुकिंग का कोई प्रावधान नहीं है। इन्हें गाड़ी की रवानगी से एक घंटा पूर्व काउंटर पर बुक किया जाता है। कुत्तों को उसके मालिक की उपस्थिति में डॉग-बॉक्सों में तालाबंद किया जाता है। जो यात्रा के दौरान उसके लिए भोजन की व्यवस्था करेगा। यदि कुत्तों की संख्या एक से अधिक और 36 तक है और वे बड़े डीलडौल में है तो ऐसे मामलों में विशेष वाहन (हॉर्स-बॉक्स) भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

उपर्युक्त के अलावा, मौजूदा नियमों के अनुसार, कुत्ते के पिल्लों, बिल्लियों, बिल्ली के बच्चों, नेवलों, फैरेटों, खरगोशों, बंदरों, गिनी-पिग्स और अन्य जानवरों और छोटे पक्षियों (मुर्गियों को छोड़कर) को संबंधित गाड़ी सेवा पर यथा लागू पार्सल दरों ब्रेक वैनों में और प्रारंभिक स्टेशन पर स्टेशन मास्टर की अनुमति और सह यात्रियों की सहमति से पशु-मालिक के जोखिम पर यात्री डिब्बे में ले जाने की अनुमति भी है।

इस समय सरकार का प्रथम वातानुकूल और प्रथम श्रेणी सवारी डिब्बों के अलावा अन्य किसी श्रेणी के पालतू पशुओं को ले जाने अथवा प्रत्येक बोगी में कुत्ता घर उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि पालतू पशुओं के सहानुभूति पूर्वक परिवहन और यात्रा के दौरान पशु मालिक की सुगम पहुँच की संभावना प्रथम श्रेणी वातानुकूल और प्रथम श्रेणी में ना के बराबर हैं।

पायलटों की सेवानिवृत्ति आयु

4353. डा. एम. जगन्नाथ : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पायलटों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो आयु–सीमा में वृद्धि करने के क्या कारण हैं, और

(ग) उक्त पायलटों की शारीरिक सक्षमता का निर्धारण करने हेतु क्या क्रियाविधि अपनाई जाएगी?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) के विमानन क्षेत्र में लगातार वृद्धि के कारण, देश में अनुभवी व्यावसायिक पायलटों की कमी हो गई है। वर्तमान कमी को पूरा करने के लिए, सरकार ने एयरलाइन प्रचालकों को, 60 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के बाद 61 वर्ष की आयु तक व्यावसायिक पायलटों की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दे दी है बशर्ते कि (i) पायलट का चिकित्सा रिकार्ड एकदम साफ होना चाहिए अर्थात लाइसेंस अधिकार पर किसी प्रकार का चिकित्सा प्रतिबंध नहीं होना चाहिए (ii) पायलट की हर तीन महीनों में आईएएम बंगलोर/एएफसीएमई, नई दिल्ली में नयी श्रेणी–I की चिकित्सा जाँच की जानी चाहिए। 60 वर्ष की आयु के बाद विमान उड़ाने की छूट एक विधिवत रूप से गठित किए गए बोर्ड की सिफारिशों पर अलग–अलग मामले के आधार पर दी जाती है। इस बोर्ड के अध्यक्ष, भारतीय वायुसेना के प्रधान निदेशक चिकित्सा सेवा (विशेषज्ञ) हैं तथा निदेशक प्रचालन (प्रशिक्षण एवं लाइसेंसिंग) और मुख्य उड़ान प्रचालन निरीक्षक के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं।

[हिन्दी]

किंगफीशर एयरलाइन्स

4354. श्री बापू हरी चौरे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किंगफीशर एयरलाइन्स को देश तथा विदेश में अपनी उड़ानों के संचालन हेतु अनुमति दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो किन मार्गों के लिए अनुमति दी गयी है;

(ग) क्या किंगफीशर एयरलाइन्स ने इन्दौर विमानपत्तन पर कार्य संचालन हेतु स्थान के लिए अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं। किंगफिशर एयरलाइंस को, नामित विमान परिवहन सेवाएं प्रचालित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान कर दिया गया है। कम्पनी को प्रचालकों का परमिट प्राप्त करना अभी बाकी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। किसी भी स्थिति में, सभी एयरलाइनें देशभर में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते कि वे सरकार द्वारा जारी रूट डिस्पर्सल दिशानिर्देशों का अनुपालन करती हों।

(ग) जी, हां।

(घ) स्थल की उपलब्धता के आधार पर किंगफिशर एयरलाइंस को आबंटन प्रदान किया जाएगा।

स्लैक कोल की ढुलाई हेतु रेक का प्रावधान

4355. श्री संतोष गंगवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के माध्यम से ईंट भट्टों हेत स्लैक कोल की ढुलाई करने के लिए रेक उपलब्ध कराने की प्राथमिकता को वापस ले लिया गया है और इसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश को कोयले की ढुलाई हेतु रेलवे रेक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से स्लैक कोल की ढुलाई करने हेतु रेक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी हां, कोयला कंपनियों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम के आधार पर ईंट के उद्योग सहित गैर प्रमुख क्षेत्र के उपभोक्ताओं को रेकों को आबंटन किया जा रहा है। कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं के आधार पर आबंटन किया जाता है। रेलवे द्वारा कोई विशिष्ट तरजीह नहीं दी जाती है।

[अनुवाद]

लोनर क्रेटर

4356. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा महाराष्ट्र स्थित लोनर क्रेटर को, जो कि विश्व के पांच सबसे बड़े क्रेटरों में से एक है, राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लोनर क्रेटर का ढांचा जीर्णशीर्ण अवस्था में है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा लोनर क्रेटर के ढांचे का नवीकरण करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) जी, नहीं। लोनर क्रेटर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारक नहीं है। तथापि, क्रेटर के आस–पास पन्द्रह मंदिर/संरचनाएँ केन्द्रीय संरक्षित स्मारक हैं और उनका रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है।

[हिन्दी]

कम पेट्रोल देने पर दण्ड में वृद्धि किया जाना

4357. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पेट्रोल पम्पों द्वारा कम पेट्रोल देने पर बाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 की धारा 39 (2) के तहत दण्ड बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, हां।

(ख) बाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 की धारा 39 (2) का उचित संशोधन प्रस्तावित है।

(ग) उक्त अधिनियम के संशोधन के लिए 10.02.2005 को बाट और माप मानक (प्रवर्तन) विधेयक, 2005 राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया है।

अ.जा./अ.ज.जा. का कल्याण

4358. श्री रामदास आठवले : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के संसद सदस्यों की एक बैठक 5 से 7 दिसम्बर, 1999 के बीच आयोजित हुई थी और प्रारूप समिति ने सिफारिशें की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु संबद्ध मंत्रालयों/विभागों को सिफारिशें परिचालित कर दी थीं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में संबद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) इस संबंध में कब तक उचित कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (च) जी, हां। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संसद सदस्यों का सम्मेलन 5 से 7 दिसम्बर, 1999 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन की सिफारिशों को तैयार करने के लिए प्रतिभागियों में से प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति द्वारा की गई सिफारिशें समुचित कार्रवाई हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित की गई।

[अनुवाद]

वृद्धाश्रमों का कार्यकरण

4359. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ऐसे वरिष्ठ नागरिकों/वृद्ध व्यक्तियों की संख्या का आकलन किया है जिन्हें पर्याप्त देखभाल की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि वृद्ध व्यक्तियों से भारी राशि लेने के बावजूद वृद्धाश्रम उन्हें पर्याप्त सुविधा नहीं दे रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ङ) इन वृद्धाश्रमों में उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं की निगरानी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इस मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित वृद्धावस्था गृहों से कोई राशि वसूल नहीं की जाती।

(ङ) संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा वृद्धावस्था गृहों के आवधिक निरीक्षण किए जाते हैं और भारत सरकार इस मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित वृद्धावस्था गृहों में प्रदत्त सुविधाओं की मानीटरिंग करती है।

सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का संचालन

4360. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में कार्यशील सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को शैक्षणिक संस्थाओं में सामुदायिक रेडिया स्टेशनों के संचालन हेतु आवेदन/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या सामुदायिक रेडियो प्रसारण हेतु लाइसेंस के लिए ग्राम पंचायतें और अन्य स्थानीय निकास पात्र हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) इस समय सात सामुदायिक रेडियो स्टेशन कार्यशील हैं। राज्य–वार ब्यौरा निम्नलिखित है:– तमिलनाडु–3, पांडिचेरी–1, राजस्थान–1, महाराष्ट्र–1, उत्तर प्रदेश–1

(ख) और (ग) जी, हाँ। अब तक 68 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 48 पात्र आवेदनों को गृह मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास अनापत्ति पत्र हेतु तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास आवृत्तियों की उपलब्धता हेतु भेज दिया गया है। 30 संस्थानों के मामले में संबंधित मंत्रालयों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त हो गए हैं और इसके पश्चात् उन्हें आशय–पत्र जारी कर दिए गए हैं। संचार मंत्रालय द्वारा आवृत्ति का आबंटन किए जाने के पश्चात् इनमें से 20 सस्थानों ने लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इनमें से सात इस समय कार्यशील हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। मौजूदा नीति के अनुसार केवल शैक्षणिक संस्थान सामुदायिक रेडियो प्रसारण के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अनुरोध करने के पात्र हैं।

[हिन्दी]

रेलवे में रिक्तियां

4361. श्री राकेश सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में रेलवे में टी.सी., स्टेशन मास्टर, गार्ड के हजारों पद तथा प्रचालन स्तर पर महत्वपूर्ण पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निकट भविष्य में इन पदों पर भर्ती करने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएंगी।

[अनुवाद]

निजी कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद

4362. श्री गुरुदास कामत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई कंपनियां निर्यात के लिए पेट्रोलियम उत्पादों को खरीदती हैं;

(ख) क्या कोटा प्रणाली पर इन उत्पादों को खरीदने की अनुमति प्राप्त करने वाली कंपनियां निर्यात/आयात नीतियों का लाभ उठाते हुए अन्य कंपनियों को बेचकर अंतर्राष्ट्रीय अवरोधों का उल्लंघन करती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी कंपनियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार तेल कंपनियां निर्यात हेतु पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद नहीं कर रही है। तथापि, स्वदेशी तरीके से उत्पादित पेट्रोलियम उत्पादों, जो स्थानीय रूप से नहीं खपाए जा सकते हैं, को तेल कंपनियों द्वारा निर्यात किया जा रहा है।

(ख) आयात निर्यात (एक्जिम) नीति के अनुसार तेल कंपनियां अग्रिम लाइसेंस के रूप में शुल्क ड्रा बैक लाभ प्राप्त करती हैं जो पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के प्रति कच्चे तेल का कर मुक्त आयात सुसाध्य बनाता है। मंत्रालय में इस लाभ के दुरूपयोग का कोई मामला नहीं आया है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

प्रसार भारती द्वारा कार्यक्रमों में सुधार

4363. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन/आकाशवाणी निजी टी.वी. चैनलों/एफ. एम. के प्रसार के कारण कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रसार भारती ने प्रसारित कार्यक्रमों की गुणवत्ता और विषयवस्तु को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान निजी टी.वी. चैनलों/एफ.एम. के वार्षिक व्यापारावर्त्त का ब्यौरा क्या है और यह प्रसार भारती की तुलना में कितना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां। दूरदर्शन और आकाशवाणी निजी टी.वी. चैनलों/एफ एम. रेडियो के कारण प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। प्रसार भारती विषय-वस्तु और गुणवत्ता दोनों रूपों में उत्कृष्टता के लिए सतत रूप से प्रयास करता आ रहा हूं। दूरदर्शन इसके विभिन्न चैनलों पर प्रसारित किए जाने वाले धारावाहिकों/कार्यक्रमों की गुणवत्ता की निरन्तर समीक्षा करता है और विषय-वस्तु तथा तकनीकी गुणवत्ता/प्रसारण को और सुधारने के लिए प्रयास करता है। कार्यक्रमों की तकनीकी गुणवत्ता को सुधारने हेतु स्टूडियों और उपस्करों का सतत रूप से आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

(ग) निजी टी.वी. चैनलों के कारोबार का ब्यौरा सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है। तथापि, 2002 से 2004 तक की भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की)/एफ.आर.ए.एम.ई.एस की रिपोर्टों के अनुसार टेलीविजन पर कुल विज्ञापन खर्च निम्नानुसार से है:-

कैलेंडर वर्ष	राशि
2002	3900 करोड़ रुपये
2003	4220 करोड़. रुपये
2004	4676 करोड़ रुपये (अनुमानित)

पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन की राजस्व आय का ब्यौरा निम्नानुसार से है:-

वर्ष	राशि
2002-03	553.61 करोड़ रुपये
2003-04	530.23 करोड़. रुपये
2004-05	665.27 करोड़ रुपये

प्रसार भारती एक सार्वजनिक सेवा प्रसारक है और यह पूर्णतया वाणिज्यिक लाभों से प्रेरित नहीं है। निजी एफ.एम. चैनलों के कारोबार से संबंधित ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

खराब वैगनों का प्रयोग

4364. श्री रघुनाथ झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे द्वारा समय पूर्व खराब घोषित की गई वैगनों और इनमें से कई वैगनों को पुनः यातायात के प्रयोग के लिए स्क्रैप डिपो से वापस ले लिये जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कारण रेलवे को हुई वित्तीय हानि के लिए इस मामले की जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उन वैगनों को जिनकी बहुत अधिक मरम्मत और मरम्मत कार्य पर अत्यधिक राशि खर्च किए जाने की आवश्यकता थी, खराब घोषित कर दिया गया चाहे उनका समय-काल कम रहा हो; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी हां। यदि किसी माल डिब्बे की बहुत अधिक मरम्मत की आवश्यकता होती है, जो कि किफायती नहीं है, तो उसे उसकी निर्धारित आयु पूरी न होने पर भी खराब घोषित कर दिया जाता है।

[हिन्दी]

पुराने डिब्बों में सुधार

4365. श्री ब्रजेश पाठक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पुराने रेल के डिब्बों की स्थिति बहुत खराब है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पुराने रेल के डिब्बों में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, नहीं। सभी रेल कोचों की स्थिति में समुचित अनुरक्षण द्वारा नियमित रूप से सुधार किया जाता है। मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के कोचों के प्रत्येक 12 महीने बाद और यात्री सवारी डिब्बों की प्रत्येक 18 महीनों के बाद ओवरहालिंग की जाती है। कुछ कोचों का उनकी 12 – 15 वर्ष की आयु के बाद मध्यावधि पुनर्स्थापन भी किया जाता है। इस पुनर्स्थापन के दौरान, कोच की गहन संक्षारण मरम्मत की जाती है और आंतरिक फिटिंग्स नई लगाई जाती है, बहरहाल, निधियों की तंगी के कारण भारतीय रेल पर सभी कोचों का मध्यावधि पुनर्स्थापन करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों के लिए रखरखाव सुविधायें

4366. डा. के. धनराजू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चेन्नई–नई दिल्ली/हजरत निजामुद्दीन रेलगाड़ियों के लिए प्राथमिक और द्वितीयक रखरखाव सुविधाएं दी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका रखरखाव विनिर्देशों/अनुदेशों के अनुसार किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो रेलगाड़ियों के बाहरी भागों को पानी से धोना आवश्यक है; और

(घ) यदि हां, तो इन रेलगाड़ियों के साफ–सुथरी न दिखने के क्या कारण हैं और इन रेलगाड़ियों का रखरखाव विनिर्देशों/अनुदेशों के अनुसार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। बहरहाल, वे गाड़ियां जिनके यात्रा के फेरे का चालन 2500 कि.मी. से कम होता है, के बाहरी भागों की धुलाई केवल प्राथमिक अनुरक्षण के दौरान की जाती है।

(घ) चेन्नै–नई दिल्ली/हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली गाड़ियों की धुलाई एवं सफाई प्राथमिक एवं गौण अनुरक्षण के दौरान यात्रा के दोनों बिंदुओं पर अनुरक्षण डिपों में की जाती है। पानी की कमी के कारण कभी–कभार गाड़ी की धुलाई नहीं हो पाती है। बहरहाल, यात्रा के शुरू में धुलाई होने के बावजूद रास्तें में गाड़ियों के बाहरी भागों में धूल जम जाती है, जिससे वे गंदी दिखाई देने लगती है।

निजी तेल कंपनियों द्वारा तेल और गैस की खोज

4367. डा. एम. जगन्नाथ : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र की अग्रणी तेल कंपनियां, भारतीय एवं विदेशी दोनों स्टाक मार्केट में मूल्यों की उछाल देने के उद्देश्य से तेल और गैस की खोजों के बारे में बढ़ा–चढ़ाकर दावे कर रही हैं;

(ख) क्या तोड़–मरोड़कर प्रस्तुत किये गए एवं असत्यापित भण्डार के दावे विदेशी निवेशकों को गलत संदेश प्रेषित करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे झूठे दावे प्रस्तुत करने के विरूद्ध सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदम क्या हैं और दोषी कंपनियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) भारत सरकार और कंपनियों (भारत की निजी और विदेशी कंपनियां दोनों सम्मिलित) के बीच हस्ताक्षरित उत्पादन भागीदारी संविदाएं (पी एस सीज) हाइड्रोकार्बन खोज, उत्पादन परीक्षण परिणामों आदि की घोषणा के लिए कार्यविधि उपलब्ध कराती है। पी एस सी ठेकेदार, पी एस सीज के प्रावधानों का अनुसरण करने के लिए बाध्य है।

पी एस सीज के तहत वाणिज्यिक खोजें (अनुमानित भण्डारों के आधार पर) प्रबंध समिति द्वारा निश्चित की जाती है, जिसमें हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डी जी एच) के प्रतिनिधि और ठेकेदार शामिल होते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी कंपनियां समान मानकों/दिशानिर्देशों का पालन करें, खोजों की घोषणा करने की प्रक्रिया हित धारकों के साथ परामर्श करते हुए तैयार की जा रही है।

[हिन्दी]

पंचायती राज व्यवस्था में अंतरिम लेखा परीक्षा पद्धति

4368. श्री बापू हरी चौरे : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पंचायती राज व्यवस्था के स्तर पर अंतरिम लेखा परीक्षा पद्धति लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त पद्धति को राज्य एवं

केन्द्रीय स्तर पर संस्थागत रूप देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणिशंकर अय्यर) : (क) और (ख) पंचायती राज राज्यों का विषय है। पंचायती राज मंत्रालय संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने तथा इसकी निगरानी के लिए उत्तरदायी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य पंचायती राज अधिनियमों में अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया गया है और इसका अक्षरशः कार्यान्वयन करने का प्रयास किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 243 जे के अनुसार "राज्य विधायिका, विधि द्वारा पंचायतों द्वारा लेखों के रख-रखाव और ऐसे लेखों की लेखा-परीक्षा के संबंध में प्रावधान बना सकती है।" अतः पंचायतों के बजट/निधियों की लेखा-परीक्षा कराने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली शुरू करने तथा साथ ही एजेंसी की पहचान करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी। 11वें वित्त आयोग (2000-01 से 2004-05) द्वारा सिफारिश किए गए स्थानीय निकाय अनुदान के उपायों के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पंचायती राज के सभी तीनों स्तरों और यू.एल.बी के लेखों के उचित रख-रखाव और उनकी लेखा परीक्षा पर नियंत्रण रखने और उनका 'पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदायी होगा। राज्य सरकारों को इस प्रयोनार्थ सी.ए.जी. (डी.पी.सी.) की धारा 20(1) के अंतर्गत अनुरोध करना चाहिए। दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्थानीय निकायों के लिए बजट की तैयारी और लेखों को रखने का प्रारूप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित किए अनुसार होगा। इस विषय पर 27-28 नवम्बर, 2004 में गुवाहाटी में पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों की छठी गोलमेज वार्ता के दौरान और चर्चा हुई है। राज्यों के पंचायती राज के प्रभारी मंत्री/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के प्रतिनिधि सहयोगी संघवाद की ऐसी भावना को ध्यान में रखते हुए, जिससे भारत के संविधान के भाग IX में और संबंधित प्रावधानों में यथा-निर्धारित पंचायती राज के प्रभावी कार्यान्वयन की जानकारी मिलती हो, अपनी-अपनी सरकारों को इस बैठक में निकले निष्कर्षों पर, केन्द्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से स्वीकार किए जाने के लिए, सिफारिश करने पर सहमत हुए। निष्कर्षों की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

छठे गोलमेज सम्मेलन के निष्कर्षों के पैरा (IV) में 'लेखा परीक्षा' शीर्ष के अंतर्गत यह सिफारिश की गई है कि पंचायती राज व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर और पूरक बाह्य लेखा परीक्षा के रूप में सी एण्ड ए जी लेखा परीक्षा (सी एण्ड ए जी द्वारा प्रमाणित अथवा तकनीकी दृष्टि से नियंत्रित निकायों द्वारा की गई लेखा परीक्षा) के संबंध में एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली बनाने की जरूरत है।

चूंकि संविधान के अनुच्छेद 243 जी के अनुसार, स्थानीय निकाय अब स्थानीय स्व-शासन की संस्थाएं हैं, इसलिए स्थानीय कोष लेखा परीक्षा के निदेशक (डीएलएफए) और संवैधानिक अनिवार्यताओं द्वारा अपेक्षित स्तर तक के ऐसे ही अन्य निकायों के कार्यों में सुधार करने और इसके लिए डी एल एफ ए एवं ऐसे ही अन्य निकायों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सहमति से कार्य करने की जरूरत है, यह निर्णय लिया गया था कि इन राज्य सरकारों, जो अब तक लेखा और लेखा परीक्षा के कार्यों में सी एण्ड ए जी को शामिल करने की व्यवस्थाओं का उपयोग नहीं कर पाई है, जिसमें सी एण्ड ए जी का तकनीकी नियंत्रण तथा पंचायती राज संस्थाओं के लिए पर्यवेक्षण योजना शामिल है, से ऐसा करने का अनुरोध किया जाए।

विवरण

पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों का छठा गोलमेज सम्मेलन-गुवाहाटी 27-28 नवम्बर, 2004

पंचायती राज के प्रभारी मंत्री और उनके प्रतिनिधि संघीय सहयोग की भावना को ध्यान में रखते हुए, जिसमें भारत के संविधान के भाग ix में निर्धारित पंचायती राज और उससे संबंद्ध प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन की जानकारी होना आवश्यक है, केन्द्र और राज्यों द्वारा संयुक्त स्वीकृति के लिए कार्यवाही के निम्नलिखित मुद्दों की अपनी-अपनी सरकारों को सिफारिश करने के लिए सहमत हुए:-

चुनाव

(i) भारतीय मतदाता एक हैं और वे अविभाज्य हैं। इसलिए एक तरफ संसदीय तथा विधान सभा चुनावों तथा दूसरी तरफ पंचायत चुनावों के बीच की समानता के सिद्धांत को बरकरार रखा जाए, विशेष रूप से यह देखा गया है कि पंचायत चुनावों में लोगों की भागीदारी काफी अधिक होती है और आमतौर पर यह भागीदारी संसदीय/विधानसभा चुनावों की भागीदारी के समान या उससे अधिक होती है। इस प्रकार, उदाहरण स्वरूप, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र वाले राज्यों में भी हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों में 88% मतदाताओं में तथा सिक्किम मे 83.5% मतदाताओं ने हिस्सा लिया।

(ii) जबकि पंचायत चुनावों से संबंधित सभी मुद्दे संविधान द्वारा राज्य विधानमंडलों/सरकारों को सौंप दिए गए हैं, फिर भी यदि चुनाव प्रक्रियाओं तथा प्रावधानों में एकरूपता नहीं लाई जाती है, तो भी इसमें समानता लाने की जरूरत है। इसके लिए चुनाव प्रक्रिया संबंधी सभी दायित्वों को अलग-अलग हिस्सों में बांटने की बजाए राज्य चुनाव आयोगों को सौंपना वांछनीय होगा। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) मतदाता सूची तैयार करना

(ख) निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

(ग) आरक्षण और बारी

(घ) उम्मीदवारों की योग्यता

(ङ) चुनाव कराना, और

(घ) चुनाव विवादों में निर्णय लेने के स्तर के रूप में काम करना

(iii) केन्द्र सरकार पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन, इन चुनावों को कराने से संबंधित आदर्श संहिता बनाने पर विचार करेगी।

(iv) चुनावों के सभी स्तर पर एक जैसी मतदाता सूची बनाने के परिप्रेक्ष्य में, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा राज्य चुनाव आयुक्तों के बीच आपसी विचार–विमर्श को प्रोत्साहित किया जा सकता है ताकि सरकार के विभिन्न स्तरों पर समय–समय पर कराए जाने वाले चुनावों के लिए ऐसी मतदाता सूचियों को बनाने, रख–रखाव करने तथा उनका अद्यतन करने में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके। पंचायत एवं नगरपालिका वार्डों को चुनाव के सभी स्तरों की मतदाता सूची के निर्माण इकाई के रूप में माना जाएगा।

(v) पंचायती राज चुनावों से संबंधित नियमों में ऐसे प्रावधानों को शामिल करने पर विचार किया जाए जो संसदीय तथा राज्य विधान सभा चुनावों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं।

(vi) राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले निदेशों, चुनाव संबंधी जानकारी के प्रचार–प्रसार के लिए रेडियो प्रसारण का इस्तेमाल, पलायन से उत्पन्न होने वाली अनियमितताओं, जनगणना कार्य के परिसीमन को जोड़ने, राज्य चुनाव आयोगों की सेवा शर्तों में एकरूपता लाने जैसे मुद्दों और इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में मशीन को सील न करके केवल इलेक्ट्रॉनिक चिप को सील करना ताकि इन मशीनों का स्पष्टरूप से पंचायत चुनावों में इस्तेमाल किया जा सके, जैसे प्रस्तावों पर राज्य चुनाव आयोगों तथा भारतीय चुनाव आयोग के बीच संस्थागत रूप से आपसी बातचीत करने हेतु एक मैच तैयार करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग से संपर्क किया जा सकता है।

(vii) राज्य राज्य–चुनाव आयुक्तों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और पारिश्रमिक देने पर विचार कर सकते हैं।

(viii) यह सिफारिश की जाती है कि परिसीमन आयोग नियमित रूप से ऐसे राज्य चुनाव आयुक्तों के संपर्क में रहेगा जो परिसीमन प्रक्रिया से होने वाली व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए आयोग के सदस्य होते हैं।

(ix) पंचायत चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के उपयोग को आसान बनाने के लिए केन्द्र सरकार भारतीय चुनाव आयोग तथा राज्य चुनाव आयोगों के परामर्श से राज्य चुनाव आयोगों के इस्तेमाल हेतु ईवीएम की खरीद के लिए धन देने से संबंधित मुद्दों पर विचार करेगी।

(x) जिला आयोजना समितियों के चुनाव जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी में प्रावधान है, को भी राज्य चुनाव आयोगों के कार्यक्षेत्र में लाया जाए ताकि संवैधानिक प्रावधानों का पूर्णरूपेण अनुसरण सुनिश्चित किया जा सके, जैसा पहले कभी नहीं हुआ है।

लेखा-परीक्षा

(i) चूंकि स्थानीय निकाय अब स्थानीय स्व–शासन की संस्थाएं हैं, इसलिए संवैधानिक अनिवार्यता के अपेक्षित स्तर तक स्थानीय कोष लेखा परीक्षा के निदेशक तथा इसी प्रकार के अन्य निकायों के काम–काज के स्तर को बढ़ाया जाए और इसके लिए डी एल एफ ए और इसी प्रकार के अन्य निकाय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ मिलकर कार्य करें।

(ii) पी आर आई को स्थानीय स्व–शासन की संस्थाएं मानते हुए, पी आर आई स्वयं ही मानकों एवं मानदण्डों की निर्माण प्रक्रिया से जुड़े और अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए केवल निधियां देने की बजाए निधियों की व्यवस्था करने और निधियां एकत्र करने पर बल दें।

(iii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी लेखा परीक्षा पी आर आई में भ्रष्टाचार को रोकने, कम करने और धीरे–धीरे समाप्त करने में ठोस भूमिका अदा करती है, यह आवश्यक है कि पंचायतों के कार्यों के अनुरूप ही लेखा परीक्षा और लेखा मानक बनाए

जाए और उनका पालन किया जाए। ये मानक निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए स्पष्ट, सरल और आसानी से समझ आने वाले होने चाहिए और इनमें निम्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए:–

- लेन देन की जांच–पड़ताल कब की जाए
- किसकी निगरानी की जाए
- लेन–देन को किस प्रकार दस्तावेज में दर्ज किया जाए और
- इनका प्रकटन किस प्रकार किया जाए

(iv) पंचायती राज प्रणाली के प्रत्येक स्तर पर आंतरिक लेखा–परीक्षा प्रणाली बनाने और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखा–परीक्षा (अथवा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित अथवा तकनीकी रूप से बताए गए निकायों द्वारा की गई लेखा–परीक्षा) को अनुपूरक बाह्य लेखा–परीक्षा के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है।

(v) लेखा–परीक्षा को प्रभावी बनाने के लिए उसमें स्थानीय लेखों हेतु राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड (एन ए एस बी) गठित किया जा सकता है और राज्य स्तर पर लेखा परीक्षा आयोग अथवा इसी तरह के नियामक निकायों का गठन करके उसे पूरक बनाया जा सकता है।

(vi) इसके अलावा, राज्य विधान मंण्डलों के पंचायती राज समितियों को प्रस्तुत करने के लिए विशेषकर पंचायती राज संस्थाओं अथवा पंचायती राज संस्थाओं के लेखों के लिए लोक लेखा समितियों का गठन करने के लिए राज्य विधान मण्डल में व्यवस्था की जा सकती है। लेखा–परीक्षा पैरा की व्यवस्था के लिए राज्य स्तरीय समितियों, जैसा कि आंध्र प्रदेश में है, पर भी विचार किया जा सकता है।

(vii) निर्वाचित स्थानीय प्राधिकरणों के लिए उपयुक्त वित्तीय जवाबदेही अधिनियम बनाकर ऐसी सांस्थानिक व्यवस्थाओं को संपूरित करना उपयोगी होगा।

(viii) ऐसे उपायों के माध्यम से अर्थात् जैसा कि ग्राम पंचायतों को मानक संविदा के लिए अभिप्रमाणित चार्टर्ड एकाउंटेंट नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, लेखा–प्रक्रिया की आउटसोर्सिंग पर विचार किया जा सकता है।

(ix) कर्मचारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों दोनों को बेहतर लेखा–प्रक्रिया तथा लेखा–परीक्षा विधियों के बारे में प्रशिक्षण देने को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इस संदर्भ में, राज्य सरकारों को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संरक्षण में कार्यरत क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों विशेषकर कोलकाता स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आर.टी.आई.), जिसे भारतीय सार्वजनिक लेखा–परीक्षक संस्थान (आई.पी.ए.आई.) के रूप में भी सर्वश्रेष्ठ केन्द्र घोषित किया गया है, का पूरा उपयोग करने को कहा गया है। प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्र सरकार से पर्याप्त अतिरिक्त वित्तपोषण को उच्च प्राथमिकता दी गई हैं।

(x) ऐसी राज्य सरकारें, जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों के तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण (टी जी एस) योजना सहित लेखा–प्रक्रिया और लेखा–परीक्षा कार्यों के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लगाने की व्यवस्था अभी तक नहीं की है, उन्हें ऐसा करने को कहा जाता है और निम्न संबंध में इंडियन एण्ड ऑडिट एकॉउन्ट्स डिपार्टमेन्ट के प्रकाशन की ओर सभी संबंधितों का ध्यान आकर्षित किया जाता है:–

(क) पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लिए लेखा–परीक्षा प्रक्रिया मानक

(ख) पंचायती राज संस्थाओं की लेखा–परीक्षा और लेखा के अभिप्रमाणन के लिए दिशा–निर्देश

(ग) ग्राम पंचायतों की लेखा–परीक्षा का प्रशिक्षण माडयूल

(xi) देश भर में लाखों ग्राम पंचायतों, हजारों मध्यवर्ती पंचायतों और सैकड़ों जिला परिषदों में औपचारिक लेखा परीक्षा कार्य करने के लिए स्टॉफ की कमी को देखते हुए यह जरूरी है कि लेखों का ऑटोमेशन और कम्प्यूटरीकरण यथासंभव तीव्र गति से कराया जाए तथा इस उद्देश्य के लिए रोजमर्रा के लेखों के कार्य के लिए, जैसा कि उड़ीसा राज्य सरकार के लिए जेवियर इन्स्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भुवनेश्वर द्वारा तैयार किया जा रहा है और जिसके 2004 के आरंभ में तैयार हो जाने की आशा है जैसे सॉफ्टवेयर को यथासंभव प्रत्येक जगह भेजा जाए।

(xii) सामाजिक लेखा परीक्षा, औपचारिक लेखा–परीक्षा का पूरक है और पंचायती राज के सुदृढ़ और स्वस्थ विकास के लिए यह जरूरी है कि सामाजिक और औपचारिक लेखा–परीक्षाओं के बीच एक सहजीवी रिश्ता स्थापित किया जाए।

(xiii) सामाजिक लेखा परीक्षा को ग्राम सभा के स्तर पर लिया जाना चाहिए पर उसे पंचायती राज प्रणाली के उच्च स्तरों पर भी लिया जा सकता है, जैसा कि पश्चिम बंगाल में किया जाता है।

(xiv) सामाजिक लेखा-परीक्षा प्रभावी हो और विभिन्न राज्यों में उपलब्ध श्रेष्ठ प्रणालियों पर आधारित हो, इसके लिए, राज्य विधान सभाओं/सरकारों द्वारा अपनाए जाने हेतु सामाजिक लेखा-परीक्षा नीतियों को बनाने पर विचार किया जा सकता है ताकि एक ढाँचा तैयार किया जा सके जिसके भीतर सामाजिक लेखा-परीक्षा कार्य किया जा सके। इस तरह की सामाजिक लेखा-परीक्षा नीतियाँ, पंचायतों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने में सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ गुणवत्ता मूल्यांकन, वरीयताओं की सुनिश्चितता और चयन के प्रावधान द्वारा औपचारिक लेखा-परीक्षा प्रक्रिया के पूरक रूप में भी कार्य कर सकती हैं साथ ही, सामाजिक लेखा-परीक्षा नीतियों में अकारण परेशानियों को रोकने के लिए संस्थागत उपायों का प्रावधान किया जाए।

(xv) सामाजिक लेखा-परीक्षा के माध्यम से उठाए गए मुद्दों पर समुचित अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, वैधानिक निकाय और विनियमन प्राधिकारी, सामाजिक लेखा-परीक्षा पैराओं को औपचारिक लेखा-परीक्षा के समतुल्य मानें ताकि एक समयबद्ध तरीके से उन पर विचार और उनका निपटान किया जा सके।

(xvi) प्रभावी सामाजिक लेखा-परीक्षा के लिए जानकारी को समग्र रूप से बताने की अत्यंत महत्ता को देखते हुए, राज्य, सूचना के अधिकार से संबंधित एक विधान पारित करने पर विचार कर सकते हैं और इसमें राजस्थान जैसे राज्यों में पहले से ही मौजूद लिखित विधान को भी देखा जा सकता है।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में भारत और चीन की तेल कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा

4369. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

श्री तथागत सत्पथी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की तेल कंपनियां, विदेशों में चीन की तेल कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय तथा चीन की कंपनियों की प्रतिस्पर्धा के कारण विदेशों में तेल तथा गैस संपत्तियों के अधिग्रहण मूल्यों में कई गुना वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) तेल और गैस परिसंपत्तियों का अर्जन एक प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में, यह संभव है कि भारत की राष्ट्रीय तेल कंपनियों और चीन की कंपनियां एक ही परिसंपत्ति के लिए बोली दे सकती हैं। परिसंपत्तियों के खरीददार प्रस्ताव के समय बाजार से सबसे बढ़िया मूल्य सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं।

(ख) समान अवसर में चीन की तेल और गैस कंपनियों की भागीदारिता बढ़ती प्रतिस्पर्धा में परिमाणित होती है, इसके परिणामस्वरूप अवसर के मूल्यांकन पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में चीन – भारत सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए विदेश मंत्रालय और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय का एक संयुक्त कार्य दल स्थापित किया गया है।

बी पी सी एल के वाहन सुरक्षा केन्द्र

4370. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल) ने अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों पर 'वाहन सुरक्षा केन्द्रों' की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के वाहन सुरक्षा केन्द्र खोलने का क्या औचित्य है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस प्रकार के कितने केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है?;

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, हां। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन (बी पी सी एल) ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ वी केयर ब्रांड नाम से अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों पर वाहन देख रेख केन्द्रों की शुरूआत की है:-

(i) बी पी सी एल के खुदरा बिक्री केन्द्रों के स्थानीय लाभ तथा बढ़े हुए प्रचालनीय घंटों (खुदरा बिक्री केन्द्र समय) के कारण ग्राहक को अधिक सुविधा उपलब्ध कराना।

(ii) यथोचित मूल्यों पर वर्द्धित ग्राहक सेवा तथा असली उत्पादों का आश्वासन, इससे उच्च ग्राहक तुष्टि तथा ग्राहक निष्ठा सुनिश्चित करना।

(ग) बी पी सी एल का चालू वित्त वर्ष के दौरान 200 केयर सेन्टर खोलने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

नोमाडिक समुदायों को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना

4371. श्री रामदास आठवले : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तीसरी सूची बनाकर नोमाडिक समुदाय को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए उपलब्ध आरक्षण के अतिरिक्त 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बाढ़ के कारण रेलवे पुलों को क्षति

4372. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में बाढ़ और वर्षा के कारण जोन-वार कितने रेलवे पुल बह गए अथवा क्षतिग्रस्त हो गए;

(ख) इसके परिणामस्वरूप रेलवे को कुल कितना घाटा हुआ; और

(ग) क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत करने में कितनी राशि खर्च हुई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बाढ़/वर्षा के कारण बह गए/क्षतिग्रस्त हुए रेलवे पुलों की जोन-वार संख्या इस प्रकार है:

रेलवे	पिछले तीन वर्षों के दौरान बाढ़/वर्षा के कारण बह गए/क्षतिग्रस्त हुए रेलवे पुलों की जोन-वार संख्या
मध्य	शून्य
पूर्व	2
पूर्व-मध्य	5
पूर्व तटीय	शून्य
उत्तर	12
उत्तर मध्य	शून्य
पूर्वोत्तर	शून्य
पूर्वोत्तर सीमा	11
उत्तर पश्चिम	शून्य
दक्षिण	शून्य
दक्षिण मध्य	01
दक्षिण पूर्व	शून्य
द.पू.म.	02
दक्षिण पश्चिम	शून्य
पश्चिम	02
पश्चिम मध्य	शून्य
कुल	35

चालू वर्ष अर्थात् 2005-06 के दौरान आज की तारीख तक वर्षा/बाढ़ के कारण न तो कोई रेलवे पुल बहा है और न किसी पुल को क्षति पहुंची है।

क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण/मरम्मत पर किए गए व्यय सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षतिग्रस्त/बह गए पुलों के कारण भारतीय रेल को लगभग 23 करोड़ रु. का नुकसान हुआ।

[हिन्दी]

रक्षा सामग्री की खरीद

4373. श्री ब्रजेश पाठक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कारगिल युद्ध के दौरान रक्षा सामग्री की खरीद के संबंध में नियंत्रक एव महालेखापरीक्षक द्वारा की गई आपत्तियों से संबंधित स्पष्टीकरण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई की है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) रक्षा मंत्रालय ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से कारगिल संक्रिया से संबंधित ऑपरेशन विजय के लिए की गई अधिप्राप्तियों की विशेष लेखापरीक्षा करने का अनुरोध किया था। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने विशेष लेखापरीक्षा की और इसकी रिपोर्ट (2001 की 7–ए) 11.12.2001 को संसद के दोनों सदन–पटलों पर रखी गई थी।

उच्चतम न्यायालय में 2004 की रिट याचिका (सी) सं. 270–के.जी. धनंजय चौहान बनाम भारत संघ तथा अन्य दायर की गई थी तथा 25 अक्तूबर, 2004 को उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ को निर्देश देते हुए आदेश दिए कि "नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट, लोक लेखा समिति की 54वीं रिपोर्ट तथा लोक लेखा समिति की 54वीं रिपोर्ट के पैरा 5.11 में उल्लिखित केन्द्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, के ब्यौरे दर्शाने वाले प्रत्युत्तर के रूप में एक शपथ–पत्र दाखिल करें।"

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 123 मामलों की समीक्षा की तथा रिपोर्ट सं. 2001 की 7–ए में लेखापरीक्षा के वे पैरे दिए गए हैं जो अधिप्राप्ति के 35 मामलों में देखी गई त्रुटियों से संबंधित हैं।

इन 35 लेखापरीक्षा पैराओं में से 11 पैराओं की रक्षा सेवाएं लेखापरीक्षा महानिदेशालय के कार्यालय द्वारा विधीक्षा की गई है तथा शेष पैराओं की जांच की जा रही है।

सरकार ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में उल्लिखित 35 मामलों में से 25 मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजने का निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

बोकाजन सीमेंट फैक्टरी का आधुनिकीकरण

4374. श्री सर्वानन्द सोनोवाल : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का असम में बोकाजन सीमेंट फैक्टरी का सीसीआई से द्विभाजित करने और उसे एक अलग स्वतंत्र इकाई बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की बोकाजन सीमेंट फैक्टरी की उत्पादकता में वृद्धि करने के मद्देनजर इसका विस्तार और आधुनिकीकरण करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ङ) सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा 8 अगस्त, 1996 को ही रूग्ण घोषित कर दिया गया। बीआईएफआर ने अपने दिनांक 11.11.2004 के पत्र के तहत् ऑपरेटिंग एजेंसी, आईएफसीआई को सीसीआई के संबंध में समग्र रूप से एक मसौदा पुनरूद्धार स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करने का निदेश दिया है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) ब्रोडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रोडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.–1921/05)

(3) (एक) नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, इलाहाबाद के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, इलाहाबाद के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.–1922/05)

(5) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिष्ट स्टडीज, लेह–लद्दाख के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिष्ट स्टडीज, लेह–लद्दाख के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिष्ट स्टडीज, लेह–लद्दाख के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.–1923/05)

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) :- महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हेतु विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.–1924/05)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.–1925/05)

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि विजुअली हैन्डीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि विजुअली हैन्डीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.–1926/05)

अपराह्न 12.02 बजे

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

पांचवा और छठा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : महोदय, मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:–

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन

विभाग) की अनुदानों की मांगों (2005–2006) के बारे में पांचवा प्रतिवेदन; और

2. रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2005–2006) के बारे में छठा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02½ बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

पांचवां और छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री गुरुदास कामत (मुंबई उत्तर पूर्व) : महोदय, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2004–05) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:–

(1) विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005–2006) के बारे में पांचवां प्रतिवेदन; और

(2) अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005–2006) के बारे में छठा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

चौथा और पांचवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, मैं विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:–

(1) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2004–2005 की अनुदानों की मांगों के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की–गई–कार्यवाही संबंधी चौथा प्रतिवेदन; और

(2) विदेश मंत्रालय की वर्ष 2004–2005 की अनुदानों की मांगों के बारे में पहले प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की–गई–कार्यवाही संबंधी पांचवा प्रतिवेदन

अपराह्न 12.03½ बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

पन्द्रहवें से अठारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम. एम. पल्लम राजू (काकीनाड़ा) : महोदय, मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:–

(1) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2005–2006) के बारे में 15वां प्रतिवेदन।

(2) डाक विभाग की अनुदानों की मांगों (2005–2006) के बारे में 16वां प्रतिवेदन।

(3) दूरसंचार विभाग की अनुदानों की मांगों (2005–2006) के बारे में 17वां प्रतिवेदन।

(4) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005–2006) के बारे में 18वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

सातवां और आठवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं :–

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005–2006) के बारे में सातवां प्रतिवेदन; और

(2) जनजातीय मामले मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005–2006) के बारे में आठवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04¼ बजे

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता–उत्तर–पूर्व) : महोदय, मैं शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की वर्ष 2005–2006 की

अनुदानों की मांगों के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2004-2005) का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04½ बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

एक सौ अट्ठावनवें प्रतिवेदन से एक सौ साठवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा) : महोदय, मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में समिति का एक सौ अट्ठावनवां प्रतिवेदन;

(2) माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में समिति का एक सौ उनसठवां प्रतिवेदन;

(3) महिला और बाल विकास विभाग की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में समिति का एक सौ साठवां प्रतिवेदन

अपराह्न 12/05 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य*

पश्चिम रेलवे के गोधरा-वडोदरा खंड में साबरमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच टक्कर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वे अपना वक्तव्य दें।

वस्तुतः, मैंने इस दुर्भाग्यपूर्ण रेल दुर्घटना पर सरकार को वक्तव्य देने का निर्देश दिया था। वेलु जी आप वक्तव्य दे सकते हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : महोदय, मैं बहुत ही दुख के साथ इस सदन को 21.04.05 को प्रातः 3.10 बजे पश्चिम रेलवे के वडोदरा खंड में समलाया स्टेशन पर 9168 अप वाराणसी-अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस और अप गुड्स ट्रेन के बीच पीछे से हुई टक्कर के बारे में सूचित कर रहा हूं। इस दुर्घटना में 9168 अप साबरमती एक्सप्रेस का रेल इंजन और 8 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए जिनमें से 7 सवारी डिब्बे उलट गए। इस दुर्घटना में 9168 अप साबरमती एक्सप्रेस गाड़ी का इंजिन और 8 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें से 7 डिब्बे उलट गए थे।

इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के परिणामस्वरूप अभी तक सूचित हताहतों के अनुसार 12 लोग मारे गए हैं 100 घायल हुए हैं। घायलों को वडोदरा के सायाजी राव अस्पताल और आस-पास के अस्पतालों मे भर्ती करा दिया गया है। फंसे हुए यात्रियों को एक विशेष रेलगाड़ी चलाकर दुर्घटना स्थल से निकाला जा रहा है।

घायल यात्रियों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए डॉक्टरों की टीम के साथ वडोदरा-रत्लाम और अहमदाबाद से दुर्घटना राहत चिकित्सायान दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। सूचना मिलते ही रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद, रेल राज्य मंत्री श्री नारायण भाई जे. राठवा, अध्यक्ष और सदस्य यांत्रिक रेलवे बोर्ड के साथ दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए हैं। महाप्रबंधक, पश्चिम रेलवे और पश्चिम रेलवे मुख्यालय एवं वडोदरा के अन्य वरिष्ठ अधिकारी राहत और बचाव कार्यों की देख-रेख के लिए तत्काल दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए हैं। रेल संरक्षा आयुक्त पश्चिम सर्कल भी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए हैं और इस दुर्घटना की जांच करेंगे।

मैं रेलवे और अपनी ओर से शोकसंतृप्त परिवारों के प्रति गहरा शोक और घायलों के प्रति भी अपनी गहन सहानुभूति व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि सदन भी शोक संतप्त परिवारों के प्रति दुःख की घड़ी में मेरे साथ है। शोक संतप्त परिवारों और घायलों को वित्तीय सहायता सहित हर प्रकार की संभव सहायता प्रदान की जाएगी। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, रेलवे एक्सीडेंट रोकने के लिए जो एंटी-कोलिजन कम्प्रेसर था, उसका क्या हुआ? लालू जी ने कहा था कि रेल टकराव रोकने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट है। वह लग जायेगा और आगे से ऐसा नहीं होगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने अभी-अभी इस बारे में बताया है। वक्तव्य देना उनका दायित्व था। मैंने उन्हें वक्तव्य देने का निदेश दिया है।

...*(व्यवधान)*

---

* ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1927/05

अध्यक्ष महोदय : श्री गुलाम नबी आजाद।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। मैं आपको चर्चा के लिए अनुमति दूंगा। उन्होंने मुआवजे के बारे में कहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री गुलाम नबी आजाद। मद संख्या 12

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, लालू जी के पास टाइम ही नहीं है। ...*(व्यवधान)* उनके पास समय ही नहीं है कि वे उस चीज को कर सकें जो करनी चाहिए।...*(व्यवधान)* सरकार इस रेल एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ये वहां गए थे। आप वहां जाने के लिए उनकी आलोचना नहीं कर सकते हैं। मद संख्या 12

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, लालू जी को यहां पर स्पष्टीकरण देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने रेल डिमांड्स पर बोला था कि हम इसे करेंगे लेकिन वे कुछ नहीं कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? आप लोग क्या कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता–उत्तर पूर्व) : क्या इनको हर मामले में सर्टीफिकेट चाहिए?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या हो रहा है? वे हमें बता रहे हैं कि केन्द्रीय मंत्री और अधिकारियों ने क्या किया है।

...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा) : गुजरात सरकार ने अच्छा काम किया है। मुख्यमंत्री स्वयं वहां पहुंचे हैं। इस बात का यहा कोई उल्लेख नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। जब एक बार मैं बोल रहा हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए। आपको बैठ जाना चाहिए। मैं आपको बैठने का आदेश दे रहा हूं। आप मेरी टिप्पणी सुनिए।

...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : लेकिन कभी–कभी आपको हमारी बात सुननी चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब सुनना होगा तो मैं सुन लूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात की सराहना करता हूं कि गुजरात के माननीय मंत्री वहां पहुंचे। मैं सराहना करता हूं कि उन्होंने उचित कार्य किया। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वे इसमें क्यों बोलेंगे? आप क्या बात कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या वह राज्य सरकार के बारे में बात कर सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं अथवा सभा के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। माननीय मंत्री ने वक्तव्य दिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री इलियास आज़मी। मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने सोचा था कि आप समय का उपयोग कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.09 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, 25 अप्रैल, 2005 से आरंभ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जाएगाः

1. आज के आदेश पत्र से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री गुलाम नबी आजाद : मद संख्या 2। निम्नलिखित मंत्रालयों के अधीन वर्ष 2005-06 के लिए अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान

(क) ग्रामीण विकास;

(ख) मानव संसाधन विकास;

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी;

(घ) गृह; और

(ङ) श्रम

...*(व्यवधान)*

3. बुधवार, 27 अप्रैल, 2005 को सायं 6.00 बजे वर्ष 2005-06 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में बकाया अनुदानों की मांगों को सदन के मत के लिए प्रस्तुत करना।

4. वित्त विधेयक, 2005 पर विचार और पारित करना।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा निवेदनों पर विचार करेगी। श्री इलियास आज़मी...

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, मैंने सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : किसके लिए सूचना?

श्री पवन कुमार बंसल : मैंने 'शून्य काल' की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस 'शून्यकाल' तक नहीं पहुंचा हूं। मेरे विचार से यह सार्वाधिक महत्वपूर्ण घंटा है। मैं इस पर आऊंगा। लेकिन मैं इस प्रक्रिया का अनुपालन कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी मौका दिया जाए। आपने कहा था...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर आऊंगा। यह सब सुस्पष्ट है। आप भी अध्यक्षपीठ का कार्यभार संभालते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप समय का सदुपयोग करते तो आप कई अन्य बातों पर चर्चा कर सकते हैं। श्री आजमी, केवल विषय का उल्लेख करें।

[हिन्दी]

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के अगले सप्ताह के एजेन्डा में निम्नलिखित मानव हित एवं जनहित कार्यों को शामिल करने की कृपा करें।

1. उ.प्र. के लखीमपुर जिले में श्रम विकास योजना शुरू करवाने का कार्य। यह जिला अत्यंत पिछड़ा हुआ है एवं जनसंख्या भी अन्य जिलों से ज्यादा है।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र शाहबाद के गोला गोकरण नाथ से मोहम्मदी होकर शाहजहापुर तक की नई रेलवे लाइन के सर्वेक्षण होने के बाद इसका बजट में प्रावधान होने का कार्य।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें:-

1. विभिन्न निजी टी.वी. चैनलों पर प्रसारित होने वाले अश्लील कार्यक्रमों पर प्रभावी नियंत्रण तथा अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय प्रसारण नियामक आयोग गठन किये जाने की आवश्यकता।

2. देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित एवं सुदृढ़ करने के लिए तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को ध्यान में रखकर नक्सलवादियों, उग्रवादियों तथा कट्टरपंथियों से किसी प्रकार की वार्ता या समझौता करने से पूर्व

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उनसे अनिवार्य रूप से हथियार छोड़कर हिंसा का रास्ता त्यागने तथा भारतीय संविधान के प्रति आस्था रखने की शर्त की अनुपालना कराये जाने की आवश्यकता।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किये जाएं:-

1. देश के अनेक राज्यों, विशेषकर उत्तरांचल में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति ठप्प है और निर्मित की गई सड़कें अत्यन्त ही घटिया होने से वह सड़कें टूट कर नष्ट हो जाने से नवीन सड़कों के शीघ्र निर्माण कार्य को करवाये जाने के साथ-साथ टूटी सड़कों के पुनर्निर्माण व दोषी अधिकारियों के विपरीत कठोर कार्यवाही की आवश्यकता।

2. दिनांक 28.01.2004 को प्रधान मंत्री जी द्वारा देहरादून में की गई घोषणा के अनुसार उत्तरांचल के धारचूला व मुनस्यारी ब्लाकों को जनजातीय क्षेत्र बनाये जाने की आवश्यकता।

श्री काशीराम राणा (सूरत) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल करने की कृपा करें:-

1. गुजरात के सूरत जिले में 30 लाख की आबादी के लिए आवश्यकता के अनुसार डाक घर नहीं है। सूरत में आबादी के हिसाब से डाक घरों की स्थापना एवं डाक सुविधाओं को दुरुस्त कराये जाने के कार्य संबंधी प्रस्ताव निदेशालय में काफी समय से लम्बित पड़े हैं, उनकी स्वीकृति का कार्य।

2. गुजरात में पेयजल योजनाओं के लिए मात्र 70 लाख रुपये दिये गये हैं। आज गुजरात में पेयजल की कमी है और सौराष्ट्र में पेयजल का संकट भीषण रूप से गहराया हुआ है। पेयजल का स्तर 1000 से 1200 मीटर नीचे चला गया है। केन्द्र सरकार को इस भीषण समस्या के समाधान में वित्तीय मदद करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी. मोहन (मदुरै) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए।

(एक) भूमि सुधार और भूमि हदबंदी के संबंध में सभा में एक चर्चा कराई जाए ताकि यह पता चल सके कि हमारे देश में कितने राज्यों ने भूमि सुधारों को क्रियान्वित किया है और समग्र विकास का पता लगाया जा सके।

(दो) इस बजट सत्र के दौरान एक केन्द्रीय विधेयक के माध्यम से बेरोजगारों के लिए एक पृथक कल्याणकारी बोर्ड का गठन किया जाए।

[हिन्दी]

श्री वी. के. दुम्मर (अमरेली) : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के अगले सप्ताह के एजेन्डा में निम्नलिखित मानव हित एवं जनहित कार्यों को शामिल करने की कृपा करें।

1. मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में खतरनाक रूप से प्रदूषण फैला रही दो सीमेन्ट फैक्टरियों को अन्य स्थानों में स्थानांतरित किये जाने का कार्य।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली को देश के राष्ट्रीय राजमार्गों से अभी तक जोड़ा नहीं गया है। इस जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का कार्य।

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित दो विषय सम्मिलित किए जाएं:

1. ग्रामीण बुनियादी संरचनाओं की स्थापनाओं के लिए यथा पेयजल, जल-संग्रहण, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली इत्यादि के लिए राज्यों को पूर्ण अनुदान स्वीकृत करें।

2. एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन से मध्य प्रदेश में उज्जैन को एल. पी. जी. का प्रदाय पाइपलाइन से किया जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : विश्वकर्मा के अंतर्गत पारम्परिक कौशल कार्यों में लगे लाखों कामगार कठिनाई में हैं क्योंकि आधुनिकीकरण तथा अन्य कारणों से उनकी नौकरियों छूट रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका विषय अलग है। आपको केवल विश्वकर्मा दिवस के बारे में उल्लेख करना है। आपने केवल यही निवेदन किया है।

श्री पी. सी. थामस : एक ही बात है। विश्वकर्मा दिवस-17 सितम्बर को अवकाश घोषित करने हेतु इस पर चर्चा करने और निर्णय लेने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी (रीवा) : महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को विचार के लिए सम्मिलित किया जाए:

1. मध्य प्रदेश के रीवा जिले की सोहागी पहाड़ी पर स्थित टेलीफोन टावर जिसके पिछले काफी समय से टूटने के कारण लोगों को दूर संचार की जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल पा रही है, उसको तुरन्त ठीक कराने हेतु संचार मंत्री आवश्यक निर्देश प्रदान करें।

2. मध्य प्रदेश के रीवा जिले की त्योथर तहसील के गडार (रिवाइन) क्षेत्र की उबड़-खाबड़ जमीन, जिसके कारण आस-पास के लगभग 20 गांव प्रभावित हैं, उसका समतलीकरण करने हेतु कृषि मंत्रालय आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को विचार के लिए सम्मिलित किया जाए:

1. पूरे देश के शिक्षित/बेरोजगार की बढ़ती जनसंख्या के कारण उक्त बेरोजगारों की स्थिति सुधारने एवं समाज में अच्छे जीवन जीने के लिए उन्हें उद्योग धंधों के लिए 5 लाख रुपए ऋण एवं प्रति शिक्षित को 1000 रु. मासिक भत्ता एवं प्रति परिवार में एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाए एवं गारंटी योजना लागू करने की आवश्यकता है।

2. छत्तीसगढ़ राज्य की रेल यातायात सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु तथा उक्त क्षेत्र के लोगों की सुविधा हेतु चिरमीरी से बिलासपुर लोकल ट्रेन को रायपुर दुर्ग तक बढ़ाया जाए जिससे रायपुर राजधानी से यात्रा करने वालों को सुविधा हो।

अपराह्न 12.18 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

प्रश्नकाल के बाद तथाकथित शून्यकाल में अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने हेतु विनियमन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से तथाकथित 'शून्य काल' के विनियमन से संबंधित मामला हमारा ध्यान आकर्षित करता रहा है। कल मैंने इस विषय पर चर्चा करने के लिए लोक सभा में दलों के माननीय नेताओं की बैठक बुलाई थी। इस मामले पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् इस बात पर सहमति हुई कि केवल अविलंबनीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मामले, जिसका विनिश्चय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, को ही उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए। मामलों को क्रमबद्ध ढंग से उठाने के लिए यह सुझाव दिया गया कि जिन सदस्यों को अध्यक्षपीठ द्वारा मामला उठाने की अनुमति दी जानी हो उन्हें मध्याह्न 12 बजे से पहले विधिवत् रूप से सूचित कर दिया जाएगा। मामले की जांच की सुविधा के लिए सूचनाएं 10.00 बजे के स्थान पर 09.30 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए।

आगे इस बात पर भी सहमति हुई कि नियम 377 के अंतर्गत उठाए जाने वाले मामलों की संख्या प्रतिदिन 15 से बढ़ाकर 20 कर दी जाए ताकि और अधिक सदस्यों को अपने मुद्दे उठाने का अवसर मिल सके।

इस निर्णय के अनुसरण में यह प्रस्तावित किया जाता है कि 25 अप्रैल, 2005 से:

(एक) प्रश्न काल के पश्चात् जिस दिन मामले को उठाया जाना प्रस्तावित है उस दिन अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों को उठाए जाने की सूचना वर्तमान 10.00 बजे के स्थान पर 9.30 बजे तक दे दी जाएगी।

(दो) मामले के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संदर्भ में सूचनाओं की जांच की जाएगी और जिन सदस्यों को अपना मामला उठाने की अनुमति दी जानी है, उन्हें तथाकथित 'शून्य काल'' शुरू होने से पहले विधिवत रूप से सूचित कर दिया जाएगा।

(तीन) उपर्युक्त नामों के समाप्त होने के पश्चात, यदि समय रहता है तो अन्य सदस्यों को भी अध्यक्ष द्वारा निश्चित किए जाने वाले क्रम में अपने मुद्दों को उठाने की अनुमति दी जा सकेगी; और

(चार) नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों की संख्या वर्तमान में प्रतिदिन 15 से बढ़ाकर 20 कर दी जाए।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया इसमें सहयोग दें।

अपराह्न 12.20 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) न्यायमूर्ति फूकन आयोग और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखे जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको मौका दूंगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, कल आपने मुझे फूकन आयोग की रिपोर्ट तथा सी. वी. सी. रिपोर्ट के सम्बन्ध में प्रश्न पूछने की अनुमति दी थी। सभा पटल पर फूकन आयोग की रिपोर्ट रखने की अनुमति देने के लिए सभा आपकी आभारी है। मुझे पता नहीं कि यह रिपोर्ट कब रखी जाएगी लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसे इस सत्र के समाप्त होने से पहले रख दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : यह निर्देश मैं पहले ही दे चुका हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जी हाँ।

दूसरे मुद्दे, नामतः सी.वी.सी. रिपोर्ट जो कई रक्षा सौदों के ठेके से संबंधित है के सम्बंध में सदन के नेता जो रक्षा मंत्री भी हैं ने इस तथ्य का हवाला दिया है कि जब लोक लेखा समिति ने सी. वी. सी. की रिपोर्ट मांगी थी तो पूर्ववर्ती सरकार ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके रिपोर्ट देने से मना कर दिया था। यह सही है और यह सरकार का अधिकार है। यह सरकार भी सुरक्षा के किसी मामले में विशेषाधिकार का दावा कर सकती है। लेकिन जैसा कि कल मेरे एक मित्र ने बताया था कि जहाँ तक रक्षा ठेकों से संबंधित सी.वी.सी. की रिपोर्ट का संबंध है इस सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए हलफनामे का एक भाग बनाया है। यह करने के बाद तथा इसकी अनुमति देने के बाद कि सी. वी. सी. की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाएगा सरकार सी. वी. सी रिपोर्ट को संसद में रखने से इंकार नहीं कर सकती। इस लिए इसमें एक मूलभूत अंतर है।

इसलिए, मैं आपसे इस बात के लिए अनुरोध करता हूं कि आप देखे कि चर्चा शुरू होने से पूर्व सभा पटल पर सी.वी.सी. की रिपोर्ट रखी जाए। यह एक तकनीकी मामला है। यह जनता के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए हलफनामे को देखते हुए हम पहले ही इस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन रक्षा मंत्री का कल यह कहना कि चूंकि पूर्ववर्ती सरकार ने इस संबंध में विशेषाधिकार का हवाला देकर लोक लेखा समिति को रिपोर्ट देने से मना कर दिया था इसलिए हम भी इसे सभा पटल पर नहीं रखेंगे। यह सही बात नहीं हैं। यही मेरा तर्क हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर कुछ कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी। यदि आप यह कहना चाहते है तो यह केवल आपके लिए होगा।

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री प्रणब मुखर्जी : मुझे दो बातें स्पष्ट करनी हैं।

पहली बात कि मैंने यह नहीं कहा कि मैं इसे सभा पटल पर नहीं रखूंगा। यह वास्तव में सही नहीं है। मैंने सिर्फ यह कहा था कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता यह सपष्ट करें कि लोक लेखा समिति ने जब मांग की थी तो उन्होंने विशेषाधिकार का प्रयोग क्यों किया था।

अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि लोक लेखा समिति के कार्यकरण को इतना महत्वपूर्ण दिया जाता है कि विशेषाधिकार के हनन के लिए इस सभा द्वारा देश के एक पूर्वप्रधानमंत्री को जेल तक भेजा गया था तथा यह विशेषाधिकार हनन का मामला लोक लेखा समिति के कार्यकरण में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कुछ जानकारी एकत्रित करने में बाधा उत्पन्न करने से संबंधित मामला था। इसलिए मैं आदर पूर्वक प्रतिपक्ष के नेता को यह कहना चाहता था कि प्रतिपक्ष द्वारा इस संबंध में स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है जो उस समय सत्ता पक्ष था।

दूसरी बात जिसे मैं ठीक करना चाहूँगा वह है कि हलफनामे में जो कुछ भी है वह सार्वजनिक है। माननीय सदस्य इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन इसका ध्यान रखना होगा कि इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वतः नहीं रखा गया था देश के सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन तथा सतर्कता आयोग के प्रतिवदेन के सम्बंध में आपने क्या कार्रवाई की है। जब जनहित याचिका मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने रक्षा मंत्रालय को यह निर्देश दिया था तभी हमने तथ्यगत बातें तथा सी.वी.सी. की रिपोर्ट के सम्बंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट रखी थी। इसके सिवाए और कुछ नहीं दिया गया है। यह हलफनामे में दिया गया हैं और यह माननीय सदस्यों को उपलब्ध है...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, कल जो कुछ कहा गया वह सब एकदम ....*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : नहीं, महोदय, उन्होंने कल सी. वी.सी. की रिपोर्ट का उल्लेख किया था।

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के मामलों पर...*(व्यवधान)* यह मामला प्रक्रिया से सम्बंधित है ...*(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : इन्होंने सी.वी.सी. की रिपोर्ट को लेकर 15 दिन तक हाउस नहीं चलने दिया था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने विपक्ष के माननीय नेता को बोलने की अनुमति दी है। उन्होंने अपनी पूरी बात कही थी और मैं उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे का सम्मान करता हूं। सरकार ने इस पर कार्रवाई की है। अब हम और क्या कर सकते हैं? हमने कहा है कि इस विषय पर पूरी चर्चा हो सकती है।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, सी.वी.सी. रिपोर्ट को लोक लेखा समिति को क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया?....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं, मैंने श्री बंसल का नाम पुकारा है।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं अपनी बात रखने से पूर्व माननीय नेता, प्रतिपक्ष को केवल यह याद दिलाना चाहता हूं... *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, अंक जुटाने से कोई लाभ नहीं है। मेरा एक मुद्दा था और मैंने तर्क दिया था आखिरकार सरकार को विशेषाधिकार सदैव प्राप्त है। अब वे आज मुझसे पूछ रहे हैं कि सरकार ने उस समय ऐसा क्यों नहीं किया। वे एक अलग किस्म के मंत्री थे। उन्होंने विशेषाधिकार का उपयोग किया। उन्होंने दूसरे सदन में पहले ही इसकी चर्चा की है। मैं इसे नहीं उठाना चाहता। लेकिन साथ ही साथ मैंने सिर्फ यह कहा था कि आप सभा को कोई भी ऐसी जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकते? जो सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को दी गयी है। बस यही कहना था। यह बहुत ही साधारण बात है। अब हम इस पर अपनी-अपनी जीत का दावा न करें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : दोनों पक्ष अपनी-अपनी जीत दर्ज करना चाहते हैं। मैं केवल अम्पायर हूं। मैं सिर्फ अवसर दे सकता हूं और देखूंगा कि क्या संभव है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं।

अपराह्न 12.25 बजे

(दो) भारतीय सेना के लिए शस्त्रों की खरीद में दक्षिण अफ्रीकी कम्पनी द्वारा कथित भुगतान के बारे में

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : अध्यक्ष जी, एक वाक्य पढ़कर मैं सुनना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, 2002 की सरकार ने उस समय रक्षा मंत्री के प्राधिकार से इस अनुमति के साथ एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था "कि मंत्रालय रक्षा सौदों के सम्बंध में सी.वी.सी. रिपोर्ट की प्रति देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि यह राज्य के हित के लिए हानिकर होगा।" उन्होंने उस समय ऐसा ही महसूस किया था।... *(व्यवधान)* महोदय, उनके दावे पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं पारदर्शिता चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, उन्होंने उस समय क्या कहा था?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको सुना है। उन्हें अपना विचार रखने दीजिए। आप उनके बयान से बंधे हुए नहीं हैं। उन्हें अपना बयान देने का अधिकार है।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, उस समय, मैंने मांग की थी कि इसे सभापटल पर रखा जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री बंसल के वक्तव्य को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, सदन के नेता ने जो कहा उसे आगे जारी रखते हुए...*(व्यवधान)* महोदय, मैं कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ केवल अपने विचार रख रहा हूं। उस समय की सरकार ने इस सभा को गुमराह किया था यदि उन्हें पता था कि राज्य की सुरक्षा को कोई हानि नहीं है तो उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? माननीय रक्षा मंत्री ने जो कुछ कहा था यह

केवल उन्हीं बातों की पुष्टि करता है। इस प्रकार उन्होंने इस सदन को किस छिछोरेपन से ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सर, उन्होंने ने कहा कि इसको रखिये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : कृपया मुझे समाप्त करने दीजिए।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मो. सलीम, आप कृपया बैठिये। श्री बंसल ने आपको अपनी मदद के लिए नहीं बुलाया है।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, जब 2002 में ऐसी स्थिति थी तभी हमें एक बहुत ही चिंताजनक समाचार मिला कि लगभग उसी समय रक्षा सौदों की खरीद के सम्बंध में मूल्य निर्धारण समिति की कार्यवाही को संभवतः किसी बाहरी एजेंसी को उपलब्ध करा दिया गया...मैं इस पर विश्वास नहीं करना चाहता और मैं आशा करता हूँ कि यह झूठा है।...*(व्यवधान)* विचारार्थ...*(व्यवधान)* महोदय, पैसे के भुगतान का आरोप है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूँगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सीवीसी की रिपोर्ट में जार्ज साहब का नाम नहीं है। ...*(व्यवधान)* कांग्रेस के मिनिस्टर्स क्योंकि शामिल हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : करोड़ों रुपये के भुगतान का आरोप है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : निश्चित रूप से, हम किसी भी सदस्य के विरूद्ध बिना सूचना के आरोप लगाने की अनुमति नहीं देंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह आरोप पूरी तरह से असत्य है।...*(व्यवधान)* डैनिल कंपनी के लोग इनके लोगों से मिलें...*(व्यवधान)* इनको अलाऊ नहीं करना चाहिए...*(व्यवधान)* अगर किसी के खिलाफ चार्ज लगाया जाता है तो इन्हें पहले नोटिस देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अभी तक कोई नाम नहीं लिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भरोसा दिलाता हू कि यदि कोई नाम लिया गया तो मैं उस नाम को हटा दूंगा।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : सवाल का विषय क्या है। चाहें फूकन कमीशन हो या कोई और हो...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय दक्षिण अफ्रीका की एक कंपनी जिससे हमें खरीदना है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बंसल, एक मिनट। मैंने श्री आडवाणी जो कि माननीय नेता विपक्ष हैं उनकी अनुरोध सुना और उन्हें बोलने की अनुमति दी है। बात सिर्फ यह है कि वह प्रश्न काल को निलम्बित रखने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते थे जिसकी मैंने अनुमति नहीं दी। मैंने कहा कि मैं उन्हें प्रश्न काल समाप्त होने पर बोलने पर अनुमति दूंगा। इसीलिए, आप संक्षेप में बात कहें और आरोपपूर्ण टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय कोई आरोप नहीं है। यदि कुछ भी असंदीय है तो उसे हटाया जा सकता है...*(व्यवधान)* महोदय, मुझे निराश होकर कहना पड़ता है कि डेनेल कंपनी जिससे हमें हजारों करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण खरीदने हैं...*(व्यवधान)* हमारे दस्तावेज प्राप्त करने के लिए एक बार फिर विदेश में एक कंपनी को कुछ धन दिया गया है। मेरा सरकार से आग्रह है कि तत्काल इस मामले पर विचार किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि यदि कोई दोषी पाया जाता है तो ...*(व्यवधान)* मुझे आशा है कि यह गलत साबित हो जायेगा। परन्तु यह ऐसा मामला है जिससे पूरा देश चिंतित है।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब श्री, देवेन्द्र प्रसाद यादव। किसी नाम

का प्रयोग नहीं किया जाए। मैं किसी का नाम लेने की अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : इसलिए, मेरी मांग है कि सरकार इस मामले पर ध्यान दे। इस मामले को सीबीआई को भेजा जाना चाहिए और जांच कराई जानी चाहिए। यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं और इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसे देखूंगा। केवल श्री बंसल बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : मुझे खेद है कि श्री मल्होत्रा के विचार तेजी से बदल रहे हैं। यह पक्ष बदलने के साथ बदल रहे हैं। ...*(व्यवधान)* घोटाले के बाद घोटाले खुल रहे हैं। इसलिए, मेरी विनम्र मांग है कि सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मुझे निर्णय लेना होगा कि किसे बुलाया जाए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह रक्षा सौदों से जुड़ा मामला है और राष्ट्र के व्यापक हित से जुड़ा मामला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप एसोसिएट कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल भी आपसे कहा था लेकिन आपने माना नहीं।

...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम : आपको क्या एतराज है?...*(व्यवधान)* यह राष्ट्रीय हित का मामला है। आपको घबराहट क्यों हो रही है?... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरी ईमानदारी से प्रार्थना है कि यदि आप चाहते हैं कि सदन अच्छी तरह चले तो अपना मामला संक्षेप में उठायें। आपके पास उठाने वाले बहुत से मुद्दे हो सकते हैं। कल, माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते थे। मैंने उन्हें इजाजत दी है। परन्तु संक्षिप्त बात कहें और मुझे सूचना दिए बिना कोई आरोप नहीं लगाये जाने चाहिए। मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा। इसलिए, अनावश्यक रूप से आरोप मत लगाइये। मैं उन सबको हटा दूंगा। इसलिए, संक्षेप में अपनी बात कहें। हम मुख्य मुद्दे पर चलते हैं। बहुत सी सूचनाएं हैं। आज भी मुझे 39 माननीय सदस्यों से सूचनाएं मिली हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं एक अनुशासित सदस्य हूं। आपने बहुत बैरियर्स लगा दिए हैं...*(व्यवधान)* राइफल्स की खरीद में दलाली लेने का एक मामला प्रकाश में आया है। यह राष्ट्रीय हित का व्यापक मामला है। यह गंभीर मामले के साथ-साथ संवेदनशील मुद्दा भी है। देश में अप्रत्याशित घटना घटी है। भारत की रक्षा जरूरतों से जुड़ी मामले की तकनीक और अन्दरूनी जानकारी देने पर करीबन 20 करोड़ रुपए की दलाली देने की बात प्रकाश में आई हैं। सीएजी की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि डेनले कम्पनी की राइफल्स में कई कमियां है। 6 राइफल्स दिसम्बर 1999 में पहुंची...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इतनी डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। कोई नाम शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : विजय आपरेशन के बाद 35 राइफल्स मार्च 2000 मे भारत पहुंची। पिछले 6 सालों में इस तरह के रक्षा सौदों में जो दलाली के मामले हैं, मैं उन पूरे प्रकरणों की जांच सीबीआई से कराने की मांग करता हूं। केन्द्र सरकार इस मामले को स्पष्ट करे।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री के. सुब्बारायण। मैं विषयों पर सुन रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इससे सम्बद्ध हो जाइये।

श्री के. सुब्बारायण (कोयम्बटूर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मद्रास उच्च न्यायालय के कारण...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह तरीका यहां नहीं चलेगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुखबीर सिंह बादल (फरीदकोट) : यह चिंता की बात है कि पंजाब के लोग...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप जो चाहें करें कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। देश को देखने दीजिए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह शर्मनाक व्यवहार है। यह पूरी तरह शर्मनाक व्यवहार है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर जाइये। आप सब बैठ जाइये। आपको बैठना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह शर्मनाक व्यवहार है।

अपराह्न 12.36 बजे

इस समय श्री गुरजीत सिंह राणा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

श्री के. सुब्बारायण : माननीय अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु के तिरुपुर क्षेत्र में 600 से अधिक रंगाई कारखाने अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए हैं...*(व्यवधान)* मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि तत्काल हस्तक्षेप करे और आवश्यक मल शोधन संयंत्र की व्यवस्था करे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नाम लिखिए। नामों को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल होने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने कोई नोटिस नहीं दिया है। आप बिना नोटिस के यहां शोर कर रहे हैं। क्या बात है?

[अनुवाद]

आपने कोई सूचना नहीं दी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह शर्मनाक व्यवहार है और आज सम्पूर्ण देश आपको देख रहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनके नाम नोट कर लीजिए जो अध्यक्ष पीठ के आसन के निकट सभा पटल के पास आकर खड़े हो गए है। मैं देखूंगा कि उन सबका क्या किया जा सकता है। उनके नाम भी नोट कर लीजिए जो जानबूझकर सभा की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं। श्री अधीर चौधरी, श्री राम कृपाल यादव, चौधरी लाल सिंह, श्री के. एस. राव और श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल के नाम भी नोट कर लीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आज आदेश जारी करूंगा। उनके नाम नोट कर लीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अधीर चौधरी आपका नाम रिकार्ड किया जाना चाहिए। मैं आपका नाम नोट करूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इससे सहमत हैं। सूचना 10 बजे के बाद आई थी। मुझे इस पर विचार करने दीजिए। मैंने इसे देखा भी नहीं है। क्या आप इससे सहमत हैं? कृपया उनसे आपने स्थान पर जाने के लिए अनुरोध कीजिए। मैं उनसे अपने स्थान पर जाने का अनुरोध कर रहा हूं। वे अचानक यहां आ रहे हैं। मैं विपक्ष के माननीय नेता से भी उनसे अपने स्थान पर जाने का अनुरोध करने के लिए अनुरोध कर रहा हूं।

[हिन्दी]

आपने दस बजे से पहले नोटिस नहीं दिया। आप हमें नोटिस तो दीजिए।

[अनुवाद]

आपको मुझे एक अवसर देना होगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे नियम बताइये। मैं उन सदस्यों का नाम नोट करूंगा जो सभा से जाने के लिए जान बूझकर कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। मैं ऐसा करूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक अवसर दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने 10 बजे से पहले नोटिस भी नहीं दिया। आप मुझे मौका तो दीजिए।

[अनुवाद]

नहीं, मैं अनुमति नहीं दूंगा। पहले अपने स्थान पर जाइये और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करें। आप ऐसा करके महत्वपूर्ण विषय को खराब कर रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : इन्होंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने 10 बजे के बाद दिया होगा, मैंने देखा नहीं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज मुझे बहुत खेद है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिए। अगर आप लोग उनके साथ ऐड करेंगे तो कैसे होगा?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनका नाम क्या है? श्री अनवर हुसैन, मैं आपसे बाहर जाने के लिए कहूंगा।

[हिन्दी]

यहां तमाशा बन गया है।

[अनुवाद]

यह बहुत शर्मनाक है। यह सभी पक्षों पर लागू होता है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : क्या आप उन लोगों पर भी कार्यवाही करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

श्री राम कृपाल यादव मैं आपका नाम लेकर चेतावनी देने जा रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यहां तमाशा नहीं चलेगा।

[अनुवाद]

मैं यह जानता हूं कि मैं कार्यवाही स्थगित करने नहीं जा रहा हूं। मैं किसी बात की अनुमति देने नहीं जा रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो कोई भी मेरी अनुमति के बिना कुछ भी बोलेगा उसे इस सभा में उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।

श्री बंसल द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ निम्नलिखित नाम सम्बद्ध किए जाएंगे।

1. श्री मधुसूदन मिस्त्री
2. श्री राम कृपाल यादव
3. श्री किसनभाई वी. पटेल
4. चौधरी लाल सिंह

5. डा. तुषार अमर सिंह चौधरी

6. श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश

7. श्री दिन्शा पटेल

8. श्री अधीर चौधरी

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार की किसी बात के लिए अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.43 बजे

इस समय, श्री गुरजीत सिंह राणा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। यदि आप चाहते हैं तो मेरे विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएं। आप ऐसा कीजिए। यदि आप मेरे स्थान पर होते तो क्या करते?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आज आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

श्री के. सुब्बारायण : अध्यक्ष महोदय, मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के कारण तमिलनाडु के तिरूपुर क्षेत्र में 600 से अधिक रंगाई कारखाने अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके कारण 5000 से अधिक हौजरी इकाईयां और सैकडों धागा मिलें बंद हो जाएंगी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक को अवसर देने का प्रयास कर रहा हूं और आप सोचते हैं कि आप सभा की कार्यवाही को ठप्प कर सकते हैं।

श्री के. सुब्बारायण : तीन लाख से अधिक श्रमिक अपना रोजगार खो देंगे। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा रखी गयी शर्तों को पूरा करने हेतु भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार, दोनों की वित्तीय सहायता से वहां अपशिष्ट शोधन संयंत्र लगाने हेतु तत्काल हस्तक्षेप करें जिससे कि उद्योगों और श्रमिकों को बचाया जा सके।

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : मुझे सभा को सूचित करना है कि आज...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सब साइड से आ गया है। आप धीरज रखिये।

[अनुवाद]

प्रत्येक पहले नंबर पर नहीं आ सकता। यह मामला असम बंद से संबंधित है जो कि चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त : मैं सभा को यह सूचना देना चाहता हूं कि आज पूरा असम राज्य आम हड़ताल की गिरफ्त में है। मैं इसे बंद करता हूँ। परन्तु चूंकि यहां बंद शब्द से थोड़ी एलर्जी है इसलिए मैं इस शब्द का उपयोग नहीं करता। पूरा असम रूक गया है। इस बंद का आवाहन असम की ऑयल फील्ड प्रोटेक्शन संग्राम समिति ने किया है। इसमें, मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, सभी राजनैतिक दल सम्मिलित हैं। यहां तक कि असम सरकार ने भी बंद के इस आवाहन के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है। इसलिए वहां आज अवकाश की घोषणा की गई है? इसका कारण बहुत साधारण है और मैं चाहूंगा कि सरकार इसका उत्तर दे। यह मुद्दा अमगुरी तेल क्षेत्र को एक विदेशी निगमित बहुराष्ट्रीय कम्पनी को पट्टे पर देने के वर्तमान सरकार के मंत्री के निर्णय से सम्बन्धित है यद्यपि यह कहा गया है कि यह निर्णय पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लिया गया है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उन्होंने किया है और हमें कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मल्होत्रा, आप उनकी बात में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उनके वक्तव्य से बंधे नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : इस सरकार ने यह किया है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इतने संवेदनशील मत बनिए। आप उनके वक्तव्य से बंधे हुए नहीं हैं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : जो भी ब्लेम करना है, सीधे-सीधे इन्हें ब्लेम करें, हमें क्यों कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : दोनों को ही कर रहे हैं, मिडिल पाथ है।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त : यह मुद्दा बहुत ही साधारण है। यह निर्णय पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लिया गया हो सकता है। लेकिन इस सरकार के पास इस निर्णय को उलटने की शक्ति थी। वह नहीं किया गया था। क्यों?...*(व्यवधान)*

ओ.एन.जी.सी. ने प्राथमिक तौर पर उत्खनन किया था।

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में कहें। यहां महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने वाले अभी कई माननीय सदस्य शेष हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त : सारा देश यह जानता है कि ओ.एन. जी.सी. के पास प्रचूर मात्रा में नकदी है। इसके पास अमगुरी तेल क्षेत्र की खोज करने, उसे विकसित करने और विस्तारित करने हेतु संसाधन थे। इसलिए, इसका कोई कारण नहीं है कि ओ. एन. जी. सी. को प्राथमिक उत्खनन की अनुमति दे देने के पश्चात उसे कनाडा की एक निजी बहुराष्ट्रीय कम्पनी को क्यों हस्तांतरित किया गया है। मैं सरकार से इसका कारण जानना चाहूंगा। सरकार के पास इसका उत्तर देने या न देने की स्वतंत्रता है परन्तु मुझे इसका स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है।

जिस न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर हम इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं उसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि लाभ अर्जित कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करने का प्रयास कीजिए। यह कोई चर्चा नहीं है।

श्री गुरुदास दासगुप्त : न्यूनतम साझा कार्यक्रम का उल्लंघन क्यों किया गया है। असम में हड़ताल क्यों है? क्या वर्तमान सरकार इसी प्रकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम का मान रखने जा रही है?... *(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या वे मारने भी जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवंत सिंह बिश्नोई।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या बात है, आपकी पार्टी के एक ऑनरेबल मैम्बर ने एक इम्पॉर्टैन्ट नोटिस दिया है?

* कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : एक माननीय सदस्य ने हमारे देश में चल रहे अवैध शिकार के बारे में एक नोटिस दिया है। कृपया व्यवधान मत डालिए।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी का ध्यान एक अत्यंत गंभीर बात की और आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे देश में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट है, वह बहुत पुराना है और आज इसमें संशोधन की आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान में हमारे देश तथा राजस्थान में वन्य प्राणी बहुत कम बचे हैं। विशेष रूप से राजस्थान की बिश्नोई बैल्ट में आज वन्य प्राणियों की बहुत कमी है, चूंकि वहां उनके अवैध शिकार की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। बात यहां तक बढ़ गई हैं कि अब सैंचुरीज में भी शेर सुरक्षित नहीं रहे गये हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि वन्य प्राणियों से संबंधित केसिज का टायल कम से कम सैशन जज के यहां हो और ऐसे केसिस को ज्यादा हीनियस ऑफेन्स माना जाए, जिनमें जानवरों की खाल और हड्डियों की तस्करी की जा रही हो। 'ऐसे केसिज में फांसी की सजा का प्रावधान किया जाए। यदि वन्य प्राणी इस धरती पर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो मनुष्य भी इस धरती पर सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त कानून में संशोधन की आवश्यकता है, चूंकि यह बहुत पुराना कानून है। पुराने समय में धरती पर बहुत सारे वन्य प्राणी थे, लेकिन आज इस धरती पर वन्य प्राणी बहुत कम बचे हैं। इसलिए मैं सरकार से वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट में शीघ्र ही संशोधन की मांग करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं।

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी) : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान भारतीय रेल के कुछ खण्डों में अकुशल श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता की ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

आज की दुर्घटना सहित भारत के विभिन्न भागों में अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जैसा कि आप जानते हैं 10 अप्रैल, 2005 को एक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक यात्री बाल–बाल बचा था... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अभी ब्यौरा न दें।

श्रीमती मिनाती सेन : 10 अप्रैल, 2005 को एक यात्री हावड़ा–कलकत्ता मेल में बाल–बाल बचा था और यह पाया गया कि चलती रेल में दो डिब्बों को आपस में जोड़ने वाली लोहे की चादर के स्थान पर उसे केवल कपड़े से ढक दिया गया था। इसी प्रकार, इसी महीने, नई जलपाईगुड़ी जाने वाली दार्जिलिंग एक्सप्रैस बर्दवान के निकट शक्तिनगर में एक ट्रक से टकरा गई और उसका चालक व खलासी दोनों घटनास्थल पर ही मर गए। 18 अप्रैल को ऊपरी कछार एक्सप्रैस में जिलेटिन की 644 छड़ें बरामद हुईं। यह संबंधित रेल प्राधिकारियों की घोर लापरवाही को दर्शाता है। मैं आप के माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करती हूं कि कर्त्तव्यों में लापरवाही बरतने के कारण संबंधित प्राधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए।

श्री विकास चौधरी (आसनसोल) : महोदय, मैं सभा का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, भारत औप्थेलमिक गैस लिमिटेड और बर्न स्टैन्डर्डस् वैगन लिमिटेड के लगभग 3000 कर्मचारियों को गत 7 महिनों से वेतन नहीं मिला है। उनके परिवार बहुत शोचनीय और दारूण परिस्थितियों में रह रहे हैं। वे बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

अतः मैं संबंधित महोदय से आग्रह करूंगा कि उनके वेतन आदि का भुगतान शीघ्र करें। इसके साथ–साथ हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को शीघ्र ही या तीन महीने की अवधि के भीतर लाभकारी बनाया जाना चाहिए ताकि हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड में शीघ्रातिशीघ्र उत्पादन शुरू किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उर्वरक मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित सिंदरी कारखाने को, जो आज झारखंड में है, राजग सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। यूपीए सरकार के गठन के बाद सिंदरी कारखाने को पुनः चालू करने की दिशा में कार्रवाई करते हुए कारखाने के संबंध में पीडीआईएल की एक विशेषज्ञ समिति बनाकर विस्तृत जांच का प्रतिवेदन मांगा गया। पीडीआईएल द्वारा इस संबंध में अपना प्रतिवेदन पिछले वर्ष मंत्रालय को सौंप दिया गया था, परंतु प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद भी इस दिशा में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिससे सिंदरी कारखाने पर आश्रित नागरिकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि सिंदरी कारखाने को चालू करने के संबंध में पीडीएफ द्वारा दी गई रिपोर्ट पर अविलंब कार्रवाई कर उसे पुनः चालू करने की दिशा में पहल की जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती जयाबेन ठक्कर। अनुपस्थित।

[अनुवाद]

बिना किसी पूर्व सूचना कोई किसी के विरूद्ध आरोप नहीं लगा सकता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह *(महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, हम* किसी पर एलीगेशन नही लगाएंगे, लेकिन सच बात तो कहनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : सच बात में एलीगेशन आ जाएगा तो?

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, 13वीं लोक सभा में यूटीआई का मामला उठा था और जिस समय आप वहां आसन पर नहीं, बल्कि इस सीट पर हमारे सामने बैठे हुए थे, तो एक माननीय सदस्य ने यूटीआई के मामले में कैबिनेट सैक्रेटरी का एक पत्र दिखाया था, जिसमें चुनौती दी गई थी कि यह जाली है या सही है। इसमें जांच की बात उठी थी कि इस मामले में सीबीआई से जांच कराई जाएगी। जिस माननीय सदस्य ने उस सवाल को उठाया था, वे कोई दूसरे व्यक्ति नहीं, बल्कि इस सदन के कल के सांसद श्री प्रिय रंजन दासमुंशी जी हैं, जो आज कैबिनेट में मंत्री हैं। *...* उस पर कोई कार्रवाई न हो, इसे हम अति गंभीर बात मानते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि उस जाली चिट्ठी पर आप जांच करवाएं। अगर वह जाली चिट्ठी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार रिस्पॉन्ड करे कि जाली चिट्ठी पर जांच होगी या नहीं। इस मामले की जांच करानी चाहिए, यह हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, चूंकि इन्होंने मेरा नाम लिया है तो मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। श्री प्रभुनाथ सिंह, जो कि बिहार के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और इस सभा के विशिष्ट सदस्य हैं, ने अभी–अभी तेरहवीं लोकसभा की कार्यवाही की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है। मेरा प्रश्न है : औचित्य और अधिकार के मामले में तेरहवीं लोकसभा की कार्यवाही में दिए गए विनिर्णय के बारे में क्या चौदहवीं लोकसभा कोई छानबीन कर सकती है या नहीं।

दूसरे, उसी दिन मैंने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। यह सभी सभा की कार्यवाही में शामिल है। आप अपने कक्ष में इसकी जांच करके मुझे इस बारे में उचित राय दे सकते हैं।

तीसरे, मैं तत्कालीन सरकार को चुनौती देता हूं जिसने सी.बी.आई को प्रभावित करने के लिए सभी रिकार्डों में हेराफेरी की। उन्होंने रायबरेली न्यायालय में श्री. एल. के. आडवाणी के शपथपत्र में परिवर्तन करने के लिए सी.बी.आई. को प्रभावित किया?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, कृपया इस मामले को सी.बी.आई. को सौंप दें...*(व्यवधान)*

... अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

जब इन्होंने कह दिया कि मैनिपुलेशन हुआ और माननीय सदस्य ने चार्ज लगाया है तो इसको सी.बी.आई. को दे दें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि काश मैं इस मामले में कुछ कर सकता। आप लोगों ने अपनी डिमांड रख दी है। आप मुझसे जवाब नहीं ले सकते।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह एक बहुत ही गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

श्री अनन्त कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, सारे मामले की जांच सी.बी.आई. द्वारा करायी जाए....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष जी, श्री प्रिय रंजन दासमुंशी बहुत पुराने सदस्य हैं। उन्होंने पहली युक्ति यह दी कि पिछली लोकसभा के आधार पर क्या आज की लोकसभा कुछ कर सकती है, यह मैंने पहली बार सुना है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : लोकसभा अध्यक्ष ने उस पर रूलिंग दे दिया था। आप इसे दोहराएंगे तो मैं आपसे चैलेंज लेता हूं।*....* *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसीलिए, क्योंकि यह मामला उठा है और आपने श्री प्रभुनाथ सिंह को इस मामले को उठाने की अनुमति दी है। उन्होंने इसका जवाब भी दिया है। वे माननीय सदस्य भी हैं और मंत्री भी हैं, सीबीआई आपके अधीन है। इसीलिए आप सीबीआई द्वारा इसकी जांच करवाएं कि वे वास्तव में जाली हस्ताक्षर थे या नहीं थे। कृपया जांच करवाएं कि यह ठीक है या नहीं। मुझे केवल यही कहना है।

अध्यक्ष महोदय : श्री करूणाकरन।

श्री प्रभुनाथ सिंह : यह सदन में जालसाजी का मामला है। इसके लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ।...*(व्यवधान)*

श्री अनन्त कुमार : महोदय, मैं उन्हें चुनौती देता हूँ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसमें काफी उच्च स्तर पर सरकार शामिल। मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता।

...*(व्यवधान)*

... अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री अनन्त कुमार : महोदय, आपके माध्यम से हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में अध्यक्षपीठ कोई निर्णय नहीं ले सकती।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर) : महोदय ये जो कुछ कह रहे हैं उसे सिद्ध करने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले की जांच करूंगा। मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता। आप अच्छी तरह जानते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री अनन्त कुमार : महोदय, उन्हें इसका जवाब देने दें। मैं आपसे आग्रह करूंगा...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, कृपया मुझे एक मिनट के लिए बोलने की अनुमति दें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में और कुछ नहीं कहा जाए। अब श्री करूणाकरन बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय इस विशिष्ट मामले में राज्य सभा में तत्कालीन मंत्री श्री अरूण शौरी के विरूद्ध एक विशेषाधिकार का मामला लम्बित है।...*(व्यवधान)* विशेषाधिकार का मामला है... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम तय करेंगे कि कितना रिकार्ड में रहेगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल श्री करूणाकरन का निवेदन ही रिकार्ड में जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री पी. करूणाकरन : महोदय, मैं सभा और उसके साथ–साथ सरकार का ध्यान एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूँ...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी (गढ़वाल) : महोदय, कृपया मुझे सशस्त्र बलों की कैंटीनों में मूल्य वर्धित कर (वैट) लागू होने का मामला उठाने की अनुमति दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मैंने 12 या 13 माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी : महोदय, यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके महत्त्व से इन्कार नहीं कर रहा हूं। आप कहते हैं कि केवल आपका ही मामला महत्वपूर्ण है।

...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी : मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने बेकार ही एक अन्य मिनट व्यर्थ कर दिया। शायद, मैं आपको ही बोलने की अनुमति देता।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्षपीठ पर दबाव नहीं डालें। मैं आपका आदर करता हूँ।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. करूणाकरन : महोदय, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस है जो कि मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। विश्व पृथ्वी दिवस पिछले 35 वर्षों से मनाया जा रहा है। इस आंदोलन को व्यवस्थित रूप जापान के एक महत्वपूर्ण नगर क्योटो में वर्ष 1997 में अस्तित्व में आया। अब 141 देशों ने क्योटो संधि पर हस्ताक्षर कर दियें हैं। दुर्भाग्य से अमरीका और आस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों ने अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के कारण अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

मैं यहां उद्घृत करना चाहूंगाः

"क्योटो संधि एक कानूनी बाध्यकारी समझौता है जिसके अंतर्गत सामूहिक रूप से सभी औद्योगिक देशों को वर्ष 1990 की तुलना में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन 5.2 प्रतिशत तक घटाना है।"

पृथ्वी का जलवायु इतिहास काफी विषमताओं भरा इतिहास रहा है। कार्बन डायाक्साइड और अन्य पांच ग्रीनहाउस गैसों से विश्व के वातावरण में बहुत परिवर्तन आया है। उदाहरण के लिए भारत का ही मामला ले तो भारत में बहुमूल्य और भव्य स्मारक ताजमहल को भी इससे खतरा हो गया है।"

हमारे यहां पानी की बहुतायात वाली हजारों नदियां है। गंगा, यमुना और कावेरी जैसी प्रसिद्ध नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं। हमारे यहां वनों और पर्वतों का विस्तृत क्षेत्र हैं परन्तु आप जानते हैं कि अब इन वनों को नष्ट करके अतिक्रमण किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री पी. करूणाकरन : महोदय, मुझे पता चला है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बाघों की संख्या का पता लगाने के लिए एक बैठक बुलाई गई है, इनकी संख्या घट रही है क्योंकि वन ही नहीं हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

अतः आज से दिन, इस संबंध में, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि हमारे वातावरण की सुरक्षा के लिए एक व्यापक विधान बनाया जाए तथा इसके लिए राज्य सरकारों को कड़े निर्देश दिये जाएं। मानव जीवन की रक्षा के लिए वनों, नदियों और ताजी स्वच्छ हवा का होना बहुत आवश्यक है। कल सभा की बैठक नहीं है इसीलिए मैंने आज इस मुद्दे को उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री किशन सिंह सांगवान।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, 'महोदय' सभा की कार्यवाही से आपको सहायता मिलेगी। इस आदत को भी छोड़ दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। सरकार और बहुराष्ट्रीय कंपनियां...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके दल के एक अन्य सदस्य को बोलने के लिए कहा है और आप उनकी बात में व्यवधान डाल रहे हैं। यह बहुत अजीब बात है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह सहयोग कर रहे हैं। जब आपके दल का ही एक सदस्य बोल रहा है तब भी आप सहयोग नहीं कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या बात है, आप बीच में क्यों टोक रहे हैं। आपकी पार्टी का सदस्य बोल रहा है। आप क्यों खड़े हो गए हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं, मुंह देखकर बुलाउंगा?

...*(व्यवधान)*

श्री किशन सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, सरकार और बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश में क्रिकेट को इतना बढ़ावा दे रही हैं कि दूसरे सभी खेल इसके सामने बौने बनकर रह गए हैं, छोटे पड़ गए हैं। इस कारण देश के हजारों और लाखों अन्य खेलों को खेलने वाले खिलाड़ी अपने को दो नंबर का खिलाड़ी समझने लग गए है। क्रिकेट का खेल कॉमर्शयल हो गया है। क्रिकेट खेलना व्यापार बन गया है और यह, खेल व्यापारियों का खेल बनता जा रहा है। इस

पर दुनियाभर में लाखों–करोड़ों रुपए के सट्टे लगते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट खेलने में कम और विज्ञापनों में ज्यादा रूचि लेने लग गए हैं। इस कारण देश के अन्य खेलों के खिलाड़ी अपने को बहुत आहत महसूस कर रहे हैं।

महोदय, क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। गिने–चुने देश हैं जो क्रिकेट के शौकीन हैं। इनमें चीन, जापान, अमरीका आदि देश हैं जो इसमें ज्यादा रूचि नहीं लेते हैं और ये ही देश खेलों में ज्यादा पदक प्राप्त करते हैं। हमारा देश खेलों में इन देशों के मुकाबले बहुत पीछे हैं और इक्के–दुक्के पदक ही प्राप्त करता है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि सरकार क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों को भी बराबर का दर्जा दे ताकि दूसरे खेलों को भी बढ़ावा मिले और उन्हें खेलने वाले खिलाड़ी अपने को सम्मानित महसूस करें। अकेले क्रिकेट से इस देश का भला होने वाला नहीं है। यही मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है।

अपराह्न 1.03 बजे

सामान्य बजट – 2005-2006, अनुदानों की मांगें

कृषि मंत्रालय

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कल हमने कार्यमंत्रणा समिति ने निर्णय लिया था कि आज कृषि पर चर्चा अपराह्न 1 बजे में शुरू होगी और कोई भोजनावकाश नहीं होगा।

अब सभा कृषि मंत्रालयों से सम्बंधित मांग सं. 1 से 3 पर चर्चा और मतदान करेगी।

सभा में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के अनुदानों की माँगों संबंधी कटौती प्रस्ताव परिचालित किये जा चुके हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो 15 मिनट के भीतर सभा–पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हों जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जायेगा।

इस प्रकार प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची तुरन्त सूचना–पट्ट पर लगा दी जाएगी। यदि किसी सदस्य को उस सूची में कोई गलती मिले तो उसे उसकी सूचना अविलम्ब सभा–पटल पर कार्यरत अधिकारी को देनी चाहिये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 1 में कृषि मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 से 3 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

श्री कैलाश जोशी वाद–विवाद शुरू करेंगे।

सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कृषि मंत्रालय की वर्ष 2005–2006 के बजट (सामान्य) के अनुदानों की मांगों की सूची

संख्या और मांग का शीर्षक		दिनांक 17 मार्च, 2005 को सदन द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदानों की मांगों की राशि	
1		2		3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
कृषि मंत्रालय					
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	957,53,00,000	72,16,00,000	3374,37,00,000	10,64,00,000
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	315,33,00,000	–	1626,67,00,000	–
3.	पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	150,91,00,000	3,37,00,000	759,56,00,000	16,85,00,000

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी (गढ़वाल) : महोदय, मैने सशस्त्र सेना कैंटीन में वैट लागू करने के बारे में सूचना दी है। समूची सशस्त्र सेना इसके बारे में चिंतित है। मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ कि इसे महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं समझा गया। मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने कभी नहीं कहा कि यह महत्वपूर्ण मामला नहीं है। क्या आप समझते हैं कि वे सभी विषय पर जिन पर चर्चा हुई महत्वपूर्ण नहीं है?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी : मैं यह नहीं कह रहा हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है मेजर जनरल खंडूडी।...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द खंडूडी : मैं भी यह कह रहा हूं कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां तक वैट का संबंध है 45 लाख परिवार प्रभावित हुए हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बैठक के दौरान हमने निर्णय लिया था कि 1 बजे कृषि पर चर्चा शुरू होगी। आप भी उस बैठक में उपस्थित थे। हम उस निर्णय से वचनबद्ध हैं कि 1 बजे कृषि पर चर्चा शुरू करेंगे। मैंने श्री कैलाश जोशी का नाम पुकारा है।

...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द खंडूडी : यह बहुत दुःखद बात है। मुझे खेद है कि आप इसे महत्वपूर्ण नहीं समझते। यह सशस्त्र सेना कर्मियों से जुड़ा हुआ मामला है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं पूरी ताकत से मेरे विरुद्ध आपके आरोपों को नकारता हूँ।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द खंडूडी : महोदय, आप इसका खंडन कर सकते हैं लेकिन मैंने इस बार शून्यकाल में कोई भी मामला नहीं उठाया है। आप कहते हैं कि सप्ताह में एक बार मौका दिया जाएगा। मुझे एक भी मौका नहीं दिया गया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अपील कर सकता हूं कि इसे कैसे चलाया जाए।

...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द खंडूडी : महोदय, मैं इस सत्र के दौरान एक बार भी नहीं बोला हूं। मुझे अफसोस है कि ऐसी स्थिति है। सामान्यत रूप में आप मुझे मौका ही नहीं दे रहे हैं। मैं यहां सशस्त्र सेना का यहां प्रतिनिधित्व करता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री कैलाश जोशी, आप कृपया बोलें।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द खंडूडी : यह बहुत ही अफसोसजनक है कि मुझे ऐसा कहना पड़ा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आजकल पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध कुछ भी कहा जा सकता है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि मैं जोरदार शब्दों में आपके परोक्ष संकेतों का खंडन कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द खंडूडी : आप इन्कार कर सकते हैं लेकिन सच्चाई यही है कि यह लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। ...*(व्यवधान)* महोदय, क्या आप उनको छोड़ रहे हैं? क्या सशस्त्र सेना के लोगों का वैट से कोई सरोकार नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में वे इससे सम्बंधित है। प्रत्येक व्यक्ति बहुत से मसलों से संबंधित हैं लेकिन आप मुझे केवल अपने मुद्दे के लिए बाध्य कर रहे हैं। आपका एक मात्र तर्क है कि मैं सशस्त्र सेनाओं के विरुद्ध हूँ।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द खंडूडी : महोदय, मैं नहीं हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष के विरुद्ध यह इस प्रकार का गंभीर आरोप है। क्या यह भारतीय संसद के एक वरिष्ठ सदस्य का सा व्यवहार है?

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर) : महोदय, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें बोलने की अनुमति दें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही श्री कैलाश जोशी को बोलने के लिए आमंत्रित किया है। यह निर्णय कार्य मंत्रणा समिति में लिया गया था और हम सभी इसमें सम्मिलित हैं। इस मुद्दे पर बोलने के लिए श्री कैलाश जोशी का नाम मैंने पहले ही पुकारा है।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाई : महोदय, हमारा आप से अनुरोध है कि आप हमें बोलने की अनुमति दें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री कैलाश जोशी क्या आप बोलना शुरू करेंगे?

[हिन्दी]

श्री कैलाश जोशी (भोपाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि विभाग की तथा उससे सम्बंधित विषय की बजट की चर्चा में बजट का विरोध करने के लिए उपस्थित हुआ हूं।

महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में यह कहा था कि कृषि को सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली है। उनके अभिभाषण के 9 पैरा में कृषि और सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में ही उन्होंने उल्लेख किया था। बाद में वित्त मंत्री जी का भाषण हुआ ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में कानाफुसी मत कीजिए। यदि आप आपस में किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो बाहर जाइये।

[हिन्दी]

श्री कैलाश जोशी : वित्त मंत्री जी ने अपने अभिभाषण में 19 पैरा में कृषि और सम्बंधित विषयों का उल्लेख किया था। इन दोनों को पढ़कर हमको ऐसा लगा था कि बड़े संतोष का विषय है कि कृषि के सम्बंध में इस सरकार की सोच बड़ी सार्थक है और इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। परन्तु जब यह बजट यहां प्रस्तुत किया गया तो उस भाषण को पढ़कर ऐसा नहीं लगा। वित्त मंत्री जी ने अपना भाषण प्रारम्भ करते हुए अपने भाषण के पैरा 39 में एक बात कही थी। उसमें उन्होंने कहा था कि:

[अनुवाद]

"कृषि में आश्रित आबादी के लगभग दो तिहाई और वर्ष 2003–04 के सकल घरेलु उत्पाद के मात्र 21 प्रतिशत उत्पादन करने वाला क्षेत्र के लिए यह आवश्यक है कि अति तत्कालित आवश्यकता समझकर हम किसानों की समस्याओं का समाधान करें।"

[हिन्दी]

इन शब्दों को सुनकर तो भारत का किसान गदगद हो गया था कि शायद किसानों की समस्याओं को यह सरकार गम्भीरता से लेगी, परन्तु जब बजट हमारे सामने आया तो हमें लग रहा है कि जो कुछ कहा गया था, वैसा इस बजट में कुछ भी नहीं है।

इस देश को स्वतंत्र हुए 58 वर्ष बीत चुके हैं, 58 वर्षों में जिस वर्ग की चिन्ता नहीं की गई, बार–बार उसकी दुहाई दी गई। आज सौभाग्य से हमारे प्रधानमंत्री भी ऐसे हैं, जो पूर्व में वित्त मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान वित्त मंत्री भी पूर्व में वित्त मंत्री रह चुके हैं। उन्हें कभी अपने पूर्व काल में इस बात का ध्यान नहीं रहा कि किसानों की समस्या लगातार विकट होती जा रही है, इसकी तरफ प्राथमिकता से ध्यान दिया जाना चाहिए। खैर, हम समझते हैं कि देर आयद, दुरुस्त आयद। अब यह बजट आने के बाद हमको लगा था कि शायद सही दिशा मिलेगी और किसानों की जो गंभीर समस्याएं हैं, उनके निदान की दिशा में सरकार आगे आयेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ऐसा कुछ इस बजट में दिखाई नहीं देता है।

कृषि मंत्री जी से भी हमारी अधिक अपेक्षा थी, क्योंकि वे स्वयं किसान हैं और कृषि का उनको बहुत अनुभव है। परन्तु उन्होंने भी वित्त मंत्री जी के ध्यान में ये बातें नहीं लाई कि देश के किसानों की आज क्या दुर्दशा हो रही है। कृषि मंत्री जी से मेरा बहुत पुराना परिचय है और मुझे मालूम है कि अगर वे चिन्ता करते तो बजट में बहुत कुछ अच्छा हो सकता था। परन्तु मुझे लगता है कि आजकल शुगर लॉबी के भ्रम में कृषि मंत्री जी भ्रमित हो गये हैं और इसलिए मूलतः कृषि की जो समस्या है, उसकी ओर उनका ध्यान नहीं जा पा रहा है। वित्त मंत्री जी ने जो बजट भाषण यहां पर रखा है, उससे तो मुझे एक ही बात लगी कि अपने नये मित्रों को संतुष्ट करने के लिए ये सारी लम्बी–चौड़ी घोषणाएं की गई हैं। इसमें से निकलने वाली चीज आज कुछ दिखाई नहीं देती। इस बजट में कुछ नवीनता नहीं है; कोई नवीन योजना नहीं है, कोई नवीन दिशा नहीं है, यह स्थिति इस बजट की है।

आज किसान के नाम पर सब आंसू बहा रहे हैं, परन्तु लगता ऐसा है कि उसके जले पर नमक छिड़कने का काम हो रहा है। पिछले बजट भाषण में वित्त मंत्री जी द्वारा बड़ी दिलासा दी गई थी, किंतु इस अवधि में भी सर्वाधिक आत्महत्याएं किसानों ने देश में की हैं और उनमें से उन प्रदेशों में ज्यादा हुई हैं, जहां संप्रग की सरकार काम कर रही हैं। विपक्षी दलों की सरकार में इतनी आत्महत्याएं नहीं हुई हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इस सरकार की दिशा क्या रही है। अध्यक्ष महोदय, भला हो राजग सरकार का जिसने किसानों की दशा को सुधारने के लिए कुछ नवीन योजनाएं अपने कार्यकाल में प्रारंभ कीं और मुझे लगता था कि उन योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन पूरे बजट को देखने के बाद लगता है कि उन योजनाओं के नामों का भी उल्लेख नहीं है। कुछ योजनाओं के नाम बदल दिए गए हैं। बहुत सी योजनाओं की धनराशि बढ़ायी गयी है और यह धनराशि पूर्ववर्ती सरकारों के काल में भी बराबर बढ़ती रही है। किन्तु इस सरकार ने नये नए कर लगाकर मूल्यवृद्धि की है उसके कारण इसका लाभ किसानों तक पहुंचने वाला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजग सरकार की बात कर रहा था परन्तु उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस बजट में स्टील पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। सीमेंट पर कर बढ़ा दिया गया है।

अपराह्न 1.11 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

इस बजट में पेट्रोल पर सेस बढ़ा दिया गया है। इन सब के आधार पर क्या किसान को कोई लाभ मिलने वाला है? इससे ट्रैक्टर महंगा होगा, स्टील महंगा होगा। ये सब चीजें किसान के उपयोग में भी आने वाली हैं। यह सब चीजें सरकार ने इस बजट में महंगी की हैं और सरकार दुहाई दे रही है कि हम किसानों के हित में नये कदम उठा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से उसकी बचत पर भी सरकार ने डाका डाल दिया है। गाँवों में बैंक खुल जाने के कारण किसान बैंकों में पैसा जमा करते हैं, किन्तु बैंक दर को भी कम कर दिया गया है। पूर्व सरकार ने एक बहुत बड़ी कृषि हितकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया था। किन्तु वित्त मंत्री जी के

[श्री कैलाश जोशी]

बजट भाषण में कहीं उसका उल्लेख नहीं है। उन्होंने उस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है कि उसकी क्या स्थिति होने वाली है। उन्होंने अपने बजट भाषण के पृष्ठ 11 में कहा है कि "पुनः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से उधारकर्ताओं की संख्या और 50 लाख बढ़ाने को कहा जाएगा।" पहले जितने थे उससे 50 लाख बारोअर्स को और बढ़ाएंगे। लेकिन इतने बारोअर्स कैसे मिलेंगे? जहां क्रेडिट कार्ड इश्यु हुए हैं, उनको भी बैंक पैसा नहीं दे रहे हैं, जो कि वित्त मंत्री का विभाग हैं इसलिए आज वे किस आधार पर कह रहे हैं कि 50 लाख बोरोअर्स और बढ़ाएंगे। यदि उनको बैंक पैसा नहीं देंगे तो उनका क्या हाल होगा? इस बजट में उसका कहीं उल्लेख नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजग की सरकार ने किसान के ब्याज की दर को नौ प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। कई राज्यों में यह लागू भी हो गयी थी और कुछ में लागू होने जा रही थी। इस बजट में कहीं उसका उल्लेख नहीं है। आप यह तो कह रहे हैं कि किसानों की दुर्दशा हो रही है और हम उससे चिन्तित हैं। लेकिन उस चिन्ता को हम तब मानते यदि सरकार किसानों के ब्याज की दर को नौ प्रतिशत से घटाकर छः प्रतिशत कर देती। इससे किसान अत्यंत लाभान्वित हो सकते थे। लेकिन कहीं इसका उल्लेख नहीं है और इस आधार पर यह माना जाएगा कि इस बजट में आपने यथार्थवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। कोई ऐसी योजना प्रारम्भ नहीं की गई हैं जो उनकी दुखती रग पर मरहम लगाने का काम करती।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से राजग सरकार ने राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को प्रारम्भ किया था। वित्त मंत्री जी के भाषण में पृष्ठ 11 पर भी इसका उल्लेख किया गया है।

[अनुवाद]

"राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999-2000 की रबी से ही लागू है। कृषक-अनुकूल फसल बीमा योजनाओं का सुझाव देने तथा उनमें सुधार के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा गठित संयुक्त समूह द्वारा की गई सिफारिशें मुझे प्राप्त हुई है। शेयर धारकों से और परामर्श की आवश्यकता है। इसलिए, 2005-06 की खरीफ और रबी की फसल के लिए मैं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ।"

[हिन्दी]

इस वर्ष अरबों रुपयों की फसल बर्बाद हो गई। इस सदन में अनेक सदस्यों ने उसका उल्लेख किया था। आप कह रहे हैं कि इस साल कृषि फसल बीमा उसी दिशा में चलेगी। हम उनसे बात कर रहे हैं। हमने ग्रुप बना दिया है, वह ग्रुप हमको रिपोर्ट देगा। उसके बाद ही हम सोचेंगे कि उसका आगे क्या करना चाहिए। आखिर इस बजट से किसानों को क्या लाभ पहुंचा, मैं कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं।

इसी प्रकार वित्त मंत्री जी ने अपने पिछले वर्ष का बजट भाषण प्रारंभ करते हुए एक बात कही थी कि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम हमारी सरकार का एक पथ प्रदर्शक है। राष्ट्रीय साझा कार्यक्रम को मैंने भी देखा है। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में पिछले वर्ष उसका उल्लेख किया था और उसमे उसके सात बिन्दु बताए थे। परन्तु उसके बाद इसी सरकार ने उसकी पुस्तिका – 'संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम'-प्रकाशित की। जब हम उस कार्यक्रम को देखते हैं तो उसमें छः बिन्दु हैं। वास्तव में ये छः बिन्दु हैं, पांच बिन्दु हैं या सात बिन्दु हैं और उनमें भी एक-दुसरे में अंतर्विरोध है। उनमें कहीं पर यह उल्लेख नहीं है कि गरीबी समाप्त करने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए यह सरकार कौन से कदम उठाने वाली है, किसानों की दशा सुधारने के लिए क्या करने वाली है। आज इस सरकार की यह स्थिति है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि इस बजट मे नवीनता कुछ नहीं है। हमारी कृषि मंत्री जी से अपेक्षा है कि वे इस दिशा में गंभीरता से विचार करेंगे और किसानों की देशभर में जो दुर्दशा हो रही है, उस दिशा में पुनर्विचार करते हुए इस बजट में कुछ ऐसे संशोधन लाएंगे, कुछ नई योजनाएं प्रारंभ करेंगे जिससे किसानों की दशा को सुधारा जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी (बापतला) : महोदय, मैं वर्ष 2005-06 के लिए कृषि मंत्रालय के संदर्भ में अनुदान मांगों के सम्बंध में आज चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ी हूँ। मैं समय की कमी के बारे में अवगत हूं और, इसलिए मैं कृषि से सम्बंधित मुद्दे तथा इससे जुड़ी समस्याओं तक ही अपने को सीमित रखूँगी।

हम सभी यह अच्छी तरह जानते हैं कि पिछली राजग सरकार के दौरान कृषि, सिंचाई और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 36 प्रतिशत की बहुत बड़ी कटौती की गई थी। संप्रग सरकार के अंतर्गत कृषि और इससे जुडी गतिविधियों के लिए बजट 2005-06 में 1625 करोड़ रुपये की बड़ी वृद्धि की गई है। ऋण की उपलब्धता, सिंचाई सुविधा में विस्तार और विविधिकरण पर जोर देने के अतिरिक्त कृषि विपणन और कृषिगत प्रसंस्करण जैसी, सहायक गतिविधियों के माध्यम से फार्म उत्पाद के मूल्य संवर्धन पर जोर दिया गया है।

वर्ष 2005-06 के लिए कृषि के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय पिछले वर्ष अर्थात 2004-2005 के लिए 4,799 करोड़ रुपए की तुलना में 6,425 करोड़ रुपये हैं। जो 35 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्री ने इस बजट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लिए अच्छे संकेत दिए हैं। जिसकी उपेक्षा ने जैसा कि हम सभी जानते हैं, राजग सरकार को बाहर का रास्ता दिखा दिया है।

कृषि क्षेत्र में अच्छी वृद्धि के लिए यह बहुत आवश्यक है और यदि हम आठ प्रतिशत की सतत वृद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, कृषि क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कृषि में वृद्धि को लगभग 4 प्रतिशत बढ़ाना होगा। दूसरी बात, विविधीकरण पर जोर दिया जाना चाहिए। इसका कारण है कि हमें गैर-कृषि ग्रामीण क्षेत्र की वृद्धि को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त, हमें श्रमिकों के दबाव को कृषि से कृषि-प्रसंस्करण जैसे गैर-कृषि क्षेत्र की ओर मोड़ना होगा। तीसरी बात, कृषि को बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में लागत कम करने वाली प्रौद्योगिकी प्रचारित करना होगा तथा उसे लोकप्रिय बनाना होगा क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सामने आज उपस्थित प्रमुख समस्याओं में यह एक है।

अंतिम परन्तु महत्वपूर्ण बात है कि प्राकृतिक संसाधनों यथा मृदा की गुणवत्ता और पानी के स्तर की रसायनों के व्यापक उपयोग के द्वारा गिरावट को रोका जाना चाहिए। इसलिए, कार्बानिक खाद और कार्बानिक खेती का प्रभार किया जाना चाहिए और लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। तथापि, गत वर्ष हमारे कृषि क्षेत्र में 1.1 प्रतिशत की कम वृद्धि दर्ज की गई है आठ प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद की दर प्राप्त करना अथवा गरीबी उपशमन का सपना देखना बहुत दूर की बात है।

वर्ष 2005-06 के बजट में कृषि के लिए आबंटन को सुधारों के साथ जोड़ा गया है जिसमें अगले पांच वर्षों में मानकों सहित बाजार के विविधिकरण और निर्माण और लगभग एक करोड़ हेक्टेअर भूमि की सिंचाई सुनिश्चित करके लगभग एक करोड़ लोगों के लिए रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है। जैसा हम सबको पता है हमारे किसान लगातार मानसून के आदेश के दास बने हुए हैं। इस वर्ष हमारे देश में 13 प्रतिशत वर्षा कम हुई है और किसनों ने लगातार लगभग चार पांच वर्षों तक सूखे का सामना किया है। इससे हमारा कृषक वर्ग पूरी तरह निराशा हो गया है। हमारी सिंचाई संभावनाओं के लगभग 40 प्रतिशत तक अभी दोहन नहीं किया गया है। हमारी बहुत सी सिंचाई परियोजनाएं विभिन्न चरणों में चल रही हैं। यह उन सभी विभिन्न परियोजनाओं पर सार्वजनिक निवेश में कमी और संसाधनों के कम प्रसार के कारण है। कृषि पर सार्वजनिक निवेश 1994 में 33 प्रतिशत से गिरकर 2003 में 24 प्रतिशत तक पहुंच गया है इससे धनी और निर्धन के बीच की खाई ही बड़ी नहीं गई है बल्कि शहरी निर्धन और ग्रामीण निर्धन के बीच का अंतर भी बढ़ गया है।

अब, महोदय मैं मानता हूं कि कृषि में केन्द्र की भूमिका बहुत सीमित हो गई है क्योंकि यह राज्य का विषय है और निश्चय ही केंद्र राज्य के नेताओं पर भावी संघर्ष टालने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए दबाव बना सकता है। हम सबको अच्छी तरह पता है कि उन जल संघर्षों की छाया हमारे राज्यों पर मंडरा रही है।

बजट में वर्ष 2007 तक तीन मिलियन हेक्टेअर भूमि की ड्रिप तथा स्प्रिंक्लर सिंचाई के अंतर्गत लघु सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिर भी यह बहुत दुष्कर कार्य प्रतीत होता है। क्योंकि 10,500 करोड़ रुपए की स्थायी मांग की तुलना में इसके लिए केवल 400 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। मैं समझता हूं कि इस पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि हमें पानी का बहुत संभाल कर उपयोग करना चाहिए और जल प्रबंधन हमारे लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। घटते हुए जल संसाधनों और लगातार मौसम की खराब हालत के मद्देनजर यह आवश्यक है कि हम फसल विविधिकरण की ओर अपना ध्यान लगाएं और महोदय बजट में ठीक ही बागवानी मिशन पर जोर दिया गया है। हालांकि इस पर कृषि मंत्रालय द्वारा 2,015 करोड़ रुपए के अनुमान की तुलना में केवल 650 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। परन्तु, फिर भी किसानों से तुरंत विविधिकरण की आशा करना दूर का स्वप्न है और धान की खेती अथवा ऐसी ही अन्य पारम्परिक खेती को छोड़ना बहुत दुष्कर कार्य है। मेरा अभिप्राय है कि उन भावनाओं के मद्देनज़र और मौसम की दशाओं तथा घटते हुए जल संसाधनों, जिसके कारण भू-जल, लवणता और फ्लूराइन के तत्वों की मात्रा बढ़ रही है के मद्देनजर कृषि में अनुसंधान और शिक्षा प्रदान करने को प्राथमिकता देने की बहुत आवश्यकता है।

महोदय, हम सब जानते हैं कि भारत में विश्व के अन्य विकासशील देशों की तुलना में सर्वोत्तम कृषि अनुसंधान की व्यवस्था है। तथापि इस प्रणाली का प्रभावशाली कार्यकरण सुनिश्चित करने हेतु इसके व्यापक पुनर्गठन की जरूरत है। महोदय, कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के लिए वर्तमान परिव्यय हमारे कृषि के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 0-3 प्रतिशत पर स्थिर हो गया है और यदि हमें अच्छा कृषि विकास देखना चाहते हैं तो इसे कम से कम पांच प्रतिशत तक बढ़ाने की आवश्यकता है। शुष्क भू-क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों और अन्य सीमान्त क्षेत्रों में वैयक्तिक फसल अनुसंधान से अलग होने और फसल तथा फसल पद्धतियों पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। हमारे देश में अच्छे कृषि जलवायु क्षेत्र भी हैं। इसलिए, हमारा अनुसंधान स्थान मुक्त होना चाहिए। तथापि, कृषि अनुसंधान के लिए बजटीय आबंटन मात्र 50 करोड़ रुपए किया गया है। मैं समझता हूं कि इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। शिक्षा में हमारे अधिकांश वर्तमान कृषि अनुसंधान थका देने वाला है और इसे तरोताजा बनाये जाने की आवश्यकता है। अब इस अनुसंधान निष्कर्ष को निर्धन वर्ग तक पहुंचाने को उच्च प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है। संसदीय स्थायी समिति ने ठीक ही इसके लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए की सिफारिश की है। इस पर निश्चित, ही विचार किए जाने की जरूरत है।

महोदय, यहां मैं मंत्री का ध्यान हमारे देश में विद्यमान असंरक्षित कृषि विज्ञान केंद्रों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उनका

[श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) द्वारा उदारता-पूर्वक वित्त पोषण किया गया है। और उन्हें प्राकृतिक कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के लिए विश्व बैंक से 1,000 करोड़ रुपए की ओर अधिक सहायता दी गई हैं। इसलिए लगभग 100 करोड़ रुपए के खर्च से प्रत्येक गांव में 'नोलेज केंद्र बनाने के बजाय इन कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) को आधुनिक संचार सुविधाएं स्थापित करके और श्रमशक्ति में वृद्धि करके जिसके द्वारा हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे ग्रामीण निर्धनों की सेवा करेंगे, मजबूती प्रदान की जा सकती है। हमारे देश में 35 कृषि विश्वविद्यालय और असंरक अनुसंधान संस्थाएं हैं जो केन्द्र और राज्यों के अधीन हैं और इस सबसे बढ़कर हमारे यहां आई सी ए आर है। सरकार को इन संस्थाओं में बहुत उत्तम वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। खाद्यान्न राज सहायता के लिए बजट जो भंडारण संभलाई और परिवहन से संबंधित है, वह गत वर्ष 25,800 करोड़ रूपए की तुलना में लगभग 1.6 प्रतिशत बढ़ाकर लगभग 26,200 करोड़ रुपए किया गया है। अब जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर 1.8 प्रतिशत है और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि उससे कुछ कम यानी 1.5 प्रतिशत है। इसका अर्थ है कि हमारी जनसंख्या हमारे खाद्यान्न उत्पादन से आगे जा रही है। इससे निपटना हमारे देश में एक हौवा ही रहा है। इस पर निश्चित तौर पर विचार किए जाने और इसे बढ़ाये जाने की जरूरत है।

दालों और तिलहनों की खेती में कमी पर भी बार-बार चिंता व्यक्त की गई है। तिलहनों के उत्पादन पर ध्यान देने से हमारे कृषि प्रसंस्करण उद्योग को अच्छा बढ़ावा मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार भी सृजित होगा। उसके अलावा कृषि प्रसंस्करण की ठीक ही रोजगार-सृजन करने वाले क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है।

बेहतर बीज प्रौद्योगिकी को बढ़ाना देकर तिलहन में विविधिकरण करने के लिए निश्चय ही कदम उठाये जाने की जरूरत है। बागवानी मिशन की भांति यदि सरकार एक तिलहन मिशन जैसा कार्यक्रम लाती है जिसके द्वारा हम अपने किसानों की तिलहन उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहित कर सकें तो यह बहुत अच्छी बात होगी।

ऋण की बात करें तो जब हम आंध्र प्रदेश को देखें तो 'नाबार्ड' सहकारी बैंकों को जिस औसत ब्याज दर पर ऋण देता है वह है लगभग छ प्रतिशत। अब ये सहकारी बैंक बदले में डी सी सी बी को 6.5 प्रतिशत की दर पर ऋण देते हैं। डी सी सी बी इसे 8.5 प्रतिशत की दर पर पी ए सी को उधार देते हैं। अब, ये पी ए सी इसे 11 प्रतिशत की दर पर किसानों को ऋण देते हैं। फिर भी राज्य ने कहा है कि यदि किसान अपने देय समय पर वापस कर देते हैं तो वह लगभग छः प्रतिशत की राजसहायता देगी। तथापि, हम लगातार कई वर्षों से सूखे से पीड़ित हैं और किसानों के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल रहा है। वे अभी भी 11 प्रतिशत चुका रहे हैं। जब तक 'नाबार्ड' उनकी ब्याज दर कम नहीं करता अथवा सरकार द्वारा पर्याप्त राजसहायता प्रदान नहीं की जाती है और जब तक सरकार इसका एक अंश वहन नहीं कर सकती है तब तक राज्य सरकार के लिए योजना जारी रखना बहुत कठिन होगा। इसी प्रकार गत पांच वर्षों से लगातार सूखे के कारण सहकारी क्षेत्र किसानों को प्रशंसनीय तरीके से ऋण नहीं दे पाया है। हमारे यहाँ लगभग एक करोड़ किसान हैं जो पी ए सी के सदस्य हैं। परंतु सहकारी बैंक केवल 40 लाख किसानों की मांग ही पूरी कर पाए क्योंकि वे अपना स्वयं का धन जुटाने में असमर्थ रहे। जिन किसानों को इसमें शामिल नहीं किया गया उन्हें शामिल करने हेतु इन बैंकों को नाबार्ड से लगभग 300 करोड़ का ऋण मंजूर किया जाना चाहिए।

अंत में बीमा योजना की बात करें तो हममें से बहुतों ने बार-बार यहां यह दोहराया है कि बीमा गांव स्तर तक पहुचना चाहिए। इसलिए, मैं अभी भी मंत्री जी से आग्रह करती हू कि बीमा को गांव स्तर तक ले जाने पर विचार करें।

अंत में, मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगी कि जब कृषि की बात आती है तो हमारे वित्त मंत्री जी पूरा ध्यान रखते हैं। हमारे बजट में सभी आवश्यक तत्व यथा आधारभूत ढांचा, जल प्रबंधन, फसल विविधिकरण और अनुसंधान शामिल किए गए हैं। वित्त मंत्रालय के कार्यक्षेत्र से आगे जाकर यह अब वित्त मंत्री पर निर्भर हैं कि इस पर अमल हो और हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारे पास बहुत सक्षम और ग्रहणशील कृषि मंत्री हैं जो हमारे कष्टों को सुनेंगे और निश्चय ही जो आवश्यक होगा करेंगे।

श्री अबदुल्लाकुट्टी (कन्नानौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद भी कृषि देश के लाखों लोगों का मुख्य व्यवसाय बना हुआ है। गरीब किसान अब भी सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। कई कारणों से उन्हें आधा पेट भूखे रहना पड़ रहा है। प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। मानसून सीजन में बाढ़ के कारण फसलों को अपूरणीय क्षति पहुंचती है, लेकिन बाढ़ के लिए उठाये गये कदम पर्याप्त नहीं होते। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता। जिन लोगों ने अनुसूचित बैंकों से ऋण लिए हैं, वे अपनी किश्तें अदा नहीं कर पाये हैं, जिसके परिणामस्वरूप बकाया राशि बढ़ती जा रही है। बकाया राशि की वसूली के लिए किसानों की जमीनों को ज़ब्त करने सहित कई ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिससे गरीब किसान दिवालिया हो जाते हैं।

महोदय, केरल में सैंकड़ों किसानों ने बकाया ऋणों के कारण आत्महत्या कर ली है। केरल सरकार ने इस बारे में सही जानकारी नहीं दी है। वहां सूखे का प्रकोप भी रहा है। जिसके कारण फसलों

को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। किसान दिवालिया हो गया है। किसानों द्वारा आत्महत्या करने का एक कारण यह भी है।

महोदय, मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह प्राकृतिक आपदाओं से युद्धस्तर पर निपटने के लिए स्थायी उपचारात्मक कदम उठाये। प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में आवधिक रूप से सटीक जानकारी दी जानी चाहिए। इसके अलावा चक्रवात के कारण भी फसलों को बहुत अधिक नुकसान होता हैं मौसम के बारे में सही जानकारी देकर, कुछ सीमा तक इसकी रोकथाम की जा सकती है। मानसून की असफलता के बारे में पूर्व सूचना देकर किसानों को ऐसी आपदाओं से बचाने के लिए एहतियाती कदम उठाये जा सकते हैं।

महोदय, एक अन्य मुद्दा कृषि के आधुनिकीकरण से संबंधित है। फसलों के उत्पादन में सुधार करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा सकता है। कृषि उत्पादों का मुक्त बाजार में विपणन के लिए एक सुदृढ़ तंत्र होना चाहिए। कृषि उत्पादों में कमी का एक और कारण है – भूमि सुधारों को क्रियान्वित न करना। लाखों मेहनतकश मजदूरों को उस भूमि पर स्वामित्व प्राप्त नहीं हो सका है जिसे वे वर्षों से जोतते आ रहे हैं। इसलिए सरकार को पिछड़े राज्यों में भूमि सुधारों को क्रियान्वित करने हेतु कदम उठाने चाहिए।

अंत में, केन्द्र सरकार को अखिल भारतीय कृषि कर्मकार कल्याण योजना लागू करने की दिशा में तुरन्त कदम उठाने चाहिए। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि केरल में इस संबंध में एक बहुत ही अच्छी–आदर्श कल्याण योजना चल रही है। इसलिए सभी राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए। सरकार कई तरह से उद्योगों को बढ़ावा देती है। लेकिन कृषि क्षेत्र के विद्युत आपूर्ति और कृषि से जुड़े दूसरे मामलों में कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, जबकि कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय...

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम कृपाल यादव जी अभी आप अपनी सीट पर नहीं हैं। आपको अपनी सीट से बोलना चाहिए। ठीक है, आप यही से बोल लीजिए।

[अनुवाद]

लेकिन किसी भी व्यक्ति द्वारा इसे पूर्वोदाहरण के तौर पर नहीं लेना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने कृषि अनुदान मांग के ऊपर बोलने की मुझे अनुमति प्रदान की है। मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। भारत गांवों का देश है, किसानों का देश है, मजदूरों का देश है और भारत की पूरी अर्थव्यवस्था खेत और खलिहान पर निर्भर करती है और मैं समझता हूँ कि सदन में आप सहित तमाम लोग ऐसे हैं जिनका आधार गांव और किसान है। कहा जाता है कि भारत गांवों का देश है।

आजादी के 57 वर्ष बाद भी जब हम किसानों की तरफ नजर डालते हैं, खेतीहर मजदूरों की तरफ नजर डालते हैं, तो हमें उनकी हालत कोई अच्छी नजर नहीं आती। खेत में काम करने वाले किसानों का आकर्षण धीरे–धीरे खेती से हट रहा है। उनका ध्यान शहरों में नौकरियों की तरफ और शहरी वातावरण की तरफ आकृष्ट हो रहा है। अगर गांव में रहने वाले लोगों की यही मंशा रही तो शायद भारत आने वाले दिनों में आर्थिक रूप से और भी फटेहाली में आ जाएगा। हमारा बेस गांव है, खेत और खलिहान है।

हमारे कृषि मंत्री जी खुद भी किसान है। वह लगातार किसानों की राजनीति करते रहे हैं और किसानों के हक में लड़ाई लड़ते रहे हैं। हमें इनसे बहुत आशाएं हैं। देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में इनका बड़ा योगदान रहा है। खासतौर पर महाराष्ट्र की बैकबोन गन्ना किसान है, उनके लिए इनका बड़ा योगदान रहा है और ये नजदीक से उनकी स्थिति जानते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी किसान हैं। आप भी किसानों की हालत को अच्छी तरह जानते हैं।

आप आर्थिक सर्वे को देख लें। उसमें हमारे और आपके आंकड़े नहीं हैं, भारत सरकार के आंकड़े हैं। जिसमें बताया गया है कि पिछले वर्ष उत्पादन की क्षमता घटी है। मैं समझता हूं यह शुभ संकेत नहीं है। इसकी तरफ मंत्री जी का ध्यान नहीं गया तो बड़ा बुरा हाल होने वाला है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था गांव, खेत और खलिहान पर निर्भर है। लगता है उसकी तरफ कहीं न कहीं चूक हुई है। आज गरीब किसान अपनी सारी शक्ति लगाकर, कर्ज लेकर, खून–पसीना बहाकर उत्पादन करता है, मगर जब वह अपनी फसल बाजार में बेचने जाता है तो उसे उचित मूल्य नहीं मिलता। आज आप देखें डीजल, खाद, बीज आदि सभी कृषि आधारित वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। लेकिन किसानों द्वारा उत्पादित माल का उचित मूल्य नहीं पा रहा है। इस तरह से किसानों का शोषण हो रहा है। घाटे में व्यवसाय हो रहा है। हमें सोचना चाहिए कि ऐसा कब तक चलेगा। हालत यह है कि किसान बाजार में जब अपनी फसल लाते हैं, उन्हें उसका उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण जब उनके घर में बेटी की शादी या अन्य कोई छोटा–मोटा फंक्शन होता है, तो उसके

[श्री राम कृपाल यादव]

लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। आज देश के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वे कर्ज लेकर पूंजी लगा रहे हैं लेकिन फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण वे कर्ज में डूब जाते हैं और फिर नतीजा यह होता है कि कई किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं

मैं बैंकों की स्थिति की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मैं यूपीए सरकार और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस बार के बजट में किसानों के प्रति अच्छा दृष्टिकोण अपनाया है और कृषि के लिए बजटीय प्रावधान बढ़ाया है। वित्त मंत्री जी ने इस बार के बजट में कृषि के लिए 38 प्रतिशत राशि रखी है। यह एक अच्छी शुरूआत आपने की है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर किसान बैंकों में कर्ज के लिए जाता है तो उसे 12–14 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज मिलता है। लेकिन जो शहर में रहने वाले सम्पन्न लोग हैं, उन्हें कार लोन और होम लोन के लिए सिर्फ छः सात प्रतिशत ब्याज पर लोन मिलता है। इस तरह से देखा जा सकता है कि किसानों के साथ कैसे अन्याय हो रहा हैं इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जो किसान अनाज उपजा कर हमें खिला रहा है, उसे तो हम 14 प्रतिशत ब्याज पर लोन मुहैया करा रहे हैं, लेकिन जो शहर में बड़े–बड़े मकानों में रहने वाले लोग हैं, उन्हें हम छः–सात प्रतिशत ब्याज दर पर लोन दे रहे हैं। किसानों के लिए कोओपरेटिव्ज का निर्माण किया गया था लेकिन आज कोऑपरेटिव्ज व्यवस्था चरमर्रा गयी है। कोओपरेटिव्ज की स्थापना आम किसान के लाभ के लिए की गयी थी लेकिन यह कार्य आज नहीं हो पा रहा है। कोओपरेटिव्ज बैंक्स को आप पैसा दीजिए ताकि वे किसानों को ऋण मुहैया करा सकें और किसानों को मदद मिल सके और वह अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। भारत की धरती, किसान और मजदूरों में इतनी क्षमता है कि अगर उनको उत्पादन के सभी सामान मुहैया कराये जाएं तो वह विश्व को खिलाने में सक्षम हैं। अगर सिंचाई की समुचित व्यवस्था कर दी जाए, आधुनिक ढंग से खेती करने के उपकरण मुहैया कर दिये जाएं, बीज, पानी, बिजली और ऋण की समुचित व्यवस्था कर दी जाए तो वह उत्पादन अधिक करके दिखा सकता है। आज क्या हो रहा है? शहर की बिजली काटकर दो–तीन घंटों के लिए गांव में बिजली उपलब्ध करा देते हैं जिससे किसान का भला नहीं होता है।

प्राकृतिक आपदा हर साल आती है और बरसात सही समय पर नहीं होती है। गांव की नदियां टूट गयी हैं और उनकी सफाई नहीं हो पा रही है। समुचित सिंचाई व्यवस्था के अभाव के कारण भी किसान अधिक उत्पादन नहीं कर पा रहा है। भारतीय किसान को अगर उत्पादन की सभी चीजें सही मात्रा में उपलब्ध हो जाएं तो वह पूरी दुनियां को खिला सकता है।

बिहार की भूमि बहुत ऊपजाऊ है लेकिन वहां हर साल हजारों करोड़ रुपये की क्षति होती है। माननीय मंत्री जी जानते होंगे कि वहां के पुल–पुलिया–मकान और सब लोग बाढ़–सुखाड़ से हमेशा पीड़ित रहते हैं।

आपने किसानों के लिए 100 बिक्री केन्द्र खोले हैं और समर्थन मूल्य किसान को आप देना चाहते हैं लेकिन उन पर किसानों का धान और गेहूं सब–स्टैंडर्ड कहकर नहीं खरीदा जा रहा है। उसकी वजह से किसान अपना कच्चा अनाज औने–पौने दाम में बेचने के लिए विवश है। अगर किसान को अपने उत्पादन का समर्थन मूल्य मिल जाए, जोकि सरकार की पॉलिसी है तो बिहार के किसानों को कुछ लाभ हो सकता है। बिहार की जमीन बहुत उपजाऊ है और वह चना, गेहूं, धान और सब्जी सभी कुछ उपजा सकता है।

हमारे यहां जल्ला और मुकाना टाल में अगर किसान को मदद मिल जाए तो वहां का किसान पूरे बिहार के धान के अलावा गेहूं, दाल, चना और अरहर के अलावा सभी प्रकार का अन्न उत्पादित करके दे सकता है। लेकिन वहां सिंचाई के साधनों का घोर अभाव है। ऐसे कई मामले हैं जिन पर ध्यान देने का काम करें। माननीय मंत्री जी खेतिहर मजदूरों की पीड़ा को जानते हैं, उनसे जुड़े रहे हैं और उनकी राजनीति भी करते रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है वह उनकी हालत को सुधारने का काम करें। बड़े पैमाने पर गांवों से शहरों की तरफ लोग पलायन कर रहे है। गांवों से लोग इसलिए पलायन कर रहे हैं कि गांवों के लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं। वहां बच्चों के लिए स्कूल नहीं हैं, कालेज नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं हैं। शहरी इलाकों में कोई जाना नहीं चाहता है क्योंकि वहां सांस लेने में दिक्कत होती है। वहां शुद्ध हवा नहीं मिलती है। आप वहां के लिए ठोस योजना बनाएं और इसके लिए विशेष राशि उपलब्ध कराएं। मैं माननीय मंत्री जी से सादर अनुरोध करना चाहता हूं कि वह अपने प्रयास से राशि उपलब्ध कराएं । मैं माननीय मंत्री जी से सादर अनुरोध करना चाहता हूं कि वह अपने प्रयास से राशि उपलब्ध कराएं ताकि गांवों में खुशहाली आ सके। गांवों की तरफ जो ध्यान हटता जा रहा है, उसके कारण आने वाले दिन ठीक नहीं हैं। भारत की अर्थव्यवस्था खेत और खलिहानों से बनेगी और किसानों, मजदूरों को ऊपर उठाने से बनेगी। वह टेबल, कुर्सी से बनने वाली नहीं है। हम बड़े–बड़े शहरों में सारा पैसा इनवैस्ट कर रहे हैं। आप शहरों की तरफ जरूर ध्यान दीजिए। लेकिन राष्ट्र की सबसे बड़ी धन शक्ति कृषि की तरफ ध्यान देने का काम करें। हमारे यहां ईख उत्पादन करने की बड़े पैमाने पर क्षमता है। बिहार में चीनी मिलें बंद पड़ी हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही हालत है। वहां गवर्नमेंट की चीनी मिलें में मशीनों की हालत खराब हो गई है। इनका मॉडर्नाइजेशन करनें की आवश्यकता हैं वहां पुराने ढर्रे की मशीनें लगी हैं। उन पर पूंजी

इमवैस्ट की जाती है लेकिन उत्पादन ठीक नहीं होता है। आप यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि चीनी मिलों के बंद होने से गन्ना किसानों की हालत खराब हो गई हैं। आप उनको चालू कराएं। उत्तर बिहार में बड़े स्कोप हैं। आप इसकी तरफ जरूर ध्यान देने का काम करें। आप बिहार की बंद चीनी मिलों को खुलवाने का काम करें। ताकि वहां के किसानों की खुशहाली हो सके, उनकी माली हालत सुधर सके। बिहार में बदहाली, गरीबी है। बिहार के मजदूर मजदूरी करने के लिए पंजाब, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर और गुजरात जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : पंजाब में भी शुगर मिले बंद हो रही हैं।

श्री राम कृपाल यादव : यह हमारा दुर्भाग्य है। पंजाब एक मॉडर्न स्टेट है। पंजाब, हरियाणा से लोग सीखते हैं। बिहार का बंटवारा होने के कारण वहां ही हालत खराब हो गई है। कहा गया है कि बिहार को पंजाब और हरियाणा जैसा बना दिया जाएगा। एनडीए के लोगों ने बिहार का बंटवारा करके राज्य को बरबाद कर दिया।

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील (इरन्दोल) : आपने 15 साल में क्या किया?

श्री राम कृपाल यादव : हमने 15 साल से इतना किया कि ..*(व्यवधान)* फील गुड़ नहीं हो रहा है। आपने 6 साल में फील गुड नहीं करवाया आपको नहीं मालूम कि बिहार पिछले 15 साल से खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। उसकी इतना क्षमता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यादव, आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें किसी अन्य को नहीं। बीच में टोकाटाकी नहीं होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : बिहार में सरप्लस अनाज है। वह पूरे देश को खिला सकता है। आप बिहार को देखने का काम करें। उपाध्यक्ष महोदय, इन्हें हमारी बात तीखी लग रही हैं। सच्चाई को फेस करना चाहिए। कहा गया है कि बिहार को पंजाब और हरियाणा जैसा बनाने के लिए विशेष पैकेज देंगे। कृषि मंत्री जी किसानों के नेता हैं और बिहार के प्रति अच्छा नजरिया रखते हैं। उनके मन में किसानों के प्रति दर्द है। मुझे विश्वास है कि आप इस तरफ जरूर ध्यान देंगे। वहां के किसानों और मजदूरों की हालत को सुधारने के लिए और विशेष करके गन्ना किसानों को ऊपर उठाने के लिए राशि देकर कृपा करेंगे। देश के किसान बड़े पैमाने में परेशान हैं। वे मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। उनका पूरा परिवार जहर खा कर मर रहा है। यही कारण है कि घाटे का व्यवसाय कोई नहीं करता, मुनाफे का व्यवसाय करते हैं, इसलिए आप कुछ कीजिए। माननीय कृषि मंत्री जी आपका ध्यान मेरी तरफ और मेरे निवेदन की तरफ जा रहा होगा, आप कुछ कीजिए ताकि आपका नाम तो पहले से ही है वह और भी अधिक स्थापित हो जाए और देश का किसान खुशहाल हो जाए।

इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करते हुए आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे समय दिया और आप सब लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। मुझे विश्वास है कि हम लोग राजनीति से ऊपर उठकर किसानों के हितों के लिए अच्छे सुझाव देकर मंत्री जी को सहयोग करेंगे ताकि किसानों का कल्याण हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसमें पंजाब को भी इन्कलूड कर लीजिए।

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के संबंध में चर्चा करने के लिए आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं अपनी तरफ से और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से धन्यवाद देता चाहता हूं। हिंदुस्तान को आजाद हुए आज 57 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। कई सरकारें आई और कई सरकारें गई लेकिन हिन्दुस्तान के 60 करोड़ किसानों के लिए उपेक्षा के सिवाए और कोई रास्ता आज तक नहीं दिखा है, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिन सरकारों ने बजट प्रस्तुत किये उनमें लगातार किसानों की उपेक्षा की गई। किसानों को आर्थिक स्तर पर कभी आने नहीं दिया गया। चाहे बिजली हो, रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें खाद, पानी, डीजल या अन्य जो भी चीजें उपयोग में आती हैं, उनको नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया गया। उनको अपना उत्पाद सस्ते दामों पर बेचना पड़ता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि कृषि उद्योग में नकदी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। हम उनका स्वागत करते हैं और बहुजन समाज पार्टी भी इसका स्वागत करती है तिलहन, गन्ना, कपास या पॉल्टरी फार्म्स, को बढ़ावा दिया जाएगा, यह बजट भाषण में कहा गया है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वास्तव में हिन्दुस्तान की तस्वीर किसान हैं। गांव में ज्यादातर लोग रहते हैं। जितनी भी सरकारें आई और बजट पेश किए, उसमें किसानों की ओर ध्यान न देकर उद्योगपतियों की और ज्यादा ध्यान दिया गया। हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने किसान और गरीब किताबों में तो पढ़ा है लेकिन वास्तव में गरीबी क्या होती है, किसान क्या होता है, कृषि उत्पाद क्या होता है,

[श्री ब्रजेश पाठक]

यथार्थ में खेती का ज्ञान नहीं है। दुर्भाग्य से हिंदुस्तान के ऐसे नेता रहे, जिन्हें यह भी पता नहीं था कि शक्कर बोई जाती है या गन्ना बोया जाता है। उन्होंने बयान दिया कि शक्कर की बुआई शुरू हो गई है, आलू जमीन में लगता है या जमीन के ऊपर लगता है इसका भी उन्हें ज्ञान नहीं है। ऐसे लोगों के हाथों में सरकार आजादी के बाद रही। बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि हिंदुस्तान में किसानों की सरकार बने, किसानों को आगे लाया जाए, किसानों को मजबूत किया जाए।

माननीय मंत्री जी ने बजट भाषण में कहा है कि जो बिजली का बिल पचास हजार से अधिक देगा उन्हें आयकर के दायरे में लिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी इसका सशक्त विरोध करती है और सरकार से उम्मीद करती है क्योंकि यूपीए सरकार किसानों की सरकार है, अगर इस तरह का कुठाराघात किसानों पर किया गया तो वे किसानों को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कृषि को कैसे बढ़ावा दे सकते है। मान लीजिए अगर कोई उद्योगपति हड़ताल करता है या कोई कर्मचारी हड़ताल करता है तो हिंदुस्तान की सरकार में सत्ता में बैठे लोग दूसरे विकल्पों से उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर लेते हैं। अगर आज किसान हड़ताल करता है तो आप कहां के रहोगे? हिंदुस्तान के लोगों को खाने को नहीं मिलेगा। हमें विदेशों की ओर हाथ फैलाना पड़ेगा इसलिए हमें किसानों की मदद करनी चाहिए।

महोदय, अभी श्री रामकृपाल यादव जी ने किसानों के ऋण का मुद्दा उठाया है। किसान ऋण लेने जाता है तो 14 परसेंट ब्याज देना पड़ता है, अगर कोई उद्योगपति या कर्मचारी, जो शहर में रहता है, गाड़ी के लिए फोन करता है तो उसे छः या सात परसेंट ब्याज देना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि एक ऐसी नीति बनाई जाए जिससे किसानों को छः या सात परसेंट पर ऋण मिल सके, उनको दलाली से मुक्ति मिल सके।

इस तरह से और भी कई बातें हैं जिन्हें मैं रखना चाहता हूं। लगातार किसानों और कृषि के बारे में यहां चर्चा होती है। किसान आज आत्महत्या करने को मजबूर है, उनको अपने उत्पाद का पूरा मूल्य नहीं मिलता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में यह भी कहा है कि जो खरीद है उसका विकेंद्रीकरण किया जाएगा। यह आत्मघाती कदम होगा, इससे उनकी जो जरूरत है और जो तयशुदा आय है, उससे भी किसानों को हाथ धोना पड़ेगा।

हम उम्मीद करते हैं कि किसानों के लिये और कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार और पूरा सदन एकमत रहेंगे। ऐसे हर मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी सरकार के साथ है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष जी, एक पाइंट ऑफ इनफौर्मेशन है। माननीय रेल मंत्री जी आज गुजरात में... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप किस रूल के तहत बोलना चाह रहे हैं?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष जी, यह केवल पाइंट ऑफ इनफौर्मेशन है जिसे मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। माननीय रेल मंत्री जी अभी गोधरा गये हुये हैं जहां पर *लोगों ने उनकी कार पर पत्थरबाजी की है। गुजरात में आज जहां रेल दुर्घटना हुई है, वहां राहत कार्य चलाये जा रहे हैं, उन राहत कार्यों को बाधित किया गया है। उपाध्यक्ष जी, यह सवाल किसी पार्टी का नहीं है। रेल दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हुई है और 100 लोग जख्मी हालत में अस्पताल में पड़े हैं। माननीय रेल मंत्री जी राहत कार्यों के लिये गये हुए हैं, लेकिन उनकी कार पर पत्थरबाजी करना एक दुखद प्रसंग है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : राम कृपाल जी आप बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जायें।

...*(व्यवधान)**

अपराह्न 2.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रधान जब मैं खड़ा हूं तो मेरी समझ से यह उचित नहीं है कि आप सभा में इस तरह से शोर शराबा करें। जब मैं खड़ा हूं तो ऐसा करना ठीक नहीं है।

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

ऐसा करना ठीक नहीं है। उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया था।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधान जी, मैंने कह दिया कि उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया।

...*(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : यह ऐसे किसी पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात को समझ लीजिए, उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। उन्होंने केवल सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुन लीजिए, यदि ऐसा कुछ रिकार्ड में आया है तो वह एक्सपंज कर दिया जायेगा ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : सदन को सूचना देनी चाहिए। सरकार को पता होना चाहिए कि क्या स्थिति है। अगर मंत्री जी पर हमला हुआ है तो ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कृपया बैक जाइये।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यादव आप सभा के वरिष्ठ सदस्य है और आप इस तरह शोर मचा रहे हैं। मैं सरकार के वक्तव्य देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। कृपया आप बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक : इस सारे मामले की जांच कराई जानी चाहिए, ऐसा करने वालों की निंदा की जानी चाहिए और जो अपराधी तत्व इसमें लिप्त पाये जाएं, उन्हें दंड दिया जाना चाहिए।... *(व्यवधान)*

श्री अनिल बासु (आरामबाग) : वहां मंत्री जी पर हमला हुआ है, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, इस बारे में वक्तव्य पहले से दिया जा चुका है। यदि उन्हें कोई और जानकारी मिलती है तो वह इससे सभा को अवगत करेंगे...*(व्यवधान)*

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आर. वेलु) : माननीय अध्यक्ष पीठ की अनुमति से, मैंने सुबह एक वक्तव्य दिया था। मैंने यह भी कहा था कि वहां स्थिति का जायजा लेने के लिए श्री लालू प्रसाद गये हैं कि वहां क्या हो रहा है, और वहां क्या राहत उपाय किये गये हैं। श्री लालू प्रसाद दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को देखने अस्पताल जायेंगे और वह दुर्घटना स्थल पर भी जायेंगे। शाम को वह वहां से वापस आकर विस्तृत रिपोर्ट देंगे...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : श्री लालू प्रसाद पर हुए हमले की घटना के बारे में क्या कहना है?

श्री विजय हान्डिक : मैं इस सूचना की सच्चाई का पता लगा कर सभा को सूचित करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री प्रकाश परांजये बोल सकते हैं।

श्री प्रकाश परांजये (ठाणे) : महोदय, मैं शिवसेना की ओर से कृषि मंत्रालय हेतु बजटीय समर्थन के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

यहां ही कोई यह कह रहा है कि कृषि क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। देश के लगभग 65 प्रतिशत कार्यबल और रोजगार का सृजन कृषि क्षेत्र में होता है। इस बजट में वित्त मंत्री ने कृषि का उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए 630 करोड़ रुपये, कृषि उत्पाद विपणन अवंसरचना के लिए 72 करोड़ रुपये, जल संसाधनों के लिए 100 करोड़ रुपये, बाढ़ प्रबन्धन के उपायों हेतु 180 करोड़ रुपये तथा सिंचाई संबंधी कार्यक्रमों में शीघ्रता लाने के 4800 करोड़ रुपये आबंटित किये है। उन्होंने यह भी कहा है कि माइक्रो सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाने पर अभी जिस दस लाख हेक्टेअर भूमि पर खेती होती है, दसवीं योजना के अंत तक उसका क्षेत्र बढ़कर 30 लाख हेक्टेअर हो जायेगा और ग्यारहवीं योजना के अंत तक यह बढ़कर एक करोड़ चालीस लाख हेक्टेअर हो जायेगा और इसके

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री प्रकाश परांजपे]

लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपये आरक्षित रखे है। इसके अतिरिक्त किसानों के लिए कई बीमा योजनाओं सहित क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं उपलब्ध कराया गयी है।

हमें, न केवल अपने देश को आत्म–निर्भर बनाने के लिए अपितु दूसरे देशों में भी खाद्यान्नों का निर्यात करने के उद्देश्य से अधिकाधिक खाद्यान्नों का उत्पादन करना चाहिए। जब महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा महाराष्ट्र की सर्वाधिक विद्वान हस्ती श्री शरद पवार ने कृषि मंत्रालय का भार संभाला तब मैंने समझा था कि वह इस मंत्रालय को एक नई शिक्षा देंगे। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री श्री शरद पवार जी 26.02.2002 में हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी उस खबर से अवगत होंगे जिसमें कहा गया है कि खाद्यान्नों के परिरक्षण न होने के कारण सालाना नुकसान 70,000 करोड़ रुपये का है। यहां के किसान जो खाद्यान्न पैदा करते हैं हम उनका परिरक्षण नहीं कर पाते। हर कोई यही कहता है कि कृषि क्षेत्र के लिए अधिक धन देना चाहिए, किसानों को और अधिक सहायता दी जानी चाहिए, और कृषि उद्योग में और अधिक लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हम जिस चीज का उत्पादन कर रहे हैं उसका परिरक्षण किया जाये। लेकिन इस बारे में न तो सरकार गंभीर है और न ही मंत्रालय। हम विदेशों का दौरा कर रहे हैं। हम कभी इजरायल से सीखने के लिए, कभी चीन से सीखने के लिए, कभी अमरीका से सीखने के लिए उन देशों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने खाद्यान्नों के संरक्षण और बचाव के लिए कुछ आविष्कार किए हैं। दुर्भाग्यवश सरकार उनके बारे में गंभीर नहीं है।

इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से भी मिला। पिछले 2–2½ वर्षों से मैंने भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों से बातचीत भी की है। पिछले वर्ष में उनके साथ हुई मेरी तीसरी बैठक में भा.खा.नि. के तत्कालीन चैयरमैन ने मुझे बताया कि हमारे स्वयं के तकनीशियनों ने खाद्यान्नों की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा तरीका निकाला है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी आपको गुमराह करेंगे। मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन 2½ वर्षों के पश्चात मैंने मालूम किया कि हमारे देश का मन्त्रालय केवल एक आधार पर हमारे वैज्ञानिकों के अविष्कारों को नजरअंदाज कर रहा है कि निवेश कौन करेगा? पहले मैंने खाद्यान्नों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए की जाने वाली वित्त मंत्रालय के विभिन्न निवेशों के बारे में बताया था वैज्ञानिकों से यह पूछा गया कि खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए कौन निवेश करेगा। भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी ने बताया कि विद्यमान निगम खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए उन्हें कोई निवेश करने की अनुमति नहीं देता है। हम निर्वाचित सदस्य, जो इस माननीय सभा में बैठे हुए हैं, बाध्य हैं कि हम नियम अथवा विनियम बनाए अथवा यदि विद्यमान नियम हमें अनुमति नहीं देते हैं तो हम उन नियमों को बदल दें। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि श्री शरद पवार, जैसे विद्वान मंत्री नौकरशाहों के आदेश मानने के लिए बाध्य हैं। मुझे उनसे काफी अपेक्षाएं थीं। मैंने सोचा था कि वह हमारे वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए गए संरक्षण प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ नए कदम उठाएंगे।

हाल ही में आपने चीन का दौरा किया है। हमने देखा कि चीन में उत्पादों को संक्रमण से बचाने के लिए मिथारंल ब्रोमेड वैलून को भूमि पर फोडा जाता है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि हम अपने वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई प्रक्रिया को क्यों नहीं अपनाते? वैज्ञानिक निवेश नहीं कर सकते। उनके पास धन नहीं होता है? जब मैंने इसके बारे में पूछा तो मुझे दूसरा प्रस्ताव बताया गया कि मुझे नाबार्ड अथवा किसी दूसरी कम्पनी से सम्पर्क करना चाहिए और उनसे निवेश करने के बारे में कहना चाहिए। हमें ईमानदारी से अपने खाद्यान्नों का संरक्षण करना चाहिए क्योंकि इसके कारण हमें 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। दुर्भाग्यवश, मंत्रालय इसके बारे में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। कुल निवेश में से, सिंचाई के लिए किया जाने वाला निवेश 4,800 करोड़ रुपए का है। मैंने सम्बद्ध मंत्री जी को एक पत्र लिखा था जिसमें मैंने सूचना मांगी थी कि सम्बद्ध मंत्रालय अर्थात पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी न करने के कारण कितनी विद्युत परियोजनाएं और सिंचाई परियोजनाएं लम्बित हैं। मुझे हैरानी हुई कि मुझे मंत्री जी से यह कहते हुए पत्र मिला कि वह इसकी जांच कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इसमें जांच करने की क्या बात है।

अनापत्ति प्रमाणपत्र के जारी न होने के कारण कितनी सिंचाई परियोजनाएं विभाग के पास लम्बित हैं। आप करोड़ों रुपये दे रहे हैं। वित्त मंत्री और कृषि मंत्री महसूस करते हैं कि सिंचाई परियोजनाओं पर शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए। उस समय भी मैंने सुझाव दिया था कि जब तक आप विद्यमान वन अधिनियम को नहीं बदलते सिंचाई परियोजनाओं के लिए निवेश की विद्यमान योजना को सही तरीके से कार्यान्वित नहीं किया जाएगा। मैं कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि यदि वह इस 4,800 करोड़ रुपये में से, जो सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए दी गई है, कुछ हजार करोड़ रुपये खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए विकसित की गई मशीनरी के लिए अथवा हमारे दो आई आई टी इंजीनियरों द्वारा विकसित की गई तकनीक के लिए दे दे तो मैं उसका आभारी होऊंगा।

दूसरा, महोदय, महाराष्ट्र ने श्री बी. जी. शिरके साइलो (बुखारी) का निर्माण करने में विशेषज्ञ है उन्हें विदेशों से आर्डर मिल रहे हैं। उन्होंने तीन साल पहले सम्बद्ध मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उन्होंने सुझाव दिया था कि बड़े बड़े गोदामों को बनाने के स्थान पर हमें ताल्लुक स्तर पर छोटे छोटे साइलो बनाने चाहिए। जब श्री गोखले भा.खा.नि. के चेयरमैन थे तो अलग–अलग

स्थानों पर 2,000 छोटे–छोटे साइलो बनाने के लिए एक योजना बनाई गई थी। जिससे दुलाई लागत में कमी होगी और उत्पादों अथवा सामानों की आपूर्ति अधिक सुगम हो जाएगी। मैं महसूस करता हूं कि श्री शिरके जोकि एक विशेषज्ञ हैं और अन्य देशों में साइलो का निर्माण कर रहे हैं? लेकिन हमारे अपने देश में उनकी तकनीक, उनके ज्ञान को पूर्णतः नजरअंदाज किया जा रहा है। यदि आप स्वयं जाए और एफ सी आई के गोदामों का निरीक्षण करें तो मैं समझता हूं कि आप स्वयं छोटे साइलों के महत्व को महसूस करेंगे इससे दुलाई लागत और दुलाई के दौरान होने वाली करोड़ों की क्षति को रोका जा सकेगा।

महोदय, मैंने खाद्य प्रसंस्करण सम्बन्धी स्थायी समिति के प्रतिवेदनों का भी अध्ययन किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी फल–सब्जी का उत्पादन किया गया है और हम कितने का निर्यात कर रहे हैं। फल–सब्जियों के संरक्षण को विकसित करने के लिए हमारे पास क्या अवसंरचना मौजूद है? इस सम्बंध में उसमें डेयरी विकास पर एक लेख भी है। स्थायी समिति के किसी भी एक सदस्य ने सम्बद्ध मंत्रालय से यह नहीं पूछा कि हमें अपने दूध और दूध से बनी चीजों के निर्यात क्रयादेश क्यों नहीं मिलते हैं। इसका एकमात्र कारण है कि हमारे देश में दूध में जीवाणु का स्तर बहुत अधिक है। भारत में एक लिटर दूध में 3 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं। जबकि विदेशों में यह स्तर 1:100 है।

पुनः हमारे देश के एक वैज्ञानिक ने एक रसायन विकसित किया है। उस रसायन का प्रयोग कर के दूध 12 घंटे तक सामान्य तापमान में वैसा ही रहेगा और उसके 90% जीवाणु मर जाएंगे। उसी वैज्ञानिक ने सभी सम्बद्ध मंत्रियों और सचिवों से भेंट की। उनका सुझाव था कि यदि सभी डेयरियों पर दबाव डाले कि वे यह रसायन खरीदें और उनका प्रयोग करें तो इससे उनके दूध की शुद्धता बढ़ेगी। तभी हम अपने निर्यात को भी बढ़ा सकेंगे। लेकिन इसका हश्र भी वैसा ही हुआ। हमारे देश के वैज्ञानिकों को नजर अन्दाज किया जाता है और यदि कोई इजराइल, चीन और अमरीका जैसे अन्य देशों से आता है तो हमें प्रसन्नता महसूस करते हैं कि हमारे पास आयतित प्रौद्योगिकी हैं। जब हमारे वैज्ञानिक गुणवत्ता उत्पादों को विकसित करने का प्रयास करते हैं तो हमारे अनुभव अथवा उनके अनुभव को पूर्णतः अनदेखा करते हैं। अतः मैं उपस्थित सम्बद्ध मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जब तक दूध की गुणवत्ता नहीं सुधारी जाती तब तक वे दूध से बनी चीजों का निर्यात नहीं कर सकेंगे।

हम हमेशा कहते हैं कि हमारा देश दूध उत्पादन करने वाले देशों में से एक है। लेकिन जहां तक दूध और खाद्यान्नों की गुणवत्ता का सम्बन्ध है हम उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में बिल्कुल भी सचेत नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करने के बजाय आग्रह कर रहा हूं कि वे इस संबंध में कुछ करें। बात यह है कि ये दोनों वैज्ञानिक अधिकारियों से मिलते–मिलते तंग आ चुके हैं।

मैं यहां एक घटना का उल्लेख करता हूं। सेवानिवृत्त सचिवों में से एक ने मुझे से यह प्रश्न पूछा क्या इन वैज्ञानिकों ने सम्बद्ध लोगों की मुट्ठी गर्म की थी? मैं उनकी बात को समझ नही पाया। प्रश्न यह था किसकी मुट्ठी गर्म करनी थी? वैज्ञानिक तकनीकी लोग हाते हैं। उन्हें व्यवस्था का पता नहीं होता कि मंजूरी किस प्रकार ली जाती है। केवल इसी कारण से कि वह सम्बद्ध अधिकारियों की मुट्ठी गर्म नहीं कर पाए–उनकी प्रौद्योगिकी को मंजूर नहीं किया गया। मैं माननीय मंत्री श्री शरद पवार जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की गम्भीरता से छान बीन करें। उन्हें केवल उत्पादकता की बढ़ोतरी करने के साथ हमारे देश में कृषि ओर बागवानी उत्पादों की गुणात्मक उत्पादकता की बारे में भी सोचना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील बोलेंगे।

अपराह्न 2.16 बजे

(तीन) गुजरात में रेल मंत्री के साथ किए गए कथित अनुचित व्यवहार के बारे में

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि जब रेल मंत्री जी कुछ घायल यात्रियों से मिलने के लिए गए तो कुछ आसामाजिक तत्वों द्वारा उनके वाहन पर पथराव करके हमला किया गया...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : असामाजिक तत्व कौन थे? उनकी राजनीतिक पहचान क्या है? मैं जानना चाहूंगा कि क्या पुलिस ने उन लोगों की पहचान की है या कोई गिरफ्तारी हुई है... *(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य स्वयं आएंगे और इस सभा के माननीय सदस्यों को घटना के बारे में बताएंगे।...*(व्यवस्था)*

श्री अनिल बसु : जब कोई केन्द्रीय मंत्री किसी राज्य का दौरा करता है तो यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह उसे सुरक्षा प्रदान करे।...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर) : जब पश्चिम बंगाल में कोई घटना होती है तो क्या वे एक घंटे के अंदर लोगों की पहचान कर लेते हैं...*(व्यवधान)* जब पश्चिम; बंगाल में कुछ होता है तो वहाँ की सरकार क्या दो घंटे में लोगों की पहचान कर लेती है? वे एक बहुत ही नया प्रश्न पूछ रहे हैं वे माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं कि क्या लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनकी पहचान की गई... *(व्यवधान)*

श्री खगेन दास (त्रिपुरा-पश्चिम) : श्री स्वाई, आप सही बयान नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के बयान के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री विजय हान्डिक : महोदय, मैं जो कहना चाहता हूं उसे पूरा कर सकता हूँ।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनिल बसु, कृपया बैठिये। माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री विजय हान्डिक : मैं माननीय सदस्यों की चिंताओं को समझता हूँ। माननीय रेल मंत्री लालूजी स्वयं यहाँ आ रहे हैं। वे गुजरात से प्रस्तान कर चुके हैं। वे रास्ते में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूँ।

श्री विजय हान्डिक : इसलिए, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे यहां आएं और घटना के बारें में बताएं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वे स्वयं एक बयान देंगे। कृपया बैठ जाइये।

अब श्री अन्ना साहेब एम. के. पाटील बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील कृपया आप बोलना प्रारंभ करें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आजमी, कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा श्री पाटील के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)**

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : महोदय, माननीय रेल मंत्री, श्री लालू जी सरकारी कार्य पर गए हुए हैं। यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे इस देश में किसी भी राज्य का दौरा करें। चाहें वह गुजरात हो या पश्चिम बंगाल हो या केरल हो। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ या उन पर हमला कैसे हुआ...*(व्यवधान)* मेरे मित्र भी इसमें साम्प्रदायिक मुद्दे को ला रहे हैं। यह सचमुच में गलत है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (खुजराहो) : सबको अपने-अपने गिरेहबान में झांकने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब ऑनरेबिल मिनिस्टर स्टेटमेंट दे चुके हैं, तो इसके बाद मैं समझता हूं कि शोर मचाने की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पाटील के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : यह सत्य है।...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाई : यह धर्मनिरपेक्ष पर हमला है।..*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद : आपको इसमें समुदाय को नहीं लाना चाहिए। आप इसमें समुदाय को क्यों ला रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इलियास आजमी, कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं हो रहा है।

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

जब मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दिया।

[अनुवाद]

कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मिस्त्री आप सीमा से बाहर जा रहे हैं कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.23 बजे

सामान्य बजट-2005-2006, अनुदानों की मांगें

कृषि मंत्रालय - जारी

[हिन्दी]

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील (इरन्दोल) : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑन एग्रीकल्चर पर चर्चा चल रही है और उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

भारत एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। इस देश में हैक्टेयर से बिलो जमीन वाले 58.5 परसेंट किसान हैं, 18.5 परसेंट किसान दो हैक्टेयर से कम जमीन वाले हैं, यानी 77 परसेंट किसान इस देश में दो हैक्टेयर से कम लैंड वाले वाले हैं। ऐसी हालत में इस देश में प्लानिंग शुरू की गई थी। उस टाइम में जो बजट की फीगर थी, एग्रीकल्चर प्रोडयूस 1952 में जी.डी.पी. की 69 परसेंट थी और आज वह 69 परसेंट से 21 परसेंट पर आ गई। इसका मतलब है कि इस देश की प्लानिंग और इस देश की सोच में गरीब किसानों की तरफ आज तक जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, जो बजट का प्रावधान है, वह भी एग्रीकल्चर पर धीरे-धीरे कम करके बहुत ही कम हो गया है। आज तो ऐसी हालत है कि कई जगह किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। मैं फीगर में बताऊं तो आन्ध्र प्रदेश में सात महीने में करीब 2600 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, कर्नाटक में भी...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ऑनरेबिल मैम्बर्स से रिक्वैस्ट करूंगा कि हाउस में व्हिस्परिंग न करें। अगर किसी को बोलना भी है, बात भी करनी है तो बाहर जाकर कर सकते हैं।

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : केरल में ढाई सौ से ज्यादा किसानों ने सात महीनों में आत्महत्याएं की हैं। एक जिले में तो 22 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। पंजाब के बारे में कहा जाता है कि कुछ भी उगाएंगे तो उग जाएगा। उस प्रदेश में भी करीब 225 किसानों ने इन 6 महीनों में आत्महत्याएं की हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम हमारे देश के बेसिक इश्यू को समझ नही पा रहे हैं। योजना आयोग समझ नहीं पा रहा है, वित्त मंत्री नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए जो प्रावधान करना चाहिए, हर एक चीज में वह प्रावधान नहीं हो रहा है। बजट किसानों की साइड से, कृषि की साइड से दूसरी तरफ जा रहा है। इससे किसानों को बहुत कष्ट सहन करना पड़ रहा है। इस देश के किसान का उत्पादन जिस मार्केट में जाता है, उस मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए केवल 72 करोड़ रुपया ही रखा गया है। इस देश में हजारों लाखों मंडियां हैं और उनके लिए सिर्फ 72 करोड़ रुपया ही रखा गया है। किसी दूसरे सरकारी विभाग को एक जगह का विकास करने के लिए भी इससे ज्यादा धन लगता है। पानी बहुत महत्वपूर्ण है। पानी के बिना किसान कुछ नहीं कर सकता है। हर प्रदेश में पानी के ऊपर काफी गहराई से ध्यान दिया जाता है। जहां-जहां पानी है वहां खेती अच्छी होती है। किन्तु उसके लिए भी हमारे बजट में केवल 10 करोड़ का ही प्रावधान किया गया है। इस देश में ऐसे बहुत से स्थान हैं, जहां बाढ़ से करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है। कई जिले सूखे से प्रभावित होते हैं। एनडीए की सरकार ने अपने समय में नदियों को जोड़ने को जो प्रस्ताव किया था, उस प्रस्ताव को इस सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। बाढ़ नियंत्रण के लिए केवल 180 करोड़ रुपयों का ही प्रावधान किया गया है। मुझे नही लगता कि इतने कम पैसे से बाढ़ नियंत्रण हो पाएगा। कैसे होगा, यह कहना मुश्किल है। किसान देहात में रहने वाला आदमी है और देहात का जब तक विकास नहीं होगा और जब तक आधुनिक विज्ञान उनकी तरफ नहीं जाता है और किसान को मार्केट की सुविधा नहीं प्राप्त होती है तब तक उसकी उन्नति नहीं हो सकती है। यह समझ कर बजट में प्रावधान करना चाहिए था। मुझे लगता है कि वह नहीं किया गया है। अनुसंधान के लिए सिर्फ 50 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : यह सही नहीं है। वह एक अलग कोष है।

[हिन्दी]

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : नॉलेज सेंटर देहात में खड़े करने हैं। वित्त मंत्री जी ने कहा था कि इससे भारत निर्माण होगा, लेकिन इससे कैसे भारत निर्माण संभव हो सकेगा। अगर छोटी-छोटी चीजों को अच्छी तरह बढ़ावा नहीं देंगे तो भारत का निर्माण कैसे होगा।

नॉलेज सैंटर्स इन विलेजेस – इस देश में 11 लाख 22 हजार हैबीटेशन्स हैं और 5 लाख 30 हजार विलेज़ेस हैं। नॉलेज सैंटर्स के लिए सौ करोड़ रुपये का प्रोवीजन है। सौ करोड़ रुपया कहां-कहां जाएगा, क्या बांटेंगे? कहीं एक हजार रुपये, कहीं सौ

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील]

रुपये और कहीं दो सौ रुपये – इतना ही बांटेंगे। इसका मतलब है कि इनकी मंशा नहीं है कि देश में डैवलपमैंट हो, देश आगे जाए और उसकी प्रगति हो।

आदरणीय मंत्री जी जिस प्रदेश से आते हैं, वहां शुगर बैल्ट की बहुत महत्ता है। इस बजट में शुगर पैकेज डिक्लेयर हुआ है। आपने शुगर पैकेज के माध्यम से क्या दिया है। आपने पैसा नहीं दिया, लेकिन यह कहा है कि जो कर्ज होगा, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दो प्रतिशत कम लगाएंगे। जब कर्ज नहीं होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कम होगा। शुगर इंडस्ट्री की हालत बहुत खराब है। उसके लिए पैकेज देना चाहिए और जिस तरह से मदद हो सके, वह करनी चाहिए। शुगर इंडस्ट्री को ज्यादा मदद देकर रिवाइव करने की जरूरत है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उस इंडस्ट्री की जितनी ज्यादा मदद कर सकें उतना अच्छा होगा।

एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ – आप चीन या दूसरे देशों की तुलना में देखें, ऐसा कहा जाता है कि हमारा देश खेती प्रधान है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे एक्सपोर्ट का प्रपोर्शन ज्यादा से ज्यादा 0.75 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत है, जो कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा प्रतिशत तो दूसरी चीजों का एक्सपोर्ट का है। कई लोग कह रहे थे कि जो प्राकृतिक चीजें एक्सपोर्ट होती हैं, यह उससे भी कम है।

किसानों के बारे में सोच रहे थे कि हमेशा कन्वैंशनल क्राप्स की बजाए डायवर्सीफिकेशन ऑफ क्राप्स हो तो अच्छा होगा। इसलिए मैंने बताया कि यदि ऐथनॉल और बायो-डीजल का निर्माण होगा तो उससे किसानों को मदद मिलेगी।

इसी तरह अगर मैडीसिनल प्लांट लगाए जाएं तो उससे किसानों को रोजगार मिलेगा। क्राप डायार्सीफिकेशन के लिए किसानों को जो सहायता चाहिए, इस बजट में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब तक किसानों की फसल को इंडस्ट्री नहीं माना जाता, सैंटर सब्जैक्ट नहीं माना जाता, तब तक हमारे देश में सैंटर और स्टेट का इंटर-रिलेशन होना बहुत मुश्किल है। आप राज्यों में पानी के बारे में ही देख लें। पानी सारे देश का है लेकिन फिर भी पानी के बारे में हर प्रदेश का अलग ही अधिकार चलता है कि हम अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश को पानी नहीं देंगे, इस प्रदेश का इतना पानी यहां रहेगा। इसी तरह देश में किसानों से संबंधित विषय सैंट्रली स्पौन्सर्ड होने चाहिए। मुझे लगता है कि कृषि का विषय कनकरैंट लिस्ट में आना चाहिए और सैंटर का विषय होना चाहिए। मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है, वह इसे कर सकते हैं।

किसानों के लिए विशेष रूप से मैंने थोड़ा-बहुत अभ्यास करके देखा है और करीब तीन सालों से किसानों के हर इनपुट्स में जो बढ़ावा मिला है, वह 38 प्रतिशत है, यानी फर्टिलाइजर्स, लेबर, पानी और बिजली में 38 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है और प्रोडयूस में 2 प्रतिशत बढ़ावा हुआ है, यानी 36 प्रतिशत लॉस हुआ है, चाहे वह पानी की दर के माध्यम से हो, फर्टिलाइजर्स की कीमत के माध्यम से हो या लेबर की कीमत के माध्यम से हो। इसीलिए जो इनपुट्स हैं, उनमें 38 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है और प्रोडयूस में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इससे बहुत बड़ा गैप मार्केट वैल्यू और इनपुट वैल्यू में हुआ है। किसानों की स्थिति को जितना समझना चाहिए, आपकी सरकार उतना समझ नहीं रही है और किसान की तरफ जितना ध्यान दिया जाना चाहिए, उतना ध्यान नहीं दे रही है। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सचिन पायलट (दौसा) : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की वर्ष 2005-06 की अनुदानों की मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

महोदय, मुझ से पहले कई वक्ताओं ने विभाग से संबंधित अनेक विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं वर्तमान सरकार के कम निर्धारण और कम आबंटन की बजाय क्रियान्वयन, अनुसरण, पारदर्शिता, तथा जवाबदेही पर अधिक ध्यान दिए जाने पर जोर देना चाहूंगा।

पिछले वर्ष-पिछले नौ महीनों में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री, और माननीय कृषि मंत्री ने अनेक बार यह स्पष्ट किया है कि हम जो नीति भी बनाते हैं, हम जो भी रूप-रेखा तैयार करते हैं, हम विभाग के लिए जितनी भी आबंटन करें वह लोगों तक तथा जिस कार्य के लिए यह राशि जारी की गई है, वहां तक यह राशि पहुंचे, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए।

महोदय, पिछले सात से दस वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कृषि मंत्रालय के बजट में बढ़ोत्तरी की गयी है। यह एक प्रकार की परम्परा बन गयी है। परन्तु पिछले वर्ष यूपीए सरकार के सत्ता में आने के बाद हमने देखा है कि सरकार के कार्य करने के ढंग में, सरकार के दृष्टिकोण में, एक वचनबद्धता है, एक दृढ़ संकल्प है तथा भारतीय किसानों के जीवन को पहले की अपेक्षा बेहतर बनाने का इरादा है।

कृषि एक गैर लाभकारी व्यवसाय क्यों बन गया है इसके अनेक कारण हैं। पश्चिमी देशों में जैसे कि अमरीका, कनाडा और आस्ट्रेलिया में भू-स्वामित्व अधिक बड़ा है तथा बहुत कम लोग कृषि पर निर्भर हैं। हमारे देश में 60 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं। भू-स्वामित्व छोटा होता जा रहा है, परिवार बड़े होते जा रहे हैं तथा भूमि विभाजन के कारण भू-स्वामित्व कृषि के लिए व्यवहार्य नहीं रह गया है।

महोदय, माननीय जोशी जी यहां उपस्थित हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि सरकार ने कोई नया कदम, कोई नई योजना अथवा कोई रचनात्मक कदम नहीं उठाया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि दीर्घ कृषि प्रबंधन के लिए 782 करोड़ रु., लघु कृषि सिंचाई के लिए 350 करोड़ रु., फसल रख–रखाव तथा पशुपालन के लिए 869.5 करोड़ रु. और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए 630 करोड़ रु. की धनराशि निर्धारित की गयी है। मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि पिछली सरकार कृषक समुदाय, श्रमिकों तथा कर्मचारी वर्ग की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने की ओर ध्यान नहीं दे रही थी। मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि इसी समुदाय के समर्थन के कारण आज हम सत्ता में हैं और यह इस सरकार का संकल्प है कि वह इस राष्ट्र की जनता के किए गए वायदों को पूरा करेगी।

महोदय, कृषि मंत्री तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट यह स्पष्ट करता है कि हम किस दिशा की ओर अग्रसर हैं। यह एक तथ्य है कि देश के अनेक राज्यों में आत्महत्याएं होती रही हैं। यह एक पुरानी समस्या बन गयी है। इस समस्या से निपटने के लिए मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार ने ग्रामीण ऋण के रूप में 1,08,500 करोड़ रु. की धनराशि निर्धारित की है तथा वितरित की है। यह राशि किसानों को आसान शर्तों पर दी जाएगी। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि कई बार किसान छोटे साहूकारों के चुंगल में फंस जाता है और वे उनसे 24 से 25 प्रतिशत तक ब्याज वसूल करते हैं।

सरकार ने इस दिशा में कार्य करना आरम्भ किया है, जिसके अंतर्गत वह ग्रामीण ऋण के दायरे को बढ़ा रही है। हम 5 से 6 प्रतिशत की ब्याज दर पर एक यात्री वाहन अथवा मारूती कार खरीद सकते हैं, परन्तु किसान को एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए 14 से 15 प्रतिशत का ब्याज देना पड़ता है।

[हिन्दी]

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में जहाँ पर किसान वर्ग है काश्तकार वर्ग है जो अपने हाथों से मेहनत करके, पसीना बहाकर, हल चलाकर जमीन का पेट फाड़कर हमारा पेट भरता है, उस देश में आज हमको ऐसा वातावरण बनाना होगा, उसे ऐसी सुविधाएं मुहैया करानी पड़ेंगी ताकि वह अपना और अपने परिवार की देखभाल कर सके। अगर एक छोटा उद्योगपति जूते–चप्पल बनाने का एक कारखाना लगाता है तो उसमें उसे जो खर्च आता है चाहे वह धागे का हो, चमड़े का हो, रबड़ का हो या मजदूरी का हो, अगर उसके 80 रुपए खर्च होते हैं तो वह उसमें 20 रुपए अपना मुनाफा जोड़कर बाजार में बेचता है। लेकिन कृषि उत्पादन में किसान को जो भी खर्च करना पड़ता है चाहे वह बीज, खाद, पानी, मेहनत किसी भी चीज के लिए हो, वह तो एक तरफ है, हम उसके लिए पहले से ही एम एस पी तय कर देते हैं। हमने देखा है कि पिछले कई सालों में किसानों के ऊपर भारी बोझ पड़ा है, लेकिन इस सरकार ने इस दिशा में खासकर सिंचाई के क्षेत्र में बहुत ही अहम कदम उठाये हैं। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि

[अनुवाद]

कृषि में सभी सार्वजनिक निवेशों का 90 प्रतिशत बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं में लगा है। निजी क्षेत्र केवल लघु सिंचाई अथवा टयूबवैल अथवा हैंडपंप अथवा बोरवेल में निवेश कर रहा है जो निवेश का बहुत सक्षम तरीका नहीं है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि सिंचाई और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्रों में और निजी निवेश करायें। आज, हम अपने खाद्य उत्पाद का केवल 2 प्रतिशत ही प्रसंस्कृत कर रहे हैं। इसे 10 प्रतिशत तक बढ़ानें के लिए हमें 1,40,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश की आवश्यकता होगी।

[हिन्दी]

यह देश एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर दो–तिहाई जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अगर हमें इस जनसंख्या का विकास करना है तो हमें एक पब्लिक–प्राईवेट पार्टनरशिप बनानी होगी और सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं।

महोदय, जब हम ऋणों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पूरे समाज में अगर किसी क्षेत्र में नॉन प्रोटक्टिव एसेट्स सबसे कम हैं तो वह है रूरल लोन्स और फार्म लोन्स पर हैं। हम चाहते हैं कि किसानों को ऋण की सुविधा और आसानी से उपलब्ध हो। हमने देखा है कि अगर कोई बड़ा उद्योगपति 100 करोड़ रुपए लोन लेना चाहता है तो उसे बैंक मैनेजर को मात्र दो फोन कॉल्स करने की जरूरत होती है और चैक बनकर घर आ जाता है। लेकिन अगर कोई किसान एक गाय खरीदने के लिए दस हजार रुपए ऋण लेना चाहता है तो उसे लेखपाल, सरपंच और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास कई दिनों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसका वैरीफिकेशन कराना पड़ता है। इतना होने के बाद भी कभी–कभी उसे रिश्वत भी देनी पड़ती है। इस माहौल को बदलने के लिए इस सरकार ने बहुत प्रभावशाली कदम उठाए हैं और मैं माननीय कृषि मंत्री जी को उनके द्वारा लिए गए फैसलों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

जहां तक इन्श्योरेन्स की बात है।

[अनुवाद]

आज प्रखंड अथवा तहसील स्तर पर निवेश की व्यवस्था उपलब्ध है।

[हिन्दी]

मुझसे पहले भी एक वक्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला था

[श्री सचिन पायलट]

पिछले महीने में राजस्थान में भीषण ओलावृष्टि में 17–18 जिले प्रभावित हुए थे। अपने निर्वाचन क्षेत्र दौसा के ओलावृष्टि प्रभावित लगभग 100 गांवों में मैं गया था। वहाँ यह दिक्कत देखने को मिली थी कि जो इन्श्योरेंस की व्यवस्था है, छोटे किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि कोई ऐसी स्कीम बनाई जानी चाहिए ताकि इश्योरेंस का दायरा व्यापक हो सके और छोटे किसानों को इसका पूरा लाभ मिल सके।

[अनुवाद]

मैं अपने निश्चित तौर से कह सकता हूं कि यह दल और यह सरकार एक विशेष राज्य ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के कृषक वर्ग की मदद करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध हैं यह मत्स्ययन, बागवानी, भेड़–पालन, गो–पालन और कृषि में हो सकता है। सरकार ने फसल विविधिकरण, खाद्य प्रसंस्करण और अनुसंधान में और धन निवेश करने के लिए नीतियां बनाने के लिए निवेश किया है और धन निर्धारित किया है ताकि हम अपनी उन कृषि तकनीकों और उपकरणों को विकसित कर सके जिनसे खेती की जाती है। यह महत्वपूर्ण है कि हम समग्र दृष्टिकोण अपनाएं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि सरकार बहुत यथा–परेक तरीके से इस समस्या का समाधान कर रही है। मैं समझता हूं कि हम सभी को सभा में अपने सभी वैचारिक और राजनैतिक मतभेदों से ऊपर उठना चाहिए। कृषक समुदाय को आज हरके संसद सदस्य की सहायता की जरूरत है। इसलिए, मैं हरके सदस्य से अनुरोध करता हूं कि कृषक समुदाय को वास्तव में मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयास का समर्थन करें। यह समय की मांग है। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि सरकार बहुत व्यवहारिक है और कृषक समुदाय की सभी जरूरतों और अकांक्षाओं के बारे में बहुत क्रियाशील है।

[हिन्दी]

मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि चार या पांच वर्षों में इस देश में किसान को पूरी दुनिया का उत्कृष्ट किसान बनाने में हमारी मेहनत रहेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब रहेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए उपाध्यक्ष महोदय आपको धन्यवाद देता हू कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (खुजराहो) : *महोदय, किसानों की हालत एवं कृषि को देखकर कृषि मांगों का समर्थन करने का प्रश्न ही नहीं उठता। उसका कारण कुछ विशेष मुद्दे हैं जिसके बिना कृषि पर बात करना कृषि के साथ अन्याय होगा। लोक सभा में किसानों का होना, बीमा, ग्रामीण ऋण, सिंचाई की सुविधा, विद्युत की उपलब्धि, फसल का लाभकारी मूल्य।

मान्यवर, किसानों को दो प्रकार की आपदाओं का कहर टूटता है। आसमानी और सुल्तानी। आसमानी आपदा जो ओला, पानी, तूफान, बाढ़, सुखाढ़ अग्निकांड। सुल्तानी शासन की गलत नीतियों के कारण खेती में हो रही परेशानी, जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं। उसकी भरपाई न होकर राहत के रूप में जो मदद होती है वह ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर होता है। परिणाम स्वरूप यह हरके को खटकता है। कर्जा हो जाता है एवं आत्महत्या को मजबूर हो जाता है।

अतः प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का कोई इन्तजाम इस बजट में नहीं है। फसल बीमा योजना किसानों की प्रायोजित तरीके से लूट है। किसान प्रीमियम अदा करता है। जब तक किसान खेत, जिसमें नुकसान हुआ है, उसको इकाई मानकर उसकी भरपाई नहीं की जायेगी तब तक किसान को कोई फायदा नहीं होगा।

इसी तरह किसान को 14–15 प्रतिशत तक राष्ट्रीय बैंकों से तथा 16 प्रतिशत ब्याज की दर पर सहकारिता से कर्ज प्राप्त होता है। जो कि सरासर अन्याय है। किसान और रिजर्व बैंक के बीच में जो बैंक बिचौलिया है, वह प्राइवेट साहूकार से कम नहीं है।

अतः एन.डी.ए. में अटल जी की सरकार ने 9 प्रतिशत ब्याज पर किसान को कर्ज देने की स्वीकृति प्रदान की थी, उस पर अमल करें।

मान्यवर, कृषि सिंचाई बिजली एवं ग्रामीण ऋण सुविधा के बिना अधूरी है। देश में जल प्रवाहनी नदियां हैं। उनका दोहन कर उस जल को खेतों में पहुंचाने का काम किया जाये। खेत लहलहा सकते हैं। लाखों एकड़ जमीन असिंचत पड़ी है। उसकी चिन्ता नहीं की गयी।

चम्बल सहित अनेक नदियां हैं, जिनमें लाखों एकड़ भूमि बीहड़ के रूप में पड़ा है। उस के समतलीकरण की क्या योजना है। जहां एक तरफ जमीन समतल होगी सिंचित होगी वहीं डकैतों की समस्या भी हल होगी एवं बेरोजगारों को काम मिलेगा। पलायन रूकेगा। किंतु, इस विषय में कोई उल्लेख वित्त मंत्री ने नहीं किया।

खेती के लिए बिजली आवश्यक है। मान्यवर 50 सालों बाद भी विद्युत की कमी है। हजारों एकड़ भूमि की फसल केवल इसलिये सूख गयी है कि बिजली न मिलने के कारण सूख गयी। इस साल तो वर्तमान केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश के कोटा की बिजली प्रदान कर महाराष्ट्र एवं बिहार को दे दी। चुनाव को ध्यान में रखकर। इस तरह से प्रतिशोध से कार्य होगा तो कैसे देश प्रगति कर सकता है एवं देश की खेती प्रगतिशील हो सकती है।

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

डूब की भूमि, उत्तर भूमि को ठीक करने का भी कोई स्थान इस बजट में नहीं बताया है। साथ ही सीमेंट, लोहा, विद्युत की दरें बढ़ाकर किसानों को समस्या खड़ी कर दी है। जैविक खेती उद्यान की मेडीशनल खेती इनको प्रोत्साहन का कोई विशेष योजना नहीं, जो योजना थी उसकी कमी हुयी है।

ग्रामीण गोदामें बनाने की योजना एन डी ए ने शुरू की थी, किंतु आपने बंद कर दी है। गन्ना किसानों एवं सुगर इंडस्ट्री को भी मदद करने की आवश्यकता है।

अतः अंत में यदि खेती में समय पर बिजली, पानी खाद एवं लाभकारी मूल्य यदि किसानों को मिलता है उनकी फसल की बीमा होता है। प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा की गारंटी मिलती है तो कृषि उन्नति हो सकती है। एन.डी.ए. सरकार ने जो किसानों को सुविधायें दी थी। क्रेडिट कार्ड सस्ता ऋण एवं मार्केटिंग की सुविधायें दी थीं उनको बरकरार रखकर और आगे बढ़कर खेती को उद्योग की तरह मदद करें तो निश्चित ही भारतीय कृषि वरदान बन सकती है एवं राष्ट्र का समर्थन बन सकता है।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : महोदय, हम यहां बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम इस सत्र में कृषि के संबंध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा कराई गई है। यह ठीक ही कहा गया है कि सप्रंग सरकार कृषक समुदाय के प्रति वचनबद्ध है और यह इस पर ठीक ही जोर दिया गया है कि कृषि सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट प्रतीक्षा कीजिए। जो माननीय सदस्य अपने भाषण पटल पर रखना चाहते हैं वे सभा पटल पर रख सकते हैं। और उनके भाषण सभा की कार्यवाही का भाग होंगे।

श्री प्रबोध पाण्डा : हम इस बात से इंकार नहीं कर सकते हैं कि कृषि क्षेत्र की उपेक्षा को एक मुख्य कारण के रूप में देखा गया था जिससे राजग की हार हुई। इस बार कृषि और इससे सम्बद्ध क्षेत्रों को 6,425 करोड़ रुपए मिले हैं। यह पूर्व वर्ष के मुकाबले 34 प्रतिशत अधिक है। इसे बहुत प्रभावपूर्ण वृद्धि माना जा सकता है। परन्तु यदि हम बारीकी से आंकड़े देखें तो पाएंगे कि यह बहुत प्रभावपूर्ण नहीं है जैसा कि वचन दिया गया था और जिसकी बात की गई थी। माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्त बजट ग्रामोन्मुखी और कृषकों के अनुकूल बजट के रूप में देखा गया है। परन्तु यह बजट में उपयुक्त स्वीकृति और वित्तीय आबंटनों सहित निर्धारित लक्ष्यों में अनुरूप नहीं है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें अनेक कमियां हैं।

महोदय, सिंचाई, फसलों का विविधिकरण, ग्रामीण ऋण और कृषि अनुसंधान जैसे मुद्दे है। मैं नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रो. अर्मात्य सेन का उल्लेख करना चाहूंगा जिन्होंने चार क्षेत्रों को रेखांकित किया है जिनपर विचार किए जाने की जरूरत है। एक है स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली। यह एक भिन्न चीज है। दूसरा है भूमि सुधार और इसे अव्यवस्थित करना। उत्तरोत्तर सरकारों द्वारा इसकी पूरी तरह उपेक्षा की गई है। आज की सरकार भी इस पर उचित ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि मैं निसंदेह मानता हूं कि कृषि और भूमि दोनों राज्य के विषय हैं। किंतु केन्द्र सरकार को राज्य सरकार सही तरीके से चलने के लिए प्रेरित करने का अधिकार है। तीसरे, इन्होंने मौलिक शिक्षा की बात की है। मैं इस प्रश्न को नहीं उठा रहा हूं। चौथा है, लघु ऋण की उपलब्धता।

महोदय, मैं सिंचाई की बात पर आता हूं। सिंचाई के बिना कृषि विषय पूरा नहीं है और इस पर पूरी चर्चा नहीं की जा सकती। भारत निर्माण परियोजना के अंतर्गत और 10 मिलियन भूमि की सिंचाई की जानी है। यही लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सिंचाई के विकास में गिरावट हुई है क्योंकि सातवीं योजना से कोई मध्यम और बड़ी परियोजना शुरू नहीं की गई है, और यह एक काल्पनिक कार्य प्रतीत होता है।

महोदय, इसमें तीन मिलियन हेक्टेअर भूमि को 2007 तक लघु सिंचाई और स्प्रिंक्लिंग प्रणाली यथा ड्रिप सिंचाई और तीन मिलियन हेक्टेअर भूमि को स्प्रिंक्लिंग सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत लाने की बात की गई है। यह दूर की बात है क्योंकि परियोजना को 2 वर्ष तक चलाने के लिए अनुमानित 10,500 करोड़ रुपए की आवश्यकता के मुकाबले इस उद्देश्य के लिए केवल 400 करोड़ रुपए निमित किए गए हैं। इसके अलावा ऐसी लघु सिंचाई प्रणाली से चावल और गेहूं जैसी फसलों को मदद नहीं मिलेगी। वे कम से कम बागवानी और सब्जी की फसलों के लिए मदद कर सकते हैं। हमारे देश की प्रमुख फसलें चावल और गेहूं हैं और उनके लिए सिंचाई की समस्या बनी हुई है। इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। खाद्य राजसहायता विधेयक का क्या हुआ? खाद्यान्नों के भंडारण, रखरखाव और परिवहन के लिए खाद्य राजसहायता विधेयक में गत वर्ष के 25,800 करोड़ रुपए की तुलना में 26,200 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। यह बहुत कम वृद्धि है। मेरा कहना है कि हमारे देश का खाद्य खरीद परिदृश्य बहुत निराशाजनक है। सरकार देश के बड़े भागों में कम दामों पर बिक्री को रोकने में भी विफल रही है।

महोदय, न्यूनतम समर्थन मूल्य न तो लाभकारी है और न ही समर्थनकारी है। जहाँ तक धन का प्रश्न है तो इस वर्ष हममें केवल 10 रुपए बढ़ाए गए हैं। जबकि मुद्रा स्फीति की दर 6 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक बढ़ गई है वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल 1.8 प्रतिशत बढ़ा है। यह उससे अधिक नहीं है। यह न तो लाभकारी है

[श्री प्रबोध पाण्डा]

और न ही समर्थनकारी। किसान का अर्थ केवल खेत मालिक ही नहीं है। हमारे देश में अधिकांश किसान लघु और सीमांत किसान हैं। ये कृषक समुदाय का 65 प्रतिशत हिस्सा हैं। उनमें से अधिकांश को कम दाम पर बिक्री करने के लिए बाजार जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कम दामों पर बिक्री रोकने तथा गरीब सीमांत किसानों को लाभकारी मूल्य देने हेतु कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है।

महोदय, लघु सिंचाई प्रणाली से धान और गेहूं की फसलों को मदद नहीं मिलती। मैंने पहले ही इसका जिक्र किया है। फिर भी खाद्य सुरक्षा की मुश्किल है। हालांकि हमारे खलिहानों में बड़ा भंडार है फिर भी हमारी जनता का एक बड़ा वर्ग भूखा है। यह हाल ही में जारी भारत विकास रिपोर्ट में सामने आ चुका है। जिसमें गरीबों की खाद्य असुरक्षा की हालत का वर्णन किया गया है। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है।

अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में 1999 से 2003 तक 20 प्रतिशत की गिरावट आ गई है। उसी अवधि में दालों की उपलब्धता 36.5 ग्राम से गिरकर 28.2 ग्राम हो गई है। आज भी भारत में 47 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं, 74 प्रतिशत रक्ताल्पता से पीडित हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 15–49 आयु वर्ग की 34 प्रतिशत विवाहित महिलाएं शारीरिक रूप से कमजोर हैं, उसी आयु–वर्ग में 54 प्रतिशत को शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है और 50 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं माइक्रोन्यूट्रिएंट कमी से पीड़ित हैं। इसलिए, मुख्य चिंता केवल विविधिकरण की नहीं होनी चाहिए। मैं विविधिकरण के खिलाफ नहीं हूं परन्तु उन गरीब किसानों का क्या होगा जो मुख्य फसलें मक्का, धान, गेहूं और अनाज पैदा करने में लगे हुए हैं।

हमारे देश में परिदृश्य ऐसा है कि विभिन्न भागों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वे कष्ट में हैं क्योंकि वे ऋण जाल में फंसे हुए हैं। सरकार के इस बारे में क्या ठोस प्रस्ताव हैं? वे संस्थागत ऋण नहीं बल्कि गैर–वित्तीय संस्थाओं से भी ऋण ले रहे हैं। इसलिए क्या इन गैर – संस्थागत वित्तीय एजेंसियों को संस्थागत वित्तीय एजेंसियों के नेटवर्क में लाने का कोई प्रस्ताव है। इस वर्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

मैं सामान्य तौर पर माननीय मंत्री श्री शरद पवार की प्रशंसा करता हूं। एक अनुभवी मंत्री हैं और हमारे देश के अनुभवी नेता हैं। वह समस्याओं को जानते हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि समस्या उनके मंत्रालय में नहीं है समस्या वित्त मंत्रालय में है। आवश्यक राशि वित्त मंत्रालय द्वारा आबंटित नहीं की जा रही है। कृषक समुदाय के प्रति पूर्ण वचनबद्धता की बातें बजट में प्रतिबिंबित नहीं हो रही हैं। इसीलिए, मेरा कहना है कि यह केवल वाग्जाल है और इसमें अनेक कमियां है मुझे आशा है कि माननीय मंत्री समस्या का समाधान करने में समर्थ होंगे और संप्रग सरकार जो कृषक वर्ग के प्रति वचनबद्ध है, वह किसानों और कृषि क्षेत्र की भलाई के लिए आवश्यक कदम उठायेगी।

*श्री खगेन दास (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, मैं वर्ष 2005–06 के लिए कृषि संबंधी बजट का समर्थन करने हेतु खड़ा हुआ है। हमारा दल सी पी आई (एम) कुछ 'न्यूनतम साझा कार्यक्रम' के आधार पर संप्रग सरकार को बाहर से समर्थन दे रहा है।

हम निरन्तर न्यूनतम साझा कार्यक्रम का कड़ाई से पालन करने की मांग कर रहे हैं। जहां हमारे देश के गरीब किसानों की आर्थिक दशा सुधारने पर बल दिया जाता है।

वर्तमान कृषि संबंधी बजट में कुछ सीमा तक उस नीति को दर्शाया है और हमें आशा है कि सरकार कृषि क्षेत्र का विकास करने हेतु विभिन्न योजनाओं को लागू करेगी।

वर्षों से कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और भविष्य में भी सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बनी रहेगी।

यह उचित समय है कि कृषि क्षेत्र का स्वस्थ विकास करने के लिए अनुकूल वातावरण विकसित किया जाए।

यद्यपि, कृषि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? लेकिन दुर्भाग्य से कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान गिरकर 22% तक रह गया है।

कृषि पर श्रमिकों की निर्भरता अभी भी बहुत अधिक है (लगभग 58%)

मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में खाद्यान्नों की उपलब्धता समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अनियमित और असमान है।

इसके अतिरिक्त, कुपोषण की घटनाएं हैं, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले हजारों लोगों का दिन में दो जून का भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। वस्तुतः हमने अभी तक इस अर्थ में खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त नहीं की है।

1996 में रोम में हुए 'विश्व खाद्य सम्मेलन'' में स्वीकार की गई खाद्य सुरक्षा की परिकल्पना है खाद्य सुरक्षा तब होती है जब सभी लोगों को हर समय अपनी खुराक संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए और सक्रिय तथा स्वस्थ जीवन यापन के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पोषक खाद्य वास्तविक और आर्थिक तौर पर प्राप्त होता है।''

इस संदर्भ में भारत के लिए अपने कृषि क्षेत्र को व्यवहार्य और स्थायी बनाने हेतु दीर्घावधि नीति संबंधी कदम उठाना बहुत महत्वपूर्ण है।

ग्रामीण गरीबों में कृषि संबंधी ग्रामीण संकट का सबसे स्पष्ट लक्षण है उनकी प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता में भारी कमी होना है।

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

किसान की आत्महत्या की संख्या आजादी के बाद सबसे ऊपर पहुंच गई है।

'लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली' से वास्तव में वर्तमान 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' समाप्त हुई है जो स्वयं अपर्याप्त थी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली समाप्त होने से गरीबों को बहुत क्षति पहुंचती है। जिसमें सर्वाधिक प्रभावित जनजातीय क्षेत्र हैं जहां भूख और भूख से मौतें एक नियमित बात हो गई है।

हमारी 26% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है।

बेरोजगारी लोगों के लिए अकेली सबसे बड़ी समस्या बन गई है।

यह वर्षों से चलाई जा रही उदारीकरण और निजीकरण की नीति का परिणाम है।

किसानों का बड़ा वर्ग उच्च लागत कीमत और निम्न उत्पादन कीमत के बीच फंसा हुआ है।

बहुत से उत्पादों पर राजसहायता वापस लेने, विद्युत और सिंचाई की बढ़ती हुई लागत ने किसानों को भारी ब्याज दरों पर महाजनों से ऋण लेने के लिए बाध्य किया है जिससे उत्पादन की लागत में वृद्धि हो गई है।

वाणिज्यिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका किसानों को ऋण देने के लिए संतोषजनक नहीं है।

उपर्युक्त के बावजूद भी 2005-06 के बजट में कृषि विपणन, बागवानी कृषि अवसंरचना, ऋण देने इत्यादि के विकास के लिए अनेक अनुकूल स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया गया है और यद्यपि कुछ संदेह और आपत्तियां हैं परंतु फिर भी यह प्रशंसनीय है।

2005-06 के बजट में भारत निर्माण परियोजना के अंतर्गत 4 वर्षों में 10 मिलियन हेक्टेअर सिंचाई का लक्ष्य तय किया गया है। लेकिन सिंचाई के विकास में कमी तथा आसानी से सिंचाई किए जाने वाले क्षेत्र समाप्त होने के कारण यह लगभग काल्पनिक प्रतीत होता है।

परन्तु इसका बड़ा कारण है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना से ही कोई नई मध्यम अथवा बड़ी परियोजना शुरू नहीं की गई है।

बजट में 2007 तक 3 मिलियन हेक्टेअर को लघु सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत शामिल करने की बात की गई है।

यह भी असम्भव प्रतीत होती है क्योंकि इस योजना के शेष 2 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की अनुमानित आवश्यकता की तुलना में इस उद्देश्य के लिए केवल 400 करोड़ रुपए ही रखे गए हैं।

बजट में सहकारी ऋण अवसंरचना के पुनरूद्धार की आवश्यकता की भी बात की गई है परन्तु ऐसा करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं बताये गए हैं।

कृषि अनुसंधान और शिक्षा को भी बजट में बहुत अधिक नहीं मिला है। कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी हाल ही के प्रतिवेदन में इस नेटवर्क के लिए एकमुश्त 1000 करोड़ रुपए के कैच-अप अनुदान की सिफारिश की है। परन्तु बजट में इसकी अनदेखी की गई है।

प्रस्तावित 'राष्ट्रीय बागवानी मिशन' के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा 2005-06 के लिए 2,015 करोड़ रुपए की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया था। लेकिन बजट में इस हेतु 630 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

पशुपालन क्षेत्र एक क्षमतापूर्ण क्षेत्र होते हुए भी अनदेखी की गई है।

भारत फल और सब्जी उत्पादन में विश्व में अग्रणी है परन्तु गेहूं, चावल, अथवा दालों अथवा तिलहनों जैसे खाद्यान्न के क्षेत्र में नहीं।

कृषि का विविधिकरण खाद्य फसलों की शर्त पर नहीं होना चाहिए।

भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था अनाज उन्मुखी होनी चाहिए।

बजट में ग्रामीण गरीब लोगों को पर्याप्त पोषण प्रदान करने पर ओर ध्यान दिया जाना चाहिए था।

अब हम दसवीं योजना के चौथे वर्ष में है। विशेषज्ञों ने पहले ही व्यक्त किया है कि दसवीं योजनावधि के दौरान 8% की लक्षित विकास दर को प्राप्त नहीं किया जा सकता।

कृषि क्षेत्र के विकास में ही हमारे आर्थिक विकास की कुंजी है।

अपेक्षित विकास हासिल करने के लिए हमें एक विशेष समय में सम्पूर्ण देश में भूमि-सुधार प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा।

अतिरिक्त भूमि और खेती योग्य बंजर भूमि का भूमिहीनों में वितरण करना पड़ेगा।

कमियों के बावजूद भी 2005-06 के कृषि बजट को सभी वर्गों के लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। जो कि स्वागत योग्य है।

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर) : भारत की एकमात्र संस्कृति कृषि है। 2005 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए अच्छी घोषणाएं की गई हैं। राजनैतिक उथल-पुथल इस क्षेत्र की अनदेखी का एक कारण था। ग्रामीण क्षेत्र की अवश्य ही जांच की जानी चाहिए।

बजट में ग्रामीण गरीबों को पर्याप्त पोषाहार प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए था।

बागवानी जिसे 630 करोड़ रुपए मिलें हैं, वह दालों और तिलहनों की तरह देश की प्राथमिकता नहीं है। भारत फल और सब्जी के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। परन्तु गेहूँ और चावल जैसे खाद्यान्नों में नहीं है।

यह सब सहारा अफ्रीका से भी अधिक खराब स्थिति में है जहां कि हरित क्रांति भी नहीं हुई थी।

कई वर्षों से भारत में कृषि वैज्ञानिक, विशेषकर चावल और गेहूं के पौधे पैदा करने वाले इस उपज की बाधा को नहीं तोड़ पाए हैं। मृदा विज्ञानी और कृषि विज्ञानी इस दिशा में दूरदृष्टि देने में विफल रहे हैं।

लघु बांध, बांध और समग्र वाटरशेड प्रबंधन इस समय की आवश्यकता हैं। श्री चिदम्बरम के बजट की ग्रामीण कहावत का तभी कोई अर्थ होगा जब निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए।

गत अनेक दशकों के अनुभव को देखते हुए सरकारी धन का ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाना आसान नहीं होगा। ग्रामीण समुदायों की मांग पूरा करने हेतु कृषि विज्ञान केन्द्रों के पास आधुनिक आई सी टी सुविधाएं होनी चाहिए।

देश में अकेले राज्य उड़ीसा, जो कि कृषि का दैवीय राज्य है, की केंद्र द्वारा बहुत उपेक्षा की गई है। केंद्र सरकार को मेरे राज्य उड़ीसा जो कि गरीबी रेखा से नीचे है पर विशेष ध्यान देना चाहिए और अधिक अनुदान आबंटित करना चाहिए। राज्य को सूखे से बचाने के लिए, मैं केन्द्र सरकार से तत्काल धन आबंटित करने की प्रार्थना करता हूं।

राज्य को बढ़ावा देने के लिए कृषि उन्मुखी उद्योग के प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यहाँ के किसान अन्य राज्यों की तुलना में बहुत गरीब हैं। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि चालू बजट में इसे तत्काल अनुदान उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान शामिल किया जाए।

[हिन्दी]

*श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर) : *महोदय, कृषि मंत्रालय द्वारा इस साल बजट में देश के किसानों के जीवन में आर्थिक स्थिति सुधार हो ऐसा कोई प्रयास तथा प्रावधान नहीं किया गया है।

भारत निर्माण का नारा लगाने वाली इस यू.पी.ए. सरकार ने कृषि प्रधान देश के किसानों को उनके उत्पाद अनाज व अन्य उत्पादों को उचित दाम देने संबंधी कोई प्रावधान बजट में नहीं किया। जबकि किसानों को उत्पाद पर आने वाले व्यय पर आधारित दाम देना या उत्पादन पर आने वाले व्यय की कमी पर विचार करना ही पड़ेगा तथा किसान आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनेगा।

खाद, बीज पर व अन्य सामग्री पर सब्सिडी सीधे किसानों को मिले ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए। सिंचाई संबंधी सरकार की घोषणा सर्व समावेशक नहीं है। एक करोड़ हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने की योजना में देश के सभी राज्य, सभी क्षेत्रों में वन अधिनियम वन संवर्धन कानून के वजह सिंचाई प्रोजेक्ट अड़े हुए हैं। उन वन बहुल क्षेत्रों को जिनमें आसाम, नागालैंड, पूर्वोत्तर राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र बनने हेतु वन कानून से सम्पति दिलाने का उल्लेख इसमें नहीं है। इस क्षेत्र को भी सरकार की सिंचाई संबंधी योजना का लाभ प्राप्त होने की नीति तय करनी चाहिए तथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र गढ़चिरोली व चंद्रपुर जिले के वन विभाग तथा मंत्रालयों द्वारा रूके हुए सिंचाई परियोजनायें पूरी कराने की जिम्मेवारी कृषि मंत्री लें।

देश में बायो डीजल व इथेनॉल संबंधी नये संशोधन हुये। कृषि उत्पाद पर आधारित अनेक उत्पादों, जिनमें जट्रोपा, करंजी, रतनज्योत जैसे उत्पादों से बायो डीजल का उत्पादन किया गया, इस पर गाड़ियां चलायी जा रही हैं। अविष्कार सफल हुये। जर्मनी, ब्राजील जैसे देशों में व अन्य देशों में बायो डीजल का प्रयोग किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्य मंत्री अपनी कार सिर्फ बायो डीजल पर ही चला रहे हैं तथा बायो डीजल पर चलाने की घोषणा की है।

इथेनॉल को पेट्रोल में मिश्रित करने का कार्यक्रम पिछली एन डी ए सरकार ने दिया था। पांच प्रतिशत इथेनाल आवश्यक मिश्रित करना निश्चित किया था। लेकिन यू.पी.ए. सरकार द्वारा इथेनाल मिश्रित पेट्रोल की जरूरत आवश्यक नहीं होने का ऐलान किया इस नीति से देश के चीनी उद्योगों का साथ में गन्ना उत्पाद करने वाले किसानों को भारी क्षति हुयी। बायो डीजल व इथेनाल मिश्रित करने की नीति देश के किसानों को विकास की ओर व आर्थिक सम्पन्न बनाने वाली नीति है। देश की पेट्रोलियम जरूरत हम अन्य देशों से पेट्रोलियम सामग्री आयात करने के बजाय किसानों द्वारा पूरी कर सकते हैं। हम देश की मुद्रा बचा सकते हैं। ब्राजील में 30 प्रतिशत इथेनाल पेट्रोल में मिश्रित किया जाता है। यह सफल प्रयास है।

सरकार जट्रोपा, करंजी, रतनज्योत व अन्य ऐसे उपज हुए किसानों को सहायता व प्रोत्साहित करें। साथ में किसानों को दिये

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जा रहे ऋण पर ब्याज दर कर करें, यही मांगों को कृषि संबंधी अनुदानों की मांगों के संबंध में मैं करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम. शिवन्ना (चामराजनगर)* : महोदय, आपने वर्ष 2004-05 हेतु कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का जो अवसर दिया है उसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पार्टी जनता दल (एस) की ओर से इन मांगों का समर्थन करता हूं।

सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनियां जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वर्ष 2004-05 में मेरे राज्य के लिए 13556 करोड़ रुपये का वार्षिक योजना व्यय स्वीकृत किया है। मैं श्री शरद पवार जी को भी धन्यवाद देता हूं जो न केवल एक अनुभवी और क्रांतिकारी नेता हैं अपितु हमारे देश के किसानों की दशा में सुधार के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह, कर्नाटक सरकार ने भी कृषि क्षेत्र को सर्वोपरि प्राथमिकता दी है, विशेषकर इस चालू वर्ष में। वर्ष 2004-05 के लिए कृषि क्षेत्र हेतु वार्षिक बजटीय आबंटन राशि में वृद्धि कर उसे 412 करोड़ रुपये से 840 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वास्तव में, कृषकों को इस तरह का प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता है। क्योंकि कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है।

महोदय, कर्नाटक सरकार लगातार चौथे वर्ष विकट सूखा की स्थिति का सामना कर रही है। यहां सिंचित भूमि का प्रतिशत बहुत कम है और अधिकतर किसान सिंचाई के लिए इन्द्र देवता पर निर्भर रहते हैं। यहां के चामराजनगर, कोलार और बेलगांव जिलों सहित कई जिलों में पेयजल की समस्या बनी रहती है। अतः राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार में यह अनुरोध किया है कि वह सूखा राहत कार्यों के लिए कर्नाटक को समुचित मात्रा में धन उपलब्ध कराये। इसके लिए राज्य सरकार ने 1147.11 करोड़ रुपये की मांग की है। इस संबंध में भारत सरकार के गृहमंत्रालय ने हमें सूचित किया है कि सूखा राहत कार्यों के लिए शीघ्र ही 49.14 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जायेगी। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस धनराशि में बढ़ोत्तरी करें क्योंकि कर्नाटक की वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है।

मेरी समझ से कृषि क्षेत्र में विपणन और भंडारण दो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। दोषपूर्ण भंडारण के कारण खाद्यान्न की बड़ी मात्रा चूहों द्वारा हजम कर ली जाती है। कभी-कभी अत्याधिक बारिश के कारण भंडारण कक्ष और गोदाम में पानी भर जाता है। जिससे खाद्यान्न सड़कर नष्ट हो जाता है। कुछ अन्य मामलों में खाद्यान्न इसलिए नष्ट हो जाता है क्योंकि उसके भंडारण की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। भारतीय खाद्य निगम के पास पर्याप्त संख्या में गोदाम नहीं हैं। अतः माननीय कृषि मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह कर्नाटक में पर्याप्त संख्या में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम बनवाने की कृपा करें। हाल में प्याज, टमाटर और आलू के दामों में काफी गिरावट आयी है। वास्तव में, गत दो तीन वर्षों से यही स्थिति है। गन्ना उत्पादकों और कपास उत्पादकों की स्थिति भी शोचनीय है क्योंकि उन्हें अपने उत्पादों का समर्थन मूल्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अतः भारत सरकार को इस राज्य की सहायता के लिए आगे आना चाहिए और यहां विपणन सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। उदाहरण के लिए अनुसंधान अध्ययनों से यह पता चला है कि कॉफी कैंसर रोग के निदान में सहायक है। यदि ऐसा है, तो केन्द्र सरकार ने देश में तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफी की बिक्री को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं? कर्नाटक में नारियल उत्पादकों की स्थिति बहुत खराब है। यहां 'नूसी' और 'रूट विल्ट' रोग के कारण नारियल के लाखों पेड़ बर्बाद हो गये हैं। राज्य के अधिकतर भागों में 'ब्लैक हेड' और 'व्हाइट हेड' वाले कीड़ों ने नारियल पेड़ों पर धावा बोला है। अतः इन रोग ग्रस्त नारियल पेड़ों को हटाये जाने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार इस तरह से बर्बाद नारियल पेड़ों की कटाई और उनको वहां से हटाने के लिए वित्तीय सहातया देती रही है। अब भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता बंद कर दी गयी है। राज्य इस स्थिति में नहीं है कि प्रति पेड़ रु. 25/- से ज्यादा दे सके। इस धनराशि को बढ़ाकर कम से कम 200 रुपया प्रति पेड़ किये जाने की आवश्यकता है। अन्यथा किसानों की स्थिति और अधिक खराब हो जायेगी। उत्तर कर्नाटक में अपनी कपास की फसल जलाने के बाद कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि माननीय मंत्री जी ने इस विषम स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाये हैं।

पूरे कर्नाटक राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाये जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त पूरे राज्य में शीतागार तथा प्रशीतन केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए। इससे किसान 'केच अप' 'सॉस' इत्यादि निर्मित कर सकेंगे। इसके अलावा आम, संतरा, अंगूर, चीकू इतयादि फलों के 'जूस' भी तैयार कर सकेंगे। इसलिए किसानों के लिए शीतागार सुविधाएं अत्यधिक जरूरी हैं और केन्द्र सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह इस काम में सहायता करें।

मैं कुछ उन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में जानने का उत्सुक हूं जो अधर में फंसी हुई हैं। कापिनी-II चरण परियोजना के बारे में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। मारकंडेय परियोजना के लिए 120 करोड़ रुपये आबंटित किये गये थे। लेकिन किसी को पता नहीं कि इस परियोजना का क्या हुआ? इसी तरह ब्राइला हैंगाला परियोजना के लिए 8 करोड़ रुपये इसलिए आबंटित किये गये थे कि किट्टूर रानी चेन्नम्मा क्षेत्र के गरीब ग्रामीणों को पेयजल

* सभापटल पर रखे गये मूलतः कन्नड भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

[श्री एम. शिवन्ना]

उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन अब ये सारी परियोजनाएं गुम हो गयी हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री श्री शरद पवार जी वाद-विवाद का उत्तर देते समय इन सभी प्रश्नों का जवाब देंगे।

बंगलौर (कर्नाटक) और होसुर (तमिलनाडु) में पैदा होने वाले गुलाब के फूलों के निर्यात में बढ़ोत्तरी हुई है। यह निर्यात उत्सवों के समय जैसे क्रिसमस में कई गुना बढ़ सकता है। जर्मनी में ट्यूलिप के फूलों का अच्छा-खासा उत्पादन होता है। मैं समझता हूं कि यदि केन्द्रीय कृषि मंत्रालय भारत के किसानों को फूलों की खेती के लिए समुचित प्रोत्साहन दे तो भारत इन सुंदर फूलों के उत्पादन में जर्मनी से आगे निकल सकता है और इनका निर्यात कर सकता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी एक वरदान साबित होगी क्योंकि इससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकेगी।

हमारे देश में कई कृषि अनुसंधान केन्द्र हैं। इस बात के प्रयास किये जो रहे हैं कि संकर नस्ल की गायों और भैंसों को प्राप्त किया जा सके ताकि दूध की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। इन प्रयासों को जारी रखा जाना चाहिए। यदि नारियल पानी को वैज्ञानिक ढंग से प्रसंस्कृत कर उसे संरक्षित और पैक किया जाये तो उसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध हो सकता है। यहां कैम्पाकोला और कोकोकाला की भरमार है तो महोदय हम कोकोनट कोला के बारे में क्यों नहीं सोचते?

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर जो चर्चा चल रही है, मैं उस पर हिन्दी में बोलूंगा। मैं हिन्दी में बोलने की कोशिश करूंगा लेकिन बीच-बीच में अंग्रेजी में बोलने के लिए क्षमा चाहूंगा क्योंकि दुनियां में बहुत सारी चीजें हो गई हैं। मैं ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, डब्ल्यूटीओ, एग्रीमैंट ऑन एग्रीकल्चर, ट्रिप्स आदि का इस्तेमाल अंग्रेजी में करना चाहता हूं। जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं।

अपराह्न 3.00 बजे

यह हमारा सौभाग्य है कि श्री शरद पवार जी हमारे देश के कृषि क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे देश को आजाद हुए 57 वर्ष हो गए हैं और कृषि के क्षेत्र में भयंकर संकट पैदा हुए। अब इस संकट को संभालना मुश्किल हो गया है। यूपीए सरकार बनी, हमने इसे समर्थन दिया। यूपीए सरकार के नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो कुछ बताया गया अगर वह इम्पलीमेंट होता तो ग्रामीण क्षेत्र के किसानों, खेत मजदूरों और गरीबों को कुछ मदद मिल सकती थी। दुर्भाग्य की बात है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है और सरकार की पॉलिसी का जब डिक्लेरेशन हुआ, उसमें अगर हम देखें तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो मेजर चीज लेने के लिए बोला था उसका रिफ्लेक्शन सरकार की पॉलिसी में नहीं आया।

महोदय, वर्ष 2004-05 जीडीपी का प्रोजेक्ट टार्गेट 7.85 परसेंट था जो डिक्लाइन हो कर 7 परसेंट हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वर्ष 2004-05 के सेकिण्ड क्वार्टर में कृषि क्षेत्र में डाउनट्रेनिंग ग्रोथ हो गया जो वर्ष 2003 के थर्ड क्वार्टर से शुरू हुआ और वर्ष 2004 में 0.8 परसेंट जीडीपी की नेगेटिव ग्रोथ हो गई। कृषि क्षेत्र में संकट है और इसी संकट का रिफलेक्शन आया है।

महोदय, भारत की जनसंख्या का 90 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है जो किसान, खेत मजदूर और गरीब है। एक कहावत है "वे कर्ज में ही पैदा हुए, कर्ज में रहे और कर्ज में ही चल बसे" अंग्रेजों के शासन में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर गठित हुआ था। रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट में लिखा गया था कि "वे कर्ज में ही पैदा हुए कर्ज में ही रहे और कर्ज में ही चल बसे" आज किसान के मरने के बाद उसका परिवार कर्ज के बोझ में पड़ जाता है।

अपराह्न 3.04 बजे

(श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए)*

रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर अंग्रेजों के शासन में गठित हुआ था और जो रिपोर्ट में कहा गया था यह आज भी सच है। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है? वर्ष 1990 के दशक में कृषि के क्षेत्र में खाद्य और दूसरी फसलों का उत्पादन वर्ष 1980 के दशक की तुलना में 3.17 परसेंट से कम होकर 1.73 परसेंट हो गया।

90 के दशक में हमारी पौपुलेशन में 1.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि कृषि में वृद्धि 1.73 प्रतिशत रही। इस प्रकार कृषि क्षेत्र का विकास जनसंख्या के मुकाबले नीचे चला गया। यह स्थिति बड़ी भ्यानक है।

सभापति जी, 1997 से लेकर 2004 तक हमारे देश के 25 हजार किसानों ने खुदखुशी की और एन.डी.ए. सरकार के पिछले तीन साल में यह संख्या 10 हजार रही। किसानों ने मजबूरी में खुदखुशी की। एन.डी.ए. के 6 साल के समय में कृषि विकास के लिये कोई ध्यान नहीं दिया गया, फंडस् का एलोकेशन कम किया गया और दो साल के अंदर डब्ल्यूटीओ के तहत क्वांटिटी रैस्ट्रिक्शन हटा दी गई है। जिसका असर कृषि क्षेत्र पर पड़ा। कृषि फसल के दाम क्रेश हो गये। इसका असर यह हुआ कि किसानों को मजबूरी में खुदकुशी करनी पड़ी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : श्री अनिल बसु, क्या आप एक मिनट मेरे लिए रूक सकते हैं।

श्री अनिल बसु : हां, हां, क्यों नहीं?

श्री सभापति महोदय : कृपया माननीय सदस्य के भाषण में व्यवधान पैदा न करें।

श्री बिक्रम केशरी देव : महोदय, मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। और माननीय सदस्य इसके लिए रूकने को भी तैयार नहीं हो गये हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बाद में माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव : महोदय, मेरा नाम वक्ताओं की सूची में नहीं है। मैं केवल अपनी बात कहकर स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : हम व्यक्तिगत रूप से इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप दोनों सदस्य आपस में चर्चा नहीं कर सकते। श्री अनिल बसु आप अपना भाषण जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव : महोदय, आप लोकसभा की प्रक्रिया को ही छिन्न-भिन्न कर रहे है। कृपया ऐसा न करें।

...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : महोदय, मुख्य वक्ता इस बात के लिए राजी है। इसलिए आप माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दें।

श्री बिक्रम केशरी देव : महोदय, यह किसानों से जुड़ा मामला है। माननीय सदस्य ने राजग सरकार के खिलाफ आरोप लगाये हैं। उन्होंने कहा है कि राजग सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। यहां मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि विश्व व्यापार संगठन से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर 1993 में इस सभा के नेता द्वारा किये गये थे। उन्होंने कृषि से संबंधित समझौते को रिक्त छोड़ दिया था। उन्होंने इसे रिक्त छोड़ दिया था। आज तक आपके वाणिज्य मंत्री ने इस बारे में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है और वह कृषि संबंधी समझौते तथा विकासशील देशों हेतु कृषि सब्सिडी घटाने संबंधी समझौते के समाधान के लिए कानकुन में बुलायी गयी बैठक में भी असफल रहे...*(व्यवधान)* इसलिए आप राजग सरकार को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बिक्रम केशरी देव, अब आप भाषण देने लगे हैं।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, बीच-बीच में टोकाटाकी नहीं होनी चाहिए। इस विषय पर अभी कई दूसरे वक्ताओं को भी बोलना है।

श्री अनिल बसु : महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने देश को जो नुकसान पहुंचाया है मैं उससे जुड़े प्रत्येक प्रश्न का जवाब दूंगा। हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री अनिल बसु, आप अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें। आप उन्हें क्यों संबोधित कर रहे हैं। आप को उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री अनिल बसु : सभापति जी, 1981-2001 तक के 20 साल के टाइम में खेत-मजदूरों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि किसानों की संख्या में 13 प्रतिशत की कमी आई है। चर्चा के मूल मुद्दे पर जाने के पहले मैं दो महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ माननीय श्री शरद पवार जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे सूबे पश्चिम बंगाल में आलू की खेती होती है। हमारे प्रोडक्शन में 35 लाख मीट्रिक टन आलू सरप्लस है। हम लोग इसका एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। आदरणीय शरद जी ने हमें बहुत उत्साह दिलाया, उन्होंने हमें मंत्रालय में दो घंटे का समय दिया। वहां पश्चिम बंगाल के सारे अफसर तथा एम.पीज थे। वहां पूरी चर्चा हुई। हमारे आलू की ज्योति पुखराज क्वालिटी साउथ एशियन कंट्रीज के बाजारों में एक्सैप्ट हो गई है। यह बहुत अच्छी क्वालिटी है। इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। हम हजारों टन यह आलू बेच सकते हैं, लेकिन हमारे सामने समस्या यह है कि आलू का पहले एक्सपोर्ट नहीं हुआ और जब एक्सपोर्ट का सवाल आया तो पहली बात यह आई कि आलू ऐसे ही कंटेनर्स में नहीं जा सकता, इसके लिए रेफर कंटेनर्स चाहिए और रेफर कंटेनर्स का प्रोडक्शन हमारे देश में नहीं होता है। इन कंटेनर्स को बाहर से लाना पड़ता है। इस तरह से रेफर कंटेनर्स का जो प्रॉब्लम है, उसके कारण हमारा एक्सपोर्ट नॉन-वॉयबल हो जाता है। क्योंकि मार्केट में आस्ट्रेलिया, हॉलेंड और यू. एस. ए. हमारे कम्पिटीटर्स हैं, इन लोगों के साथ कम्पटीशन करके हमें एक्सपोर्ट मार्केट को डबल करना चाहिए। हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए हमें सहायता चाहिए। शरद जी ने इस सवाल पर चर्चा की। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस साल जो मिनिमम सहायता की आशा थी, वह नहीं मिली। मेरे पास 'एपीडा'

[श्री अनिल बसु]

के चेयरमैन और जनरल मैनेजर का फैक्स है। 'एपीडा' का जो आदेश है, उन्होंने जो निर्णय लिया, वह इतना कम्पलिकेटिड है कि उसके एक्सपोर्ट में कोई सहायता नहीं मिलेगी।

[अनुवाद]

***सभापति महोदय** : माननीय सदस्य, आपको अपना भाषण पूरा करने में कितना समय लगेगा?

श्री अनिल बसु : मैं समझता हूं कि जब तक आप मुझे बोलने की अनुमति देंगे....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह नहीं हो सकता। आपको कोई समय-सीमा तय करनी होगी।

श्री अनिल बसु : कृषि क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है।

सभापति महोदय : किंतु आपको कोई समय-सीमा रखनी चाहिए। ताकि अन्य लोग भी भाग ले सकें।

श्री अनिल बसु : महोदय, मैंने बिल्कुल भी समय नहीं लिया है। हमारे दल का एक निश्चित समय है। मैंने उसका उपयोग नहीं किया है। दूसरे वक्ता ने अपना भाषण सभा पटल पर रख दिया है। इसलिए, कृपया मुझे अनुमति दीजिए।

सभापति महोदय : कृपया सहयोग करें ताकि अन्य लोगों को भी भाग लेने का मौका मिल सके।

श्री अनिल बसु : 'एपीडा' के चेयरमैन के साथ बातचीत करने के बाद, उनके जनरल मैनेजर के फैक्स को कापी भेजी है। इसमें कहा गया है कि 1.5 प्रति किलो एफ.ओ.बी. है। हम लोग इसे तीन रुपये नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केटिंग में पैकेजिंग महत्वपूर्ण है। आस्ट्रेलिया, हॉलैंड और यू. एस. ए. की पैकेजिंग आप देखें, उसका मुकाबला करने के लिए हमारी पैकेजिंग भी वैसी होनी चाहिए। हमारी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन पैकेजिंग भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। शिपमैन्ट का फेयर है, फ्रेट का फेयर है-ये सारी बातें जरूरी हैं। हम लोगों ने मांग की थी कि हमें तीन रुपये प्रति किलो सहायता ट्रांसपोर्ट सब्सिडी और अन्य चीजों में चाहिए। लेकिन उन्होंने इतना कम्पलीकेटिड बना दिया है कि उसमें कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरा शरद जी से विनम्र निवेदन है कि इसे सीधा-सीधा तीन रुपये कर दें। इसमें तीन ऑप्शंस लिखे हैं-

(क) 1.5 रुपए प्रति कि.ग्रा.-एफ ओबी का 10 प्रतिशत

(ख) 1.5 रुपए प्रति कि.ग्रा.-नॉन रेफट कंटेनर के मामले में महासागरीय मालभाड़े का 25 प्रतिशत और 1.88 रु. प्रति कि.ग्रा. रेफर कंटेनर के मामले में महासागरीय मालभाड़े का 33 प्रतिशत

(ग) 3 रुपए प्रति कि.ग्रा.-प्रति कि.ग्रा. विशेष दर

उन्होंने इसे 1.5 रु. तक किया है क्योंकि 1.5 रुपए तीनों मानदंडों में सबसे कम है। ऐसा करने का क्या औचित्य है। वे इसका निर्णय कैसे करते हैं? हमारा विनम्र निवेदन है कि शरद जी इस पर ध्यान दें और हमारी सहायता करें। हम लोग इस साल 25000 मीट्रिक टन आलू विदेश भेजने के लिए तैयार हैं। एक बात हुई थी और शरद जी भी उसमें थे, जब नेफैड ने बताया था कि 100 रैफर कंटेनर्स का बंदोबस्त वह करेंगे। वे कंटेनर हमें कोलकाता पोर्ट पर मिल जाएं तो हमें इसके लिए दूसरे देशों के पास नहीं जाना पड़ेगा।

मैं एक बात और मैंगों फैस्टिवल के बारे में कहना चाहता हूँ, जो सिंगापुर में होता है। ऐसा लगता है कि इसे वहीं करना तय कर लिया गया है। मुझे जानकारी है कि सिंगापुर में मलेशिया और थाइलैंड का तीस वेराइटीज का आम मिल रहा है। इसलिए हमारे आम की मार्केट वहां ज्यादा नहीं है। शंघाई और बीज़िंग में ज्यादा मार्केट है, जहां 7.1 मिलियन और 1.4 मिलियन की पापुलेशन है। उनकी परचेजिंग पावर भी बहुत ज्यादा है। चाइनीज लोग भारत का आम बहुत पसंद करते हैं अगर हम लोग इस फैस्टिवल का एक्सटैंशन करके सिंगापुर से शंघाई या बीजिंग ले जाएं तो हमारे देश में पैदा होने वाले आम को उधर बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा। इन दो मुद्दों को मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

यह बात सच है कि पिछले साल कृषि मंत्रालय में जितना खर्च हुआ, उसमें इस साल 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अगर आप ध्यान दें तो देखेंगे कि बजट में क्राप, एनिमल हस्बैंडरी, फिशरीज़, फूड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग, इन चार एरियाज़ में बजट में ज्यादा एलोकेशन हुआ है, लेकिन साइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले जो फाइनैंशियल इंस्टीटयूशन्स हैं, उनके लिए एलोकेशन कम है। सिंचाई क्षेत्र का तो सत्यानाश ही हो गया। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में सदन में कहा था कि यूपीए सरकार एडीशनल एक करोड़ हैक्टेयर सिंचाई की सुविधा-एश्योर्ड इरींगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी जिससे बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा और कृषि क्षेत्र का बहुत विकास होगा। लेकिन इसके लिए कोई पैसा नहीं रखा गया है, जो बहुत दुर्भाग्य की बात है। 1994-95 में हमारी पर कैपिटा फूडग्रेन एवेलेबिलिटी 174 किलोग्राम थी, जो अभी 142 किलोग्राम हो गई है 2002-03 में भारत सरकार के गोदामों में 4.82 मिलियन टन अनाज था। उसमें 1.72 मिलियन टन पीडीएस प्राइस पर एक्सपोर्ट हुआ। जब पीडीएस प्राइस पर 1.7 मिलियन टन अनाज एक्सपोर्ट हो रहा था तो देश में भुखमरी थी, किसान खुदकुशी कर रहे थे। ये सारी दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। सरकारी

आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में 26 करोड़ आदमी गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। हमारे देश में कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या 1996-97 में 19.5 करोड़ थी और आज वह बढ़कर 21 करोड़ हो गई है। हम्रारे देशके पांच साल से नीचे के बच्चों में 53.5 प्रतिशत कुपोषण के शिकार हैं। अफ्रीकी देशों में भी यह संख्या इतनी नहीं है। आज़ादी के 57 साल गुजरने के बाद भी हमारे देश की यह हालत है।

अभी डब्ल्यू टी ओ आ गया है। उसकी फ्री ट्रेड पालिसी का हम लोग कैसे मुकाबला करेंगे। एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डब्ल्यू टी ओ का एक मुद्दा है। वह हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत संकट पैदा करेगा। मल्टी नेशनल कारपोरेट बोडीज हैं, वे ट्रिप्स का फायदा उठाती हैं। हमारे बोयाडायवर्सिटी की पायरेसी हो रही है। उसे हम लोगों को संभालना पड़ेगा। जमीन और पानी कमर्शियल हो गए हैं। मिट्टी, पानी और ज़मीन सब कमर्शियल हो गई हैं। जमीन गरीब खेतिहर मजदूर को नहीं मिलती है। इस तमिलनाडु सरकार ने 50 लाख एकड़ जो सरकारी जमीन गरीब को देनी है वह मल्टी नेशनल कारपोरेशंस और प्राईवेट फर्म को दे दी है। इस समस्या का हल निकालना बहुत जरूरी है और कृषि क्षेत्र में क्रेडिट भी मिलना चाहिए...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.22 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(तीन) गुजरात में रेल मंत्री के साथ किए गए कथित अनुचित व्यवहार के बारे में – जारी

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, एक सूचना का मामला है। हमारे माननीय उपनेता श्री डी.पी. यादव जी ने गुजरात में रेल दुर्घटना के मामले को उठाया था, जहां राहत पहुंचाने के लिए माननीय रेल मंत्री जी गए हैं। हमें जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार वहां पर बड़े पैमाने पर उन पर घातक हमला किया गया। उन पर गोलियां चलाई गई हैं, पेट्रोल फैंका गया है। उन पर जान लेवा हमला किया गया और उनकी हत्या का प्रयास किया गया है....*हमने जानकारी प्राप्त की है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री जी, क्या आपके पास कोई जानकारी है?

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : हमारे माननीय मंत्री जी अभी इसकी जानकारी नहीं दे सके हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ...* लोकतंत्र को बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है...*माननीय मंत्री जी को जान से मारने की कोशिश की गई है।...*(व्यवधान)*

महोदय, लोकतंत्र पर हमला किया गया है। यह गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)* जब तक पूरा ब्यान नहीं आ जाता है, तब तक सदन को चलाने का कोई मतलब नहीं है। गुजरात में निर्दोष लोगों की हत्या की गई *(व्यवधान)**.... यह पूरी तरह से गंभीर मामला है।...* यह बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या का मामला है।...* यह चिन्ता का विषय है। इस तरह से लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.25 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए***)**

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य एक-एक करके बोलिए।

श्री रामकृपाल यादव, आप अपनी सीट पर जाइए। वहां से बोलिए और मुझे बताइए कि क्या बात है।

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है और जैसा आप सब लोगों को मालूम है आज सुबह गुजरात में रेल दुर्घटना हुई थी। रेल दुर्घटना के बारे में जैसा हमारे रेल राज्य मंत्री ने हमें बताया कि इस दुर्घटना में 12 आदमियों की मृत्यु हो गई और 100 से अधिक व्यक्ति घायल हो गए। माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद दुर्घटना स्थल पर किए जा रहे राहत कार्यों को देखने, राहत-कर्मियों से मिलने, मृतकों के परिवारों से मिलने और आहतों को देखने के लिए गुजरात गए थे। जब वे घटना स्थल पर जायजा ले रहे थे,...*....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको नाम नहीं लेना चाहिए।

[अनुवाद]

नाम नहीं लिया जाएगा। आपके कहने से पूर्व ही मैंने कहा नहीं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी के ऊपर हमला कराया गया।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर) : वह सही नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने कोई नाम लेने की इजाजत नहीं दी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि सदस्य विरोध कर रहे थे इसीलिए मैं यहां आया हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : पेट्रोल फेंका गया, उन्हें जान से मारने का काम किया गया। वहां के कलैक्टर और प्रशासन ने कुछ नहीं किया। क्या लोकतंत्र को इसी तरह से जिन्दा रखा जाएगा। जब रेल मंत्री की यह स्थिति है तो उस राज्य में आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है? क्या वहां कोई साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता?...*

रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी के ऊपर हमला किया गया ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात हाउस ने सुन ली है। आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपमें से एक को बोलने के लिए कहूँगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, श्री लालू प्रसाद जी ने गुजरात में हुई निर्दोष लोगों की हत्याओं का मामला उठाने का काम किया,...*मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि गुजरात सरकार को बर्खास्त किया जाए...*जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक सदन नहीं चलने दिया जाएगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इसे चलने देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे सुना है। आपने इसे उठाया है। हम देखेंगे। मैं इसे देखूंगा और एक रिपोर्ट मानूंगा। मैं रिपोर्ट मांग रहा हूं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया मुझे सहयोग दें। अपनी आदत छोड़ दें।

[हिन्दी]

कुँवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी के ऊपर पैट्रोल फेंका गया, उन पर गोलियां चलाई गईं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थान पर जाइए। मुझे दुख है कि कुंवर मानवेन्द्र सिंह आप अध्यक्षपीठ को सहयोग नहीं देते हैं। आप अपने स्थान पर जाइए और शान्त रहें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम कोशिश कर रहे हैं। आप हमें मदद दीजिए, सुनिए।

...*(व्यवधान)*

श्री कैलाश जोशी (भोपाल) : अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रार्थना है कि जो व्यक्ति सदन में मौजूद नहीं हैं उसके बारे में सदन में किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, मैंने कह दिया है, वे कोई आरोप नहीं लगाएंगे। मैंने उनसे आपके सामने कहा। आपके प्रोटैस्ट करने से पहले बोल दिया। चेयर पर कुछ विश्वास कीजिए। हमने उनसे पहले ही कह दिया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया चुप रहिए। कुंवर मानवेन्द्र सिंह, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप चुप रहिए। श्री गोयल आप बैठ जाइए।

आपको पता है सभा अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ वर्गों के माननीय सदस्य उत्तेजित हैं। मेरे आने से पूर्व आपने इसका जिक्र किया था। अब आपने इसे उठाया है। इसमें भी कुछ आपत्ति है। आइए इसे इस तरह उठाते हैं कि आपका मामला भी उठाया जाए और यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो वह भी कहा जाए। मैं उसे सुनना चाहता हूं और सरकार से इसकी जांच करने के लिए भी कहूंगा। यदि आवश्यक हुआ यदि वह वक्तव्य देना चाहते? तो वह वक्तव्य दे सकते हैं। अब मुझे श्री मल्होत्रा की बात सुनने दीजिए।

[हिन्दी]

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। हम कुछ नहीं सुनेंगे। एग्रीकल्चर जैसे इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस चल रही है।

[अनुवाद]

हम इसके बाद इसे जारी रखेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राम कृपाल यादव, यह बहुत गलत है।

[हिन्दी]

हमने आपकी मदद की है। आपकी बात सुनी है। इतने महत्वूपूर्ण मुद्दे पर बहस चल रही है, उसे सुनने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। हम आपसे विनती करते हैं, प्लीज बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आइए, सभा की कार्यवाही ठीक तरीके से चलाएं।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह, आपकी यह गन्दी आदत है मैं आपकी गन्दी आदत सुधार कर रहूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : आज सुबह यह बहुत गंभीर दुर्घटना हुई। उसमें अनेक लोग वहां पर मारे गये। यहां यह चार्ज लगाया जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि लालू जी जब वहां गये तो कोई हमला हुआ या कोई ऐसी बात हुई। अभी हमने पता करने की कोशिश की तो गुजरात गवर्नमेंट का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, यह बिल्कुल गलत है।...*(व्यवधान)* वहां जो यात्री हैं, उन यात्रियों ने जरूर वहां पथराव किया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हो गया, ठीक है।

[अनुवाद]

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : दोनों वक्तव्य रिकार्ड कर लिए गए हैं।

अब श्री अनिल बसु अपनी बात जारी रखेंगे। केवल उनका भाषण कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय यहां नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

आपका भाषण आ गया, उनका भी आ गया है। अभी इसमें कोई डिसीजन नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

केवल श्री अनिल बसु का भाषण ही कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइये। कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है। छोड़िये, न कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है, आप लोग बैठ जाइये। प्लीज, बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, सभा के नेता यहां पर उपस्थित है और उन्हें हमें बताना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता कि वह वक्तव्य दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम गैर सरकारी कार्य लेते हैं। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब हम गैर सरकारी कार्य पर आते है। मैं उसके अतिरिक्त किसी अन्य कार्य की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप यहां क्या चाहते हैं, बोलिये? आप बैठिये, अपनी जगह पर जाइये। आप हाउस में क्या चाहते हैं? हमने बोल दिया, आपकी मांग को उन लोगों ने सुन लिया। हाउस में तो यह तय नहीं होगा। माननीय सदस्यगण प्लीज़ समझिये कि इस मुद्दे का टाई यहां नहीं होगा। आपने जो मांग की, सही की या नहीं, हम उस बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। सरकार यहां है, उसने सुना है। इन लोगों को बात भी रिकार्ड पर आ गई है। अब प्राइवेट मैम्बर्स बिल पर चलते हैं।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : यह यहां तो तय नहीं होगा। इसे ये लोग तय करेंगे, हमें क्यों बोल रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव : एक सैण्ट्रल मिनिस्टर पर हमला हो और हम मूक बने बैठे रहें, यह न्याय है क्या?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बात मैंने पहले ही बता दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब हम सभा के नेता की बात सुनते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप छोड़िए। आप तो बाउंड नहीं हैं। हम हर माननीय सदस्य को यह बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

कोई व्यक्ति किसी दूसरे के भाषण से बाध्य नहीं हैं।

[हिन्दी]

जिसको जो बोलना है रूल के मुताबिक बोलेगा, प्रोपराइटरी के मुताबिक बोलेगा।

[अनुवाद]

यह अन्ततः इसका निर्णय इस तरीके पर निर्भर करेगा जोकि स्पष्ट है। अब सभा के माननीय नेता बोलना चाहते हैं। श्री प्रणब मुखर्जी के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं समझता हूं कि जब माननीय रेल मंत्री रेल दुर्घटना में लापता लोगों को देखने के लिए अस्पताल गए थे तब कुछ घटना घटित हुई और उनके काफिले पर हमला किया गया...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या बोलना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाई : महोदय, यह बात पहले भी उठाई गई थी।

अध्यक्ष महोदय : श्री गोयल, मैंने उन्हें बोलने के लिए कहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको श्री मानवेन्द्र सिंह को नियंत्रण में रखना होगा अन्यथा एक दिन वह मुश्किल में होंगे। मैं उन्हें निलम्बित कर दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाई : महोदय, यह बात तब उठाई गई थी जब माननीय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे। और माननीय संसदीय कार्यमंत्री, जो दूसरी तरफ बैठे हुए थे, ने उत्तर दिया था। आप कार्यवाही वृत्तान्त देख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि दुर्घटना स्थल का दौरा करने के बाद जब माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद अस्पताल जा रहे थे तो एक दुराचारी ने उन पर पत्थर फेंका। उन्होंने तो यहीं बताया था और अब सदस्य कह रहे है कि यह...*...

अध्यक्ष महोदय : अब, आप कृपया बैठ जाइए। अब श्री प्रणब मुखर्जी के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : कम से कम हमें सभा के नेता का तो आदर करना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आठवले, कृपया अपने स्थान पर जाइए।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया गया है हम तथ्यों का पता लगाएंगे। मैं समझता हूं कि लगभग चार बजे माननीय रेल मंत्री स्वयं आ रहे हैं। तभी हमें उनसे और अन्य स्रोतों से सच्चाई का पता चलेगा और निसन्देह शीघ्र ही हम टिप्पणी, वक्तव्य दे सकेंगे और सभा को सूचित करेंगे। जिस कार्रवाई की आवश्यकता होगी, की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : यह बहुत चिन्ता का विषय है। यदि आपके एक साधारण सदस्य पर हमला होता है तो भी आपको चिन्ता करनी चाहिए और पूरे सदन को चिन्ता करनी चाहिए। किन्तु एक रेल मंत्री पर जानलेवा हमला हुआ है, गोली चलायी गयी है, पेट्रोल फेंका गया है–क्या यह बहुत बड़ा हादसा नहीं है? क्या सदन फिर भी डिबेट में लगा रहेगा?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गम्भीर चिन्ता का विषय है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा के माननीय नेता ने सरकार की ओर से वक्तव्य दिया है।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, यह अत्यन्त दुखदायी है.. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : क्या हम लोग बैठकर चिन्ता न करें? ये लोग बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रामकृपाल जी, बहुत हो गया। हाउस एडजर्न नहीं होगा, हाउस चलेगा। मंत्री जी बोल चुके हैं। उसके बाद कुछ नहीं बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब बहुत हो गया। यहां अभी कुछ तय नहीं होगा, यह आप सब जानते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है। मंत्री जी ने कहा है कि वे पता लगाकर तय करेंगे कि क्या करना है। हम हाउस का बिजनेस चलाएंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम कृपाल यादव : उन्हें आने दीजिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राम कृपाल यादव, सभा की बैठक स्थगित नहीं की जाएगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, आपने जो कार्यवाही करनी है, कर लीजिए, हम सबके लिए तैयार हैं।...(व्यवधान) आपने हमको सस्पैंड करना है तो कर दीजिए। ...(व्यवधान) हत्या की राजनीति नहीं चलेगी...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जो बोल रहे हैं, क्या उसके कुछ मायने हैं। बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार की घटित हुई किसी घटना के महत्व को कम नहीं कर रहा हूं लेकिन हमें प्रमाणिक सूचना के आधार पर कार्यवाही करनी पड़ेगी। सभा के नेता ने बताया है कि वहां क्या हुआ है। वह यह कह रहे हैं कि वह रेल मंत्री से स्वयं स्थिति का पता लगाएंगे। उसके बाद ही सरकार जो उचित समझेगी कार्यवाही करेगी। यदि सदन के किसी भी माननीय सदस्य चाहें वह पक्ष का हो अथवा विपक्ष का के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। तो मै केवल अपनी असहमति और निरानुमोदन ही व्यक्त कर सकता हूं। यह अत्यन्त निन्दनीय है। मैं इसकी भर्त्सना करूंगा। लेकिन हमें प्रमाणिक सूचना के आधार पर ही कार्यवाही करनी चाहिएं मैं समझता हूं कि सदन के नेता ने बिल्कुल ठीक ही कहा है। उन्होंने इसके महत्व को कम नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि चन्द मिनटों में माननीय मंत्री जी स्वयं आ रहे हैं। वह मंत्री जी से पता लगाएंगे। तत्पश्चात सरकार अपना उत्तर देगी। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं हैं मेरी सभी माननीय सदस्यों से अपील है कि आपने इस मामले पर अच्छी तरह से अपनी चिन्ता व्यक्त की है आपकी बातों को पीठासीन अधिकारी सहित सभी पक्षों ने सुना है।

अतः अब सभा की कार्यवाही चलने दीजिए। कोई भी इसके महत्व को कम नहीं कर रहा है। राम कृपाल जी, हमारे मन में प्रत्येक माननीय सदस्य के लिए सम्मान है। मैं सभी का सम्मान करता हूं। अतः मेरे लिए यह दुखदायी है यदि इस सभा के किसी सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। हमें इस पर खामोश नहीं रहना चाहिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इसकी उचित जांच की जाएगी। अतः मैं कहूंगा कि आप इस विषय पर और अधिक कुछ मत कहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, लालू जी किस स्थिति में हैं, यह हमें मालूम नहीं है। वे सुरक्षित हैं या नहीं, यह भी चिन्ता का विषय बना हुआ है। ...*(व्यवधान)* क्या किसी की उनसे बात हुई है?...*(व्यवधान)* गोली चली या नहीं, कोई हथियार है या नहीं, इस बारे मे पक्का बताया जाए।...*(व्यवधान)* क्या सरकार बताएगी कि लालू जी सुरक्षित है या नहीं?...*(व्यवधान)* पैट्रोल फेंका गया या नहीं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि माननीय मंत्री शीघ्र ही आ जाएंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए।

...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि सभी पक्षों के माननीय सदस्य इस बात में व्यथित है कि जिस प्रकार से इस सदन के एक माननीय सदस्य के साथ बर्ताव किया गया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने बहुत ठीक ढंग से इस विषय को उठाया है। हम सभी लालू जी का बहुत आदर करते हैं।

श्री राम कृपाल यादव : हम लोग दूसरों की तरह नहीं हैं। आपकी बहुत इज्जत करते हैं। सदन में आपका जो भी निर्देश होता है, हम उसका पालन करते हैं। मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि इस पर ध्यान दीजिए। श्री लालू जी की क्या हालत है, वह जिन्दा हैं या नहीं, क्या सरकार के पास इसकी कोई जानकारी है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं भी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी भी घटना की यदि वह घटित हुई है, भर्त्सना की है लेकिन मुझे भी तथ्य पता होने चाहिए।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा। मैंने गृह मंत्री को तथ्यों का पता लगाने के लिए अनुरोध किया है। जैसे ही तथ्यों की जानकारी मिलेगी मैं शीघ्र ही सदन को उसकी जानकारी दूंगा। जब तक मुझे पूरे तथ्य नहीं मिलते, मेरे लिए इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना कठिन होगा। पहले तथ्यों का पता लग जाने दीजिए। तथ्यों का पता लगते ही मैं सभा को सूचित करूंगा। मैं आपकी चिंता में शामिल हूं। हम सभी गंभीर रूप से व्यथित हैं। इस प्रकार की घटना घटित हुई है। लेकिन जब तक प्रमाणित तथ्यों का हमें पता नहीं चल पाता मैं इस पर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : हमने माननीय मंत्री जी की बात सुन ली है। अध्यक्ष महोदय, लालू जी के बारे में सभी को चिंता हो रही है। लालू जी की क्या हालत है, क्या इसके बारे में सरकार के पास कोई सूचना है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री राम कृपाल यादव जी, आपके सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राम कृपाल यादव : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्री लालू जी सुरक्षित हैं या नहीं, अगर सरकार के पास इसकी कोई जानकारी हो तो हमें बताएं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं सदन की बैठक स्थगित नहीं कर रहा हूं।

[हिन्दी]

मैंने तो रिक्वैस्ट की है, आपको पसन्द आए या नहीं।

श्री राम कृपाल यादव : हम लोग खड़े रहेंगे, हमें हाउस से निकाल दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं जी, हम किसी को हाउस से निकालना नहीं चाहते हैं। मैं यही बोल रहा हूँ।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यहां पहले ही काफी समस्याएं हैं। आप समस्या को मत बढ़ाईए। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि उनकी चिन्ताएं नोट कर ली गई हैं इसे पीठासीन अधिकारी और सभी सदस्यों ने सुना है। सदन के नेता ने दो बार प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है उन्होंने कहा है कि वह भी काफी चिन्तित है। इस प्रकार की किसी भी घटना की सदन द्वारा निन्दा की जानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि सभा के सभी राजनीतिक दलों द्वारा किसी माननीय सदस्य अथवा मंत्री महोदय के साथ दुर्व्यवहार की इस प्रकार की घटित घटना की सभी भर्त्सना करेंगे।

दूसरा अभी आज हम इस घटना को निपटा नहीं सकते। सभा के नेता ने कहा है कि वह तथ्यों का पता लगाने के बाद यहां आएंगे और वक्तव्य देंगे। हमें उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। मैं उस समय यदि आवश्यक हुआ, तो निश्चय ही कुछ उपयुक्त कदम उठाऊंगा। अतः मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि तब तक सभी सदस्य सभा को चलाने में पीठासीन अधिकारी का सहयोग करें।

मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी चाहेंगे कि सभा की कार्यवाही जारी रखी जाए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट मुझे बोलने दीजिए।

श्री रामदास आठवले : गुजरात की सरकार को बर्खास्त करो।

अध्यक्ष महोदय : आप भी यहां से बर्खास्त हो, जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह अत्यन्त गंभीर मामला है मैं इसके महत्व को कम नहीं कर रहा हूं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तविक स्थिति का तुरन्त पता लगाना सम्भव नहीं है। इस मामले पर दोनों पक्ष के लोग भिन्न-भिन्न प्रकार से चिंतित हैं। दोनों पक्षों से प्राप्त हुए सुझावों को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि हम सोमवार को मिलें।

अपराह्न 3.57 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार, 25 अप्रैल 2005/5 वैशाख 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री उदय सिंह श्री चन्द्रभूषण सिंह	381
2.	श्री अर्जुन सेठी श्री कमला प्रसाद रावत	382
3.	श्री अधीन चौधरी श्री निखिल कुमार	383
4.	डा. लक्ष्मीनारायाण पाण्डेय श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी	384
5.	श्री हेमलाल मुर्मू	385
6.	श्री शिवराज सिंह चौहान श्री गुरूदास कामत	386
7.	श्री कृष्णा मुरारी मोघे श्री बापू हरि चौरे	387
8.	श्री रेवती रमन सिंह श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	388
9.	श्री हरिकेवल प्रसाद श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	389
10.	श्री एन. जनार्दन रेड्डी	390
11	श्रीमती जयाप्रदा श्री राजेन गोहेन	391
12.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा डा. धीरेन्द्र अग्रवाल	392
13.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' श्री नीतीश कुमार	393
14.	श्री कीर्ति वर्धन सिंह	394
15.	श्री ब्रजेश पाठक श्री गणेश सिंह	395
16.	श्री जी. करूणाकर रेड्डी श्री जुएल ओराम	396
17.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	397
18.	श्री संतोष गंगवार श्री देविदास पिंगले	398
19.	श्री रवि प्रकाश वर्मा श्री तथागत सत्पथी	399
20.	श्री बालासोवरी वल्लभनेनी	400

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे. एम.	4239, 4305
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	4256, 4334, 4356 4369
3.	आदित्यनाथ, योगी	4153
4.	अहमद, श्री अतीक	4214, 4294
5.	अहीर, श्री हंसराज जी.	4152, 4291
6.	अजय कुमार, श्री एस.	4186, 4188
7.	अप्पादुरई, श्री एम.	4169
8.	अर्गल, श्री अशोक	4166, 4255, 4345
9.	आठवले, श्री रामदास	4154, 4263, 4336, 4358, 4371
10.	आजमी, श्री इलियास	4331
11.	बर्मन, श्री हितेन	4165
12.	बर्मन, श्री रनेन	4201, 4331
13.	बखला, श्री जोवाकिम	4201
14.	भडाना, श्री अवतार सिंह	4189
15.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	4193, 4349
16.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	4193, 4221, 4297 4331, 4332
17.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	4232, 4301
18.	बरकटी, श्री नारायण चन्द्र	4167, 4257
19.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	4201, 4292
20.	चन्देल, श्री सुरेश	4184
21.	चन्द्रप्पन, श्री सी. के.	4192, 4276, 4321
22.	चारेनामै, श्री मणि	4283
23.	चौरे, श्री बापू हरी	4261, 4331, 4354, 4368
24.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद	4292
25.	चिन्ता मोहन, डा.	4274

1	2	3
26	चौहान, श्री शिवराज सिंह	4269
27.	चौधरी, श्री पंकज	4234
28.	चौधरी, श्री अधीर	4173, 4174, 4267
29.	देवरा, श्री मिलिन्द	4179, 4203
30.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेश चंद्र	4185
31.	धनराजू, डा. के.	4170, 4285, 4326 4352, 4366
32.	फैन्थम, श्री फ्रान्सिस	4151
33.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	4266, 4277
34.	गांधी, श्री प्रदीप	4228
35.	गंगवार, श्री संतोष	4264, 4282, 4316 4355
36.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	4204, 4283
37.	गोहेन, श्री राजेन	4302
38.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	4211
39.	गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर	4158, 4201
40.	गुप्त, श्री श्यामा चरण	4198
41.	हर्ष कुमार, श्री जी. वी.	4215, 4295
42.	हसन, श्री मुनव्वर	4247
43.	जगन्नाथ, डा. एम.	4173, 4265, 4328 4353, 4367
44.	जटिया, डा. सत्यनारायण	4157
45.	जयाप्रदा, श्रीमती	4200, 4274
46.	झा, श्री रघुनाथ	4230, 4275, 4314 4347, 4364
47.	जय प्रकाश, श्री	4155
48.	जोगी, श्री अजीत	4180
49.	जोशी, श्री प्रहलाद	4178, 4237, 4308 4342
50.	कलमाडी, श्री सुरेश	4145, 4210
51.	कामत, श्री गुरूदास	4309, 4343, 4362
52.	कनोडिया, श्री महेश	4209
53.	खैरे, श्री चंद्रकांत	4266

1	2	3
54.	खां, श्री सुनील	4156, 4273
55.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	4235
56.	खन्ना, श्री अविनाश राय	4225
57.	खारवेनथन, श्री एस. के.	4229, 4286
58.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	4148, 4193, 4254
59.	कृष्ण, श्री विजय	4266, 4277
60.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	4188, 4270, 4320 4349, 4350
61.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	4185
62.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	4242
63.	महाजन, श्री वाई. जी.	4201
64.	महतो, श्री बीर सिंह	4205, 4239, 4311
65.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	4153
66.	महताब, श्री भर्तृहरि	4237
67.	माने, श्रीमती निवेदिता	4277
68.	मेघवाल, श्री कैलाश	4149, 4193, 4249 4269, 4319
69.	मैन्या, डा. टोकचोम	4243
70.	मिश्रा, डा. राजेश	4236
71.	मोदी, श्री सुशील कुमार	4207, 4287
72.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	4235
73.	मोहन, श्री पी.	4208, 4288
74.	मुकीम, मो.	4164, 4277, 4299
75.	मो. ताहिर, श्री	4323
76.	मोहिते, श्री सुबोध	4159, 4252
77.	मुन्शी राम, श्री	4188, 4203, 4224 4323
78.	मुर्मू, श्री हेमलाल	4268, 4318, 4348
79.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	4182, 4299, 4338 4360, 4372

1	2	3
80.	नायक, श्री ए. वेंकटेश	4284, 4325
81.	नायक, श्री अनन्त	4237, 4245
82.	ओराम, श्री जुएल	4219, 4296
83.	ओसमानी, श्री ए. एफ. जी.	4174
84.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	4272, 4286, 4327
85.	पलनिसामी, श्री के. सी.	4160, 4188, 4193, 4259, 4305
86.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	4235
87.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	4292
88.	पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार	4244
89.	पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई	4240
90.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	4162, 4205, 4278, 4334, 4349
91.	पटैरिया, श्रीमती नीता	4280
92.	पाठक, श्री ब्रजेश	4324, 4351, 4365, 4373
93.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	4179, 4246, 4310
94.	पाटिल, श्री डी. बी.	4202
95.	पिंगले, श्री देविदास	4303, 4340
96.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	4188, 4203, 4217
97.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	4197
98.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	4331
99.	राई, श्री नुकल दास	4272
100.	राजेन्द्र कुमार, श्री	4188, 4241, 4270
101.	राजेन्द्रन, श्री पी.	4276
102.	रामदास, प्रो. एम.	4205, 4248, 4313 4314
103.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	4188, 4217
104.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	4181, 4271
105.	राव, श्री डी. विट्ठल	4212, 4278, 4293, 4330
106.	राठौड़ श्री हरिभाऊ	4179, 4225, 4262
107.	रावले, श्री मोहन	4162
108.	रावत, श्री कमला प्रसाद	4251, 4322
109.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	4272
110.	रेड्डी, श्री सुखराम सुधाकर	4216, 4233
111.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	4188, 4203
112.	सरोज, श्री तूफानी	4199
113.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	4200
114.	सत्पथी, श्री तथागत	4203, 4218, 4266 4369
115.	सेन, श्रीमती मिनाती	4213
116.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	4222, 4298, 4333
117.	शाहिद, मोहम्मद	4146, 4279, 4323 4349, 4350
118.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	4172
119.	शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम	4163
120.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	4147, 4203, 4260 4337, 4359,
121.	शिवन्ना, श्री एम.	4206, 4284, 4325
122.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	4203, 4224, 4270, 4320, 4323
123.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	4180
124.	सिद्दीश्वर, श्री जी. एम.	4196
125.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	4194, 4278, 4346
126.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	4205
127.	सिंह, श्री बृजभूषण शरण	4161, 4306, 4307
128.	सिंह, श्री चन्द्र भूषण	4282
129.	सिंह, श्री चन्द्रभान	4231
130.	सिंह, श्री दुष्यंत	4193, 4203, 4241, 4320, 4323
131.	सिंह, श्री गणेश	4281
132.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	4183
133.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	4266, 4277

1	2	3
134.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	4210, 4270, 4290 4329
135.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	4191, 4275, 4314 4344, 4363
136.	सिंह, श्री राकेश	4238, 4304, 4341 4361
137.	सिंह, श्री सुग्रीव	4177, 4205, 4278 4312, 4334
138.	सिंह, श्री सूरज	4187
139.	सिंह, श्री उदय	4266
140.	सिप्पीपाराई, श्री रविचन्द्रन	4150, 4250, 4315
141.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	4176, 4223
142.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	4226, 4335, 4374
143.	सुमन, श्री रामजीलाल	4185, 4200
144.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	4216

1	2	3
145.	थामस, श्री पी. सी.	4195
146.	तुम्मर, श्री वी. के.	4220, 4311
147.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	4235
148.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	4168, 4258, 4319 4349
149.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	4300, 4339
150.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम. पी.	4171
151.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	4253, 4317, 4357 4370
152.	विनोद कुमार, श्री बी.	4227
153.	यादव, श्री मित्रसेन	4283
154.	यादव, श्री सीता राम	4183
155.	यास्खी, श्री मधु गौड	4218
156.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	4175, 4289, 4329

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	
संस्कृति	
रक्षा	381, 389, 390, 394, 398
भारी उद्योग और लोक उद्यम	
सूचना और प्रसारण	383, 386, 391
पंचायती राज	399
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	382, 387, 388, 392, 393, 396, 397, 400
रेल	384, 385
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	395

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	4145, 4148, 4158, 4162, 4163, 4168, 4184, 4215, 4218, 4219, 4228, 4230, 4235, 4236, 4246, 4253, 4272, 4292, 4294, 4295, 4333, 4343, 4345, 4353, 4354
संस्कृति	4149, 4151, 4182, 4212, 4214, 4220, 4229, 4247, 4262, 4317, 4342, 4356
रक्षा	4190, 4203, 4209, 4210, 4224, 4232, 4233, 4237, 4238, 4249, 4251, 4260, 4266, 4270, 4275, 4278, 4320, 4335, 4341, 4344, 4373
भारी उद्योग और लोक उद्यम	4155, 4205, 4274, 4337, 4346, 4374
सूचना और प्रसारण	4154, 4169, 4202, 4217, 4226, 4239, 4254, 4257, 4282, 4288, 4289, 4291, 4296, 4297, 4300, 4301, 4313, 4314, 4340, 4351, 4360 4363
पंचायती राज	4368
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	4150, 4171, 4172, 4172, 4174, 4175, 4187, 4188, 4193, 4199, 4213, 4234, 4241, 4243, 4244, 4261, 4264, 4267, 4271, 4279, 4283, 4286, 4302, 4310, 4312, 4315, 4316, 4319, 4322, 4327, 4331, 4347, 4349, 4357, 4362, 4367, 4369, 4370

रेल	4146, 4152, 4153, 4156, 4159, 4160, 4161, 4164, 4165, 4166, 4167, 4170, 4176, 4177, 4179, 4180, 4185, 4186, 4189, 4191, 4192, 4194, 4196, 4197, 4198, 4200, 4204, 4206, 4207, 4208, 4211, 4216, 4221, 4223, 4227, 4231, 4240, 4242, 4245, 4250, 4252, 4255, 4256, 4258, 4259, 4268, 4273, 4276, 4277, 4281, 4285, 4287, 4290, 4298, 4299, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4311,4318, 4321, 4323, 4325, 4326, 4328, 4330, 4339, 4348, 4352, 4355, 4361, 4364, 4365, 4366, 4372
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	4147, 4157, 4178, 4181, 4183, 4195, 4201, 4222, 4225, 4248, 4263, 4265, 4269, 4280, 4284, 4393, 4309, 4324, 4329, 4332, 4334, 4336, 4338, 4350, 4358, 4359, 4371.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी–लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. – 48/9/23/ 2005 (एन.)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।